

खण्ड-5

योजना में संशोधन
करने के लिए समय-समय
पर जारी परिपत्र

(परिपत्रों में किए गये संशोधन प्रौवनियो पुस्तिका
में शामिल किए गए हैं ।)

योजना में संशोधन करने के लिए समय-समय पर जारी परिपत्र

क्र.सं.	परिपत्र संख्या	दिनांक	पृ.सं.
	1999-2000		
1	परिपत्र	06/01/2000	
2	परिपत्र	27/03/2000	
	2000-2001		
3	परिपत्र सं.1 (2000-2001 श्रृंखला)	17/04/2000	
4	परिपत्र सं. 2 (2000-2001 श्रृंखला)	15/05/2000	
5	परिपत्र सं.3 (2000-2001 श्रृंखला)	05/06/2000	
6	परिपत्र सं.4 (2000-2001 श्रृंखला)	13/06/2000	
7	परिपत्र सं. 5 (2000-2001 श्रृंखला)	16/06/2000	
8	परिपत्र सं. 6 (2000-2001 श्रृंखला)	21/07/2000	
9	परिपत्र सं. 7 (2000-2001 श्रृंखला)	04/08/2000	
10	परिपत्र सं. 8 (2000-2001 श्रृंखला)	21/08/2000	
11	परिपत्र सं. 9 (2000-2001 श्रृंखला)	13/11/2000	
12	परिपत्र सं. 10 (2000-2001 श्रृंखला)	13/12/2000	
13	परिपत्र सं. 11(2000-2001 श्रृंखला)	23/03/2001	
	2001-2002		
14	परिपत्र सं. 1 (2001-2002 श्रृंखला)	04/07/2001	
15	परिपत्र सं. 2 (2001-2002 श्रृंखला)	31/07/2001	
16	परिपत्र सं. 3 (2001-2002 श्रृंखला)	11/10/2001	
17	परिपत्र सं. 4 (2001-2002 श्रृंखला)	02/11/2001	
18	परिपत्र सं. 5 (2001-2002 श्रृंखला)	02/01/2002	
19	परिपत्र सं. 6 (2001-2002 श्रृंखला)	19/02/2002	
20	परिपत्र सं. 7 (2001-2002 श्रृंखला)	20/03/2002	
	2002-2003		
21	परिपत्र सं.1 (2002-2003 श्रृंखला)	08/05/2002	
22	परिपत्र सं.2 (2002-2003 श्रृंखला)	14/06/2002	
23	परिपत्र सं.3 (2002-2003 श्रृंखला)	31/07/2002	
24	परिपत्र सं.4 (2002-2003 श्रृंखला)	05/08/2002	
25	परिपत्र सं.5 (2002-2003 श्रृंखला)	31/10/2002	
26	परिपत्र सं.6 (2002-2003 श्रृंखला)	12/12/2002	
27	परिपत्र सं.7 (2002-2003 श्रृंखला)	06/02/2003	

क्र.सं.	परिपत्र संख्या	दिनांक	पृ.सं.
	2003-2004		
28	परिपत्र सं. 1 (2003-2004 श्रृंखला)	07/04/2003	
29	परिपत्र सं. 2 (2003-2004 श्रृंखला)	14/05/2003	
30	परिपत्र सं. 3 (2003-2004 श्रृंखला)	25/08/2003	
31	परिपत्र सं. 4 (2003-2004 श्रृंखला)	21/11/2003	
32	परिपत्र सं. 5 (2003-2004 श्रृंखला)	23/12/2003	
33	परिपत्र सं. 6 (2003-2004 श्रृंखला)	14/01/2004	
34	परिपत्र सं. 7 (2003-2004 श्रृंखला)	23/01/2004	
35	परिपत्र सं. 1 (पीडीसी 2003-2004 श्रृंखला)	11/02/2004	
36	परिपत्र सं. 2 (पीडीसी 2003-2004 श्रृंखला)	22/03/2004	
37	परिपत्र सं. 3 (पीडीसी 2003-2004 श्रृंखला)	16/07/2004	
	2004-2005		
38	परिपत्र सं. 1 (2004-2005 श्रृंखला)	16/04/2004	
39	परिपत्र सं. 2 (2004-2005 श्रृंखला)	27/05/2004	
40	परिपत्र सं. 3 (2004-2005 श्रृंखला)	23/09/2004	
41	परिपत्र सं. 4 (2004-2005 श्रृंखला)	20/10/2004	
42	परिपत्र सं. 5 (2004-2005 श्रृंखला)	16/12/2004	
43	परिपत्र सं. 6 (2004-2005 श्रृंखला)	25/01/2005	
44	परिपत्र सं. 7 (2004-2005 श्रृंखला)	10/02/2005	
45	परिपत्र सं. 8 (2004-2005 श्रृंखला)	11/02/2005	
46	परिपत्र सं. 9 (2004-2005 श्रृंखला)	26/02/2005	
48	परिपत्र सं. 10 (2004-2005 श्रृंखला)	24/03/2005	
49	परिपत्र सं. 1 (पीडीसी 2004-2005 श्रृंखला)	10/11/2004	
50	परिपत्र सं. 1 (पीडीसी 2004-2005 श्रृंखला)	29/12/2004	
51	परिपत्र सं. 1 (पीडीसी 2004-2005 श्रृंखला)	10/02/2005	
52	परिपत्र सं. 1 (पीडीसी 2004-2005 श्रृंखला)	16/03/2005	
	2005-2006		
53	परिपत्र सं. 1 (2005-2006 श्रृंखला)	21/4/2005	
54	परिपत्र सं. 2 (2005-2006 श्रृंखला)	29/4/2005	
55	परिपत्र सं. 3 (2005-2006 श्रृंखला)	08/07/2005	
56	परिपत्र सं. 4 (2005-2006 श्रृंखला)		
57	परिपत्र सं. 5 (2005-2006 श्रृंखला)	08/09/2005	
58	परिपत्र सं. 6 (2005-2006 श्रृंखला)		

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना

परिपत्र

(1999-2000 श्रृंखला)

भारत सरकार,
वस्त्र मंत्रालय,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
पो.बै.सं.-11500, मुंबई-20.

सं. 28/1/2000/मानिटरिंग/

दिनांक: 6, जनवरी, 2000

परिपत्र

विषय:- वस्त्र तथा पटसन उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना ।

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार दिनांक 24 मार्च, 1999 के संकल्प सं. 28/1/99-सीटीआई द्वारा वस्त्र तथा पटसन उद्योग के लिए दिनांक 1 अप्रैल 99 से 5 वर्षीय प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना आरंभ की है । इस योजना के अंतर्गत पात्र वस्त्र मिलों को बेंचमार्क प्रौद्योगिकी में निवेश के लिए 5 % ब्याज प्रतिपूर्ति की सुविधा दी गई है ।

2. टीयूएफएस के अंतर्गत स्थापित अंतर मंत्रालय संचालन समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसरण में सिडबी तथा आईडीबीआई ने कुछ वित्तीय शर्तों को शिथिल कर दिया है तथा टीयूएफएस के व्यापक प्रसार के लिए अनुसूचित व्यापारिक बैंकों/सीएफसी/आईडीसी/द्विकार्यमूलक औद्योगिक विकास निगमों का सहयोजित किया है ।

विस्तृत विवरण निम्नलिखित है :-

2.1 सिडबी :-

- (i) टीयूएफएस के लिए सिडबी ने अन्य मामलों में 33-1/3% की तुलना में प्रमोटर्स का अंशदान न्यूनतम 20 % तक नियत किया है ।
- (ii) टीयूएफएस के अंतर्गत पीएलआई द्वारा पुनः वित्त प्रबंध प्राप्त करने के लिए सिडबी ने परियोजना लागत पर लगी हुई रु.100 लाख की सीमा को हटा दिया है । तदनुसार प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि के अंतर्गत वस्त्र उद्योग के लिए पुनः वित्त प्रबंध योजना के अंतर्गत सहायता के लिए राज्य वित्तीय निगमों/राज्य औद्योगिक विकास निगमों के लिए कुल निर्धारित उच्चतम सीमा के अन्तर्गत पात्र प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा ।
- (iii) सिडबी ने 81 अनुसूचित व्यापारिक बैंकों, 2 कोआपरेटिव बैंक , एकजीम बैंक 18 राज्य वित्तीय निगमों, 17 राज्य औद्योगिक विकास निगमों तथा 11 द्विकार्य मूलक औद्योगिक विकास निगमों सहित 130 वित्तीय संस्थानों को सहयोजित किया है ।
- (iv) उपरोक्त 130 बैंकों/संस्थानों के बारे में सिडबी ने पुनः वित्त प्रबंध प्राप्त करने की शर्तों को शिथिल कर दिया है । तदनुसार ये पीएलआई टीयूएफएस प्रस्तावों के लिए अपने स्रोतों से वित्त प्रबंध कर सकती हैं तथा सिडबी से ब्याज प्रतिपूर्ति/विनिमय दर उतार-

चढ़ाव का दावा कर सकती है । इसके अतिरिक्त उन बैंकों/संस्थानों के बारे में ऐसे मामले जहाँ पुनः वित्त प्रबंध प्राप्त नहीं हुआ है, सिडबी पुनः वित्त प्रबंध की शर्तों के अनुवर्तन पर बल नहीं देगी ।

2.2 आई.डी.बी.आई. :

आईडीबीआई से 3 अ. भा. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, एक्झिम बैंकों, 15 अनुसूचित ब्यापारक बैंकों तथा 46 राज्य वित्तीय निगमों/राज्य औद्योगिक विकास निगमों/द्विकार्य मूलक औद्योगिक विकास निगमों को सहयोजित किया है । जे एण्ड के बैंक को केवल जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए सहयोजित किया गया है।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर है) राज्य वित्तीय निगमों/राज्य औद्योगिक विकास निगमों/द्विकार्य मूलक औद्योगिक विकास निगमों को सीधे वित्त तथा पुनः वित्त प्रबंध योजना के अंतर्गत सहयोजित किया गया है। राज्य वित्तीय निगमों/राज्य औद्योगिक विकास निगमों/द्विकार्य मूलक औद्योगिक विकास निगमों द्वारा सीधी सहायता के लिए पुनः वित्त प्रबंध योजना के अंतर्गत लागू योजना लागत पर वर्तमान सीमा जारी रखी जाएगी ।

i. सभी राज्य वित्तीय निगमों/राज्य औद्योगिक विकास निगमों/द्विकार्य मूलक औद्योगिक विकास निगमों चाहे वे किसी भी श्रेणी के हो, को पुनः वित्त प्रबंध योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है । निगमों को स्वीकृत वार्षिक सीमाओं के अतिरिक्त इस योजना के अंतर्गत पुनः वित्त प्रबंध का विस्तार बैंक टू बैंक बेसिस पर किया जायेगा । (एलओसी के अंतर्गत नहीं) ।

ii. आईडीबीआई द्वारा सहयोजित बैंकों के बारे में बैंक का केवल एक कार्यालय नोडल एजेन्सी के रूप में आईडीबीआई से समन्वयन के लिए प्राधिकृत किया जाएगा । एसबीआई तथा इसके सदस्य बैंकों के मामले में एसबीआई, आईडीबीआई से समन्वय करेगी ।

iii. रुपये 30 करोड़ तथा उससे कम लागत वाली योजनाओं के लिए बैंक सीधे वित्त प्रबंध के लिए आवेदनों पर विचार करेगी ।

सिडबी तथा आईडीबीआई द्वारा किए गए उपरोक्त उपाय योजना को विकेंद्रित क्षेत्रों सहित वस्त्र तथा पटसन उद्योगों के सभी खंडों तक पहुंचाने में सहायक होंगे।

(श्रीमती शशी सिंह)
निदेशक

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय
पो.बै.सं. 11500, मुंबई-20

मि. सं. 28(19)/2000/एम.एस./

दिनांक : 27 मार्च, 2000

परिपत्र

विषय : वस्त्र तथा पटसन उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना ।

1. वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 31 मार्च 1999 के संकल्प सं. 28/1/99-सीटीआई द्वारा वस्त्र तथा पटसन उद्योगों के लिए दिनांक 01 अप्रैल 99 से 5 वर्षीय प्राद्योगिकी उन्नयन निधि योजना आरंभ की है । इस योजना के अंतर्गत पात्र वस्त्र मिलों को उपरोक्त प्रौद्योगिकी में निवेश के लिए 5 % ब्याज प्रतिपूर्ति की सुविधा दी गई है । इस योजना में निधि के लिए उच्चतम सीमा नहीं हैं । यह उद्योगों की क्षमतानुसार बैंक ग्राह्य तथा टेक्नो-इकॉनॉमिकली संभाव्य प्रस्तावों में निधि समाविष्ट करने के लिए खुली योजना है ।

2. सरकार ने योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनुवीक्षण तथा मूल्य निर्धारण प्रक्रिया की मानक निर्धारित करने तथा योजना के समय-समय पर कार्य के पुनरीक्षण के लिए भी सचिव (वस्त्र) के अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालय संचालन समिति का भी गठन किया । योजना के प्रारंभ से अंतर-मंत्रालय संचालन समिति ने चार बैठकें आयोजित की तथा योजना में कुछ आशोधन किए । इन आशोधनों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है :-

2. 1) टीयूएफएस के अंतर्गत समावेशन हेतु कट-आफ तिथि :-

01.04.99 से पहले स्वीकृत किंतु अवितरित ऋणों पर टी.यू.एफ.एस के अंतर्गत नए मामले मानकार पुनर्विचार किया जाएगा यदि वे टी.यू.एफ.एस के पैरामीटरों की पूर्ति करते हैं । आंशिक वितरित ऋणों के मामले में यदि कर्जदार टीयूएफएस के अन्तर्गत लाभ उठाना चाहता है तो विद्यमान ऋण के मामले समाप्त किए जाएंगे तथा टीयूएफएस शर्तों के अनुरूप शेष निवेश के लिए नयी परियोजना लेंडिंग ऐजन्सी को प्रस्तुत की जाएगी ।

2. 2) पात्र अन्य निवेश :

i) मूल प्राद्योगिकी उन्नयन निधि योजना में कुछ निवेशों (यानि भूमि तथा फैक्टरी भवन, जिसके अन्तर्गत फैक्टरी भवन का नवीकरण और बिजली संस्थापन, ऊर्जा बचत यंत्र, निस्सारी अभिक्रिया संयंत्र, कैप्टीव औद्योगिक प्रयोग एवं कैप्टीव ऊर्जा निर्माण के लिए निस्सारी अभिक्रिया संयंत्र शामिल हैं) को निधियन के लिए पात्र किया गया था, इसमें कुल निवेश की 25% राशि

विनिर्दिष्ट संयंत्र और मशीनरी में निवेश की सीमा तय थी । { सरकारी संकल्प का पैरा 3.3(1) दिनांक 31.03.99 } अंमसंस ने यह महसूस किया कि ऊर्जा बचाने वाले यंत्र, कैप्टीव औद्योगिक प्रयोग के लिए निस्सारी अभिक्रिया संयंत्र तथा जल अभिक्रिया संयंत्र न केवल उत्पादन प्रक्रिया के लिए बल्कि उत्पाद गुणवत्ता के लिए भी अत्यावश्यक है । वस्तुतः मूल योजना में निस्सारी अभिक्रिया संयंत्र को प्रोसेसिंग के लिए अत्यावश्यक मशीनरी के रूप में समाविष्ट किया गया है । अतः अंमसंस ने इन मदों को 25 % उच्चतम सीमा में पात्र अन्य निवेश की सूची से निकालकर 25% की सीमा के बिना निधीकरण के लिए पात्र स्वतंत्र मदों के रूप में समाविष्ट करने का निर्णय लिया है { उपरोक्त सरकारी संकल्प का पैरा 3.3 (2)}

ii) मूल योजना में प्रारंभिक, पूर्व क्रियात्मक व्यय तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन की लागत के रूप में कार्यकारी पूँजी के लिए न्यूनतम राशि की समाविष्ट नहीं थी । अंमसंस ने निर्णय लिया कि वे मदें विशेष रूप से प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए आवश्यक हैं , अतः इनको 25% की समग्र उच्चतम सीमा के साथ अन्य निवेशों में समाविष्ट किया जाए । { सरकारी संकल्प का पैरा 3.3 (1)}

iii) मूल योजना में तकनीकी जानकारी के अर्जन में निवेश का प्रावधान था , लेकिन उसमें विशेष रूप से प्रशिक्षण तथा विदेशी तकनीकविदों को शुल्क का प्रावधान नहीं था । अंमसंस ने निर्णय लिया प्रशिक्षण पर ऐसे व्यय तथा विदेशी तकनीकविदों को शुल्क के भुगतान को भी इस निवेश में समाविष्ट किया जाए { सरकारी संकल्प का पैरा 3.3(3) }

iv) आइएमएससी ने पैरा 3.3(1) में कैप्टीव पॉवर जनरेशन को जारी रखने का किंतु उक्त मद में अतिरिक्त निवेश की स्वीकार्यता के लिए प्रावधान सम्मिलित करने का निश्चित किया है ।

तदनुसार दिनांक 31.3.98 के सरकारी संकल्प के आशोधित पैरा 3.3(1), 3.3 (2) तथा 3.3 (3) निम्नानुसार होंगे :

3.3 अन्य पात्र अन्य निवेश

1.) निम्नलिखित निवेश भी प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए स्थापित किए जानेवाले संयंत्र तथा उपकरण के लिए अनिवार्य रूप से पात्र होंगे तथा ऐसे निवेशों का योग सामान्यतः ऐसी संयंत्र तथा मशीनरी में कुल निवेश के 25% से अधिक नहीं होगा ।

क) भूमि तथा फैक्टरी भवन, जिसमें फैक्टरी भवन का नवीकरण तथा बिजली संस्थापना समाविष्ट है ।

ख) प्रारंभिक, पूर्व क्रियात्मक व्यय,

ग) विशेषतः प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए आवश्यक कार्यकारी पूँजी के लिए न्यूनतम राशि की आवश्यकता

घ) कैप्टीव पॉवर जनरेशन

बर्शते कि यदि कैप्टीव पॉवर जनरेशन में निवेश प्रोद्योगिक दृष्टि से उन्नत विनिर्माण क्षमता की ऊर्जा की आवश्यकता से, तथा इस सब पैरा में सम्मिलित अन्य पात्र निवेशों के साथ मेल खाता है , जो वस्त्र तथा पटसन प्लांट तथा मशीनरी में कुल निवेश के नियत 25% से अधिक हो, ऐसे कैप्टीव पॉवर जनरेशन में अतिरिक्त निवेश भी निधीकरण में छूट के लिए स्वीकार्य होगा ।

2) निम्नलिखित सुविधाओं के आवश्यक उपकरणों सहित स्थापन में निवेश :

क) ऊर्जा बचानेवाले यंत्र

ख) निस्सारी अभिक्रिया संयंत्र (ईटीपी)

ग) कैप्टीव औद्योगिक प्रयोग के लिए जल अभिक्रिया संयंत्र,

घ) डिजाइन स्टुडियो सहित इन-हाउस आर एँड डी,

च) ई.आर.पी सहित सूचना प्रोद्योगिकी,

छ) उचित आईएसओ/बीआईएस मानकों को स्वीकारने के साथ कुल गुणवत्ता नियंत्रण,

3) तकनीकी जानकारी के अर्जन में निवेश, जिसमें प्रशिक्षण पर व्यय तथा विदेशी तकनीकविदों को शुल्क का भुगतान समाविष्ट है ।

4) इस पैरा (पैरा 3.3) के सब पैरा (1) में सम्मिलित मदों के विषय में उपरोक्त निर्धारित सीमाओं से अतिरिक्त लेंडींग, सामान्य लेंडींग दरों को आकर्षित करेगा ।

2.3 कॉटन रिंग कताई मिलों का क्षमता विस्तार :

1) पात्र अनुप्रवाह मूल्य परिवर्धन गतिविधि :

मूल योजना में कॉटन रिंग कताई पद्धति के बारे में केवल समान क्षमता की अनुप्रवाह (डाउन स्ट्रीम) बुनाई प्रारंभिक गतिविधि में निवेश करने पर ही नई इकाई अथवा विद्यमान इकाई की क्षमता में विस्तार का प्रावधान था । अंमसंस ने नई इकाई की स्थापना अथवा कॉटन रिंग कताई पद्धति की क्षमता में विस्तार के लिए बुनाई क्षमता सहित अथवा बिना बुनाई प्रारंभिक के अतिरिक्त यार्न प्रोसेसिंग को अतिरिक्त पात्र अनुप्रवाह (डाऊन स्ट्रीम) मूल्य परिवर्धन गतिविधि के रूप में समाविष्ट करने का निर्णय लिया जो निम्नलिखित है :-

यार्न के इकट्टा झुलसाना के साथ गीली प्रोसेसिंग, यथा ब्लोचींग/मर्तराइजिंग/डाइंग (कोन/हैक डाइंग) /यार्न प्रिंटींग :-

अथवा

उपरोक्त गीले प्रोसेसिंग गतिविधियों में से एक अथवा अधिक के साथ कोन वाइंडिंग/डबलींग/फैन्सी डबलींग

अथवा

उपरोक्त एक अथवा अधिक तथा डबलिंग/फेन्सी डबलिंग, झुलसाना गीली प्रोसेसिंग गतिविधियाँ,

अथवा

यार्न साइजिंग तथा वार्षिक

2). न्यूनतम लाभकर आकार

(क) अंमसंस ने कॉटन रिंग कताई पद्धति के विषय में न्यूनतम लाभकर आकार (एमईएस) घटाने का निर्णय लिया है। समान्यतः एमईएस 25,000 स्पिंडल्स का माना जाता है, जब एक ब्लो रूम में 12,000 स्पिन्डल फीड किए जा सकते हैं किंतु जब सुसंगत प्रबंधन तथा वित्तीय निष्पादन ट्रेक रिकार्ड के साथ 12,000 या अधिक स्पिंडल्स वाली इकाई 25,000 स्पिंडल का लक्ष्य पूर्ण किये बिना अंमसंस ने निर्णय लिया कि नोडल/लेंडिंग एजेन्सी स्वनिर्णय पर प्रोद्योगिकी उन्नयन परियोजना मंजूर कर सकती है बशर्ते कि इकाई आधुनिकीकरण के पश्चात् आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। तथापि, नई इकाइयों को टीयूएफएस का अन्य शर्तों के साथ पर अनुप्रवाह (डाउन स्ट्रीम) मूल्य गतिविधि एवं कम से कम 25,000 स्पिंडल्स होने पर अनुमति दी जाएगी।

(ख) मूल योजना में अनुबंध है कि नई इकाइयाँ अथवा विद्यमान कॉटन रिंग कताई मिलें, क्षमता विस्तार के लिए तब तक पात्र नहीं होती जब तक अनुरूप क्षमता की बुनाई/प्रारंभिक गतिविधियाँ, बुनाई आदि स्थापित नहीं होती, तब तक पात्र नहीं है। अंमसंस ने छोटी इकाइयों का क्षमता विस्तार कम से कम 12,000 स्पिंडल्स के स्तर तक किंतु 25,000 स्पिंडल्स से कम (बशर्ते कि प्रभावशाली प्रबंधन तथा वित्तीय ट्रेक अभिलेख हो) के लिए अनुमति देने का निर्णय लिया यदि अनुमेय अनुप्रवाह (डाउन स्ट्रीम) मूल्य परिवर्धन गतिविधियों में निवेश कम से कम विस्तारित कताई क्षमता के 50% तक अनुरूप हो। नई कताई इकाइयों अथवा एमईएस (25,000 स्पिंडल्स) के बाहर विस्तार के लिए प्रोद्योगिकी उन्नयन निधि के लिए कताई का वही भाग पात्र होगा, जिसके अनुरूप अनुप्रवाह (डाउन स्ट्रीम) मूल्य परिवर्धन गतिविधियों यार्न प्रोसेसिंग तथा / अथवा बुनाई प्रारंभिक, बुनाई क्षमता सहित अथवा उसके बिना में भी निवेश है

2.4 मुख्य संकल्प के भाग-II के पैरा 4.2 (क), मद (ii) निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा

(ii) नई इकाई अथवा विद्यमान इकाई की क्षमता में विस्तार को तभी अनुमति दी जाएगी, जब अनुरूप क्षमता की यार्न प्रोसेसिंग अथवा बुनाई प्रारंभिक गतिविधि तथा/अथवा बुनाई जो साथ-साथ ही स्थापित की गई हो में अनुप्रवाह (डाउन स्ट्रीम) में भी निवेश किया गया हो। बशर्ते कि विद्यमान कताई इकाई जो अपनी क्षमता 12,000 अथवा उससे अधिक तकुओं तक किन्तु 25000 तकुओं से कम तक

बढ़ाना चाहती है, तो उसे बढ़ाई गई कताई क्षमता के 50% के अनुरूप डाउन स्ट्रीम अनुमेय उत्पादन क्षमता स्थापित करने की आवश्यकता होगी।

2.5 यह स्पष्ट किया गया था कि डाइंग सुविधाओं वाली रिंग कताई इकाइयों को डिबॉटलनेकिंग के लिए स्पिंडलों में वृद्धि किए बिना बैंक अप सुविधाएं स्थापित कर सकता है यथा कोन वाइंडिंग मशीन, कार्डस, ड्रा फ्रेम, स्पीड फ्रेम, ब्लो रूम आदि के लिए बशर्ते इकाई एमईएस स्तर अथवा उससे अधिक हो, अर्थक्षम हो। तथा ऐसे निवेश इकाई को अपेक्षित बेंचमार्क प्रोद्योगिकी स्तर तक लाते हैं।

अंमसंस ने सरकारी संकल्प के परिशिष्ट ख में निम्नलिखित संशोधन परिवर्धन किए गए हैं :-

1). संशोधन

मूल प्रविष्टि क्र.	परिशोधित प्रविष्टि क्र.	प्रति स्थापन के बाद निम्नानुसार पढ़ा जाएँ
क. 2	क.2	कॉटन प्री-क्लीनर/चूट फीड/विदेशी फाइबर डिटेक्टर/मेडल डिटेक्टर नवीन्तम ऑपनर्स, क्लीनर्स, चॅट फीडिंग तंत्र, ऑटो स्कॅन आदि उपकरणों से परिपूर्ण ब्लो रूम लाईन
क. 3	क. 3	ब्लो रूम, कार्डस, कोम्बर्स तथा रिंग फ्रेम्स के लिए स्वचालित अवशिष्ट निष्कर्षण तथा पैकिंग तंत्र
क. 13	क. 13	क्रमशः न्यूनतम 8,000 आरपीएम तथा 5,000 आरपीएम गति पर चलनेवाले कटू फॉर वन/थ्री फॉर वन टिवस्टर्स
क. 15	क. 15	डी- हयुमी डीफायर्स (चिलर्स) के साथ आरएच बनाए रखने के लिए एअर वॉशर प्लान्ट तथा एअर फिल्टर्स के साथ इंडस्ट्रीयल हयुमीडीफिकेशन तंत्र
ख. 8	ख. 8	क्रमशः न्यूनतम 8,000 आरपीएम तथा तथा 5,000 आरपीएम गति पर चलनेवाले टू फॉर वन/थ्री फॉर वन टिवस्टर्स
झ. 1	झ. 1	लंबाई, शक्ति, माइक्रोनेअर, परिपक्वता, ट्रेण्ड, रंग आदि के परीक्षण हेतु आधुनिक फाइबर परीक्षण उपकरण यथा - उच्च/मध्यम निम्न प्रबलता उपकरण।
झ . 3	झ. 3	यार्न फॉल्ट वर्गीकरण उपकरण यथा क्लासिमेंट क्लासीडाटा आदि
झ. 4	झ. 4	नेप्स, लंबाई, व्यास, परिपक्वता, ट्रेण्ड, परीक्षण उपकरण यथा एएफआइएस/एफआयएलइ विकासित फाइबर जानकारी तंत्र, रॅपिड टेस्टर आदि।
झ. 5, झ. 6	झ. 5	एकल यार्न टेनेसिटी टेस्टर यथा-टेन्सार्पिड,

		स्टेटिमेंट, टेन्सोमॅक्स आदि।
झ. 7	झ. 6	टेन्सिटी/फाइबर क्रिम्प मापन यंत्र यथा- फिवोमॅट आदि।
ट	ज	तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा उचित मानी गई अन्य मशीनरी।

2). समाविष्टियाँ

प्रविष्टि क्रमांक	मशीनरी का विनिर्देश
झ 7	आधुनिक यार्न परीक्षण उपकरण यथा-टिवस्ट टेस्टर्स, हैरीनेस टेस्टर, टेन्शन टेस्टर को-एफिशिएन्ट ऑफ फ्रिकशन टेस्टर आदि
झ. 8	मॉड्यूलर टेस्टर।
झ. 9	पैकिंग डेन्सिटी-टेस्टर।
झ. 10	उच्च सूक्ष्मता संतुलन तुला।
ट.	आधुनिक सामग्री संचालन उपकरण यथा- फोर्क लिफ्टर, बेल स्टेकर्स आदि।

2.6 मुख्य संकल्प के परिशिष्ट घ - 1 में अंमसंस द्वारा निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं :-

मूल प्रविष्टि क्र.	परिशोधित प्रविष्टि क्र.	प्रति स्थापन के बाद निम्नानुसार पढ़ा जाएँ
क. 11	क. 11	क्रमशः न्यूनतम 8,000 आरपीएम तथा तथा 5,000 आरपीएम गति पर चलनेवाले टू फॉर वन/थ्री फॉर वन टिवस्टर्स

2.8 रूई जिनींग मशीनरी

i). अंमसंस ने निर्णय लिया कि बेलिंग प्रेस (बेल साइज की सूची का अनुक्रमांक 9) मानकों का निर्धारण हाल ही में संशोधित बीआईएस विनिर्देशों के सहित अनुरूप हो (आयएसआय 2171 : 1999)

ii). प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना सूची में सिंगल स्टेज स्वचालित बेल प्रेसिंग मशीनों, उसी तरह 2 स्टेज हस्तचालित बेल प्रेसिंग मशीनों को समाविष्ट किया गया है। यह निर्णय लिया गया कि बेल प्रेसिंग मशीन प्रतिस्थापित अथवा पहली बार स्थापित करनेवाली इकाई को केवल सिंगल स्टेज स्वचालित डबल बाक्स बेल प्रेसिंग मशीन को स्थापित करना होगा। तथापि प्राद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अनुसार अन्य आधुनिकीकरण करते समय 2 स्टेज हस्तचालित बेल प्रेसिंग मशीनों वाले इकाई को इसे प्रतिस्थापित करने को बाध्यता नहीं होगी।

iii). सरकार ने सं. सी.सी ई ए - 1/99, के द्वारा यह निश्चित किया कि जब जिर्नींग तथा प्रेसिंग इकाईयों प्रस्वावित रूई पर प्रोद्योगिकी अभिवान (टी एम सी) जो 1/4/1999 से प्रभावी है के अंतर्गत वित्तीय में छुट के लिए पात्र होती है, तब ऐसी इकाईयों टीयूएफएस के लिए पात्र नहीं रहेंगी । सरकार ने अब दिनांक 17 जनवरी, 2000 के संख्या 1/सीएम/2000 (आय) द्वारा रूई पर प्रोद्योगिकी अभियान को स्वीकृत किया है अतः अब से ऐसी इकाईयों टीयूएफएस के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र नहीं है । तथापि टीएमसी की स्वीकृति से पहले प्राप्त आवेदनों पर टीयूएफएस के अंतर्गत सामान्य रूप से कार्रवाई की जाएगी

यह निश्चित किया गया है कि माध्यम तथा बड़े पैमाने वाली जिर्नींग तथा प्रेसिंग इकाईयों के बिलंबित मामलों के लिए आयडीबीआय नोडल एजेन्सी होगी ।

2.9 ब्याज की प्रतिपूर्ति

भारत सरकार ने योजना के अंतर्गत 5% ब्याज की प्रतिपूर्ति से संबंधित निधि उधारकर्ता को त्रैमासिक आधार पर अग्रिम रूप में उपलब्ध करवाने की मंजूरी दी है, नियत तारीख से 15 दिन के पहले नोडल अभिकरणों यानि आईडीबीआई, सिडबी, आईएमसीआई को राशि भुगतान हेतु उपलब्ध करवाई जाएगी । भारत सरकार ने विदेशी मुद्रा में देय ऋण पर 5% दर से विनिम में उतार-चढ़ाव की प्रतिपूर्ति को भी स्वीकृति दे दी है । भारत सरकार के इस निर्णय द्वारा उधारकर्ता को 5% ब्याज की पूर्ण प्रतिपूर्ति बिना किसी वित्तीय क्षति के सुनिश्चित की जा सकेगी ।

योजना में किए गए उपरोक्त आशीधनों से यह योजना वस्त्र तथा पटसन उद्योगों के सभी खण्डों के लिए सुलभता से उपलब्ध हो सकेगी ।

(श्रीमती शशी सिंह)
निदेशक

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना

परिपत्र सं.1 से 11

(2000-2001 श्रृंखला)

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय
पो. बै.नं 11500, मुंबई - 20
फॅक्स : 022-2004693, ई मेल texcom@mah.nic.in

दिनांक : 17 अप्रैल 2000

परिपत्र सं 1
(2000 - 2001 श्रृंखला)

विषय : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.)

अंतर मंत्रालय संचालन समिति (अंमसंस) द्वारा इसकी 5वीं बैठक में प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना से संबंधित मानकों के संबंध में लिये गये निर्णय निम्नलिखित है :

1. प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पटसन तथा वस्त्र क्षेत्र के लिये निम्नलिखित पुरानी मशीनें पात्र होगी :

- (i) ऐसी मशीनें (पटसन उद्योग) जिनकी न्यूनतम अवशिष्ट अवधि 10 वर्ष शेष हो तथा अधिकतम विंटेज कार्य अवधि (पुरातन) 10 वर्ष हो
 - (ii) 5 वर्ष की विंटेज अवधि वाले एअरजेट करधे और वाटरजेट करधे जिनकी अवशिष्ट कार्य अवधि न्यूनतम 10 वर्ष शेष हो ।
 - (iii) 10 वर्ष की विंटेज अवधि वाले और न्यूनतम 10 वर्ष की अवशिष्ट कार्य अवधि वाले प्रोजेक्टाइल और रेपिअर करधे
1. प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के संबंध में (सरकार के दि 31/3/1999 के संकल्प के पैरा 3.2 (2) (5 से 10) के अंतर्गत सूची के अनुसार) 10 वर्ष पुरानी और न्यूनतम 10 वर्ष की शेष कार्य अवधि वाली पुरानी व वस्त्र क्षेत्र की मशीनें ।
 2. प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना पर सरकार के दिनांक 31/3/1999 के संकल्प के अनुबंध घ 1 के क्रमांक 19 पर हाई स्पीड मल्टी-सिलेंडर वर्टिकल एक्जिट वार्षिक मशीन जोड़ दी गयी है ।
 3. प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना पर सरकार के दिनांक 31/3/1999 के संकल्प अनुबंध च 4 में क्लच और ब्रेक प्रणाली सहित न्यूनतम 350 मी./मिनट की हाई स्पीड वाली मशीनें हैंक से कोन तक की वाईडिंग मशीनें शामिल की गयी है ।
 4. अनुबंध ख के क्रम सं ज में उल्लिखित सूती फाइबर के माइक्रोनेयर, लम्बाई और चमक की जाँच करनेके लिये हाइअर् वोल्यूम उपस्कर में संशोधन करते हुये उसे इस प्रकार पढ़ा जाये - क्रम सं ज । लम्बाई, सुदृढ़ता, माइक्रोनेयर, परिपक्वता , ट्रेश, रंग आदि की जाँच करने के लिये आधुनिक फाईबर उपकरण ।
 5. प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत 165 सेंटीमीटर चौड़े एयरजेट करधे (50 इंच जौड़े ग्रे फैब्रिक का निर्माण करने में सक्षम) और इतने की चौड़े वाटरजेट करधे तथा साथ ही स्वचालित शटल करधे भी पात्र है ।
 6. प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत सहायक मशीनें, यथा बॉल, वार्पर, लागचेन बर्नर्स, शेप डाइंग रेंज, इंटीग्रेटेड फिनीशिंग रेंज, स्वचालित निरीक्षण एंव पैकिंग

उपकरण सम्मिलित किये गये हैं तथा अनुमोदित सूची में इनमें से प्रत्येक का नाम गिनाना संभव नहीं है । परियोजना के अनुमानित खर्च के अनुसार वित्तीय संस्थान / बैंक सहायक उपकरणों का विचार कर सकते हैं ।

7. कताई खड के लिये न्यूनतम लाभकर आकार (न्यूलाआ) निश्चित किया गया था तथा दिनांक 27/3/2000 के परिपत्र सं 28 19/2000/एम.एस. द्वारा परिचालित किया गया था । अन्य वस्त्र खंडो के संबंध में न्यूनतम लाभकर आकार कोई भी एकक हो सकता है । जो वित्तीय संस्थानों या बैंकों के अर्थक्षमता विश्लेषण के अनुसार अर्थक्षम हो ।
8. प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पात्र प्लांट और मशीनों तथा अन्य निवेशों के संबंध में प्रौ.उ.नि. यो. के अंतर्गत आकस्मिकता उपबंध (नान फार्म कास्ट) 5% तक सम्मिलित किया जाएगा ।
9. टीएसी की सिफारिशों के आधार पर समिति ने विकेंद्रीकृत विद्युत करघा (लघु) उद्योग क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित को अनुमोदन दिया है :
 - I) साधारण करघे के स्थान पर गये 165 सेमी चौड़ाई के अर्ध स्वचालित करघे का प्रतिस्थापन
 - II) नये अर्ध स्वचालित करघों को शामिल करके बुनाई क्षमता बढ़ाने को अनुमति, जिससे कि 12 करघों के न्यूनतम लाभकर आकार को प्राप्त किया जा सके ।
 - III) विद्यमान साधारण करघो को रखे रहते देते हुये अर्ध स्वचालित करघों को शामिल करके 12 करघों से अधिक विस्तारण को अनुमति नहीं दी जायेगी ।
 - IV) स्वस्थाने उन्नयन एंव कुल 12 अर्ध स्वचालित करघों के विस्तरण की समन्वित प्रयास को अनुमति दी जायेगी ।

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पात्रता के लिये अर्ध स्वचालित करघों के बेंचमार्क गुणवत्ता मानक शीघ्र ही जारी कर दिये जाएगा ।

योजना में उपरोक्त आशोधनों से यह योजना वस्त्र तथा पटसन उद्योग खंडों विशेष कर विकेंद्रीकृत विद्युत करघा के सभी खंडों के लिये सुलभता से उपलब्ध हो सकेगी ।

श्रीमती शशि सिंह
निदेशक

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय
पो.बै.सं.11500, मुंबई-20.

सं.28(19)/2000/एमएस/

दिनांक:15/5/2000.

परिपत्र सं.2 (2000-2001) (श्रृंखला)

भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय ने वस्त्र तथा पटसन उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना प्रारंभ की है, जो दि.1/4/99 से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू है कोई भी पात्र वस्त्र/पटसन इकाई उपरोक्त योजना के ढाँचे में तथा संबंधित वित्तीय संस्थान/बैंक की वित्तीय शर्तों में निधि प्राप्त कर सकेगी । इस योजना के अंतर्गत सरकारी निधिकरण संवितरित ऋणों पर ऋणदाता एजेंसी द्वारा प्रभारित ब्याज पर 5% की ब्याज प्रतिपूर्ति तक सीमित है ।

2. इस योजना का क्षेत्रीय स्तर पर कार्यान्वयन वस्त्र आयुक्त कार्यालय, मुंबई द्वारा किया जा रहा है । वस्त्र आयुक्त ने श्रीमती शशि सिंह, निदेशक, वस्त्र आयुक्त कार्यालय को शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है यदि कोई शिकायत हो, श्रीमती शशि सिंह, निदेशक, वस्त्र आयुक्त कार्यालय, न्यू सी.जी.ओ. बिल्डिंग, 48 न्यू मरीन लाईन, मुंबई-20 को उसका विस्तृत विवरण भेजकर सूचित किया जाए। उनका दूरभाष नं.022-2031508 फ़ैक्स नं.022-2004693, ईमेल-dirss @rmieu.bom.nic.in. है । उक्त चर्चा श्री बी.सी. खटुआ, वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित तकनीकी सलाहकार-सह-अनुवीक्षण समिति की मासिक बैठकों में की जाएगी ।
3. शिकायत कक्ष वस्त्र मंत्रालय में भी खोल दिया गया है । शिकायतों के मामलों विस्तृत विवरण के साथ वस्त्र मंत्रालय (टीयूएफसी कक्ष) को भेज दिए जाए । ध्यानाकर्षण: श्री वाईपी. सिंह, निदेशक वस्त्र मंत्रालय, कक्ष सं.269-ए उद्योग भवन, नई दिल्ली 110011 को भी भेजे जा सकते हैं । उनका दूरभाष नं.011-8013142, फ़ैक्स नं.011-3794284 तथा ई मेल diryps@ub.delhe.nic.in. है।
यह सभी संबंधितों की सामान्य जानकारी के लिए है ।

(टी.वी. भावदास)
उप निदेशक

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय
पो.बै.सं.11500, मुंबई-20.

सं.28(19)/2000/मॉअ/

दिनांक:5 जून 2000.

परिपत्र सं.3
(2000-2001) (श्रृंखला)

विषय : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस)

11. टीयूएफएस के अंतर्गत प्रुडेंशियल मानदंडों में शिथिलीकरण :-

नई दिल्ली में दिनांक 26/2/2000 को संपन्न राष्ट्रीय इंटर अॅक्टिव संगोष्ठी के परिणामस्वरूप ऋणद अभिकरणों ने टीयूएफएस के अंतर्गत कुछ प्रुडेंशियल शर्तों को शिथिल कर दिया है । उनका विवरण निम्नानुसार है :-

1. लगातार लाभ अर्जित करने से संबंधित शर्तें :-

आईडीबीआई/सिडबी ने उन इकाइयों को, जो अर्थक्षम हैं जिनका हानि के बावजूद वास्तविक शुद्ध मूल्य के साथ अच्छा ट्रैक रेकार्ड है, ऋण उपलब्ध कराने हेतु पिछले तीन वर्षों की लगातार लाभ की शर्तों को शिथिल करने की सहमति दी है । आईडीबीआई एवं सिडबी द्वारा इस संबंध में जारी परिपत्र नीचे पुनः प्रस्तुत किये जा रहे हैं :-

आईडीबीआई :-

हम केवल यह सुनिश्चित करते हैं कि टीयूएफएस के अंतर्गत जिन इकाइयों को सहायता दी जा रही है, उनके द्वारा कम से कम पूर्ववर्ती 3 वर्षों के दौरान नकद लाभ अर्जित किया गया हो। यह प्रतीत हुआ है कि यह प्रक्रिया जारी रहे । हम कंपनी के ट्रैक रेकार्ड को अभिभावी महत्व दे सकते हैं, बशर्ते कि इकाई की अर्थक्षमता खत्म न हुई हो । यदि हानि के कारण शुद्ध मूल्य में भारी कमी हुई है तो प्रोमटरों द्वारा नए निधियों को मिलकर उसकी आंशिक क्षतिपूर्ति की जाए । विशिष्ट वर्ष में संपूर्ण इकाई की हुई कुल हानि भी अत्याधिक एवं भारी न हो, जिससे इकाई की अर्थक्षमता को क्षति पहुँचे ।

सिडबी :-

विगत काल में वस्त्रोद्योग पर हावी मंदी की स्थितियों के कारण अंकित लाभ (बुक प्राफिट) का ट्रैक रेकार्ड न रखनेवाली कई इकाइयाँ टीयूएफएस के अधीन अंतर मंत्रालयीन संचालन समिति के संकल्प के अनुसार टीयूएफएस के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है चाहे भविष्य में इसके सुधार की संभाव्यता हो। अब यह निर्णय लिया गया है कि

अपवाद के रूप में उन इकाइयों को जिनका अंकित लाभ (बुक प्राफिट) का ट्रेक रेकार्ड नहीं है निम्नलिखित शर्तों के अधीन टीयूएफएस के अंतर्गत सहायता दी जा सकती है ।

- (क) इकाई 3 वर्ष पहले से विद्यमान होना आवश्यक है तथा इकाई द्वारा योजना अपनाने से पूर्ववर्ती 2 वर्षों के दौरान आधारभूत परिचालन में से नकद लाभ अर्जित किया गया हो ।
- (ख) इकाई किसी प्राप्त सुविधाओं से संबंधित किसी बैंक/वित्तीय संस्थान की दोषी न हो ।
- (ग) उद्योग के उप क्षेत्र, जहाँ इकाई कार्यरत है, का निश्चित रूप से सकारात्मक दृष्टिकोण हो ।
- (घ) इकाई में प्रचलित प्रबंधन, परिचालन, प्रौद्योगिकी का स्तर आदि संतोषजनक पाए गए हों और प्रथम दृष्टया यह सुस्पष्ट हो कि इकाई संभवतः कम से कम समय में अंकित लाभ अर्जित कर सकेगी ।
- (च) योजना के अंतर्गत अन्य सभी पैरामीटरों की पूर्ति हो गई हो । ऐसे मामलों को आरंभ करने से पहले मुख्यालय का पूर्वानुमोदन लिया जाए ।

II. प्रोमोर्टस का योगदान :-

सिडबी ने प्रोत्साहकों का योगदान 20% निश्चित किया है, जो अन्य मामलों में 33.1/3% है । आईडीबीआई इसको अत्याधिक योग्य मामलों में 17.5% तक शिथिल करने के लिए सहमत है ।

III. चुकौती अविधि :-

आईडीबीआई तथा सिडबी ने चुकौती अविधि प्रत्येक मामले की योग्यता के आधार पर 8 वर्ष (अर्थात् 2 वर्ष विलम्बन काल और 6 वर्ष) के स्थान पर 10 वर्ष (अर्थात् 2 व विलम्बन काल और 8 वर्ष) तक बढ़ाने की सहमति दी है । आईडीबीआई ने चुकौती के लिए क्रमिक पद्धति को भी सहमति दी है, जिसमें प्रत्येक मामले के आधार पर प्रारंभिक वर्षों में न्यूनतर चुकौती की जाएगी और उत्तरवर्ती वर्षों में यह क्रमशः बढ़ेगी ।

IV. ऋण एक्विटी अनुपात :-

आईडीबीआई ने ऋण एक्विटी अनुपात के संबंध में पात्र मामलों में शिथिलीकरण के साथ 1.5 : 1 के डी/एफ अनुपात का प्रबंध करने के लिए लचीला दृष्टिकोण अपनाया है ।

V. सहयोजित पीएलआईज के लिए शर्तें :-

आईडीबीआई तथा सिडबी ने सहमति दी है कि सहयोजित पीएलआईज टीयूएफएस की प्रौद्योगिकी शर्तों को प्रभावित किए बिना सीधे वित्त के अधीन उसकी अपनी विवेकाधीन शर्तें निश्चित कर सकती है तथा उनकी अपनी पद्धति से बैंक ग्राह्य परियोजना की व्याख्या कर सकती है ।

VI. कार्यकारी पूँजी के लिए प्रतिबंध :-

केन्द्र अभिकरण एवं पीएलआईज टीयूएफएस ऋण मंजूर करते समय संभाव्य सीमा तक सुनिश्चित करेंगे कि कार्यकारी पूँजी पर लगाया गया है ।

2. कैप्टीव पॉवर जनरेशन पर पात्र निवेश :-

टीयूएफएस के अंतर्गत कैप्टीव पॉवर जनरेशन में निवेश की पात्रता के संबंध में परिशोधित दिशा-निर्देश इस कार्यालय द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2000 के समसंख्याक परिपत्र द्वारा परिचालित किए गए थे । कुछ केन्द्र अभिकरणों ने परिशोधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पात्र निवेशक परिकलन के संबंध में संदेह व्यक्त किया था 3 संदेह समाधान के लिए और टीयूएफएस के अंतर्गत कैप्टीव पॉवर जनरेशन में निवेश सम्मिलित करने के लिए इसके परिकलन में समानता रखने के लिए नमुना परिकलन के दो उदाहरण नीचे दिए गए हैं :-

उदाहरण : I इकाई 4.2 एम हवी फरनेस ऑइल (एचएफओ) आधारित कैप्टीव पॉवर प्लांट (सीपीपी) संस्थापित करने का प्रस्ताव करना चाहती है, यद्यपि उन्नत संयन्त तथा मशीनरी के लिए 300 कि वै ऊर्जा की आवश्यकता है।

उदाहरण: I**इकाई : क ख ग लि.**

अनु.क्र.	मद	रु लाख राशि
	100% वित्त के अंतर्गत	
1	प्लान्ट तथा मशीनरी 25% वित्त के अंतर्गत	206
2	भवन, नगर निर्माण तथा फैब्रिकेशन कार्य	93
3	आकस्मिकताओं सहित कैप्टीव पॉवर प्लान्ट	1010
4	वेस्ट हीट रिकवरी बॉइलर	60
5	विविध स्थिर परिसम्पत्ति	64
6	पूर्व प्रचालन खर्च	17
7	2 से 6 का योग जो 1 के 25% से अधिक नहीं	1244
8	(1) का 25%	51.5
9	टीयूएफ योजना के अंतर्गत पात्र कुल निवेश (1) + (8)	257.5 अर्थात्, 258

टिप्पणी :-

चूंकि नये उन्नत संयंत्र तथा मशीनरी के लिए 300 कि.वॉ. की आवश्यकता है, कंपनी द्वारा उसकी परियोजना के लिए प्रस्तावित 4.2 एम डब्ल्यू हेवी फरनेस ऑइल (एचएफओ) आधारित डीजी सेट, जिसकी लागत रूपये 1010 लाख है, इसमें से केवल रु.72 लाख प्रौऊनियो के अंतर्गत सीपीपी पर पात्र निवेश है। (अर्थात् $300/4200 \times \text{रु.}1010$ लाख = रु. 72 लाख)। सीपीपी के रूपये 42 लाख पात्र अधिकतम 25% सीमा के अंतर्गत रु. 51.5 लाख पहले से समाविष्ट किया गया है, जैसा कि उपरोक्त सारणी के क्रम सं.8 में उल्लिखित है। (अर्थात् $1010/1244 \times \text{रु.}51.5$ लाख = रु. 42लाख)। चूंकि रूपये 42 लाख पहले से ही अधिकतम 25% में समाविष्ट किए गए हैं, रूपये 30 लाख की अतिरिक्त पात्र राशि (रूपये 72 लाख - रु. 42 लाख) प्रौऊनियो में समाविष्ट की जाने वाली अतिरिक्त पात्र राशि होगी।

अतः प्रौरुनियो में कुल पात्र निवेश रूपये 288 लाख अर्थात (रु.258लाख+ 30लाख) होगा।

उदाहरण-II

इकाई : अ ब क लि.

(लाखों में)

अनु.क्र.	मद	राशि
	100% वित्त के अंतर्गत	
1	प्लान्ट तथा मशीनरी 25% वित्त के अंतर्गत	500
2	भवन, नगर निर्माण तथा फैब्रिकेशन कार्य	100
3	आकस्मिकताओं सहित कैप्टीव पॉवर प्लान्ट	700
4	वेस्ट हीट रिकवरी बॉइलर	70
5	विविध स्थिर परिसम्पत्ति	50
6	पूर्व प्रचालन के खर्च	15
7	2 से 6 का योग जो 1 के 25% से अधिक नहीं (1) का 25%	935
8	(1) का 25%	125
9	टीयूएफ योजना के अंतर्गत पात्र कुल निवेश (1) + (8)	257.5 अर्थात, 258

टिप्पणी :- उन्नयन की गई प्लान्ट तथा मशीनरी के लिए 100 कि.वे. विद्युत शक्ति की आवश्यकता है, यद्यपि इकाई 2.90 मे.वे. हेवी फर्निचर्स ऑइल (एचएफओ) आधारित कैप्टीव पॉवर प्लान्ट (सी पी पी) संस्थापित करना चाहती है।

जैसे कि उपरोक्त सारणी में अनु.क्र.8 में दर्शाया गया है, 25% सीमा में, सीपीपी के खाते के रु.92 लाख समाविष्ट है (अर्थात रु.700 लाख/रु.935 लाखXरु.125 लाख= रु.92 लाख) उन्नयन की गई प्लान्ट तथा मशीनरी के लिए 100 कि.वे. विद्युत शक्ति की आवश्यकता रु.24.14 लाख (अर्थात100/2900 X रु. 700 लाख = रु.24.14 लाख) है। 92 लाख को 25% सीमा में पहले ही समाविष्ट किया गया है, अतः सीपीपी के खाते में टीयूएफएस के अंतर्गत समाविष्ट करने के लिए कोई अतिरिक्त रकम पात्र नहीं है। अतः परियोजना के अंतर्गत टीयूएफ योजना में पात्र कुल निवेश केवल रु 625 लाख शेष रहेगा।

3. आईडीबीआई द्वारा अतिरिक्त बैंकों तथा भारतीय जीवन बीमा निगम का सहयोजन :-

आईडीबीआई द्वारा पहले से ही सहयोजित 15 बैंकों एवं 4 वित्तीय संस्थानों के साथ-साथ और 10 बैंकों (एक सहाकारी बैंक सहित) तथा एल आई सी को गैर लघु उद्योग क्षेत्र के

लिए टीयूएफ योजना के परिचालन हेतु सहयोजित किया है । आईडीबीआई द्वारा सहयोजित वित्तीय संस्थानों तथा बैंकों की अद्यतन सूची निम्नलिखित है :-

वित्तीय संस्थान :-

1. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि.
2. आई सी आई सी आई लि.
3. भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि.
4. भारतीय निर्यात-आयात बैंक
5. भारतीय जीवन बीमा निगम

बैंक :-

1. भारतीय स्टेट बैंक
2. बीकानेर एवं जयपुर स्टेट बैंक
3. हैदराबाद स्टेट बैंक
4. स्टेट बैंक ऑफ इंदौर
5. मैसूर स्टेट बैंक
6. पटियाला स्टेट बैंक
7. सौराष्ट्र स्टेट बैंक
8. त्रावणकोर स्टेट बैंक
9. बैंक ऑफ बड़ौदा
10. बैंक ऑफ इंडिया
11. केनरा बैंक
12. पंजाब नेशनल बैंक
13. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
14. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
15. जम्मू एवं कश्मीर बैंक लि. (केवल जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए)
16. इंडियन ओवरसीज बैंक
17. आंध्र बैंक
18. पंजाब एंड सिंध बैंक
19. कार्पोरेशन बैंक
20. इंडियन बैंक
21. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,
22. द सूरत पीपल्स को.ऑपरेटिव बैंक लि.
23. द कर्नाटक बैंक लि.
24. भारत ओवरसीज बैंक लि.
25. द करूर वैश्य बैंक लि.

4. आईडीबीआई द्वारा सभी बैंकों का सहयोजन, जिन्हें सिडबी ने सहयोजित किया है :-

दिनांक 26 फरवरी 2000 को नई दिल्ली में संपन्न टीयूएफएस पर राष्ट्रीय इंटर अॅक्टिव संगोष्ठी में हुए निर्णय के संबंध में टीयूएफ योजना के अंतर्गत गैर लघु उद्योग क्षेत्र वस्त्रोद्योग के लिए ऋणदाता अभिकरण अर्थात् आईडीबीआई ने सिडबी द्वारा सहयोजित सभी बैंकों को, जहाँ प्रस्तावित नई इकाइयों हैं/अथवा भारत सरकार के लघु इकाइयों के लघु उद्योग की निवेश सिमा 1 करोड़ घटाने के बाद इनके मध्यम श्रेणी में आ जाने के कारण सिडबी द्वारा 1 करोड़ से 3 करोड़ के बीच निवेश राशि के प्रस्तावों पर विचार न कर पाने की स्थिति में, ऐसे मामलों के निपटान हेतु सहयोजित किया गया है ।

विवेकाधीन शर्तों में शिथिलीकरण तथा आईडीबीआई द्वारा अतिरिक्त बैंकों के सहयोजन से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना वस्त्रोद्योग के सभी खंडों के लिए अधिक सुगमता से सुलभ होगी ।

**(श्रीमती शशि सिंह)
निदेशक**

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय
पो.बै.सं.11500, मुंबई-20.

सं.28(19)/2000/मॉ.अ./

दिनांक:13 जून 2000

परिपत्र सं.4

(2000-2001) (श्रृंखला)

विषय : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रोउनियों) के कार्यान्वयन के संबंध में चर्चा करने हेतु आईडीबीआई में दिनांक 18/5/2000 को वस्त्र (सचिव) की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई जिसमें नोडल अभिकरणों एवं वित्तीय संस्थानों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया । उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रोउनियों को बढ़ावा देने वाले अभियान संबंध में योजना के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के स्थान पर इसे सुलभ बनाने तथा समस्या का समाधान की ओर महत्व देना चाहिए । तदनुसार वस्त्र आयुक्त महोदय ने यह इच्छा व्यक्त की कि क्षेत्रीय कार्यालयां द्वारा प्रोउनियों पर आयोजित होने वाले प्रस्तावित इंटर अक्टिव कार्यक्रम योजना सुविधाजन्य कार्यशाला की तरह हो, न कि व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर की तरह, केवल संभाव्य निवेशकों को ही आमंत्रित किया जाए । संभाव्य निवेशकों से संबंधित जानकारी समेकित करने हेतु एक प्रपत्र तैयार कर लिया गया है । उक्त संलग्न किया गया है । विशिष्ट सत्र के लिए आमंत्रित संभाव्य निवेशकों के संबंधित भरे हुए प्रपत्र विशिष्ट इंटर अक्टिव सत्र से पहले, मुख्यालय को भेजे जाएं । संलग्न प्रपत्र में स्तंभ ऋण प्राप्त करने में आई हुई कोई कठिनाई (प्रपत्र का अनु क्र.13) तथा आवश्यक सहायता की प्रकृति (प्रपत्र का अनु.क्र.14) उपलब्ध कराए गए हैं । ऐसी जानकारी से संभाव्य निवेशकों को आने वाली कठिनाइयों तथा उनको आवश्यक सहायता की प्रकृति/सुविधाओं के विवरण प्राप्त होंगे ।

2. केंद्र/क्षेत्र में क्रियाशील नोडल अभिकरणों एवं प्राथमिक केन्द्र संस्थानों के प्रतिनिधि तत्काल मार्गदर्शन के लिए उपस्थित होने चाहिए । इंटर अक्टिव सत्रों में प्रत्येक निवेशक को आने वाली कठिनाइयों की चर्चा होनी चाहिए, जिससे कि इनका समाधान निकाला जा सके । उसी प्रकार, प्रत्येक निवेशक द्वारा चाही गई किसी भी तरह की

वैद्य/यथोचित सहायकता उपलब्ध कराने के उपायों/तरीकों की चर्चा होनी चाहिए । यदि, निवेशकों द्वारा माँगी गई सहायता तथा/अथवा कठिनाइयाँ राज्य सरकार अथवा कोई अन्य सरकारी/अर्ध सरकारी अभिकरण से संबंधित है तो उक्त संगठनों के अधिकारियों को भी ऐसे सत्रों में आमंत्रित किया जाए, जिससे कि कठिनाइयों का हल सत्र में ही निकाला जा सके । प्रोउनियों में निवेशकों का प्रवेश सुगम बनाने के लिए निवेशकों की असुविधाओं/कठिनाइयों को सत्र में ही दूर करने के सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिए । यदि निवेशकों की कठिनाइयों को इंटर अॅक्टिव सत्र में ही सुलझाना असंभव हो तो ऐसा मामला नियत समय में सुलझाने के लिए क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी अनुवर्ती कार्रवाई करें और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए मुख्यालय से सहायता ली जाए । प्रत्येक सत्र के बाद क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी बैठक में हुई चर्चा का विस्तृत रिपोर्ट वस्त्र आयुक्त महोदय को प्रस्तुत करें, जिसमें सत्र की उपलब्धियाँ तथा नीति/प्रचालनात्मक मामले, यदि कोई हो जिनका उच्च स्तर पर कार्रवाई करने की आवश्यकता हो, का उल्लेख हो ।

3. वस्त्र आयुक्त ने निदेश दिया है कि प्रोउनियों की व्यापक बनने बढ़ाने के उद्देश्य से प्रोउनियों पर इंटर अॅक्टिव कार्यक्रमों के आयोजन करते समय उपरोक्त मार्गदर्शक तत्वों का पूरी तरह से पालन किया जाए ।

(श्रीमती शशि सिंह)
निदेशक

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय
पो.बै.सं.11500, मुंबई-20.

सं.28(19)/2000/एमएस/

फैक्स : 022 -2004693, ई मेल :

दिनांक:16 जून 2000.

परिपत्र सं.5

(2000-2001) (श्रृंखला)

विषय :-प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस)

वस्त्र इकाइयों, विशेषकर प्रोडनियों के अंतर्गत विद्युत करघा इकाइयों को शामिल करने हेतु सरकार ने प्रोडनियों पर इंटर अक्टीव कार्यशालाओं के आयोजन के माध्यम से गहन अभियान प्रारंभ करने का निर्णय लिया है । पिछले एक साल में योजना के बारे में पर्याप्त जागरूकता बढ़ाई गई है, कार्यशालाओं में जागरूकता लाने के स्थान पर योजना को सुगम बनाने पर दिया जाएगा । प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना में संभाव्य निवेशकों का प्रवेश सुगम बनाने एवं बढ़ाने हेतु उपरोक्त कार्यशालाओं में चुनिन्दा परामर्शदाताओं के दल द्वारा इंटर अक्टीव सत्र में ही उनकी असुविधाएँ/मुश्किलें दूर करने के सभी प्रयत्न किए जाएंगे ।

इंटर अक्टीव कार्यशालाएँ वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वस्त्र समिति के क्षेत्रीय कार्यालयों, राज्य सरकार अभिकरणों, प्रौ.उ.नि.यो. के नोडल अभिकरणों, सहयोजित प्राथमिक ऋणद संस्थानों, उद्योग संघों एवं स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के सहयोजन से विभिन्न वस्त्र केंद्रों पर, विशेषतः ऐसे क्षेत्र में, जहाँ अधिक लघु उद्योग वस्त्र इकाइयाँ हैं, आयोजित की जाएंगी । इंटर अक्टीव कार्यशालाओं तथा संबंधित गतिविधियों का प्रपत्र निम्नानुसार हैं :-

मद	विस्तृत विशेषताएँ / गतिविधियाँ		
1 लक्ष्य समूह	वस्त्रोद्योग के सभी खंड, विशेषतः लघु उद्योग विद्युत करघा क्षेत्रों		
2 2000-2001का (क्षे.का.वार)	लक्ष्य	क्षे. का. का नाम	त्रैमासिक लक्ष्य (ऋण मामलों की संख्या)
			विद्युत करघे अन्य योग
		कोयम्बतूर	45 15 60
		मुंबई	45 15 60
		अहमदाबाद	35 15 50
		नोएडा	35 15 50
		अमृतसर	15 15 30
		चेन्नई	15 15 30
		कानपुर	5 5 30
		कलकत्ता	5 5 10
		योग	200 100 300

- 3 प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत संभाव्य निवेशकों की पहचान वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय, उद्योग संघों, नोडल अभिकरणों, सहयोजित प्राथमिक ऋण संस्थानों, राज्य सरकारी अभिकरणों आदि के परामर्श में संभाव्य निवेशकों की पहचान करेंगे। गारमेन्ट के संभाव्य निवेशकों की पहचान स्थापित करने के लिए निफ्ट से सहयोग लिया जा सकता है। संभाव्य निवेशकों के संबंध में जानकारी प्रौ.उ.नि.यो. पर दिनांक 13.6.2000 के परिपत्र सं.4 (2000-2001) तत्काल संदर्भ के लिए प्रति संलग्न) के अंतर्गत इस उद्देश्य के लिए विहित प्रपत्र में समेकित की जाए।
-
- 4 सहायता सेवा संभाव्य निवेशकों की पहचान करने के पश्चात वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय उद्यमियों को तकनीकी/वित्तीय जानकारी देने, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में उनकी सहायता करने यदि आवश्यकता हो तो राज्य सरकारी अभिकरणों से अनुज्ञा प्राप्त करने तथा ऋण आवेदन प्रपत्र भरने आदि के माध्यम से सहायता सेवाएँ प्रदान करेगा।
-
- 5 असुविधाओं/मुश्किलों की संक्षिप्त सूची बनाना इंटर अॅक्टिव सत्रों के दौरान चर्चा के लिए विहित प्रपत्र में समेकित संभाव्य निवेशकों की असुविधाएँ/मुश्किलें तथा उनके द्वारा आवश्यक सहायता की प्रकृति की निवेशक-वार संक्षिप्त सूची बनाई जाएगी।
-
6. परामर्शदाताओं के दल का चयन उपरोक्त संक्षिप्त सूची के अनुसार संभाव्य निवेशकों की मुश्किलों/असुविधाओं और उनके द्वारा अपेक्षित सहायता की प्रकृति के मद्देनजर संबंधित इंटर अॅक्टिव कार्यशाला के लिए परामर्शदाताओं के एक दल का गठन किया जाएगा। यद्यपि परामर्शदाताओं के दल में निश्चित रूप से नोडल अभिकरणों, सहयोजित प्राथमिक वित्तीय संस्थानों, वस्त्र समिति के क्षेत्रीय कार्यालयों, राज्य सरकार के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।
-
7. इंटर अॅक्टिव कार्यशाला एक पूर्ण दिवस में दो बैच :
- सुबह का सत्र**
- क. कार्यशाला की अवधि पूर्वाह्न 10.30 से पूर्वाह्न 11.00 तक - सामान्य विवरण
पूर्वाह्न 11.00 से अपराह्न 1.30 तक - सरलीकरण दोपहर का सत्र
अपराह्न 2.30 से अपराह्न 3.00 तक - सामान्य विवरण
अपराह्न 3.00 से अपराह्न 5.30 तक - सरलीकरण
- ख. बैच का आकार प्रत्येक बैच में 10-15 संभाव्य निवेशक होंगे। छोटे

ग. कार्यक्रम	<p>क्षेत्र इससे छोटी बैच रख सकते हैं ।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भाग लेने वालों का पंजीयन 2. सामान्य विवरण में ऐसी कार्यशालाओं के आयोजन के उद्देश्य बताए जाएंगे और संभाव्य निवेशकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे । 3. संभाव्य निवेशकों को अलग-अलग टेबलों पर बिठाया जाएगा । तथा संबंधित परामर्शदाता प्रत्येक निवेशक की संक्षिप्त सूची के मुश्किल कठिनाइयों/संबंधित निवेशक द्वारा आवश्यक सहायता की प्रकृति के अनुसार स्पष्ट करने एवं सुलझाने के प्रयास करेंगे । 4. नोडल अभिकरण/सहयोजित प्राथमिक ऋणद संस्थान सत्र के दौरान ही ऋण आवेदन स्वीकार करेंगे, यदि आवेदन परिपूर्ण हो ।
8. अनुवर्ती कार्रवाई	<ol style="list-style-type: none"> 1. ऐसे मामले जहाँ पर, संभाव्य निवेशकों की कठिनाइयों को इंटर अक्टिव सत्र में ही सुलझाना असंभव था, नियत समय में शीघ्र सुलझाने के लिए क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी अनुवर्ती कार्रवाई करेगा । 2. लाभ ग्राहियों की प्रगति के पुनरावलोकन हेतु परामर्शदाताओं के दल एवं संभाव्य निवेशकों की मासिक बैठकें आयोजित की जाएगी ।
9. प्रचार-प्रसार	<p>इंटर अक्टिव कार्यशाला के पश्चात क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी सत्र में ही भरे हुए एवं नोडल अभिकरणों/सहयोजित प्राथमिक ऋणद अभिकरणों को जमा किए गए आवेदनों की संख्या के संबंध कार्यशाला की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए एक प्रेस नोट जारी करेगा । संबंधित अभिकरणों द्वारा सत्र में समाधान की गई समस्याओं का भी उसमें उल्लेख होगा, ताकि अन्य निवेशकों में इसका प्रचार-प्रसार हो सके ।</p>
10 व्यय	<p>उक्त कार्यशाला के आयोजन के लिए होने वाले व्यय का वहन वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय, वस्त्र समिति के क्षेत्रीय कार्यालय, नोडल अभिकरणों, राज्य सरकारी अभिकरणों, उद्योग संघों, गैर सरकारी संगठनों आदि द्वारा किया जाएगा ।</p>

उपरोक्त प्रस्तावित इंटर अक्टिव कार्यशालाएँ प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत वस्त्र इकाइयों की व्याप्ति को अधिक बढ़ायेंगे ।

हस्ता./-
(श्रीमती शशि सिंह)
निदेशक

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय
पो.बै.सं.11500, मुंबई-20.

फैक्स : 022-2004693, ई-मेल:टीइएक्ससीओएम2एमएच.इनआईसी.इन

सं.28(19)/2000/एमएस/

दिनांक:21 जुलाई 2000.

परिपत्र सं.6

(2000-2001 श्रृंखला)

विषय : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौउनियों)

विकेंद्रित विद्युत करघा क्षेत्र (पैरा 9) से संबंधित प्रौउनियों पर दिनांक 17 अप्रैल, 2000 के परिपत्र सं. 1(2000-2001 श्रृंखला) के संदर्भ में मंत्रालय ने प्रौउनियों पर दिनांक 31.3.1999 के जी.आर. के परिशिष्ट डी 1 (बी) में की गई नई प्रविष्टि 3 बी द्वारा विकेंद्रित लघु उद्योग विद्युत करघा क्षेत्र के अर्ध-स्वचालित करघों के बेंच मार्क क्वालिटी प्राचलों को निम्नानुसार मंजूरी दी है ।

3 बी.165 सेमी तथा अधिक चौड़ाई वाले इन विशेषताओं, अर्थात् वेफ्ट एक्झॉस्ट स्टॉप मशीन, वार्प प्रोटेक्टर अटैचमेंट, लेट ऑफ मोशन (पॉजिटिव/सेमी पॉजिटिव) अंडर पिंकिंग मोशन, ऐंटी क्रैक मोशन सहित टेक अप मोशन, एक बार में करघे को बंद करने वाले सक्षम ब्रेकिंग उपकरण, कलच प्रणाली सहित पृथक मोटर ड्राइव, शुरू करने, बंद करने एवं इन्चिंग के लिए इन्चिंग व्यवस्था सहित पुश बटन वाले, निम्नलिखित अतिरिक्त विशेषताओं वाले करघे:-

- (I) लुब्रिकेट करने वाले नायलॉन के पुर्जे/अनुषंगी, पिंकींग स्टिक के लिए सहायक प्रतिरोधक,
- (II) ढली वस्तु के सभी धात्विय भाग और सौम्य इस्पात संबंधित बीआईएस मानकों के अनुरूप हों ।
- (III) वेलवेट करघे के संबंध में, साधारण कैम मोशन आधुनिक कौम मोशन द्वारा, जो बहुल उत्तोलक कम करता है अथवा पॉजिटिव डॉबी द्वारा बदल दिया जाए ।

(श्रीमती शशि सिंह)
निदेशक

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय
पो. बै.नं 11500, मुंबई - 20
फ़ैक्स : 022-2004693, ई मेल texcom@mah.nic.in

संख्या : 28(19)/2000/मा.अ.

दिनांक : 4 अगस्त 2000

परिपत्र सं 7
(2000- 2001 श्रृंखला)

विषय : प्रौद्योगिकी_उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.)

टीएएमसी द्वारा इसकी द्वितीय तथा तृतीय बैठक में दिये गये स्पष्टीकरण तथा प्रौउनियो से संबंधित मापदण्डों के संबंध में अंतर मंत्रालयीन संचालन समिति (अंमसस) की 6 वी बैठक में लिये गये निर्णय निम्नानुसार है :

1. आंशिक रूप में संवितरित ऋण के मामलों में अंतिम तिथि :

प्रौउनियो से संबंधित संचालन समिति ने उस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिनमें नोडल एजेन्सी एवं सहयोजित प्राथमिक ऋणदाता संस्थान दिनांक 1/4/99 के पहले आंशिक रूप से संवितरित/चालू ऋणों संबंधित मामलों में अलगाव हेतु प्रौउनियो के अंतर्गत नवीन प्रस्तावों को शामिल करने संबंधी दबाव नहीं डालेंगे । उक्त संस्थान मार्च 1999 के बाद वितरित अंशों को प्रौउनियों के अन्तर्गत शामिल कर सकते हैं , यदि वे प्रौउनियों के मापदण्डों को समग्र रूप से पूरा करते हो ।

2. कम्पैक्ट कताई मशीनें :

संचालन समिति ने नई रिंग फ्रेम्स बिठाने के लिये अथवा विद्यमान रिंग फ्रेम्स के आधुनिकीकरण/परिवर्तन के लिये कम्पैक्ट कताई मशीनों, नई प्रौद्योगिकी की संस्थापना के लिये मंजूरी दे दी है , बशर्ते कि अनुमेय डाउनस्ट्रीम वैल्यूएडिशन प्रोसेस कम से कम उत्पादन क्षमता के 50% के बराबर स्पिन्दलेज प्रौउनियो के अंतर्गत संस्थापित इन्क्रिमेंटल तकुओं की उत्पादन क्षमता (औसतन 30 काउट पर गिनी हुई) के बराबर निवेश हो तथा ऐसे डाउनस्ट्रीम वैल्यूएडिशन प्रोसेस के लिये 100% मेल क्षमता न हो ।

3. प्रारंभिक मशीनों के साथ पुराने करघों का आयात :

संचालन समिति ने योजना के पैरा 3-2 (2) (I) एवं (IV) में विद्यमान पैराओं में बदलाव के माध्यम से सुधार को निम्नानुसार मंजूरी दी है :

क 3.2 (2) (i) क्रील के साथ उच्च गति सीधे बीम वार्पर सहित अथवा उसके बिना प्रोजेक्टाइल बिना शटल के करघे और/या ऑटो स्टॉप तथा खिंचाव नियंत्रण के साथ संक्शनल वार्पिंग मशीन ।

ख 3.2(2) (iv) क्रील के साथ उच्च गति सीधे बीम वार्पर सहित अथवा उसके बिना रैपिअर रहित शटल करघे और/या ऑटो स्टॉप तथा खिंचाव नियंत्रण के साथ संक्शनल वार्पिंग मशीन ।

4. **बदले हुये रिंग तकुओं को रद्दी घोषित करना :**

टीएएमसी द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि निकाल दिये जाने वाले पुराने तकुओं को 15 वर्षों तक बेंचमार्क किया जा सकता है तथा पहले तथा बाद की पुरानी कताई मशीनों को 20 वर्षों तक बेंच मार्क किया जा सका है । क्योंकि पहले तथा बाद की कताई मशीनें इतनी क्लिष्ट नहीं होती और तकुओं की क्षमता में वृद्धि पर प्रभाव नहीं डालती । अतः वित्तीय संस्थान/लेंडिंग अभिकरण यह सुनिश्चित कर ले कि उक्त अवधि से पुरानी मशीने अनिवार्य रूप से निकाल दी गयी है ।

5 **ड्रॉ फ्रेम की पात्रता :**

आई डी बी आई ने यह प्रश्न उठाया था कि क्या बिना ऑटो लेवलर वाले ड्रॉ फ्रेम एस बी 2 का विचार किया जा सकता है अथवा नहीं । इस पर टीएएमसी ने यह स्पष्ट किया है कि बिना ऑटो लेवलर वाले ड्रॉ फ्रेम पर तभी विचार किया जा सकता है, जब इसकी प्रीकर ड्रॉ फ्रेम के रूप में आवश्यकता हा, जबकि फिनीशर ऑटो लेवलर के लिये, उसके साथ ऑटो लेवलर जुड़ा हुआ होना आवश्यक है । आवेदनों पर विचार करते समय वित्तीय संस्थानों अथवा लेंडिंग अभिकरणों द्वारा वास्तविक स्थिति सुनिश्चित करना आवश्यक है ।

6 **कैप्टीव पॉवर प्लान्ट में निवेश की पात्रता :**

कैप्टीव पॉवर प्लान्ट्स सीपीपी में निवेश की पात्रता के संबंध में उद्योग की यह सलाह कि प्रौद्योगिकी उन्नयन के अलावा अन्य स्थिति में अथवा स्थितिवार प्रौद्योगिकी उन्नयन को संचालन समिति ने मंजूरी दी है , बशर्ते कि, प्रौद्योगिकी दृष्टि से उन्नत सभी अवस्थाओं में बिजली की कुल खपत सीपीपी की क्षमता से मेल खाती हो या उससे अधिक हो तथा लाभ प्रौद्योगिकी उन्नयन की तारीख से प्रभावी होगा सीपीपी की अधिक क्षमता वाले इस लाभ को पाने के पात्र नहीं होंगे ।

7. **बाना डालने में कमी की छूट :**

संचालन समिति ने 190 सें. मी. की चौड़ाई वाली पुरानी सलजर प्रोजेक्टाइल बुनाई मशीनों की बाना डालने की दर में अथवा अन्य समान मामलों में 5% तक की न्यूनतम कमी को मंजूरी दी है , बशर्ते कि वे अन्यथा प्रोउनियो के अंतर्गत स्वीकृत प्रौद्योगिकी मानकों की पूर्ति करते हों ।

8. इलेक्ट्रानिक जाक्कार्ड का समावेश :

टीएएमसी ने स्पष्ट किया है कि बिना शटल के करघे पहले ही प्रौदनियों के अंतर्गत समाविष्ट किये गये हैं तथा इलेक्ट्रानिक जाक्कार्ड करघों का वैकल्पिक उपकरण है, इसे भी प्रौदनियों के अंतर्गत पात्र समझा जा एगा तथा इसके लिये अलग से प्रविष्टि करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

9. परिशिष्ट : बी में संशोधन :

मुख्य संकल्प के परिशिष्ट बी में निम्नानुसार संशोधन और जोड किये जाएंगे यथा :

क. संशोधन

मूल प्रविष्टि सं	संशोधित प्रविष्टि सं	संशोधन के पश्चात निम्नानुसार पढ़ा जाये
ए. 2	ए. 2 (1)	रुई के रेशों के लिए अत्याधुनिक ब्लो रूम मशीनरी और इसके मिश्रणों (ब्लेंडस्) हेतु प्री क्लीनर्स ओपनिंग एवं क्लीनिंग मशीनें जो च्यूट फीडिंग सिस्टम मेटल डिटेक्टर, माईक्रो डस्ट रिमोवर तथा डीडस्टींग कन्डेसरों सहित हैं। (ओपन एण्ड रोटार स्पिनिंग के लिए) यह बाह्य रेशों की पहचान करने वाले उपकरण सहित या उसके बिना आता है।
	II	सिंथेटिक/पुनरुत्पादित फाइबर तथा उसके मिश्रणों के लिये कृत्रिम ब्लोरूम मशीनें , जिसमें च्यूट फीड प्रणाली के साथ ओपनिंग एंड क्लीनिंग मशीनें, विदेशी फाइबर डिटेक्टर/रिमूबर के साथ अथवा उसके बिना मेटल डिटेक्टर
ए 3	ए 3	कार्ड, गिल बाक्स, कोम्बर तथा वेस्ट रिकवरी/रिसायकलिंग मशीनों के साथ या उसके बिना रिंग फ्रेम के लिये स्वचालित अपशिष्ट निष्कर्षण प्रणाली
ए 4	ए 4 (I)	50 किग्रा प्रति घट्टे से अधिक स्लिवर का उत्पादन करने में सक्षम ऑटो लेवलर सहित उच्च उत्पादन कार्ड
	(II)	50 किग्रा प्रतिघट्टे से अधिक स्लिवर का उत्पादन करने में सक्षम ऑटो लेवलर सहित अथवा उसके बिना लैप फीड प्रणाली के लिये उच्च उत्पादन कार्ड
ए 12	ए 12	इलेक्ट्रानिक यार्न क्लीअरर्स तथा स्प्लाइडर्स

ख. योज्य (जुड़नार)

प्रविष्टि सं	मशीनों का विवरण
बी 12	कार्ड, गिल बाक्स, कोम्बर तथा वेस्ट रिकवरी/रिसायकलिंग मशीनों के साथ या उसके बिना रिंग फ्रेम के लिये स्वचालित अपशिष्ट निष्कर्षण प्रणाली
सी 8	वेस्ट रिकवरी/रिसायकलिंग मशीनों के साथ अथवा उसके बिना कार्ड के लिये स्वचालित अपशिष्ट निष्कर्षण प्रणाली

10 परिशिष्ट -ई में संशोधन :

मुख्य संकल्प के साथ संलग्न परिशिष्ट ई में निम्नानुसार संशोधन और जोड़ किये जायेंगे , यथा :

क. संशोधन :

मूल प्रविष्टि सं	संशोधित प्रविष्टि सं	संशोधन के पश्चात निम्नानुसार पढ़ा जाये
ए 13	ए 13	चुनटदार सिलाई मशीन / स्वचालित बहु सुइयों वाली सिरिंग मशीन वैक्यूम से
ए 20	ए 20	टेबल और/या बक प्रेस के साथ इंडस्ट्रियल स्टीम प्रेस
ए 24	ए 24	वैक्यूम और/ या हवा उड़ाने वाले उपकरण सहित अपने आप फैलनेवाली एंव काटने वाली मशीन
ए 33	ए 33	बुनाई के कपड़ों के लिये पूरा कपडा बनाने वाली मशीन अथवा लिंकिंग मशीन के साथ विद्युत चालित गारमेंट
ए 35	ए 35	पैनेल फॉर्मिंग निर्टींग मशीन
ए 35	ए 35	अपने आप धागा काटने वाली/सर्किंग मशीन
ए 43	ए 43	कढ़ाई मशीन के लिये प्लोटर एंव सॉफ्टवेअर सहित सीएडी/सीएएम पॉटर्न मेकर, जिसमें सॉफ्टवेअर उपकरण समाविष्ट हो ।

ख. योज्य (जुड़नार)

प्रविष्टि सं	मशीनों का विवरण
9.45	बटन रैपिंग/शैकिंग मशीन
9.46	फीड ऑफ द आर्म औद्योगिक सिलाई मशीन
9.47	स्वचालित डार्ट/चुनट बनाने वाली मशीन
9.48	स्वचालित लेबल/प्लाय बनानेवाली मशीन
9.49	पिन लगाने वाली मशीन
9.50	मेकैनाइज्ड फैब्रिक पिनिंग टेबल
9.51	एक सुई से तागने की मशीन
9.52	एक सुई की पोस्ट बेड स्लीव सेंटिंग मशीन
9.53	हैगिंग प्रोडक्शन कन्वेअर सिस्टम

(11) परिशिष्ट जी में संशोधन :

मुख्य संकल्प के परिशिष्ट जी में निम्नानुसार जोड़ किये जायें, यथा

योज्य (जुड़नार)

प्रविष्टि स.

मशीनों का विवरण

सी 9

एप्रन ड्राफ्ट स्पिनिंग

इस योजना में उपरोक्त संशोधनों से यह जूट तथा वस्त्र उद्योग दोनों से जुड़े लोगों के लिए अधिक सुगम हो सकेगी ।

**(श्रीमती शशि सिंह)
निदेशक**

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय
पो. बै.नं 11500, मुंबई - 20
फैक्स : 022-2004693, ई मेल texcom@mah.nic.in

सं 28(19)/ 2000- म.अ.

दिनांक : 21/8/2000

परिपत्र सं 8
(2000-2001 श्रृंखला)

विषय : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.)

आई एम एस सी ने टी ए एम सी (पूर्ववर्ती) (टीएसी) की सिफारिशों पर आधारित प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय मापदण्डों में कई आशोधनों एवं छूट को लागू किया है। चूंकि लागू किये गये कुछ आशोधनों/छूट इस कार्यालय द्वारा पहले जारी परिपत्रों में समाविष्ट है, यह उचित समझा गया कि इस योजना के प्रारंभ से 31/7/2000 तक प्रौदनियो पर दिनांक 31/3/1999 के सरकारी संकल्प सं 28/1/99-सीटीआई में लागू सभी आशोधनों को समाविष्ट करके विस्तृत परिपत्र जारी किया जाये। उक्त निम्नानुसार है :

1. प्रौदनियो के अंतर्गत अंतिम तिथि :

सरकार ने यह निर्णय लिये है कि 1/4/99 से पहले मंजूर किंतु वितरित न किये गये श्रृण प्रौदनियो के अंतर्गत नये मामले समझे जाएंगे, यदि अन्यथा वे प्रौदनियो के पॅरामीटरों की पूर्ति करते हो। आंशिक रूप में भुगतान किये गये ऋणों के मामलों में विघमान ऋण के मामले समाप्त किये जायेगें एवं प्रौदनियो के मापदण्डों की पुष्टि करने वाला शेष निवेश ऋणद अभिकरणों द्वारा नई परियोजना माना जा सकता है। तथापि नोडल अभिकरण एवं सहयोजित प्राथमिक ऋणद संस्थान स्वनिर्णय पर प्रौदनियों के अंतर्गत शेष परियोजना पर औपचारिक समाप्ति के बिना विचार कर सकते है यदि शेष परियोजना प्रौद्योगिकी मापदण्डों की पुष्टि करती है।

2. न्यूनतम लाभ कर आकार (एम ई एस) :

सरकार ने कॉटन रिंग कताई पद्धति के संबंध में न्यूनतम लाभ कर आकार के (एम ई एस) घटाने का निर्णय लिया है। सुसंगत प्रबंधन तथा वित्तीय निष्पादन ट्रेक रेकार्ड के साथ 12,000 या अधिक तकुओं वाली इकाई के लिये 25000 तकुएं न होने की स्थिति में भी नोडल/ऋणदाता अभिकरण स्वविवेकानुसार पर प्रौद्योगिकी उन्नयन परियोजना मंजूर कर सकते है। बशर्ते कि इकाई आधुनिकीकरण के पश्चात आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। 12,000 से

कम तकुओं वाली इकाई कि लिये कम से कम 12,000 या उससे अधिक तकुए प्राप्त करना आवश्यक है, बशर्ते कि यह सुसंगत प्रबंधन तथा वित्तीय ट्रेक रेकार्ड एंव डाउनस्ट्रीम अनुमेय मूल्य वर्धित क्रियाओं में निवेश के शर्त की पूर्ति करती हो । तथापि नई इकाइयों को प्रौउनियों के अन्य शर्तों की पूर्ति करने पर कम से कम 25,000 तकुओं पर अनुमति दी जायेगी । उद्योग के अन्य पात्र खंडों के संबंध में, प्रत्येक इकाई जो वित्तीय संस्थानों अथवा बैंकों के व्यवहार्यता विश्लेषण के अनुसार वित्तीय रूप से व्यवहार्य है , के न्यूनतम आर्थिक आकार होना चाहिये ।

3. पुरानी मशीनों का आयात :

प्रौउनियों के अंतर्गत पटसन तथा वस्त्र क्षेत्र के लिये निम्नलिखित पुरानी आयातित मशीनरी पात्र होगी :

1. पटसन उद्योग के लिये मशीने अर्थात पटसन मृदुकरण एंव धुननेवाली, डाइंग, कताई और बुनाई जिनकी न्यूनतम कार्य अवधि 10 वर्ष है, बशर्ते कि अधिकतम अवशिष्ट कार्य अवधि 10 वर्ष हो ।
2. 5 वर्ष की पुराने अवधि वाले एअरजेट करधे और वॉटर जेट करधे जिनकी शेष कार्य अवधि न्यूनतम 10 वर्ष हो ।
3. 10 वर्ष पुराने और न्यूनतम 10 वर्ष की शेष कार्य अवधि वाले क्रील के साथ उच्च गति सीधे बीम वार्पर सहित अथवा उसके बिना और या ऑटो स्टॉप तथा खिंचाव नियंत्रण के साथ प्रोजेक्टाइल तथा रैपियर बिना शटल के करधे ।
4. प्रौउनियों के संबंध में दिनांक 31/3/1999 के सरकारी संकल्प के पैरा 3.2 (2) (5 से 10) के अंतर्गत दी गई सूची के अनुसार 10 वर्ष पुराने अवधि और न्यूनतम 10 वर्ष की शेष कार्य अवधि वाली पुरानी उनी क्षेत्र की मशीने ।

4. दि. 31/3/99 के सरकारी संकल्प के भाग II का पैरा 3.3 निम्नानुसार प्रतिस्थापित कि जायेगा, यथा

1. निम्नलिखित निवेश भी प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिये स्थापित किये जानेवाले संयंत्र तथा उपकरण के लिये अनिवार्य रूप से पात्र होंगे तथा ऐसे निवेशों का योग सामान्यतः ऐसी संयंत्र तथा मशीनरी में कुल निवेश के 25% से अधिक नहीं होगा ।
- क. भूमि तथा फैक्टरी भवन, जिसमें फैक्टरी भवन का नवीकरण तथा विद्युत व्यवस्था समाविष्ट है
- ख. प्रारंभिक, पूर्व क्रियात्मक व्यय
- ग. विशेषतः प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिये आवश्यक कार्यरत पूंजी के लिये न्यूनतम राशि की आवश्यकता

घ. कैप्टीव पावर जनरेशन

बशर्ते कि यदि कैप्टीव पावर जनरेशन में निवेश प्रौद्योगिक दृष्टि में उन्नत विनिर्माण क्षमता की उर्जा की आवश्यकता से तथा इस सब पैरा में सम्मिलित अन्य पात्र निवेशों के साथ मेल खाता है, जो वस्त्र तथा पटसनप्लांट तथा मशीनरी में कुल निवेश के नियत 25% से अधिक हो, ऐसा कैप्टीव पावर जनरेशन में अतिरिक्त निवेश भी निधीकरण में छूट के लिये ग्राह्य होगा ।

2. आवश्यक उपकरणों सहित निम्नलिखित सुविधाओं के स्थापन में निवेश :

- क. उर्जा बचाने वाले उपकरण
- ख. निस्सरी अभिक्रिया संयंत्र ईटीपी
- ग. कैप्टीव औद्योगिकी प्रयोग के लिये जल अभिक्रिया संयंत्र
- घ. डिजाइन स्टूडियों सहित इन हाउस आर एंड डी
- च. उद्यम साधन नियोजन के साथ सूचना प्रौद्योगिकी इआरपी
- छ. उचित आई एस ओ/बीआईएस मानकों के अंगीकरण के साथ कुल गुणवत्ता प्रबंध

3. तकनीकी जानकारी के अर्जन में निवेश, जिसमें प्रशिक्षण पर व्यय तथा विदेशी तकनीकीयन को देय शुल्क का भुगतान समाविष्ट है ।

4. इस पैरा के सब पैरा 1 में सम्मिलित मदों के संबंध में उपरोक्त निर्धारित सीमाओं के अतिरिक्त ऋण सामान्य ऋण दरों को आकर्षित करेगा ।

5. काटन जिनिंग मशीनें :

- 1. सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बेलिंग प्रेस स्टैन्डर्ड आशोधित बीआईएस विनिर्देशों के अनुरूप हो ।
- 2. जिस इकाई में 2 स्तरीय हस्तचालित बेल प्रोसेसिंग मशीन पहले से विद्यमान है उसे अन्य आधुनिकीकरण करते समय प्रौदनियो के अनुसार उक्त को बदलने के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा । तथापि बेल प्रसिंग मशीन बदलने वाली अथवा पहली बार बेल प्रेसिंग मशीन लगाने वाली इकाई को 1 स्तरीय स्वचालित बेल प्रेसिंग मशीन लगाना होगा ।
- 3. सरकार ने यह निर्णय लिया था कि जब काँटन जिनिंग तथा प्रेसिंग इकाइयां रूई पर प्रस्तावित प्रौद्योगिकी अभियान टीएमसी के अंतर्गत वित्त में छूट के लिये होगी , तब ऐसी इकाइयाँ प्रौदनियो के अंतर्गत पात्र नहीं होगी, जो 1/5/99 से लागू है । जब जिनिंग तथा प्रेसिंग इकाइयां दि. 17 जनवरी, 2000 के सं. 1/सीएम/2000(1) द्वारा टीएमसी के अंतर्गत वित्त में छूट के लिये पात्र हो जाती है , उस तिथि से ऐसी इकाइयां प्रौदनियों के अंतर्गत सहायता के लिये पात्र नहीं रहती । तथापि, टीएमसी की मंजूरी से पहले प्राप्त आवेदनों पर प्रौदनियो के अंतर्गत सामान्य रूप से कारवाई की जायेगी ।

4. सरकार ने यह तय किया है कि मध्यम तथा विशाल श्रेणी की कॉटन जिनिंग तथा प्रेसिंग इकाइयों के लिये आईडीबीआई नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करेगा ।

6. कॉटन रिंग कताई :

मुख्य संकल्प के भाग 2 के पैरा 4.2 (ए) में, मद सं (1) एवं (II) निम्नानुसार निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किये जाएंगे तथा पैरा (III) जोड़ा जाएगा ।

1. काटन रिंग कताई पद्धति में प्रौद्योगिकी उन्नयन में केवल विद्यमान अप्रयुक्त तकुओं के आधुनिकीकरण को अनुमति दी जाएगी। बदले हुए पुराने तथा अप्रयुक्त तकुए साधारणतया निकाल दिये जाने चाहिये एवं उनका प्रयोग पूर्णतः बंद कर देना चाहिए, यदि उनको चलाना व्यवहार्य न हो ।

टिप्पणी : 15 वर्षों से पुरानी रिंग फ्रेम्स तथा 20 वर्षों से पुरानी बैक अप मशीने/ उपकरण निरपवाद रूप से निकाले जाने चाहिए ।

2. (ए) नई इकाई या विद्यमान इकाई में क्षमता विस्तारण को केवल तभी अनुमति दी जायेगी यदि यार्न प्रोसेसिंग में डाउनस्ट्रीम मैचिंग कैपेसिटी में अथवा बुनाई प्रारंभिक और/ या बुनाई/निटिंग जो एक साथ ही स्थापित किये गये हो में भी निवेश किया गया हो, बशर्ते मौजूदा स्पीनिंग इकाई अपनी क्षमता 12,000 अथवा अधिक तकुओं तक किंतु 25,000 तकुओं से अधिक न बढ़ानेवाली विद्यमान कताई इकाई के लिए बढ़ाई गई कताई क्षमता के 50 के साथ मेल खाती डाउनस्ट्रीम अनुमेय विनिर्माण क्षमता स्थापित करना आवश्यक होगा ।

(बी). पात्र डाउनस्ट्रीम मूल्य जोड़ क्रिया के रूप में यार्न प्रोसेसिंग की पात्रता सीमा निम्नानुसार होगी :

यार्न को एक साथ झुलसाने के साथ गीली प्रोसेसिंग, यथा ब्लीचिंग/मर्सराइजिंग/डाइंग कोन/हैंक डाइंग/यार्न प्रिटिंग,

अथवा

कोन बाइंडिंग/डबलिंग/फेन्सी डबलिंग के साथ उपरोक्त गीली प्रोसेसिंग क्रियाओं में से एक या अधिक

डबलिंग/फेन्सी डबलिंग, झुलसाना तथा उपरोक्त गीली प्रोसेसिंग क्रियाओं में से एक या अधिक

अथवा

यार्न साइजिंग तथा वार्षिक

(सी.) कॉटनरिंग कताई इकाइयों को तकुओं में वृद्धि किए बिना डि बॉटलनेकिंग यथा वाइंडिंग मशीन, कार्डस, डॉ फ्रेम, ब्लो रूम आदि के लिए बैक उप सुविधाएं स्थापित करने के लिय अनुमति दी गई है, बशर्ते कि इकाई एमईएस स्तर पर या उससे ऊपर हो, व्यवहार्य हो और ऐसा निवेश इकाई को वांछित बेंचमार्क प्रौद्योगिकी के स्तर पर ला सके ।

- 3 रिंग फ्रेम्स की नई क्षमता बिटाने या विद्यमान रिंग फ्रेम्स के आधुनिकीकरण/ बदल के लिए कॉम्पैक्ट कताई मशीन की संस्थापना के लिए अनुमति है, बशर्ते कि इन्क्रिमेन्टल तकुओं की उत्पादन क्षमता औसतन 30 काउंट तक गिनी हुई के 50% बराबर अनुमेय डाउनस्ट्रीम मूल्य जोड़ प्रक्रियाएं भी संस्थापित की गई हो ।

7. विकेन्द्रीकृत विद्युत करधा क्षेत्र

विशेष रूप से विकेन्द्रीकृत विद्युत करधा (एसएसआई) क्षेत्र के लिए निम्नलिखित प्रावधान बनाए गये है :

- 1 साधारण करघे का कम से कम 165 से.मी. वाले, बेंचमार्क प्रौद्योगिकी की विशेषताओं के साथ, अर्थात् वेफ्ट एकझॉस्ट स्टॉप मोशन, वार्प प्रोटेक्टर अटैचमेंट, लेट ऑफ मोशन, पॉजिटिव/सेमी पॉजिटिव अंडर पिकिंग मोशन, एंटी क्रैक मोशन सहित टेक अप मोशन, एक बार में करघे को बंद करने वाले सक्षम ब्रेकिंग उपकरण, क्लच प्रणाली सहित पृथक मोटर ड्राइव, शुरू करने, बंद करने एवं इन्चिंग व्यवस्था सहित पुश बटन वाले, निम्नलिखित अतिरिक्त विशेषताओं वाले करघे :

(I) लूब्रिकेट करने वाले नयलॉन भाग/साधन, पिकिंग स्टिक के लिए सहायक प्रतिरोधक

(II) ढली वस्तु के सभी धात्विक भाग और सौम्य इस्पात संबंधित बीआईएस मानको के अनुरूप हो

(III) बेलबेट करघे के संबंध में, साधारण कैम मोशन आधुनिक कैम मोशन द्वारा , जो बहुल उत्तोलक कम करता है अथवा पॉजिटिव डॉबी द्वारा बदल दिया जाये ।

2. नई अर्ध स्वचालित करघों के जोड़कर बुनाई क्षमता बढ़ाने को अनुमति देना, ताकि 12 करघों का न्यूनतम आर्थिक आकार एमईएस प्राप्त किया जा सके ।

3. विद्यमान साधारण करधों को बनाए रखते हुए अर्धस्वचालित करधे जोड़कर 12 करधों से अधिक के विस्तारण को अनुमति नहीं दी जायेगी ।
4. स्वस्थाने उन्नयन और अर्ध स्वचालित करधों के साथ विस्तारण दोनों को संयुक्त रूप से कुल 12 करधों तक अनुमति दी जा सकती है ।
8. प्रौदनियों के अंतर्गत पात्र एयर जेट करधे, वॉटर जेट करधे एवं स्वचालित शटल करधे के मामले में करधे की न्यूनतम चौड़ाई 180 सें.मी. से 165 से.मी. तक सीमित कर दी गई है ।
9. **तकनीकी सलाहकार सह देखरेख समिति (टीएएमसी) :**

तकनीकी सलाहकार समिति के कार्यक्षेत्र में देखरेख का कार्य भी समाविष्ट कर लिया गया है और तदनुसार उसे तकनीकी सलाहकार सह देख रेख समिति यह नया नाम दिया गया है । टीएएमसी का गठन एवं उसे कार्य परिशिष्ट -1 पर है ।

10. **वित्तीय मापदंड :**

- 1 सिडबी तथा आईडीबीआई द्वारा सभी 18 राज्य वित्तीय निगम, 17 लघु उद्योग विकास निगम एवं 2 कार्यवाले उद्योग विकास निगम तथा एक्झिम बैंक को सहयोजित किया गया है । इसके अतिरिक्त सिडबी ने 81 वाणिज्यिक बैंकों तथा 2 सहयोजित बैंक को और आईआईबीआई ने 25 वाणिज्यिक बैंकों तथा 1 सहयोजित बैंक को सहयोजित किया है । 4 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई एवं एलआईसी) भी आईडीबीआई द्वारा सहयोजित किए गए हैं । सहयोजित प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों की सूची परिशिष्ट -II पर है ।
- 2 प्रौदनियों के अंतर्गत पात्र प्लान्ट तथा मशीनों अन्य निवेश के संबंध में आकस्मिकता प्रावधान (अनिश्चित लागत) की 5% सीमा तक को प्रौदनियों के अंतर्गत समाविष्ट किया जा सकता है ।
- 3 सिडबी ने प्रौदनियों के अंतर्गत प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों से पुनः वित्त प्रबंध प्राप्त करने हेतु परियोजना परिव्यय की रु. 100 लाख की सीमा हटा दी है । सहयोजित प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को सीधे वित्त के अंतर्गत उधार देने एवं प्रौदनियों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिकी मापदंडों को प्रभावित किये बिना उनके स्वयं के प्रूडेन्शियल मापदण्ड निश्चित करने की तथा बैंक ग्राह्य परियोजना पर उनके ढंग से कार्रवाई करने की अनुमति दी गई है ।
- 4 रु. 30 करोड़ एवं उससे कम लागत वाली योजनाओं के संबंध में सहयोजित बैंक सीधे वित्त के लिये आवेदनों पर सीधी कार्रवाई कर सकती है ।
- 5 प्रौदनियों के लिये आईडीबीआई एवं सिडबी ने निम्नतर न्यूनतम प्रोत्साहकों का अंशदान 20% पर नियत किया है, जबकि अन्य मयमलों में यह 33.1% है ।

- पात्र मामलों में आईडीबीआई इसे 17.5% तक भी शिथिल करने के लिये तैयार है ।
- 6 आईडीबीआई 1.5:1 के ऋण एक्विटी रेशियों के संबंध में पात्र मामलों में शिथिलकरण का लचीला दृष्टिकोण अपनाएगा ।
 - 7 आईडीबीआई एंव सिडबी ने अच्छे ट्रैक रेकार्ड वाली, व्यवहार्य एंव वास्तविक शुद्ध मूल्य वाली इकाई के लिये पिछले 3 वर्षों के दौरान लगातार लाभ अर्जित करने से संबंधित मापदण्डों को उनका उक्त में से एक अथवा अधिक वर्षों में घाटा होने के बावजूद छूट प्रदान किया है।
 - 8 अधिकतम चुकोती अवधि 8 वर्षों (2 वर्ष) विलम्बन काल और 6 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष (2 वर्ष विलम्बन काल और 8 वर्ष) तक बढ़ा दी गई है।
 - 9 प्रारंभिक वर्षों में न्यूनतम किस्त और बाद के वर्षों में क्रमशः बढ़ने वाली क्रमिक चुकोती पद्धति को भी अनुमति दी जाएगी ।
 - 10 प्रौउनियो ऋण मंजूर करते समय नोडल अभिकरण और सहयोजित प्राथमिक ऋणद संस्थान शीघ्र मंजूरी और कार्यक्रम की सफलता के लिये यह सुनिश्चित करेंगे कि में कार्यकारी पूंजी के लिए बैंको के साथ प्रतिबद्धता है अथवा नहीं ।
 - 11 **ब्याज पूर्ति:** सरकार ने नोडल अभिकरणों यथा आईडीबीआई, सिडबी एंव आईएफसीआई को इस योजना के अंतर्गत निधियों का नियोजन कर्जदार को 5% ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए, त्रैमासिक आधार पर करने की मंजूरी दी है । यह अग्रिम रूप में होगा, किंतु नियत तिथि से 15 दिन पहले नहीं होगा । सरकार ने विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में प्रतिवर्ष 5% से विनिमय दर कटाव की सीमा को मंजूरी दी है । सहयोजित प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों द्वारा नोडल अभिकरणों को उनके प्रतिपूर्ति दावे अनिवार्य रूप में नियत तिथि से पर्याप्त पहले जमा कर दिये जाने चाहिए, जिससे कि नियत तिथि पर कर्जदार के खाते में उनकी पावती तथा जमा सुनिश्चित हो सके। सरकार के इस निर्णय से कर्जदार को 5% ब्याज की पूर्ण प्रतिपूर्ति बिना किसी विलंब/कटाव के मिलेगी।
 - 12 इस योजना का क्षेत्रीय स्तर पर कार्यान्वयन वस्त्र आयुक्त कार्यालय, मुंबई द्वारा किया जा रहा है । वस्त्र आयुक्त ने को जन शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, शिकायते अगर कोई हो तो पूर्ण विवरण के साथ श्रीमती शशि सिंह, निदेशक, वस्त्र आयुक्त कार्यालय, न्यू सी.जी.ओ. बिल्डिंग, 48 न्यू मैरीन लाइन्स, मुंबई 20 को सूचित किया जाये । उनकी दूरभाष सं 022-2031508, फैक्स नं 022 2004693, ईमेल डीआईआरएसएस **इआरएमआइइयू 1.बीओएम-एनआइसी.आइएन** है । उक्त पर वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा विचार किया जाएगा और यदि आवश्यकता हुई तो श्री बी.सी.खटुआ, वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता तें आयोजित तकनीकी सलाहकार सह देखरेख समिति की मासिक बैठको में उक्त पर चर्चा की जाएगी ।
 - 13 **परिशिष्ट :**
मुख्य संकल्प के परिशिष्ट बी में निम्नानुसार संशोधन और जोड किए जाएंगे यथा :

क. संशोधन :

मूल प्रविष्टि सं	संशोधित प्रविष्टि सं	संशोधन के पश्चात निम्नानुसार पढ़ा जाये																				
ए 7	ए 7	केवल लंबा तथा अधिक लंबा स्टेपल कॉटन बनाने के लिए लिन्ट क्लीनर अर्थात पोस्ट जिनिंग मशीन (लकड़ी के कीलों वाली मशीन को वरीयता)																				
ए 9	ए 9	<p>1. निम्नलिखित परिमाण की पट्टित गांठे पूर्ण प्रेस बनाने के लिये योग्य बेलिंग प्रेस बॉक्स (हाल) में संशोधित बीआइएस विनिर्देशों आइएस: (12171:99) से अनुरूप</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>लंबाई</td> <td>चौड़ाई</td> </tr> <tr> <td>ऊँचाई</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(मिमि में)</td> <td>(मिमि में)</td> </tr> <tr> <td>(मिमि में)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1060</td> <td>530</td> </tr> <tr> <td>780</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1400</td> <td>530</td> </tr> <tr> <td>700</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1240</td> <td>480</td> </tr> <tr> <td>480</td> <td></td> </tr> </table> <p>2. बेल प्रसिंग मशीन बदलने वाली या पहली बार बेल प्रेसिंग मशीन बिठाने वाली इकाई को केवल सिंगल स्टेज डबल बॉक्स ऑटोमेटिक रिवाल्विंग बेल प्रेसिंग मशीन बिठाना आवश्यक होगा । किंतु पहले से 2 स्टेज मैनुअल बेल प्रेसिंग मशीन विद्यमान होने वाली इकाई को प्रोउनियो के अनुसार अन्य आधुनिकीकरण करते समय उक्त को बदलने के लिये बाध्य नहीं किया जाएगा ।</p> <p>प्रेस बाक्स की गहराई</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2 स्टेज मैनुअल बेल प्रेसिंग मशीन के लिए कम से कम 18 फुट और अधिक से अधिक 28 फुट 2. सिंगल स्टेज डबल बॉक्स ऑटोमेटिक रिवाल्विंग बेल प्रेसिंग मशीन के लिए कम से कम 8 फुट और अधिक से अधिक 12 फुट। 	लंबाई	चौड़ाई	ऊँचाई		(मिमि में)	(मिमि में)	(मिमि में)		1060	530	780		1400	530	700		1240	480	480	
लंबाई	चौड़ाई																					
ऊँचाई																						
(मिमि में)	(मिमि में)																					
(मिमि में)																						
1060	530																					
780																						
1400	530																					
700																						
1240	480																					
480																						

क्रम सं	इकाई का प्रकार	प्रेस बॉक्स की गहराई के संबंध में आधुनिकीकरण / नई इकाई संस्थापित करते समय पालन किये जानेवाले मापदंड
क	विद्यमान जिनिंग तथा प्रेसिंग इकाइयां क. 18 फुट से कम वाला विद्यमान प्रेस बॉक्स और इकाई आधुनिकीकरण के साथ मिश्रित स्थिति चाहती है। ख. इकाई प्रेस बॉक्स की लंबाई का विचार किए बिना उसे बदलना चाहती है	अन्य बातों के साथ साथ 2 स्टेज मैनुअल बेल प्रेसिंग मशीन के लिए कम से कम 18 फुट की प्रेस बॉक्स अनिवार्य रूप से आवश्यक है
ख ग.	आधुनिकीकरण के साथ संयुक्त स्थिति करने वाली विद्यमान जिनिंग इकाइयां नई मिश्रित इकाइयां	8 फुट से 12 फुट की लंबाई की प्रेस बॉक्स वाली सिंगल स्टेज डबल बॉक्स ऑटोमेटिक रिवाॉल्विंग बेल प्रेस मशीन

14 मुख्य संकल्प के परिशिष्ट बी में निम्नानुसार संशोधन और जोड़ किए जायेंगे, यथा :
क. संशोधन

मूल प्रविष्टि सं	संशोधित प्रविष्टि सं	संशोधन के पश्चात निम्नानुसार पढ़ा जाये
ए 2	ए 2 1	काटन फाइबर एवं इसके मिश्रणों के लिए कृत्रिम ब्लो रूम मशीनें, जिसमें प्रीक्लीनर्स, च्यूट फीडिंग प्रणाली के साथ ओपनिंग एंड क्लीनिंग मशीनें, मेटल डिटेक्टर, मायक्रोडस्ट रिमूबर एवं विदेशी फाइबर डिटेक्टर/रिमूबर के साथ या उसके बिना डिडस्टींग कंडेन्सर्स ओपन एंड रूटर स्पीनिंग
	॥	सिंथेटिक/पुनरुत्पादित फाइबर तथा उसके मिश्रणों के लिए कृत्रिम ब्लोरूम मशीनें, जिसमें चॉट फीड प्रणाली के साथ ओपनिंग एंड क्लीनिंग मशीनें विदेशी फाइबर डिटेक्टर/रिमूबर के साथ अथवा उसके बिना मेटल डिटेक्टर
ए 3	ए 3	कार्ड, गिल बॉक्स, कोम्बर तथा बेस्ट रिकवरी/रिसायकलिंग मशीनों के साथ या उसके बिना रिंग फ्रेम के लिए स्वचालित अपशिष्ट निष्कर्षण प्रणाली
ए 4	ए 4 1	50 किग्रा प्रति घंटे से अधिक सिल्वर का उत्पादन करने में सक्षम आटो लेवलर सहित उच्च उत्पादन कार्ड

	11	50 किग्रा प्रतिघंटे से अधिक सिल्वर का उत्पादन करने में सक्षम ऑटो लेबलर सहित अथावा उसके बिना लैप फीड प्रणाली के लिए उच्च उत्पादन कार्ड
ए 12	ए 12	इलेक्ट्रानिक यार्न क्लीनर्स तथा सप्लायर्स
ए 13	ए13	क्रमशः न्यूनतम 8000 आरपीएम तथा 5000 आरपीएम गति पर चलने वाले टू फॉर वन/थ्री फॉर वन टिव्स्टर्स
ए 15	ए 15	आरएच एंव तापमान एनाए रखने के लिए डी ह्यूमिडिफायर्स (विलर्स)के साथ एअर वॉशर प्लान्ट तथा एअर वॉशर फिल्टर सहित औद्योगिक आद्रीकरण पद्धति
बी 8	बी 8	क्रमशः न्यूनतम 8000 आरपीएम तथा 5000 आरपीएम गति पर चलने वाले टू फॉर वन/थ्री फॉर वन टिव्स्टर्स
एच1	एच 1	लंबाई, शक्ति, माइक्रोनेअर, परिपक्वता, ट्रेंश, रंब आदि के परीक्षण हेतु आधुनिक फाइबर परीक्षण हेतु उपकरण यथा उच्च/मध्यम/निम्न प्रबलता उपकरण
एच 3	एच 3	यार्न फॉल्ट वर्गीकरण उपकरण यथा कलारिमेंट क्लासीडाटा आदि
एच 4	एच 4	नेप्स, लंबाई, व्यास, परिपक्वता, ट्रेंश की जाँच करने के उपकरण यथा एएफआइएस/एफआयएलई, अग्रिम फाइबर जानकारी तंत्र, रॅपिड टेस्टर आदि
एच 5	एच 5	एकल यार्न टेनॅसिटी अेस्टर यथा टेन्सार्पिड, स्टेटिमेंट, टेन्सोमॅक्स आदि
एच 7	एच 6	टेनॅसिटी/फाइबर क्रिम्य मापन यंत्र यथा फिवीमेंट आदि
आई	जे	तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा उचित मानी गई अन्य मशीनरी

ख. समाविष्टियाँ

प्रविष्टि सं	मशीनों का विवरण
बी 12	कार्ड, गिल बॉक्स, कोम्बर तथा वेस्ट रिकवरी/रिसायकलिंग मशीनों के साथ या उसके बिना रिंग फ्रेम के लिए स्वचालित अपशिष्ट निष्कर्षण प्रणाली
सी 8	वेष्ट रिकवरी/रिसायकलिंग मशीनों के साथ अथवा उसके बिना कार्ड के लिए स्वचालित अपशिष्ट निष्कर्षण प्रणाली
एच 7	आधुनिक यार्न परीक्षण उपकरण यथा टिव्स्ट टेस्टर्स, हैरीनेस टेस्टर, टेन्शन टेस्टर, कोएफिशिएन्ट ऑफ फ्रिक्शन टेस्टर आदि
एच 8	मॉइश्चर टेस्टर

एच 9	पैकिंग डेन्सिटी टेस्टर
एच 10	उच्च सूक्ष्मता संतुलन तुला
आई	आधुनिक सामग्री संचालन उपकरण यथा फोर्क लिफ्टर, बेल स्टेकर्स आदि

15. मुख्य संकल्प के परिशिष्ट डी 1 में निम्नानुसार संशोधन और जोड़ किए जायेंगे यथा :

मूल प्रविष्टि सं	संशोधित प्रविष्टि सं	संशोधन के पश्चात निम्नानुसार पढ़ा जाये
ए 11	ए 11	क्रमशः न्यूनतम 8000 आरपीएम तथा 5000 आरपीएम गति पर चलने वाले टू फॉर वन टिव्स्टर/थ्री फॉर वन टिव्स्टर

समाविष्ट प्रविष्टि सं	मशीनों का विवरण
ए 19	उच्च गति मल्टी सिलेंडर वर्टिकल एक्झिट वार्पिंग मशीन
बी 3	<p>साधारण करधे का 165 सेमी तथा अधिक चौड़ाई वाले वेफट एक्झॉस्ट स्टॉप मोशन, वार्प प्रोटेक्टर अटैचमेंट, लेट ऑफ मोशन पाजिटिव/सेमी (पॉजिटिव) अंडर पिकिंग मोशन, ऐंटी क्रैक मोशन सहित टेक अप मोशन, एक बार में करधे को बंद करने वाले सक्षम ब्रेकिंग उपकरण, क्लच प्रणाली सहित पृथक मोटर ड्राइव शुरू करने बंद करने एवं इन्चिंग के लिये इन्चिंग व्यवस्था सहित पुश बटन वाले एवं निम्नलिखित अतिरिक्त विशेषताओं वाले नए अर्धस्वचालित शटर करधे द्वारा प्रतिस्थापन</p> <p>I लुब्रिकेट करने वाले नायलॉन भाग/साधन पिकिंग स्टिक के लिये सहायक प्रतिरोधक</p> <p>II ढली वस्तु के सभी धात्विय भाग और सौम्य इस्पात संबंधित बीआईएस मानकों के अनुरूप हो</p> <p>III बेलवेट करधे के संबंध में, साधारण कैम मोशन द्वारा जो बहुल उत्तोलक कम करता है अथवा पॉजिटिव डॉबी द्वारा बदल दिया जाए । केवल विकेंद्रीकरण विधुत करधा क्षेत्र के लिये लागू ।</p>

16. मुख्य संकल्प के परिशिष्ट ई में निम्नानुसार संशोधन और जोड़ किए जायेंगे यथा :

संशोधन :

मूल प्रविष्टि सं	संशोधित प्रविष्टि सं	संशोधन के पश्चात निम्नानुसार पढ़ा जाये
ए 13	ए 13	चुनटदार सिलाई मशीन/स्वचालित बहुसुइयों वाली सिरिंग मशीन
ए 20	ए 20	वैक्यूम टेबल और/या बक प्रेस के साथ इंडस्ट्रियल स्टीम आर्यन
ए 24	ए 24	वैक्यूम आरन हवा बाहर करने वाले उपकरण सहित स्वचालित फैलनेवाली ऐंव काटनेवाली मशीन
ए 33	ए 33	बुनाई के कपड़ों के लिए पूरा कपड़ा बनाने वाली मशीन अथवा लिंकिंग मशीन के साथ विद्युत चालित गारमेंट पैनेल फॉर्मिंग निटिंग मशीन
ए 35	ए 35	पैनेल फॉर्मिंग निटिंग मशीन
ए 35	ए 35	स्वचालित धागा काटनेवाली / सर्किंग मशीन
ए 43	ए 43	सीएडी/सीएम प्लॉटर युक्त और साफ्टवेअर के साथ पॅटर्न मेकर इसके अन्तर्गत एम्ब्रायडरी मशीन के लिए साफ्टवेअर इक्विपमेन्ट भी शामिल है ।

समाविष्टियाँ

प्रविष्टि सं	मशीनों का विवरण
ए.45	बटन रैपिंग/शर्किंग मशीन
ए.46	फीड ऑफ द आर्म इण्डस्ट्रीयल सिलाई मशीन
ए.47	ऑटोमेटिक डार्ट/प्लीट मेकिंग मशीन
ए.48	ऑटोमेटिक लेबल/प्लाय पिकिंग मशीन
ए.49	पिन टकिंग मशीन
ए.50	मेकनाइज फॅब्रिक पिनींग टेबल
ए.51	सिंगल निडल बास्टींग मशीन
ए.52	सिंगल निडल पोस्ट बेड स्लीव सेटिंग मशीन
ए.53	हॅगिंग प्रॉडक्शन कनवेअर सिस्टम

17. प्रमुख संकल्प के साथ संलग्न परिशिष्ट ए-4 में निम्नलिखित समाविष्टियाँ की जाएंगी, नामतः ।

समाविष्टि

प्रविष्टि सं. मशिनरी का विनिर्देश
ख.17 हैंक टू कोन वाईडिंग मशीन (उच्च स्पिड मशीन वाईडिंग न्यूनतम 350 मी./मिनिट क्लच और ब्रेक सिस्टम के साथ)

18. प्रमुख संकल्प के साथ संलग्न परिशिष्ट जी में निम्नलिखित समाविष्टियाँ की जाएंगी, नामतः ।

समाविष्टि

प्रविष्टि सं. मशिनरी का विनिर्देश
ग.9 ऐप्रॉन ड्राफ्ट स्पिनिंग मशीन

(श्रीमती शशि सिंह)
निदेशक

तकनीकी सलाहकार सह देखरेख समिति

1. समिति का गठन

वस्त्र मंत्रालय के दिनांक 31/3/99 के संकल्प सं 28/1/99 सीटीआई के पैरा 5 के अनुसार सरकार ने प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत दिनांक 30 जून 1999 के आदेश सं 28/5/99 सीटीआई के द्वारा तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया गया । आईएमएससी ने अपनी 5 वी बैठक में यह निश्चित किया कि टीएसी अब योजना के देखरेख का कार्य भी संभालेगी ।

समिति में वर्तमान सदस्य है :

1	श्री बी.सी. खटुआ, वस्त्र आयुक्त, मुंबई	संयोजक
2	पटसन आयुक्त, कलकत्ता	सदस्य
3	डा. एम.एम. धारिया, निदेशक, अहमदाबाद, वस्त्र उद्योग अनुसंधान संघ, अहमदाबाद	सदस्य
4	डा. ई.एच. दारुवालिया, सलाहकार, बाम्बे वस्त्र अनुसंधान संघ, मुंबई	सदस्य
5	श्री एम.के. वर्धन, निदेशक, सिल्क एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसियेशन, मुंबई	सदस्य
6	श्रीमती एस. पटवर्धन, निदेशक, ऊन अनुसंधान संघ, ठाणे	सदस्य
7	डॉ. टी.एच. सोमशेखर, निदेशक, केंद्रीय रेशम प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर	सदस्य
8	डॉ. के. जयचंद्रन, निदेशक, भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ कलकत्ता	सदस्य
9	डॉ. एच.पी. भट्टाचार्या, प्रोफेसर, डॉ. जी.के. देवराजुलू, अध्यक्ष द्वारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी, मुंबई	सदस्य
10	भारतीय रूई मिल परिसंघ, मुंबई .के प्रतिनिधि	सदस्य
11	भारतीय ऊन मिल परिसंघ, मुंबई .के प्रतिनिधि	सदस्य
12	भारतीय आर्ट सिल्क बुनाई उद्योग परिसंघ, सूरत .के प्रतिनिधि	सदस्य
13	भारतीय विद्युत करघा परिसंघ, मुंबई .के प्रतिनिधि	सदस्य
14	भारतीय वस्त्र अभियांत्रिकी परिसंघ, मुंबई .के प्रतिनिधि	सदस्य
15	भारतीय पटसन मिल संघ, कोलकाता .के प्रतिनिधि	सदस्य
16	उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का प्रतिनिधि	सदस्य

योजना के कार्यान्वयन और प्रगति की देखरेख के लिए निम्नलिखित आतिरिक्त सदस्य सहयोजित किये गये है :

1	महानिदेशक, नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नॉलाजी, नई दिल्ली	सदस्य
2	कार्यकारी निदेशक/मुख्य महाप्रबंधक (प्रौउनि कक्ष) इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई	सदस्य
3	कार्यकारी निदेशक/मुख्य महाप्रबंधक (प्रौउनि कक्ष) स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, लखनऊ	सदस्य
4	कार्यकारी निदेशक/मुख्य महाप्रबंधक (प्रौउनि कक्ष) इंडस्ट्रीयल फायनान्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	सदस्य
5	अध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ , मुंबई	सदस्य
6	अध्यक्ष, क्लोथिंग मैनुफैक्चरर्स एसोशियेशन ऑफ इंडिया, मुंबई	सदस्य

अन्य किसी तकनीकी विशेषज्ञ, उद्योग प्रतिनिधि अथवा सहयोजित बैंकों एसएफसी/एसआइडीसी/टिवन फंक्शन आईडीसी के प्रतिनिधियों को जब कभी आवश्यकता हो तब विशेष अतिथि के रूप में बुलाया जा सकता है ।

2. कार्य :

1. तकनीकी सलाहकार सह देख रेख समिति का तकनीकी सलाह देने के साथ साथ निम्नलिखित कार्य होगा :
 - अ. समिति योजना की प्रगति की समीक्षा करेगी और बारीकी से उसके परिचालन का गहन विश्लेषण करेगी तथा प्रशासनिक एवं परिचालन में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करेगी ।
 - ब. समिति तालमेल रखेगी तथा अन्तर बैंक और प्राथमिक ऋणदाता संस्थान नोडल अभिकरण के मामलों का निपटारा करेगी ।
 - स. समिति योजना की दिशा एवं उसके कार्यान्वयन से अंतर मंत्रालयीन संचालन समिति आइएमएससी को अवगत कराती रहेगी ।

3. मिश्रित :

1. सरकारी कर्मचारियों एवं वस्त्र अनुसंधान संघ के कर्मचारियों के यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता उनके संबंधित विभाग तथा संगठनों द्वारा वहन किया जाएगा । अन्य सदस्यों का यात्रा भत्ता /दैनिक भत्ता वे संगठन वहन करेंगे, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते है ।
2. सचिवालयी सहायता वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, भारत सरकार, मुंबई द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी ।

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय
पो.बै.सं.11500, मुंबई-20.

फैक्स : 022-2004693,

सं.28(19)/2000/मॉ.अ./

दिनांक:13/11/2000.

परिपत्र सं.9

(2000-2001 श्रृंखला)

विषय : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौउनियों)

1. नोडल अभिकरणों द्वारा अतिरिक्त बैंकों /वित्तीय संस्थानों का सहयोजन

प्रौउनियों के नोडल अभिकरणों ने प्रौउनियों के अंतर्गत कुछ और बैंकों को सहयोजित किया है । विवरण निम्नानुसार है :-

- (1) भारतीय उद्योग वित्त निगम, प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पटसन उद्योग के लिए नोडल अभिकरण ने दि.4 सितंबर, 2000 के पत्र सं.क्रेडिट/को.ओर्ड/प्रौउनियों/2000 द्वारा महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम (मराविनि), मुंबई को प्रौउनियों के अंतर्गत पटसन उद्योग के लिए प्राथमिक ऋणदाता संस्थान (पीएलाई) के रूप में सहयोजित किया है ।
- (2) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौउनियों) के अंतर्गत सहकारी क्षेत्र में वस्त्र इकाइयों को वित्तीय सहायता देने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम लि. (एनसीडीसी) को सहयोजित किया गया है ।
- (3) सिडबी ने पहले ही सहयोजित दो बैंकों के अतिरिक्त निम्नलिखित 3 बैंकों को सहयोजित किया है ।

(1) बॉम्बे मर्केटाइल को-ऑप. बैंक लि. मुंबई

(2) कालूपुर कमर्शियल को-ऑप. बैंक लि. अहमदाबाद

(3) महाराष्ट्र राज्य को-ऑप. बैंक लि. मुंबई

2. प्रौउनियों से संबंधित मापदंडों के संबंध में तकनीकी सलहाकार सह देखरेख समिति (टीएएमसी) द्वारा अपनी 4थी तथा 5वीं बैठक में की गई सिफारिशें तथा अंतर मंत्रालयीन संचालन समिति (अंमसंस) द्वारा अपनी 7वीं बैठक में लिए गए निर्णय निम्नानुसार हैं :

- (1) पुरानी मशीनों के आयात के लिए वस्त्र आयुक्त द्वारा प्रमाण पत्र जारी करना ।

उपकरण देश में उपलब्ध न होने के कारण अंमसंस ने वस्त्र आयुक्त द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने की आवश्यकता छूट को मंजूरी दी है । दि.31.3.99 के जी.आर. पैरा 3.2(2) के अंतर्गत उन पुरानी मशीनों को अनुमति दी गई है, जो देश में उपलब्ध नहीं हैं या अत्यल्प मात्रा में उपलब्ध है ।

- (2) कताई इकाई के न्यूनतम आर्थिक आकार को प्राप्त करने के लिए रिंग तकुओं तथा खुले छाकर वाले रोटों को मिलाना ।

प्रोडनियों के अंतर्गत 25,000 तकुओं के न्यूनतम आर्थिक आकार के लिए अंमसंस ने रिंग तकुओं तथा खुले छोर वाले रोटों को मिलाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है । इसके अतिरिक्त यदि विद्यमान कताई इकाई को अपनी क्षमता बढ़ाना है तो विस्तारण के बाद इकाई का न्यूनतम आर्थिक आकार कम से कम 12,000 तकुएँ होना चाहिए जिसमें 5% अधिकतम लोअर टॉलरन्स के साथ रिंग तकुओं और खुले छोर वाले रोटों का मिलान समाविष्ट किया गया हो ।

- (3) कताई तथा बाइडिंग के लिए नए ओवरहेड क्लीनर का समावेश अंमसंस ने दिनांक 31.3.1999 के प्रोडनियों के जी.आर. के परिशिष्ट बी में ए.17, पर नया मद् यथा कताई तथा वाईडिंग के लिए ओवरहेड क्लीनर जोड़ने का निर्णय लिया है ।

(4) ऑटो डॉफर पद्धति का समावेश

अंमसंस ने रिंगफ्रेम के लिए प्रोडनियों के अंतर्गत पात्र उपकरण के रूप में रेट्रोफिट के रूप में ऑटो डॉफर पद्धति को समाविष्ट करने का निर्णय लिया है, बशर्ते कि रिंग फ्रेम, जिस पर ऑटो डॉफर पद्धति रेट्रोफिट किया जाना है और रेट्रोफिट किया जाने वाला प्रस्तावित ऑटो डॉफर समान बनावट/विनिर्माण के हों तथा विद्यमान रिंग फ्रेम भी प्रोडनियों के प्रौद्योगिकी मापदण्डों के अंतर्गत आती हो ।

(5) कोल फायर्ड बॉइलर्स का समावेश

अंमसंस ने दि.31.3.1999 के जी.आर. के परिशिष्ट एफ-1, एफ-2, एफ-3 तथा एफ-4 में उपयोगिता तथा अन्य में कोल फायर्ड बॉलर्स का समावेश करने का निर्णय लिया है, बशर्ते कि इसमें अतिरिक्त विशेषताएँ यथा नियंत्रित फिल्टर रचना इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रिसिपिटेटर तथा मायक्रो डस्ट कलेक्टर्स हों और पार्टी संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आवश्यक निकासी प्राप्त करती हो । तदनुसार उपयोगिता तथा अन्य शीर्ष के अंतर्गत परिशिष्ट एफ-1, एफ-2, एफ-3 की प्रविष्टि बी (4) (1) एवं परिशिष्ट एफ-4 की बी (3) (1) को निम्नानुसार संशोधित किया जा रहा है ।

तेल/गैस फायर्ड बॉइलर तथा नियंत्रित फिल्टर रचना, इलेक्ट्रॉस्टैटिक प्रिसिपिटेटर एवं मायक्रो डस्ट कलेक्टर सहित कोल फायर्ड बॉइलर ।

नोट :- कोल फायर्ड बॉइलर संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निकासी के अधीन है ।

- (6) सिलाई धागा उद्योग के लिए 18 मशीनों का समावेश (रुई पॉलिएस्टर/निरन्तर पॉलिएस्टर फिलामेंट, कोर यार्न सिलाई धागे) उत्पादन के साथ उपशीर्ष आई के पश्चात् उपशीर्ष जे के अंतर्गत योजना के परिशिष्ट बी में 18 मशीनों की मदों का समावेश और विद्यमान उप शीर्ष जे को के के रूप में करने को अनुमोदन किया है :-

सिलाई धागे के लिए मशीनें (रुई पॉलिएस्टर/निरन्तर पॉलिएस्टर फिलामेंट, कोर यार्न सिलाई धागे) उत्पादन

- (1) वैयक्तिक नियंत्रण व्यवस्था एवं लंबाई नापने के उपकरण सहित असेम्बली बाईंडिंग/चीज बाईंडिंग मशीन
- (2) वेट व्यवस्था सहित अथवा उसके बिना हेवी रिंग डबलर
- (3) पालिश करने वाली तथा चिकना करने वाली मशीन
- (4) उष्णता विन्यास तथा संतुलन मशीन
- (5) प्रि-ऑप्लीकेशन वाइंडर/मिश्रित चिकना करने वाला वाइंडर/कोन वाइंडर
- (6) प्रिमीशन वाइंडर तथा फिनिशिंग मशीन/टिवन कोन वाइंडिंग तथा कोप बैंडिंग मशीन
- (7) ट्यूब वाइंडिंग मशीन
- (8) स्वचालित लेबल लगाने वाली एवं पैक करने वाली मशीन
- (9) बाक्स सिलाई करने वाली/कॉटन स्ट्रेपिंग मशीन
- (10) बौन्डिंग मशीन
- (11) स्पूल वाइंडर
- (12) ब्रेडिंग मशीन
- (13) ब्रेड वैक्सिंग मशीन
- (14) ब्रेड डाय पैकेज वाइंडर
- (15) ब्रेड कोप वाइंडर
- (16) प्रिटिविस्टर/असेम्बली वाइंडिंग मशीन
- (17) अप टिविस्टर
- (18) डाय पैकिंग वाइंडर

के. तकनिकी सलाहकार-सह-देखरेख समिति (टीएएमसी) द्वारा उपयुक्त मानी गई कोई अन्य मशीनें

- (7) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना या अन्य योजनाओं के तहत स्थापित इकाइयों द्वारा ब्याज प्रतिपूर्ति पात्रता :-

अंमसंस ने निर्णय लिया है कि वस्त्र इकाइयों प्रौडनियों के अतिरिक्त अन्य योजनाओं का भी लाभ उठा सकती हैं । किसी भी प्रकार का संदेह हो तो स्पष्टीकरण के लिए वस्त्र आयुक्त को लिखकर अनुरोध किया जा सकता है ।

3. टीएएमसी की 28 अगस्त, 2000 को आयोजित 4थी बैठक में दी गई योजना संबंधी स्पष्टीकरण

कट चेत्रिल यार्न मशीन

टीएएमसी ने स्पष्ट किया कि कट चेत्रिल यार्न वह मशीन जिसमें यार्न का टफटिंग डबलिंग तथा ट्विस्टिंग एक ही समय पर किए जाते हैं, विद्यमान प्रविष्टि सं.ए.14 अनुलग्नक डी. एक के अनुसार यह फैन्सी यार्न ट्विस्टर्स/डबलर्स की श्रेणी में आता है ।

शुद्धिपत्र

बाना डालने की दर में कमी

इस कार्यालय द्वारा दिनांक 4 अगस्त,2000 को जारी परिपत्र सं.7(2000-2001 श्रृंखला) के मद सं.7 अर्थात् बाना डालने की दर में कमी को निम्नानुसार पढ़ा जाए 1180 से.मी. की चौड़ाई वाली पुरानी सलजर प्रोजेक्टाइल बुनाई मशीनों की बाना डालने की दर में अथवा अन्य समान मामलों में 5% तक की न्यूनतम कमी को मंजूरी दी है, बशर्ते कि वे अन्यथा प्रौडनियों के अंतर्गत स्वीकृत प्रौद्योगिकी मापदण्डों की पूर्ति करते हो ।

कृपया इसे सभी संबंधित लोगों के संज्ञान में लाया जाए ।

(श्रीमती शशि सिंह)
निदेशक

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय
पो.बै.सं.11500, मुंबई-20.

सं.28(19)/2000-मॉ./

दिनांक:13 दिसंबर 2000.

परिपत्र सं.10
(2000-2001 श्रृंखला)

विषय : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौउनियों)

1. वित्तीय संस्थानों द्वारा अस्वीकृत प्रस्ताव :-

दिनांक 1.11.2000 को संपन्न अंतर मंत्रालयीन संचालन समिति की 7वीं बैठक में लिए गए निर्णयानुसार वित्तीय संस्थान अथवा उनके सहयोजित अभिकरणों द्वारा अस्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा प्रस्ताव अस्वीकृत करने के कारणों के साथ वस्त्र आयुक्त कार्यालय को जमा करना आवश्यक है, ताकि पात्र मामलों पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु , वित्तीय सहायता देने वाले अभिकरणों/संबंधित बैंक से संपर्क किया जा सके ।

2. नोडल अभिकरणों द्वारा अतिरिक्त बैंकों/वित्तीय संस्थानों का सहयोजन :-

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, प्रौउनियों के अंतर्गत गैर लघु उद्योग क्षेत्र के लिए नोडल अभिकरण ने प्रौउनियों के अंतर्गत 5 अतिरिक्त वाणिज्यिक बैंकों को सहयोजित किया है ।

1. देना बैंक
2. साउथ इंडियन बैंक लि.
1. वैश्य बैंक लि.
2. बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया
3. बीएचएफ - बैंक एजी

इसे सभी संबंधितों के ध्यान में लाए जाए ।

(श्रीमती शशि सिंह)
निदेशक

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
पो.बै. सं. 11 500, मुंबई : 400 020.
फैक्स सं.022-2002495, E-mail: texcomindia@txcindia.com
Website : www.txcindia.com

सं. 28(19)/2003-एम.एस/

दिनांक : 23 मार्च, 2001

परिपत्र सं. 11
(2000-2001 श्रृंखला)

विषय : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो.)

1. नोडल अभिकरणों द्वारा अतिरिक्त बैंकों/वित्तीय संस्थानों का सहयोजन ।

प्रौ.उ.नि.यो. के नोडल अभिकरणों में प्रौ.उ.नि.यो. के अन्तर्गत कुछ और बैंको को प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों के रूप में सहयोजित किया है ।

इनका विवरण निम्नानुसार है :-

(i) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पटसन उद्योग के लिए नोडल अभिकरण भारतीय उद्योग वित्त निगम (आई एफ सी आई)ने दिनांक 22 जनवरी, 2001 तथा 25.1.2001 के पत्र सं.क्रेडिट को.आर्ड/प्रौ.उ.नि.यो./2001 द्वारा क्रमशः वैश्य बैंक और हरियाणा वित्तीय निगम को प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत पटसन उद्योग के लिए प्राथमिक ऋणदाता संस्थान के रूप में सहयोजित किया है ।

(ii) सिडबी ने पहले ही सहयोजित 5 सहकारी बैंकों के अतिरिक्त निम्नलिखित 4 सहकारी बैंकों को सहयोजित किया है :-

1. सर्वोदय सहकारी बैंक लि., सूरत, गुजरात
2. इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक, इचलकरंजी, महाराष्ट्र
3. टेक्सटाइल को ओपरेटिव बैंक, बैंगलोर, कर्नाटक
4. जनता को-ओपरेटिव बैंक, मालेगांव, महाराष्ट्र

2. प्रौ.उ.नि.यो. तकनीकी सलाहकार सह-देख रेख समिति (टी ए एम सी) द्वारा दिनांक 5 जनवरी, 2001 को मुंबई में संपन्न बैठक में दिए गए स्पष्टीकरण ।

(i) प्रक्रिया नियंत्रण उपकरण

निम्नलिखित वस्तुएं प्रक्रिया नियंत्रण उपकरण हैं, अतः प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत ग्राह्य हैं :-

- (क) विद्यमान ऑटो कोनर्स के उन्नयन के लिए, रंगीन द्रव्य, रंगीन धागा जैसे विजातीय कण ढूँढ निकालने के लिए क्वान्टम क्लिअरर्स लगाना ।
- (ख) आर.एच. नियंत्रित एवं बनाए रखने हेतु आर्द्रीकरण संयंत्र के लिए "सॉटर स्वचालित नियंत्रण संयंत्र"
- (ग) निर्धारित नमूने के अनुसार उतारने के दौरान तकुए की गति बदलने हेतु रिंगफ्रेम्स के लिए "ऑटो-स्पीड" ताकि धागों को टूटने इत्यादि से बचाया जा सके ।
- (घ) सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत उपकरण "प्रीमियर रिंग आई", यह उपकरण रिंग फ्रेम में सूत टूटने के संबंध में देखरेख करता है, त्रुटिपूर्ण तकुओं जिनके कारण सूत अधिक मात्रा में टूटता है, को ढूँढ निकालता है, कम्प्यूटर द्वारा रिंगफ्रेम के उत्पादन को दर्शाता है ।

(ii) लैब डाईंग मशीन एवं इलेक्ट्रानिक डिस्पेन्सिंग पिपेट

प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत पात्र मशीनों की सूची में सभी लैब मशीनों का उनके व्यापारिक उत्पादन पूरकों के साथ विशेष रूप से उल्लेख करना आवश्यक नहीं है । वे प्रौ.उ.नि.यो.के अंतर्गत व्यापारिक उत्पादन के उद्देश्यों से अनुमोदित मशीनों की लैब वर्शन्स गुणवत्ता नियंत्रण उपकरणों के रूप में अपने आप अनुमत होंगी । तदनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि लैब डाईंग मशीन एवं इलेक्ट्रानिक डिस्पेन्सिंग पिपेट प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत पात्र हैं ।

(iii) लेबलों के विनिर्माण के लिए उच्च गति के रेपियर बुनाई करघे

1152 हूक्स जैक्वार्ड मशीन के साथ उच्च गति रेपियर बुनाई करघें तथा विभिन्न चौड़ाइयों वाले लेबलों के निर्माण के लिए आवश्यक टेप्स एवं अटैचमेंट बनाने के लिए बिठाई गई आन्तरायिक काटने वाली छूरी, प्रौ.उ.नि.यो. पुस्तिका के परिशिष्ट डी-के अनु क्र.बी 1 पर की गई विद्यमान प्रविष्टि में समाविष्ट होंगे ।

(iv) प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत दिए गए छूट के वित्तीय मापदंडों की प्रयोजनीयता :

एक वस्त्र इकाई द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि वित्तीय मापदंड जिनकी मार्च 2000 में छूट दी (अर्थात् प्रोत्साहकों के योगदान में 17.5% तक छूट तथा

चुकौती अवधि में 8 वर्ष से 10 वर्ष तक छूट) गई थी , उसे उन इकाइयों पर लागू किए जा सकता हैं, जिन्होंने मूल प्रौ.उ.नि.यो.संकल्प के अनुसार वित्तीय मापदण्डों के आधार पर सहायता ली है । टी ए एम सी ने निर्णय लिया है कि बैंकर्स/लेन्डर्स को प्रोत्साहकों की सीमा में बदलाव करने में कठिनाई आ सकती हैं, किन्तु उन इकाइयों के लिए चुकौती अवधि में दस वर्ष तक के विस्तारण पर विचार किया जा सकता है ।

3. अंतर मंत्रालय समिति की दिनांक 27 फरवरी, 2001 को संपन्न 8 वीं बैठक में लिए गए निर्णय

(i) **प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत कैप्टीव पॉवर प्लान्ट (सी पी पी) की लागत का क्षेत्र :**
अमंसंस ने निर्णय लिया है कि सीपीपी में निवेश प्रौ.उ.नि.यो. निधिवद्ध प्रौद्योगिकी उन्नत वस्त्र विनिर्माण सुविधा के लिए आवश्यक बल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रौ.उ.नि.यो.के अंतर्गत संयंत्रों एवं मशीनों के समग्र निवेश में जोड़ा जाएगा । (सीपीपी) जनरेटर सेटों में निवेश निम्नलिखित शर्तों पर होगा :-

(क) सीपीपी एक इकाई अथवा एक सामूहिक अस्तित्व के अंतर्गत अधिक इकाइयों के अधीन हो सकता है । यह लाभ अन्य सामूहिक अस्तित्व के अंतर्गत आने वाली इकाइयों को नहीं दिया जाएगा, चाहे वे एक ही सामूहिक दल से संबंधित हों । तथापि प्रौ.उ.नि.यो. का लाभ उठाने हेतु सी पी पी की पात्रता के सीमित उद्देश्य के लिए उक्त सामूहिक पूर्ण अस्तित्व की तथा निजी सहायक को उसी का हिस्सा माना जाएगा ।

(ख) सीपीपी में पात्र निवेश प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत पात्र संयंत्र एवं मशीनों (पी एण्ड एम) में पात्र निवेश से अधिक नहीं होगा । सी पी पी में कोई अतिरिक्त निवेश, पहले की भांति, आर्थिक सहायता दी जाएगी, किन्तु वह 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

(ii) लेसों और बैंडों के लिए इलेक्ट्रॉनिक बार की क्रोशे मशीन

अमंसंस ने प्रौ.उ.नि.यो. पुस्तिका के परिशिष्ट ई में लेसों और बैंडों के लिए इलेक्ट्रॉनिक बार की क्रोशे मशीन मद की अतिरिक्त प्रविष्टि को "ए.54 लेसों

बैंडो के लिए इलेक्ट्रॉनिक बार की क्रोशे मशीन" के रूप में समाविष्ट करने का निर्णय लिया है ।

(iii) कपड़े की प्रोसेसिंग के लिए मशीनें

अंमंसंस ने परिशिष्ट - एफ-एक में निम्नलिखित मशीनों को अतिरिक्त प्रविष्टियों के रूप में सम्मिलित करने का निर्णय लिया है ।

'बी-iii 15 कपड़े के लिए प्लीटिंग/क्रीसिंग/फोल्डिंग मशीन

16 कपड़े के लिए पिन्चिंग तथा समतल उत्कीर्ण मशीन

17 सफेद /रंगीन कपड़ों के लिए असम चुनटों के लिए क्रश मशीन

(iv) रूई अपशिष्ट रिसायकलिंग संयंत्र के लिए मशीन

कताई उद्योग के स्वच्छ कच्चा माल आधार की वृद्धि की संभावना के मद्देनजर अंमंसंस ने प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत रूई अपशिष्ट रिसायकलिंग संयंत्र के मशीनों का अन्तर्भाव परिशिष्ट-बी में निम्नानुसार उप शीर्षक जी के पश्चात अलग उपशीर्षक "जी जी" के रूप में करने का निर्णय लिया गया है :-

"जी जी"रूई अपशिष्ट रिसायकलिंग संयंत्र के लिए पात्र मशीनों की सूची

- 1) स्वचालित नरम रूई अपशिष्ट रिसायकलिंग मशीन
- 2) स्वचालित सख्त रूई अपशिष्ट रिसायकलिंग मशीन
- 3) स्वचालित गाँठे प्रेस करने की प्रणाली
- 4) स्वचालित रूई का चूरा तथा बीज जमा करने तथा छानने की प्रणाली
- 5) आग से बचाव की प्रणाली
- 6) सेवा सुविधाएँ यथा, परिवहन, वे ब्रिज प्रणाली, गाँठों को तौलने की स्वचालित मशीन आदि ।

(v) सिलाई के धागे के विनिर्माण की गतिविधियाँ

अंमंसंस ने निर्णय लिया कि चूंकि सिलाई का धागा तैयार कपड़ों एवं वस्त्रों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाला एक परिष्कृत औद्योगिक उत्पाद है, बुनाई /नीटिंग/ बुनाई की तयारी करने तथा विनिर्दिष्ट यार्न प्रोसेसिंग गतिविधियों के साथ-साथ कताई क्षमता निर्माण के लिए डाउनस्ट्रीम मूल्य वृद्धि प्रक्रिया के रूप में माना जा सकता है, तदनुसार अंमंसंस ने प्रौ.उ.नि.यो. पुस्तिका का पैरा 4.2 ए (11)

(ए)संशोधित करके (5वीं पंक्ति में) "तथा/अथवा बुनाई "शब्दों के बाद" तथा /अथवा सिलाई धागा विनिर्माण शब्द जोड़ने का निर्णय लिया है ।

(vi) यदि दो तिमाहियों का ब्याज विलम्बित है तो ब्याज प्रतिपूर्ति बंद करना

अंमंसंस ने निर्णय लिया है कि यदि ऋणप्राप्त कर्ता लिए गए ऋण की चुकौती दो तिमाहियों तक नहीं कर पाता है तो उसे ब्याज प्रतिपूर्ति रोक दी जाएगी । तथापि, किस्तों के पुनः चालू हो जाने पर तथा यदि देय भुगतान की अदाएगी प्रारम्भिक चुक हो जाने के बाद 6 तिमाहियों तक अच्छी तरह अदा की जाती है तो 5% ब्याज की प्रतिपूर्ति, किस्त अदाएगी में चुक की अवधि एवं उक्त राशि तक दी जा सकेगी । यदि ऐसा करने से ऋण अदाएगी के समय-सारणी में परिवर्तन होता हो तो ऐसी स्थिति में ब्याज प्रतिपूर्ति का लाभ मूल ऋण अदाएगी की समय-सारणी से अधिक हेतु नहीं दिया जाएगा और यह न ही मूलतः ग्राह्य प्रतिपूर्ति की सीमा से अधिक होगा ।

कृपया उपरोक्त आशोधन/स्पष्टीकरण सभी संबंधितों के ध्यान में लाएं ।

**(श्रीमती शशि सिंह)
निदेशक**

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना

परिपत्र सं. 1 से 7

(2001-2002 श्रृंखला)

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय
पोस्ट बैग नं. 11500, मुम्बई -20.
फैक्स नं. 022 -2002495, ई मेल :

सं. 28(19)/2000-मॉअ./

दिनांक : 4 जुलाई , 2001

परिपत्र सं. I

(2001 - 2002 श्रृंखला)

विषय : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो.)

I. नोडल अभिकरणों द्वारा अतिरिक्त बैंकों / वित्तीय संस्थानों का सहयोजन

इंडस्ट्रियल फाइनेन्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (आईएफसीआई), प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अन्तर्गत पटसन उद्योग का नोडल अभिकरण ने दिनांक 16 अप्रैल, 2001 के पत्र संख्या क्रेडिट /को.आई./टी.यू.एफ.एस./2001 द्वारा आन्ध्र प्रदेश स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन (एपीएसएफसी) प्रोउनियो के अन्तर्गत पटसन उद्योग के प्राथमिक ऋणदाता संस्थान के रूप में सहयोजित किया है ।

2. प्रोउनियों की तकनीकी सलाहकार - सह- देखरेख समिति द्वारा दिनांक 4 जून, 2001 को मुंबई में आयोजित बैठक में जारी स्पष्टीकरण ।

(i) "क्वान्टम क्लीअरर्स " तथा "ऑटो कोनर्स "

चूंकि "क्वान्टम क्लीअरर्स " तथा "ऑटो कोनर्स " विशिष्ट विनिर्माताओं के ट्रेडमार्क हैं, समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि वस्त्र आयुक्त द्वारा दिनांक 2001 को जारी परिपत्र सं. 11(2000- 2001 श्रृंखला) के पैरा 2 (I) (ए) के स्थान पर निम्नलिखित जोड़कर उक्त परिपत्र संशोधित किया जाय ।

"विद्यमान स्वचालित बाइंडिंग मशीनों के उन्नयन के लिए इलेक्ट्रॉनिक यार्न क्लीअरर्स "

(ii) प्रोउनियों की ब्याज प्रतिपूर्ति की पात्रता

प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत पुनर्दाएगी अवधि बढ़ाकर 10 वर्ष किए जाने के सरकार के निर्णय के परिणाम स्वरूप (2 वर्ष ऋणस्थगन + 8 वर्ष पुनर्दाएगी) पिछले 8 वर्ष की पुनर्दाएगी अवधि से (2 वर्ष ऋणस्थगन अवधि + 6 वर्ष की पुनर्दाएगी अवधि)

यह स्पष्ट किया जाता है कि वे वस्त्र इकाईयाँ पुनर्अदाएगी के नवीन समयावधि/पुनर्अदाएगी के अवधि के 10 वर्ष तक बढ़ोत्तरी के बावजूद ब्याज प्रतिपूर्ति की हकदार (पात्र) बनी रहेंगी बशर्ते वह प्रौ.उ.नि. योजना के सामान्य वित्तीय मानकों में किए गए सुधार के सामान्यतः अनुरूप हो। पैरा III 1-(डी) (iii) (ए) संबंधी जी आर, टफ्स पर उसी दशा में जब ऋण को अदा करने में आ रही मुश्किलों अथवा ऋण अदाएगी की चूक के मद्देनजर ही लागू होगा।

(3) अं.मं.सं.स. की दिनांक 13 जून 2001 को हुई 9 वीं बैठक में लिए गए निर्णय :-

(i) फ्लॉक फैब्रिक प्रोसेसिंग मशीनें

अं.मं.सं.स. ने निम्नलिखित फ्लॉक फैब्रिक प्रोसेसिंग मशीन को अनुलग्नक एफ-1 एवं एफ-2 में शामिल करने का निर्णय लिया है :-

अनुलग्नक एफ-1 बी झ।

7. प्रेसेशन फ्लॉक कटिंग मशीन

8. सीजिंग मशीन

अनुलग्नक एफ-2, बी झ।

5. प्रेसेशन फ्लॉक कटिंग मशीन

6. सिजिंग मशीन

(ii) हस्क फायर्ड बॉयलर :-

अं.मं. सं. स. ने निर्णय लिया है कि हस्क फायर्ड बॉयलर अनुलग्नक एफ-1, एफ-2, एफ-3 एवं एफ-4 (उपयोगी एवं अन्य वस्तुएँ) तेल/गैस फायर्ड बॉयलर/कोल फायर्ड बॉयलर सहित इस शर्त के साथ कि इनमें अतिरिक्त गुणधर्म होना चाहिए जैसे - न्यूमेटिकली कन्ट्रोल्ड फिल्टर मैकेनिज्म, इलेक्ट्रो-स्टेट प्रेसीपीटेटर एवं माइक्रो इस्ट कलेक्टर्स जिससे बॉयलर से बाहर आने वाली फ्लू गैस से वातावरण सुरक्षित रहे और यह पार्टी की जिम्मेदारी होगी कि वह संबंधित पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड से आवश्यक क्लीयरेंस (निकासी) प्राप्त करें।

(iii) प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत बेहतर मेटल फ्रेम हैण्डलूम को शामिल करना :-

अं.मं. सं. स. ने निम्नलिखित बेंच मार्क को बेहतर मेटल फ्रेम हैण्डलूम के लिए स्वीकार किया है और निर्णय लिया है कि अनुलग्नक "सी" से "नीटिंग" के बाद एक नई उप श्रेणी को डी-1 के रूप में जोड़कर निम्न प्रकार से उसमें प्रवृष्टि की जाए :-

"सीसी. हैण्डलूम

1. अर्धस्वचालित सामान्य फ्रेम हैण्डलूम जिसकी कम से कम चौड़ाई 52" हो अथवा बिना डॉबी/जैकार्ड और चिन्हित (बेंचमार्कड) प्रौद्योगिकी विशेषताओं जैसे - टेक आफ मोशन, स्मूथ स्ले मूवमेन्ट, बडी शटल एवं बॉबिन (कम से कम 4") नकारात्मक लेट ऑफ मोशन/इसमें सम्बद्ध होने वाले जोड़नारों में मल्टीपल वेफ्ट बुटा मेकेनिज्म, पिक एवं पिक स्लाइडिंग शटल बाक्स, शालिड बार्डर वीविंग कैचकार्ड अटैचमेन्ट सम्मिलित हैं। फ्रेम लूम को 1/2" 1x3" स्टील भू चैनल अथवा स्टील पाईप 2 1/2" व्यास एवं 8 गेज अथवा स्टर्डे वूड जो कम से कम 4" चौड़ा x4" x 6' ऊंचा हो। लुमों (करघों) के पास लकड़ी अथवा स्टील का बना क्लैथ रोलर एवं अतिरिक्त रैप हो सकता है जिससे अपेक्षाकृत अधिक लम्बाई के कपड़े की बुनाई की जा सके।"

(4) आयातित मरम्मत की हुई कम्प्यूटराइज्ड फ्लैट बेड नीटिंग मशीन की पात्रता :-

अं.मं. सं. स. ने आयातित मरम्मत की हुई कम्प्यूटराइज्ड फ्लैट बेड नीटिंग मशीन को बुनाई उद्योग के रूप में शामिल करने और साथ ही उक्त मशीन के पैरा 3.2 (2) में अतिरिक्त

प्रवृष्टि के रूप में शामिल करने और प्रौ.उ.नि.योजना के संकल्प के अनुलग्नक डी-1 के रूप में भी शामिल करने का निर्णय लिया है । तदनुसार उपरोक्त पैरा को निम्नानुसार संशोधित किया गया है :-

पैरा 3.2 (2) में निम्नलिखित प्रवृष्टि करने के लिए कम्प्यूटराइज्ड फ्लैट बेड नीटिंग मशीन जिनकी कम से कम गति 10 चक्कर प्रति मिनट एवं जो 5 वर्ष पुरानी हों तथा जिनकी कार्यरत रहने की शेष अवधि कम से कम 10 वर्ष हो ।

मौजूदा प्रवृष्टि 3 अनुलग्नक डी-1 : सी नीटिंग के लिए उसको निम्न प्रकार संशोधित किया गया है ।

"3 कम्प्यूटराइज्ड फ्लैट बेड नीटिंग मशीन जिसकी गति "चक्कर प्रति मिनट नयी मशीन के लिए एवं 10 चक्कर प्रति मिनट पुरानी अनुमेय मरम्मत की हुई मशीनों के संबंध में लागू होगा ।"

5. 10 वर्ष तक पुराने एयर जेट करघें :-

अं.मं. सं. स. ने निर्णय लिया है कि 10 वर्ष तक पुराने एयर जेट करघों (मौजूदा 5 वर्ष पुराने) को शामिल करने की अनुमति दी है और तदनुसार मौजूदा पैरा 3.2 (2) (ए) एवं 3.2 (2) (बी) को निम्नानुसार संशोधित किया गया है :-

"3.2 (2) (ए) - ऑटो कोनर्स एवं वाटर जेट शटल रहित करघे जो 5 वर्ष पुरानी हो और जिनकी बची हुई कार्याविधि 10 वर्ष हो ।"

"3.2 (2) (बी) एयर जेट, प्रोजेक्टाइल एवं रैपियर शटलरहित करघे जो उच्च गति युक्त अथवा रहित होते हुए डायरेक्ट बीम रैपर क्रील सहित एवं/अथवा सेक्सनल रैपिंग मशीन जो ऑटो स्टॉप एवं टेंशन कन्ट्रोल सहित हो और जो 10 वर्ष तक पुरानी हो और जिसकी बची हुई कार्यवधि 10 वर्ष हो ।"

6. लघु बुनाई इकाई के मामलों में मध्यम स्तर पर उन्हें क्रमबद्ध करने एवं प्रौ.उ.नि. संबंधी सहायता प्राप्ति हेतु आन्तरिक रूप से बुनाई की तैयारी में सामंजस्य स्थापित करने की दृष्टि से मानकों में दिए जाने वाली छूट :-

अं.मं. सं. स. ने लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों के मामलों में मध्यम स्तर पर उन्हें क्रमबद्ध करने एवं प्रौ.उ.नि. संबंधी सहायता प्राप्ति हेतु आन्तरिक रूप से बुनाई की तैयारी में सामंजस्य स्थापित करने की दृष्टि से मानकों में दिए जाने वाली छूट ऐसे मामलों में जिन इकाइयों ने योजना के प्रारम्भ के समय प्लान्ट एवं मशीनरी में अधिकतम रूपये 3 करोड़ तक का निवेश किया हो और तदनुसार मौजूदा प्रवृष्टि पैरा 4.4 (ए), । (ii) को निम्नानुसार संशोधित किया गया है ।

"4.4 (ए), । (ii) पात्र तकनीकी स्तर के कम से कम बुनाई की क्षमता के अनुरूप आन्तरिक बुनाई की तैयारी होनी चाहिए । यद्यपि 32 इकाइयों के मामलों में जिन्होंने प्लान्ट एवं मशीनरी में रु.3.00 करोड़ तक का निवेश किया हुआ है उनके लिए यह शर्त ऐच्छिक है अनिवार्य नहीं । लघु औद्योगिक इकाइयों के मामले में आन्तरिक बुनाई की तैयारी अनिवार्य नहीं है ।"

7. पावरलूम की कम से कम निर्धारित चौड़ाई 165 से.मी (65") से 140 से.मी. (55") चौड़ाई, विकेन्द्रीकृत पावरलूम इकाईयों के मामले, जो मुख्यरूप से सिल्क साड़ियों, धोती एवं लुन्गी के उत्पादन से जुड़े हैं और उनके उत्पादन की लाइनें बदलने की सम्भावना नहीं है ।

सिल्क साड़ियों, धोती एवं लुन्गी इत्यादि के उत्पादन से जुड़े मामलों में, 140 से.मी. चौड़ाई से.मी. ऑटोमेटिक करघे ज्यादा उपयुक्त हैं क्योंकि ज्यादा चौड़े करघे जो ऐसे उत्पादनों से जुड़े हैं वे करघे की ज्यादा चौड़े एवं नुकसान होने के कारण पर्याप्त नहीं है ।

अं.म.सं.स. ने करघे की कम चौड़ाई संबंधी अर्धस्वचालित/स्वचालित करघों के 140 से.मी. मौजूदा लघु औद्योगिक इकाईयाँ जो विशिष्ट रूप से सिल्क साडी, धोती एवं लुन्गी के उत्पादन से जुड़े उनके उक्त लाइन को बदलने की कम सम्भावना हैं । तदनुसार मौजूदा प्रवृष्टि 3 एवं 3 बी अनुलग्नक डी-1(बी) के तहत निम्न प्रावधानों को समाविष्ट करते हुए संशोधित किया गया है :-

" बशर्ते बुनाई की पुजीकृत लघु औद्योगिक इकाईयाँ जो सिल्क की साड़ियों, धोतियों एवं लुन्गीयों के उत्पादन से जुड़े और साथ ही वें अपनी उत्पादन लाइन को नहीं छोड़ने का इरादा नहीं है उन्हें उपरोक्त तकनीकी मानकों सहित कम से कम 140 से.मी. की चौड़ाई वाले करघे (लूमस) प्राप्ति की अनुमति है "

8. "वस्त्र की छपाई हेतु थीन हाइड्रो कार्बन वैपर रिकवरी प्लान्ट" का शामिल किया जाना :-
अं.म.सं.स. ने "वस्त्र की छपाई हेतु थीन हाइड्रो कार्बन वैपर रिकवरी प्लान्ट" को अनुलग्नक एफ-1 एवं एफ-2 में क्रमशः बी iv 12 एवं बी iv7 के रूप में शामिल किए जाने का निर्णय किया है ।

9. फ्लेक्स मशीनरी का शामिल किया जाना :-

अं.म.सं.स. ने निम्नलिखित मशीनरी को फ्लेक्स स्पीनिंग हेतु अनुलग्नक बी के अन्तर्गत बी के बाद वूल स्काउरिंग, कॉम्बिंग एवं स्पीनिंग मशीनरी के वर्स्टेड सिस्टम ऑफ स्पीनिंग हेतु सम्मिलित करने का निर्णय लिया है :-

" बीबी फ्लेक्स स्पीनिंग हेतु मशीनरी :-

1. फ्लेक्स हैक्लिंग मशीन
2. फ्लेक्स के लिए ड्रॉइंग मशीन
3. फ्लेक्स के लिए रोबिंग मशीन
4. फ्लेक्स के लिए वेटरिंग फ्रेम
5. फ्लेक्स के लिए ऑटो वाइंडिंग मशीन"

10. लेबल प्रिंटिंग मशीन का समावेश

अंमसंस ने अनु. क्र. 4 पर परिशिष्ट "ई" में वर्तमान प्रविष्टि को निम्नानुसार संशोधित करके लेबल प्रिंटिंग मशीनों को समाविष्ट करने का निर्णय लिया है :-

"ए. 44 कम्प्यूटर लेबल बनानेवाली मशीन / कम्प्यूटर से लेबल प्रिंटिंग मशीन"

11. बुनाई के लिए उच्च गति कम्प्यूटरीकृत वार्पिंग मशीन की पात्रता ।

समिति ने परिशिष्ट डी - 1 के सी -4 पर वर्तमान प्रविष्टि "सी - 4" को "सी. 4 (ए)" के रूप में पुनः क्रमांकित करने के पश्चात उप प्रविष्टि 4 (बी)के रूप में मद बुनाई के लिए उच्च गति कम्प्यूटरीकृत वार्पिंग मशीन को समाविष्ट करने का निर्णय लिया है ।

12. तकनीकी वस्त्रों के विनिर्माण के लिए निम्नलिखित मशीनों का समावेश ।

समिति ने तकनीकी वस्त्र इकाइयों की संस्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उसी तरह प्रोउनियों के अन्तर्गत सहायता का लाभ उठाते हुए विद्यमान इकाइयों का आधुनिकीकरण करने के लिए तकनीकी वस्त्रों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त निम्नलिखित मशीनों का परिशिष्ट डी - 1 में निम्नानुसार अन्तर्भाव करके समावेश करने का निर्णय लिया है :-

1. "ए. 3 पर नए मद के रूप में स्पूलिंग मशीन"
2. "बी. 4" पर नए मद के रूप में "सर्वो ड्राइव के साथ नियंत्रण इकाई "
3. "डी. 8" पर नए मद के रूप में हीट सेटिंग मशीन तथा स्ट्रेचिंग"
(हीट सेटिंग टेबल के लिए")
4. "जी. 8" पर नए मद के रूप में "फेल्टपर्म "
5. "जी. 9" पर नए मद के रूप में ई डब्ल्यू ई के साथ पॉईट पेपर डिजाइन पद्धति"

(श्रीमती शशी सिंह)
निदेशक

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
पो.बै. सं. 11 500, मुंबई : 400 020.
फैक्स सं.022-2002495, E-mail: texcomindia@txcindia.com
Website : www.txcindia.com

सं. 28(19)/2003-एम.एस/

दिनांक : 31 जुलाई, 2001

परिपत्र सं. 2
(2001-2002 श्रृंखला)

विषय : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो.)

1. नोडल अभिकरणों द्वारा अतिरिक्त बैंकों/वित्तीय संस्थानों का सहयोजन ।

स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी), प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत लघु वस्त्र उद्योग के लिए नोडल अभिकरण (नोअ) ने दिनांक 18/7/2001 के पत्र संख्या द्वारा प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत लघु वस्त्र उद्योग के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त दो बैंकों को सहयोजित किया है ।

1. सूरत नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लि. सूरत
2. सोलापुर नागरी औद्योगिकी सहकारी बैंक लि. , सोलापुर

2. रूई जिनिंग तथा प्रेसिंग क्षेत्र की प्रौ.उ.नि.यो. में वापसी :- वस्त्र मंत्रालय ने दिनांक 25/7/2001 के पत्र सं.28/12/2001-सिटी-1 द्वारा सूचित किया है कि रूई जिनिंग तथा प्रेसिंग क्षेत्र प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो.) में तत्काल प्रभाव से वापस लाया जाता है, इस शर्त पर कि रूई जिनिंग एवं प्रेसिंग इकाई के पास या तो प्रौ.उ.नि.यो.के अंतर्गत अथवा रूई संबंधी तकनीकी मिशन (टीएमसी) के अंतर्गत लाभ उठाने का विकल्प है, दोनों के अंतर्गत नहीं ।

कृपया इसे सभी संबंधितों के ध्यान में लाएँ ।

(श्रीमती शशी सिंह)
निदेशक

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
पो.बै. सं. 11 500, मुंबई : 400 020.
फैक्स सं.022-2002495, E-mail: texcomindia@txcindia.com
Website : www.txcindia.com

सं. 28(19)/2003-एम.एस/

दिनांक : 11 अक्टूबर,2001

परिपत्र सं. 3
(2001-2002 श्रृंखला)

विषय : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो.)

1. प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत विस्कोज स्टैपल फाइबर का समावेश :

प्रौ.उ.नि.यो. पर अंतर मंत्रालयीन संचालन समिति (अंमंसंस) के इसकी दिनांक 13 जून,2001 को संपन्न बैठक में अनुमोदित किया कि चूँकि विस्कोज फिलामेंट सूत (वीएफवाई)उद्योग प्रारंभ से प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत समाविष्ट है, केवल अन्य सेल्सुलोसिक फाइबर क्षेत्र, यथा विस्कोज स्टैपल फाइबर (वीएएसएफ) को भी प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो.) के अंतर्गत समाविष्ट किया जाए । तदनुसार वीएसएफ भी प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत लाया गया है ।

2. नोडल अभिकरणों द्वारा अतिरिक्त बैंकों/वित्तीय संस्थानों का सहयोजन ।

(क) इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (आई डी बी आई), प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत लघु वस्त्र उद्योग के लिए नोडल अभिकरण (नोअ) ने दिनांक 27 सितंबर,2001 के पत्र द्वारा प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत लघु वस्त्र उद्योग के लिए तीन अतिरिक्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सहयोजित किया है :

i) बैंक ऑफ महाराष्ट्र लि.

ii) सिटी बैंक

iii) सिंडिकेट बैंक

(ख) इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (आई एफ सी आई), प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पटसन उद्योग के लिए नोडल अभिकरण (नोअ) ने दिनांक 1 अक्टूबर,2001 के पत्र द्वारा प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत पटसन उद्योग के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को सहयोजित किया है ।

कृपया इसे सभी संबंधितों के ध्यान में लाएँ ।

(श्रीमती शशी सिंह)
निदेशक

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय
पो. बै. नं. 11500: मुंबई-20

सं. 28/19/2001-एम.एस/

दिनांक : 2/11/2001

परिपत्र संख्या 4
(2001 2002 श्रृंखला)

विषय : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना { प्रौ. उ. नि. यो. }

अन्तर मंत्रालय निर्वाचन समिति आइ.एम.एस.सी की दिनांक 23 अक्टूबर 2001 को हुयी दसवीं बैठक में लिये गये निर्णय :

1. कैपटिव पावर प्लांट की कवरेज (सी.पी.पी.) स्टैन्डएलोन आधार पर :

यह निर्णय लिया गया है कि वस्त्र/जूट इकाइयों द्वारा विनिर्माण सुविधा के संबध में टफ्स के मद्देनजर पहले ही तकनीकी उन्नयन हेतु किये गये निवेशों को कैपटिव पावर प्लांट सी.पी.पी. के अंतर्गत सम्मिलित किया जाये तथा यह भी निर्णय लिये गया कि सी.पी.पी. को टफ्स के जी.आर. के पैरा 3.3 (1) (डी) से हटाकर उसे पैरा 3.3 (2) जी के रूप में एफ के बाद निम्नवत शामिल किया जाये :

अन्य अर्हक निवेश :

पैरा 3.3 (2) निम्नलिखित सुविधाओं के आवश्यक उपस्कर सहित, संस्थापन में किया गया निवेश :

जी) टफ्स ऋण स्टैन्ड एलोन योजना का लाभ उठाने वाली इकाइयों के कैपटिव पावर प्लांट/वी.पी.पी. स्टैन्ड एलोन आधार, केवल उन्हीं इकाइयों पर लागू होता है जिनको मुख्य प्लांट एवं मशीनरी टफ्स मानक के अनुरूप हैं तथा जो टफ्स के अंतर्गत ऋण के लिये पात्रता रखते हैं ।

फिर भी सी.पी.पी. पर पहले से ही किये गये निवेश टफ्स के अंतर्गत मान्य नहीं है ।

2. टफ्स के अंतर्गत ऋणों की चुकौती अवधियों के पुर्ननिर्धारण के परिणामस्वरूप ब्याज की प्रतिपूर्ति की पात्रता :

यह निर्णय लिया गया कि टफ्स के अंतर्गत ब्याज की प्रतिपूर्ति, ऋण की चुकौती के लिये बढ़ायी गयी/पुननिर्धारित अवधि, अधिकतम 10 वर्ष तक होगी, जिसमें अधिस्थगन

काल सम्मिलित है । यह उपलब्ध रहेगा, यदि इस पुर्ननिर्धारण को संबंधित नोडल एंजेन्सी कोआप्टेड एंजेन्सी द्वारा मंजूरी दी गयी हो ।

3. निम्नलिखित मशीनों को पात्र मशीनों के रूप में सम्मिलित करना :

1. रेशम का कचरा प्रकमण की पुरानी मशीन :

यह निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित मशीन को टफ्स के दिनांक 31/3/1999 के जी.आर. के पैरा 3.2 (2)में अलग प्रविष्टि के रूप में निम्नलिखित एफ के तौर पर सम्मिलित किया जायेगा :

ए) पैरा 3.2 (2) (एफ)

निम्नलिखित रेशम कचरा से टॉप्स बनाने वाली दस वर्ष तक पुरानी मशीन, कम से कम दस वर्ष तक की बची कार्य अवधि :

1. कम्प्यूटराइज्ड रेशम कचरा काटने की मशीन
2. कार्डिंग मशीन रेशम के कचरा को प्रकमण हेतु साफ करने वाले रोलर सहित
3. उच्च गति का ड्रा फ्रेम /जिल बाक्स

4. रेशम की काम्बिंग हेतु रेक्टिलिनियर काम्बर

बी) टफ्स के दिनांक 31/3/1999 के जी.आर. का अनुलग्नक बी

(i) मद को निम्नवत संशोधित किया जाये :
एफ मशीनें रेशम का कचरा प्रकमण/कटाई के लिये

(ii) मद एफ । (III) को निम्नवत संशोधित किया जाये :

(III) कम्प्यूटराइज्ड रेशम कचरा कटिंग मशीन

2. पांच (5) टी.पी.एच. क्षमता का प्लूडाइज्ड वेड कोल फायर्ड ब्वाइलर:

यह निर्णय लिया गया है कि अनुलग्नक एफ-1 , एफ-2 एवं एफ -3 के (बी) (1) एवं अनुलग्नक एफ -4 के बी (III) में की गयी प्रविष्टियों के शीर्ष उपयोग एवं अन्य को निम्नवत बदला जायेगा :

तेल/गैस फायर्ड ब्वायलर एवं कौल फायर्ड ब्वायलर, नियंत्रित फिल्टर मैकेनिज्म बिजली चलित प्रेसी पिटेटर और सूक्ष्म धूल संग्राहक सहित

यद्यपि के, पलूडाइज्ड बेड कोल फायर्ड, ब्वायलर, जिनकी क्षमता 5 (पांच) टन प्रति घंटा होगी तथा जिसमें मल्टीपिल साइक्लोन सेपरेटर चीमनी एंव मैकेनिकल प्लाई एश सेपरेटर उपस्कर से धूल इकट्टा करने वाला यन्त्र लगा होगा , वे भी इसके पात्र होंगे । कम क्षमता युक्त ब्वायलर, जो की एक से अधिक न हो वे भी विशिष्ट इकाई के लिये पात्र होंगे । बशर्ते , ये सभी संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से शुद्धता प्रमाणपत्र प्राप्त किये हों ।

(III) पुरानी कसीदाकारी मशीन को आयात करने के लिये पात्रता :-

यह निर्णय लिया गया कि उन पुरानी आयाति कसीदाकारी मशीनों को इनमें शामिल किया जाये जो कि अनुलग्नक डी -1 के क्रम सं -14 बी. 14 में दिये अनुसार टफ के अंतर्गत आने के लिये मशीनें दस वर्ष से पुरानी नहीं होनी चाहिये और उनकी बाकी बची कालावधि कम से कम दस वर्ष और होनी चाहिये । तदनुसार टफ्स दिनांक 31/3/1999 के जी.आर. के पैरा 3.2 (2) (जी) में निम्नानुसार नयी प्रविष्टि की गयी है :

3.2 (2) (जी) कपड़ों की कसीदाकारी मशीन जो कि दस वर्ष से पुरानी न हो तथा जिनकी बाकी बची कालावधि कम से कम दस वर्ष होनी चाहिये ।

(!V) वार्प एंव रेशल बुनाई की ठीक की गयी आयातित मशीन की पात्रता :

यह निर्णय लिया गया है कि वार्प एंव रेशल बुनाई की ठीक की गयी आयातित मशीन को पात्र माना गया है । तदनुसार टफ दिनांक 31/3/1999 के जी.आर. में पैरा 3.2 (2) में एच के रूप में निम्नलिखित सम्मिलित की गयी है :

3.2 (2) (एच) वार्प एंव रेशल मशीन जो दस वर्ष से ज्यादा पुरानी नहीं हो और जिनकी बाकी बची कालावधि दस वर्ष से कम न हो, इसमें बुनाई की ऐसी मशीन शामिल हैं ।

(श्रीमती शशी सिंह)
निदेशक

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय
पो.बै.सं. 11500, मुंबई-20

मि. सं. 28(19)/2000/एम.एस./

दिनांक:02 जनवरी, 2002

परिपत्र सं. 5
(2001-2002 श्रृंखला)

विषय: प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यों)

वस्त्र एवं पटसन के लघु उद्योगों को विकल्प उपलब्ध कराना : -

वस्त्र मंत्रालय ने दिनांक 27 दिसम्बर, 2001 के पत्र सं. 28/21/2001सी. टी. । द्वारा सूचित किया जाता है कि सरकार ने प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौउनियों) के अंतर्गत वस्त्र एवं पटसन लघु उद्योगों को तत्काल प्रभाव से अपफ्रन्ट क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी या विद्यमान 5% व्याज प्रतिपूर्ती का विकल्प उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है ।

यह सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए ।

(श्रीमती शशी सिंह)
निदेशक

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय
पोस्ट बैग नं. 11500, मुम्बई -20.

फैक्स नं. 022 -2002495

सं. 28(19)/2000-मा.अ./458

दिनांक : 19/02/2002

परिपत्र सं. 6
(2001 - 2002 श्रृंखला)

विषय : आई.एम.एस.सी.द्वारा इसकी दिनांक 15/02/2002 को संपन्न 11 वीं बैठक में अनुमोदनानुसार वस्त्र तथा पटसन लघु उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी (सी.एल.सी.एस. टी.यू.एफ.एस.) के परिचालन संबंधी मार्गदर्शक तत्व ।

1. सरकार ने वस्त्र उद्योगों तथा पटसन उद्योगों की लघु इकाइयों को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रो.उ.नि.यो.) के अन्तर्गत या तो 12% क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी अथवा वर्तमान 5 % ब्याज प्रतिपूर्ति का लाभ उठाने का विकल्प देने का निर्णय लिया है ।
2. प्रस्तावित विकल्प निम्नलिखित खंडों क लघु उद्योग वस्त्र तथा पटसन उद्योगों तक विस्तारित किया जायेगा, जो पहले ही प्रो.उ.नि.यो. के अंतर्गत समाविष्ट है, यथा :-
 - (क) रुई जिनिंग एवं प्रेसिंग
 - (ख) वस्त्रोद्योग, जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट हैं :-
 1. रेशम रीलिंग तथा टिविस्टिंग
 2. ऊन स्कोरिंग तथा कोम्बिंग
 3. सिंथेटिक फिलामेंट यार्न टेक्चराइजिंग, क्रिम्बिंग एवं टिविस्टिंग
 4. कताई
 5. विस्कोज फिलामेंट यार्न (वी.एफ.वाई.) तथा विस्कोज स्टैपल फाइबर (वी.एस.एफ.)
 6. बुनाई , गैर - बुने हुये सहित निटिंग कपड़े - कढ़ाई तथा तकनीकी टेक्सटाईल
7. सिले सिलाये वस्त्र / तैयार कपड़े निर्माण
8. रेशों, धागों, कपड़ों सिले सिलाये वस्त्रों एवं निर्मित वस्त्रों को प्रोसेस करना ।

(ग) पटसन उद्योग

3. सी.एल.सी.एस. -टी.यू.एफ.एस. 1 जनवरी ,2002 से 31 मार्च, 2004 तक चालू रहेगी । नोडल अभिकरणों / सहयोजित प्रा.ऋ.सं. द्वारा योजना की अवधि की अंतिम तिथि तक मंजूर कर्ज पर 12 % पूंजी सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे ।
4. योजना के अंतर्गत पात्रता निर्धारित करने के लिये प्रौ.उ.नि.यो. की तकनीक तथा अन्य मापदंड सी.एल.सी.एस. -टी.यू.एफ.एस. पर समान रूप से लागू हैं ।
5. प्रौ.उ.नि.यो. में निहित मानकों के अधीन, वस्त्र तथा पटसन क्षेत्रों के लघु उद्योग की परिभाषा के अधीन औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार उन लघु उद्योगों के लिये निश्चित परिभाषा के अनुसार होगी । तथापि एस.एस.आई पंजीयन सी.एल.सी.एस.- टी.यू.एफ.एस. के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिये पहले आवश्यक नहीं है ।
6. सी.एल.सी.एस. - टी.यू.एफ.एस. के अंतर्गत पूंजी सहायता केवल उन्हीं परियोजना के लिये उपलब्ध होगी, जहाँ नोडल अभिकरणों एवं इसके सहयोजित प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों द्वारा आवधिक ऋण मंजूर किये गये है ।
7. प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत पात्र निवेश पर 12 % की पूंजी सहायता की गणना की जायेगी तथा लाभ ग्राही इकाई को यथानुपात आधार पर प्रौ.उ.नि.यो. के लिये मंजूर कर्ज के वितरण के साथ प्रदान किया जायेगा । पूंजी सहायता का योग निकालने के लिये मेसर्स कखगं लि. का काल्पनिक उदाहरण निम्नानुसार है :-

मेसर्स कखग लि.

रु. लाख में

परियोजना की लागत			वित्त का श्रोत
जमीन	10.00	पूंजी	24.60
भवन	20.00	सहायता	8.60
संयंत्र तथा मशीनें	60.00	आवधिक कर्ज	67.00
परिचालन पूर्व खर्च	3.00	योग	100.00
कार्यकारी पूंजी मार्जिन	7.00		
योग	100.00		
प्रौ.उ.नि.यो.के अंतर्गत पात्र निवेश	30.00		
12 % दर से अनुदान	8.40		

8. पूंजी सहायता का गलत उपयोग रोकने एवं चुकौती के लिये प्रेरित करने हेतु पूंजी सहायता बैंकों / वित्तीय संस्थानों द्वारा बिना ब्याज के अवधिक ऋण की चुकौती अवधि सहायता राशि को छोड़कर निकाली जायेगी तथा सहायता लाभग्राही के आवधिक ऋण राशि के समक्ष तीन वर्ष तक बंद अवधि के बाद पूंजी सहायता देने के निबंधनों के अनुसार समायोजित की जाएगी । कर्जदार की कोई प्रत्यक्ष या वास्तविक वित्तीय नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसके बराबर छूट कर्ज की राशि तक बढ़ा दी गई है ।

मेसर्स क ख ग लि. के कर्ज की राशि का काल्पनिक मामलो परिशिष्ट - I पर दिया गया है ।

9. आशा की जाती है कि पूंजी सहायता का लाभ उठाने वाली औद्योगिक इकाई पूंजी सहायता के वितरण की तिथि से कम से कम तीन वर्ष पहले चालू हो । यदि किसी इकाई का उत्पादन तीन वर्ष की अवधि से पहले बंद हो जाता है । (ऐसे मामलों को छोड़कर , जहाँ इकाई के नियंत्रण से परे स्थितियों, यथा कच्चे माल, ऊर्जा की कमी आदि , से कुछ अवधि हेतु अर्थात् तीन माह से कम अवधि के लिए इकाई बंद रही है) तो औद्योगिक इकाई को प्राप्त सरकारी पूंजीगत सहायता वितरण की तिथि से वापसी की तिथि तक ब्याज सहित वापस करनी होगी । ब्याज दर दंड-स्वरूप कार्रवाई करते समय संबंधित प्रा.ऋ.सं.का सर्वाधिक कर्ज दर होगा । बैंक वित्तीय संस्थान की पूंजीगत सहायता एवं ब्याज औद्योगिक इकाई से वसूल करने तथा उक्त सरकार को लौटाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे ।
10. यदि यह पाया गया कि सरकार से पूंजीगत सहायता गलत जानकारी के आधार पर प्राप्त की गई है तो औद्योगिक इकाई को प्राप्त सरकारी पूंजीगत सहायता वितरण की तिथि से वापसी की तिथि तक ब्याज सहित लौटानी होगी । ब्याज दर पर दंड स्वरूप कार्रवाई करते समय संबंधित प्रा.ऋ.सं. का सर्वाधिक कर्ज दर होगा । बैंक वित्तीय संस्थान पूंजी सहायता एवं ब्याज औद्योगिक इकाई से वसूल करने तथा उक्त सरकार को लौटाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे ।
11. सभी सहयोजित प्रा.ऋ.सं. नों को इस योजना के अंतर्गत पूंजी सहायता प्राप्त करने के लिए सिडवी के साथ सामान्य करार करना होगा, वह इस तथ्य को ध्यान में लिए बिना कि क्या सिडवी से पुनः वित्तीय सहायता उनके द्वारा प्राप्त की गई है अथवा नहीं ।
12. सहायता की मंजूरी के बाद पात्र प्रा.ऋ. संस्था को भारत सरकार की ओर से संबंधित लघु उद्योग इकाइयों द्वारा तैयार किया गया करार प्राप्त होगा । पात्र इकाइयों द्वारा लघु उद्योग इकाइयों के साथ निष्पादित किये जाने वाले करार का प्रारूप परिशिष्ट-2 पर दिया गया है ।
13. नियत तिथि पर पूंजी सहायता देने के उद्देश्य से अग्रिम पैसे के रूप में निधि प्रा.ऋ.संस्था के साथ नोडल अभिकरणों द्वारा दी जाएगी । ऐसे अग्रिम राशि की मात्रा प्रा.ऋ.संस्था द्वारा सिडवी / आई.एफ.सी.आई. को त्रैमासिक आधार पर जमा सहायता के पूर्वानुमान के आधार पर प्राप्त होगी । प्रा.ऋ. संस्था को निधियों की पुनः पूर्ति पहले दिये गये निधियों के उपयोग पर निर्भर होगी । दूसरे शब्दों में, अग्रिम राशि की शेष रही राशि, यदि कोई हों, के संबंधित प्रा.ऋ.संस्था के साथ समायोजन के पश्चात, प्रत्येक तिमाही के अंत में पुनः आपूर्ति की जायेगी । सहायता राशि योजना के मार्गदर्शक तत्वों के अनुसार देना तथा निधियों की पुनः पूर्ति करने से पहले प्रमाण पत्र तैयार करना प्रत्येक प्रा.ऋ. संस्था के मुख्यालय की यह जिम्मेदारी होगी । इसके बाद, प्रा.ऋ.संस्थानों को नोडल अधिकारी के नाम का उल्लेख करना होगा, जो सहायता देने को समन्वयित करेगा तथा सिडबी /आई.एफ.सी.आई. को त्रैमासिक आधार पर ऑकडे जमा करने होंगे । सिडबी /आई.एफ.सी.आई. उनके सहयोजित प्रा.ऋ. संस्था को इस संदर्भ में आवश्यक मार्गदर्शक तत्व जारी करेंगे ।

(श्रीमती शशि सिंह)
निदेशक

मेसर्स. कखग लि.

परियोजना लागत	रु 1,00,000
वित्त का स्रोत	रु. 24,600
(क) प्रवर्तक / कर्ताओं का योगदान	<u>रु.24,600</u>
(ब) वित्त सहायता (आवधिककर्ज)	---
1. बिना ब्याज के (सहायता)	रु.8,400
2. आवधिक कर्ज (ब्याज सहित)	रु.67,000
कुल	रु.1,00,000
चुकौती	2- वर्ष के विलंबन काल के पश्चात प्रति तिमाही रु.2093.75 की 32 किश्तों में पूरी चुकौती
ब्याज की दर	त्रैमासिक आधार पर 11 %

ब्याज सहायता घटक को छोड़कर प्रभारित किया जायेगा , जो एस.एल.विविध उचिन्त में रखा जायेगा, जिस पर ब्याज नहीं लगेगा । सहायता की सीमा तक तदनु रूप कर्ज राशि पर ब्याज नहीं लगेगा ।

धारणायें

1. सहायता का दावा कर्ज के वितरण के पहले किया जाता है तथा बिना ब्याज के उचिन्त खाते में रखी जाती है ।
2. कर्ज जिसमें पूंजी सहायता शामिल है, एक मुश्त मे वितरित किया जाता है ।
3. 3 वर्षों की बंद अवधि के बाद सहायता कर्ज की राशि को समायेजित की जाती है।
4. सभी किश्तें नियत तिथि पर अदा की जाती हैं एवं कर्ज समाप्त हो जाता है ।
5. देय न देने पर कर्जदार द्वारा ब्याज अदा किया जाता है ।

कर्जदार का कर्ज खाता निम्नानुसार होगा :-

रु. 8,400.00 के सहायता घटक को छोड़कर ब्याज निकाला गया है :-

वर्ष प्रति	कुल कर्ज राशि	ब्याज वाली कर्ज राशि	प्रमुख राशि जिसकी चुकौती की गई	ब्याज जिसकी चुकौती की गई	चुकौती की गई कुल राशि	ब्याज हेतु दायित्व	कुल दायित्व
------------	---------------	----------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------	-------------

X सहायता कर्ज राशि में समायोजित

निम्नानुसार चुका दी गई कुल राशि

प्रति 2093.75 रुपये के दर पर किस्तों की संख्या : 32 तिमाहियाँ = 67,000.00 रु.

चुका दिया गया ब्याज : = रु. 43,298.75

कुल : = रु. 1,10,298.75

(परिशिष्ट - 11)

(करार, के रूप में मुद्रांकित किया जाए)

लघु वस्त्र तथा पटसन उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत क्रेडिट लिक्विड कैपिटल सबसिडी (सीएलसीएस - टीयूएफएस) प्राप्त करने के लिए करार .

यह करार ----- पर ----- वर्ष के -----में -----

इस दिन पर में -----,1956 के कंपनी अधिनियम के अंतर्गत समाविष्ट सार्वजनिक / निजि लिमिटेड कंपनी / प्रोप्रोपटरी कन्सर्न तथा जिसका ----- पर जंजीकृत कार्यालय है तथा औद्योगिक कन्सर्न होने के नाते इसमें इसके पश्चात भाग एक के लाभग्राही (जिसकी अभिव्यक्ति उत्तराधिकारियों एवं असाइन्य सहित जब तक उसके संदर्भ अथवा अर्थ के विरुद्ध न हो) उल्लेख किया गया है ।

अथवा

भागीदारी फर्म के लिए

1. श्री ----- के पुत्र, आयु ----- वर्ष -----के निवासी.
2. श्री ----- के पुत्र, आयु ----- वर्ष -----के निवासी.
3. श्री ----- के पुत्र, आयु ----- वर्ष -----के निवासी.

भागीदारी में ----- के नाम एवं संज्ञा से व्यवसाय कर रहे हैं तथा उनका कार्यालय ----- पर है भाग एक के (इसे इसमें इसके पश्चात लाभग्राही, जिसकी अभिव्यक्ति इसके / उसके / उनके कानुनी प्रतिनिधियों वारिसों, प्रशासकों, उत्तराधिकारियों / एवं असाइन्स सहित जब तक उसके विषय तथ संदर्भ के विरुद्ध न हो) उल्लेख किय गया है ।

तथा

-----,(इस में इसके पश्चात वित्तीय संस्थान / बैंक उल्लेख किया गया है)

अन्य भाग के (जिसकी अभिव्यक्ति उत्तराधिकारियों एवं असाइन्स सहित जब तक उसके संदर्भ तथा व्याख्या के विरुद्ध न हो)

जबकि :-

1. भारत सरकार ने स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (सिडवी) इंडस्ट्रीयल फाइनान्शियल कारपोरेशन ऑफ इंडिया (आई.एफ.सी.आई.) को वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो.) (इसे इसमें इसके पश्चात योजना के रूप में उल्लिखित) पटसन उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिये क्रेडिट लिक्विड कैपिटल सब्सिडी के प्रणालन के लिये तथा वित्तीय संस्थान / बैंक को योजना के अंतर्गत मंजूर अवधिक कर्ज पर पूंजी सहायता का दावा करने एवं वित्तीय संस्थान /

- बैंक द्वारा लाभग्राही को वितरित करने की अनुमति के लिये नोडल अभिकरणों (इस इसमें इसके पश्चात, एजेंट के रूप में उल्लिखित) के रूप में नियुक्त किया है।
2. लाभग्राही ने लघु उद्योगों के अंतर्गत प्रोजेक्ट संस्थापित करने के लिये वित्तीय संस्थान / बैंक से योजना के अंतर्गत रु.----- (रुपये -----) की सहायता देने का अनुरोध किया, जिसपर वित्तीय संस्थान / बैंक ने उनके तथा लाभग्राही के बीच निष्पादित करार की शर्तों तथा निबंधनों के अनुसार लाभग्राही द्वारा प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत मशीनों की खरीद में किये गये अथवा किये जाने वाले पात्र निवेश के अनुपात में कर्ज देने की मान्यता दी है।
 3. एजेन्ट ने वित्तीय संस्थान / बैंक द्वारा लाभग्राही को मंजूर पूंजी सहायता के वितरण के प्रणालन हेतु भारत सरकार के लिये नोडल अभिकरण के रूप में काम करने को सहमति प्रदान की है, तथा उक्त उद्देश्य के लिये पार्टिया निम्नलिखित विलेख में दी गई शर्तों के अनुसार करार करने को इच्छुक है।

विलेख साक्षा तथा एतद्वारा एवं पार्टियों द्वारा एवं बीच मान्य की जाने वाली शर्तें निम्नानुसार है :-

1. लाभग्राही एतद्वारा प्रतिज्ञा करता है :-
 - (क) लाभग्राही उक्त योजना के सभी शर्तों एवं निबंधनों एवं उसके साथ अनुवर्ती सुधारों / आशोधनों तथा वृद्धि का और उक्त वित्तीय सहायता की मंजूरी की शर्तों का निष्ठापूर्वक पालन करेगा तथा उन्हें पूरा करेगा।
 - (ख) लाभग्राही एजेन्ट और / भारत सरकार अथवा एजेन्ट या भारत सरकार अथवा प्रौद्योगिकी सलाहकार - सह देखरेख समिति (टी.ए.एम.सी.) / अंतर मंत्रालयीन संचालन समिति (अ.म.स.स.) द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को उस कार्य का जिस काम के लिये पूंजी सहायता मंजूर की गई है तथा मशीनें, संचन्त्र, यन्त्र, औजार, उपकरण जिन्हें प्राप्त करने के लिये सहायता मंजूर की गई है अथवा पूंजी सहायता से संबंधित या आनुषंगिक मामलों से संबंधित जानकारी एजेंट अथवा टी.ए.एम.सी. / अ.म.स.स. को अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्तियों को देगा।
 - (ग) लाभग्राही एजेंट की लिखित रूप में पूर्व अनुमति के बिना औद्योगिक इकाई का स्थान संपूर्णतः या अंशतः नहीं बदलेगा, किसी के साथ भागीदारी नहीं करेगा अथवा इसका ढांचा, विलयन एकाकीकरण या किसी भी प्रकार से नहीं बदलेगा और न ही फिक्स्ड पूंजी निवेश को समाप्त करेगा।
2. एतद्वारा पार्टियों द्वारा तथा मध्य मान्य तथा घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित में से कोई मामला, यथा
 - (क) जहाँ लाभग्राही द्वारा आवश्यक तत्व के गलत प्रस्तुतीकरण से या गलत जानकारी देकर, अथवा,
 - (ख) यदि इकाई का उत्पादन पूंजी सहायता वितरण की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर बंद हो जाता है, ऐसे मामलों को छोड़कर, जहाँ इकाई का उत्पादन उसके

नियंत्रण से परे कारणों , जैसे , कच्चे माल / उर्जा की कमी आदि के कारण तीन माह से अनाधिक अवधि के लिये बंद हो

(ग) जहाँ लाभग्राही ऊपर उल्लिखित निर्धारित विवरणी या जानकारी नहीं दे सकता :

यदि लाभग्राही इसमें निहित प्रतिज्ञाओं या योजना के समय - समय पर आशोधित शर्तों एवं निबंधनों में से किसीएक का भी उल्लंघन करता है तो लाभग्राही उक्त वित्तीय संस्थान /बैंक के विद्यमान सर्वोच्च ऋण दर पर ब्याज के साथ वित्तीय संस्थान / बैंक का लौटायेगा । लाभग्राही को दी गई पूंजी सहायता वसूल करने के लिये बैंक /वि.सं. आवश्यक सभी कदम उठायेगी , क्योंकि इसका प्रावधान एजेन्ट द्वारा किया गया है तथा

वसूली के लिए बैंक / वि.सं. को आया हुआ सारा खर्च भी लाभग्राही से वसूल किया जा सकेगा । इस तरह वसूल की गई ब्याज सहित पूंजी सहायतस सरकार को अतरित की जायेगी ।

3. योजनो के अंतर्गत इकाई /कर्जदार की पात्रता, सहायता तथा अन्य हितों के संदर्भ में एजेन्ट अथवा टी.ए.एम.सी. /अ.म.स.स. की व्याख्या / स्पष्टीकरण / निर्णय, वित्तीय संस्थासन / बैंक द्वारा कर्ज सुविधा देने से पहले या बाद में लाभग्राही पर बाध्य होगी तथा लाभग्राही एजेन्ट अथवा बैंक / वित्तीय संस्थान के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं उठायेगा ।
4. एतद द्वारा यह मान्य तथा घोषित किया जाता है कि इस विलेख पर प्रभार्य स्टैम्प ड्यूटी लाभग्राही द्वारा दिया तथा वहन किया जायेगा तथा लाभग्राही इस विलेख की शर्तों एवं निबंधनों को लागू करने से आया हुआ खर्च, यदि कोई हो, वहन करने के लिये उत्तरदायी है ।
5. जिनके साक्ष्य में लाभग्राही ने अपना सामान्य सील इस में एवं इसकी दूसरी प्रति में इसमें पहले लिखे गये दिन, माह तथा वर्ष पर जोडा गया है तथा बैंक ने यह विलेख तथा उक्त , दूसरी प्रति श्री ----- (नाम एवं पदनाम) के हाथों से निम्नानुसार निष्पादित करने के लिये पहुंचायी है ।

----- लि. का सामान्य बील इस के निदेशक मंडल के -----
के तारीख को श्री ----- तथा श्री -----
श्री ----- निदेशक , जिन्होंने उनके प्रमाण में इस विलेख में हस्ताक्षर किये हैं तथा श्री ----- सचिव / प्राधिकृत व्यक्ति, जिसने उनके प्रमाण में उक्त पर हस्ताक्षर किये है , की उपस्थिति मे उनके पक्ष में पारित संकल्प के अनुसार है ।

श्री ----- (नाम एवं पदनाम)बैंक के प्राधिकृत कर्मचारी के हाथों से बैंक के नाम से हस्ताक्षरित तथा विस्तारित किया गया ।

अथवा

1. श्री ----- के नाम से, ----- नाम के भागीदारी फर्म के भागीदार द्वारा हस्ताक्षरित तथा दिया गया ।

2. -----,, -----

3. ----- के नाम में

दिनांक के मंडल के संकल्प के अनुतरण में श्री -----

के हाथों से हस्ताक्षरित तथा दिया गया । तथा श्री -----

की उपस्थिति में सामान्य सील लगाया गया, जिन्होंने उनके प्रमाण में हस्ताक्षर किये है ।

श्री ----- प्राधिकृत कर्मचारी के हाथों से एफ.आई./ एन.एस.आई.सी. /बैंक एस.एफ.सी. के नाम से हस्ताक्षरित क्यों दिया गया ।

टिप्पणी :- लाभग्राही की ओर से किसी व्यक्ति को दस्तावेज निष्पादित करने का प्राधिकार देने वाला संगत बोर्ड संकल्प करार के साथ जमा किया जाये ।

टिप्पणी :- अंग्रेजी पाठ प्रमाणित माना जाये ।

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय
पोस्ट बैग नं. 11500, मुम्बई -20.

फैक्स नं. 022 -2002495

सं. 28(19)/2000-एम .एस./22

दिनांक :20 मार्च,2002

परिपत्र सं0 7

(2001 - 2002 श्रृंखला)

विषय : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो.)

1. नोडल अभिकरणों द्वारा अतिरिक्त बैंकों / वित्तीय संस्थानों का सहयोजना ।
 - (क) इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो प्रौ.उ.नि.यो. के तहत गैर लघु उद्योग वस्त्र क्षेत्र के लिये नोडल अभिकरण है,ने दिनांक 10/01/2002 के पत्र संख्या आई.डी.बी.आई./एच.ओ./टी.यू.एफ.एस.(6)/30 द्वारा यूको बैंक को प्रौ.उ.नि.योजना के अंतर्गत गैर लघु उद्योग वस्त्र क्षेत्र के लिये प्रा.ऋ.संस्था के रूप में सहनियोजित किया है ।
 - (ख) स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी), जो प्रौ.उ.नि.यो. के तहत गैर लघु वस्त्र उद्योग के लिये नोडल अभिकरण है, ने निम्नलिखित वित्तीय संस्थानों /बैंकों को प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत लघु वस्त्र उद्योग के लिये सहयोजित किया है :-
 - (I) नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन (एन.एस.आई.सी.) लि.
 - (II) गुजरात इंडस्ट्रियल को - ऑपरेटिव बैंक लि. सूरत
2. प्रौ.उ.नि.यो. की तकनीकी सलाहकार - सह मानिट्रिंग समिति द्वारा उनकी दिनांक 27 दिसम्बर, 2001, 29 जनवरी,2002 तथा 6 मार्च,2002 को क्रमश : संपत्र 12 वी , 13वी, 14 वीं, बैठक में स्पष्टीकरण जारी किये गये ।
 - (I) टी.ए.एम.सी. में अतिरिक्त सदस्यों का नामांकन / सदस्यों को बदलना ।
 - (क) प्रौ.उ.नि.यो.की तकनीकी सलाहकार -सह मानिट्रिंग समिति में ऑल इंडिया मॉडर्न टेक्सटाइल प्रोसेसर्स एसोशियेशन कोयम्बटूर के अध्यक्ष को सहायोजित किया ।
 - (ख) अध्यक्ष , इंडियन पावरलूम फेडरेशन , मुंबई , जो जी.टी.ए.ए. के सदस्य हैं, के स्थान पर पेडेक्सिल , मुंबई के नामांकित व्यक्ति को नियुक्त किया ।
 - (II) यार्न कताई लगाये बिना दो फोल्ड वाले टिवेस्टेड यार्न या सिजेनिंग यार्न का स्टैन्ड एलोन आधार पर उत्पादन करने के लिये पोस्ट स्पिनिंग / टिविस्टिंग यार्न प्रोसेसिंग प्लांट की व्याप्ति । प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत , यार्न कताई लगाये बिना दो फोल्ड वाले टिवेस्टेड यार्न या

सिजनिंग यार्न का स्टैन्ड एलोन आधार पसर उत्पादन करने के लिये पोस्ट स्पिनिंग / टिवस्टिंग यार्न प्रोसेसिंग प्लांट को सम्मिलित किया गया , ऐसी इकाइयों द्वारा आवश्यक संयंत्र पहले से ही प्रौ.उ.नि.यो. के जी.आर. में सम्मिलित किये गये हैं, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है :-

संयंत्र का नाम

प्रौ.उ.नि.यो. के जी.आर. में विद्यमान प्रविष्टि

- | | |
|--|---------------------------|
| (क) न्यूनतम 8000 आर.पी.एम गति की एक के लिये दो टिवस्ट ऑपरेटिंग | परिशिष्ट - बी .ए . 13 |
| (ख) 1500 या अधिक गति की स्वचलित कोन वाइंडर ऑपरेटिंग (यदि आवश्यकता हो) | परिशिष्ट - बी .ए . 11 |
| (ग) एसंबली वाइंडर्स | परिशिष्ट - बी .ए . - 11 |
| (घ) गॉसिंग मशीन | परिशिष्ट - एफ . 1, 111. 1 |
| (111) प्रौ.उ.नि.यो. के तहत रिंग फ्रेम में विद्यमान ड्राफिटिंग पद्धति के स्थान पर कापैक्ट यार्न यंत्र समाविष्ट करना । विद्यमान रिंग फ्रेम के सीटू उन्नयन में विद्यमान ड्राफिटिंग पद्धति को कापैक्ट सपिनिंग ड्राफिटिंग पद्धति में बदलकर प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत समाविष्ट किया गया है । | |
| (IV) प्रौ.उ.नि.यो.के अंतर्गत विजन शील्ड , यूनिफ्लोक एवं यूनिक्लीन की पात्रता । यह स्पष्ट किया जाता है कि सीसीडी कैमरा (विजन फील्ड) सहित विदेशी फाइबर संसूचक,स्वचलित बेल प्लकिंग मशीन (यूनीप्लोक) और कृत्रिम सफाई मशीन (यूनिक्लोन) जो विद्यमान ब्लोरुम लाइन के इक्युपमेंट हैं, प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत आते हैं । | |
| (V) प्रौ.उ.नि.यो. के तहत विभिन्न ऊर्जा बचाने वाले तथा प्रक्रिया सुधारने वाले उपकरणों / बंधनों का समायोजन । यह स्पष्ट किया जाता है कि निम्नलिखित उपकरण प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत आते हैं :- | |
| (क) ऑटो कोनो, :- बहुप्रणाली प्रीसेट यार्न लंबाई मानिटरिंग एवं रिंग स्पिनिंग के लिये नियंत्रण पद्धति , ओपेन एंड स्पिनिंग ड्राइंग फ्रेम वाइंडर्स, टिवस्टर्स , टेक्सराइजिंग एवं क्रिपिंग मशीने । | |
| (ख) रासायनिक सान्द्रण सूचक तथा नियंत्रण पद्धति इ स्काउरिंग ब्लीचिंग - मर्सराइजिंग प्रोसेसिंग मशीनों के लिये । | |
| (ग) फैब्रिक प्रोफाइल पद्धति - प्रक्रिया एवचं गुणवत्ता सुधारने के लिये ताप ठीक करने / सुखाने / परिष्करण करने के दौरान स्टेंटर मशीन की गति को मानीटर एवं नियंत्रित | |

करना ।

- (घ) लूम डाटा मानीटर -छेदेने की संख्या , विरामों की संख्या, चालू एवं डाउन टाइम , गति (छेदन प्रति मिनट) , योजनाबद्ध टुकड़े की मीटर में लंबाई तथा टुकड़ा पूर्ण करने के लिये कैसी आवश्यकता , आदि सूचित करना ।
- (ङ) फैब्रिक दोष विश्लेषक - फैब्रिक के सभी प्रकार के दोषों का पता लगाने के लिये लो कास्ट माइक्रो प्रोसेसर्स आधारित पद्धति जो दोष कहा है यथा, लूम लें , कताई में, बुनाई के दौरान आदि पता लगाने में सहायता करना है ।
- (च) कॉटन सम्मिश्रण विश्लेषक - प्रकार / आकार, फाइबर की लंबाई आदि से संबंधित अंशों का वर्गीकरण करने हेतु गुणवत्ता नियंत्रण पद्धति , जिनिंग एवं स्पिनिंग प्रक्रिया के सुधार में सहायक ।
- (छ) आर्द्रता सूचक तथा स्वचलित नियंत्रक :- फाइबर को प्राकृतिक रूप से दोबारा प्राप्त करने के फैब्रिक सुखाने के साइजिंग / स्टेंटर के आर्द्रता स्तर को नियंत्रित करने के सुखाने की स्वचलित पद्धति (साफटवेयर समेत) जो सुखाने एवं छापने के दौरान गति प्राप्त करने के लिये भी सहायक है ।
- (ज) फैब्रिक केन्द्रण तथा विस्तारण पद्धति :- टेक्सटाईल बेब्स की चुकौती मुक्त मध्य रेखा मार्गदर्शन के आश्वासन हेतु स्टियरिंग रोलर्स तथा पूर्ण चौड़े स्करोल के साथ वेब गाइडर्स ।
- (झ) स्वचलित फैब्रिक स्ट्रेटनिंग पद्धति :- जब उच्च गति पर हस्तचलित नियंत्रण असफल हो जाता है, फैब्रिक के लिये उचित वेब का प्रयोग ।
- (त) भार / डेनियर कम करने की प्रक्रिया का नियंत्रण :- सोडियम हाइड्राकसाइड घोल का उपयोग करके पॉलिस्टर तथा पॉलिएस्टर कॉटन मिश्रित फैब्रिक्स के मूल भार को कम करने की प्रक्रिया के लिये इसका संकेन्द्रण नियंत्रण पद्धति के रूप में उपयोग किया गया
- (ट) वेब मार्गदर्शक पद्धति :- पेपर, प्लास्टिक , रबर, मेटल, टेक्सटाइल आदि उद्योगों में खोलने , रिवाइंड , प्रिंटिंग , ट्रिभिंग, कोटिंग , लैमिनेटिंग फोल्डिंग , स्लिटिंग के लिये उपयोग किया जाता है ।
- (ठ) कताई तथा बुनाई के लिये स्टॉप मोशन :- इसका कार्डिंग , बाम्बर मशीन, रोलिंग फ्रेम्स / स्पीड फ्रेम्स, ड्राइंग फ्रेम्स तथा निटिंग फ्रेम्स में उपयोग किया जाता है ।
- (द) बाना संचायक :- 900 से 1500 मीटर प्रति मिनट प्रति रंग की दर से बाना सूचना के साथ वेस्ट फिडर या शटललेस बुनाई मशीनों के रूप में उपयोग किया जाता है ।
- (ध) मार्व स्टॉप मशीन यार्न निरीक्षक :- बुनाई वार्पिंग तथा बुनाई प्रक्रिया के दौरान यार्न टूटने / दोषों का पता लगाने के लिये प्रकाशिक इलेक्ट्रानिक यार्न निर्देशक ।
- (13) उत्पादन डाटा मानीटर :- रिंग एवं ओपन एंड कताई मशीनों , ड्रा फ्रेम , टिवस्टर, डबलर्स एवं कार्डल, बुनाई मशीन, शटललेस / लूम , वार्पिंग मशीन, साइजिंग मशीन , शीयरिंग मशीन एवं फैब्रिक प्रोसेसिंग मशीनों के लिये बनाए गये, निर्धारित नापी गई लंबाई नियंत्रण तथा पूर्ण - संकेत चेतावनी सहित इलेक्ट्रानिक मल्ट - शिफ्ट काउंटर ।

(14) 140 से.मी. चौड़ाई तक साधारण करघों का सी टू मे उन्नयन :- यह स्पष्ट किया जाता है कि 140 से.मी. चौड़ाई के विद्यमान साधारण करघों का अर्ध - स्वचलित शटल लूम के रूप में, जिसकी वेफ्ट स्टॉप मोशन वार्प , स्टॉप मोशन , डॉबी / जैकार्ड के बिना या साथ सकारात्मक / अर्धसकारात्मक लेट ऑफ मोशन जैसी अतिरिक्त विशेषतायें हैं, का सी टू उन्नयन को विकेन्द्रीत पावरलूम क्षेत्र में अनुमति दी गई है ।

(15) विकेन्द्रित एस.एस.आई. बुनाई क्षेत्र के लिये 12 करघों के न्यूनतम किफायती आकार का प्रतिबंध ।

प्रौ.उ.नि.यो. के.जी.आर. के अनुसार विकेन्द्रीत पावरलूम क्षेत्र की इकाइयों जो उनके विद्यमान साधारण पावरलूम का अर्ध - स्वचलित लूम के रूप में उन्नयन कर रहे है , को 12 करघों के एम.ई.एस. को प्राप्त करने के लिए नए स्वचलित करघे जोडने की अनुमति है । तथापि, विद्यमान साधारण करघों को रखकर , अर्थ - स्वचलित करघों के द्वारा 12 करघों को अनुमति नहीं है । जब इकाई विद्यमान साधारण करघों को रखती है तथा अतिरिक्त अर्ध - स्वचलित करघें लगाती है । यह सीमा निम्नलिखित पर लागू नहीं है ।

(क) नए अर्ध - चलित करघों को जोडे बिना साधारण करघों को अर्ध - स्वचलित करघों के रूप में सीटू उन्नयन ।

(ख) नई / विद्यमान इकाइया जो स्वचलित शटल लूमस या बिना शटल के लूमस लगाती है

3. अंतर मंत्रालयीन संचालन समिति की दिनांक 15 फरवरी, 2002 को संपन्न 11 वी बैठक में लिये गये निर्णय :-

(1) दिनांक : 01/04/99 के बाद प्रौ.उ.नि.यो. के तहत प्रा.उ.नि.यो. संगत परियोजना में अन्य माध्यमों द्वारा (बैंक ऋण छोडकर) किये गये निवेश का समावेश ।

01/04/1999 के बाद प्रौ.उ.नि.यो. संगत परियोजनाओं में अन्य माध्यमों द्वारा (बैंक ऋण छोडकर) किये गये निवेशो को प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत लिये गया । ऐसी इकाइयों के समावेश के लिये सामान्य मार्गदर्शक तत्व निम्नानुसार है । :-

जब तक प्रौद्योगिकी उन्नयन परियोजना प्रौ.उ.नि.यो. अवधि मे (यथा 01/04/99 के बाद अन्य माध्यमों से प्रारंभिक निधि) निष्पादित की गई तथा बेंच मार्क प्रौद्योगिकी तथा अन्य पात्रता मानक पूर्ण किये गये तथा इकाइयों ने परियोजना में उनके स्वयं के लिये निवेश करने से पहले बैंक / वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता के लिये संपर्क किया हो , अन्य माध्यमों से प्रारंभिक निधिकरण के कारण इकाई प्रौ.उ.नि.यो. के लाभ से वंचित नहीं होगी , यदि यह यथासमय उचित आवाधिक ऋण के तहत समाविष्ट हो । तथापि प्रौ.उ.नि.यो. के ब्याज का लाभ ऋण बटवारे की तिथि से होगा ।

- (II) प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत आस्थगित भुगतान की गारंटी योजना के तहत वित्तीय सहायता कराने का समावेश ।

सिद्धांततः : डी.पी.जी. मामलों के संबंध में जहां भारतीय रुपयों में भुगतान करना है उसे अनुमोदन दिया गया है । इस संबंध में वस्त्र आयुक्त का कार्यालय प्रचालन मार्गदर्शक तत्व तैयार करेगा ।

- (III) अनुप्रवाह मूल्य वृद्धि में निष्क्रिय क्षमता टालने हेतु 30 काउंट के बदले ज्यादा काउंट परिकालित अनुप्रवाह मूल्य वृद्धि मशीनरी की स्थापना ।

अब से विद्यमान इकाइयों की अनुप्रवाह मूल्य वृद्धि वास्तविक यार्न उत्पादन के वास्तविक यार्न काउंट के आधार पर निकाली जाये । वस्त्र आयुक्त के कार्यालयमें इकाइयों द्वारा जमा कि गई मासिक उत्पादन विवरण वास्तविक यार्न के काउंट के उत्पादन का आधार होगा ।

- (IV) गिल बॉक्स सहित उच्च गति ड्रॉ फ्रेम की पात्रता :-

दिनांक : 31/03/99 को प्रौ.उ.नि.यो. के जी.आर. में वर्तमान, पैरा 3.2 (2) एफ

(III) में विद्यमान प्रविष्टि यथा उच्च गति ड्रॉ फ्रेम / गिल बॉक्स" को निम्नानुसार संशोधित किया गया ।

3.2 (2) एफ (III) गिल बॉक्स के साथ ड्रॉ फ्रेम ।

- (V) रिंग फ्रेम में कोर स्थान यार्न के विनिर्माण के लिये उपकरणों की पात्रता :-

परिशिष्ट - ख क्रम सं. 18 के अंतर्गत रिंग फ्रेम में कोर स्पन यार्न के विनिर्माण के लिये उपकरण को निम्नानुसार समाविष्ट किया गया - क. 18 कोर स्पन यार्न के विनिर्माण के लिये उपकरण :

- (VI) प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत सहायोगी बैंकों से ऋण स्वीकृत के लिये सहायता, जब कुछ सहायक बैंकों को नोडल अभिकरणों द्वारा सहायोजित नहीं किया गया हो ।

सहायोगी वित्त के मामलों में, नोडल अभिकरणों द्वारा कुछ सहयोगी वित्तीय संस्थानों/ बैंकों को सहयोजित न करने के बावजूद भी प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत संपूर्ण परियोजना का समावेश किया जाना है । ऐसे मामलों में गैर - सहयोजित बैंकों द्वारा वितरित ऋण से संबंधित दावे समेत नोडल अभिकरणों को किये गये ब्याज प्रतिपूर्ति दावों को सहयोजित बैंकों के माध्यम से भेजा जायेगा । सहयोजित बैंक यह सुनिश्चित करेगी कि परियोजना , प्रौद्योगिकी व अन्य शर्तें पूरी करती है ।

- (VII) उपयोग की हुयी आयतित हाई टेक ओपन एंड मशीन का समायोजन :-

उपयोग की हुयी आयतित हाई टेक ओपन एंड मशीन को प्रौ. उ.नि.यो. के अंतर्गत पैरा 3.2 (2) (1) में अलग से प्रविष्ट करके निम्नानुसार लिया गया है । :-

"3.2(2) (1) 7500 आर.पी.एम.से अधिक गति की तथा न्यूनतम 10 वर्ष के अवशिष्ट अवधि के साथ 10 वर्ष पुरानी स्वचलित ओपन एंड कटाई मशीन ।"

(VII) दुर्बल परन्तु सक्रिय रूप से व्यवहार्य वस्त्र इकाइयों को प्रौ.उ.नि.यो. के अन्तर्गत लाना ।

उपयोग के लिए पुनर्रचना प्रस्ताव तैयार करने के दौरान वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों द्वारा नगद लाभ , प्रोत्साहक की सीमा, ऋण औचित्य अनुपात तथा संपत्ति का पुनर्मूल्यन में ढील को ध्यान में रखा जा सकता है ।

(VIII) संशोधनों / आशोधनों के फलस्वरूप प्रौ.उ.नि.यो. के अन्तर्गत ब्याज प्रतिपूर्ति की पात्रता की प्रभावी तिथि ।

सी.पी.पी. के लिए ऋण वितरण की तिथि से ब्याज प्रतिपूर्ति पात्र होगी , बशर्ते सी.पी.पी. के लिए ऋण वितरण के एक वर्ष के भीतर प्लांट एवं मशीनरी का प्रौद्योगिकी उन्नयन अमल में लाया गया हो । यदि प्लांट एवं मशीनरी प्रौद्योगिकी उन्नयन सी.पी.पी. पर स्थापन के एक वर्ष बाद अमल में लाया गया हो तो सी.पी.पी. पर ब्याज प्रतिपूर्ति पूर्व प्रभाव से केवल एक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगी । ब्याज प्रतिपूर्ति तब तक शुरु नहीं होगी जब तक उसके लिए पात्रता कायम सूस्थिति न हुई हो अर्थात् प्रौद्योगिकी उन्नयन का वास्तविक कार्यान्वयन न हुआ हो ।

(IX) वित्तीय तथा बैंकिंग मानक पूर्ण करने की क्षमता रखने वाले यार्न आपूर्ति कर्ता / प्रविण बुनकरों द्वारा दी गई सहगारंटी के बल पर लघुउद्योग पावरलूम इकाइयों को प्रौ.उ.नि.ये. ऋण का अनुदान । ऐसे मामलों पर वित्तीय संस्थानों / बैंको द्वारा निर्णय लिये जाते हैं तथात्ति, यदि ऐसे मामलों में वित्तीय संस्थानों / बैंको के द्वारा आवास ऋण दिया गया हो तो प्रौ.उ.नि.यो. के अन्तर्गत अनुमोदित मार्गदर्शक तत्वों के अनुसार लाभ मिलेंगे ।

(X) अतिरिक्त विशेषताओं वाले जैसे, हस्क फायर्ड बायलर्स के संबंध में न्यूमैटिकली नियंत्रित, फिल्टर यंत्रावली, इलेक्ट्रो - स्टेटिक प्रेसिपिटेटर एवं सूक्ष्म धूल संचयकों की शर्त में ढील ।

अतिरिक्त विशेषताओं जैसे चक्रवाती / बहु चक्रवाती उपकरण वाली 15 टी.पी.एच. से कम हस्क फायर्ड बायलर्स के संबंध में न्यूमैटिकली नियंत्रित फिल्टर यंत्रावली, इलेक्ट्रो - स्टेटिक प्रेसिपिटेटर एवं सूक्ष्म धूल संचयकों की आवश्यकता में ढील दी जाती है बशर्ते इसके लिये संबंध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विशेष अनुमोदन या ना आपत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त की जायेगी ।

(XI) प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत गैर लघु उद्योग, गैर ऊनी बुनाई इकाइयों के लिये इम - हाउस बुनाई उपक्रमात्मक शर्त में ढील ।

प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत गैर लघु उद्योग, गैर ऊनी बुनाई इकाइयों के संबंध में इन - हाउस बुनाई उपक्रमात्मक शर्त में पैरा 44(क) । (II) दी गई विद्यमान प्रविष्टि निकालकर ढील दी गई है ।

(XII) कॉम्पैक्ट यार्न विनिर्माण को एम.ई.एस. अनुबंध तथा अनुप्रवाह मूल्य वृद्धि आवश्यकता से छूट देना ।

प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत कॉम्पैक्ट यार्न विनिर्माण के लिये लगी मय इकाइयों को एम.ई.एस. के प्रतिबंध तथा अनुप्रवाह मूल्य वृद्धि से छूट दी गई है ।

(XIII) गारमेन्ट विनिर्माण के लिये "स्ट्रिंग थ्रस्टिंग मशीन ' का समावेशन गारमेन्ट विनिर्माण के लिये "स्ट्रिंग थ्रस्टिंग मशीन ' का प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत प्रौ.उ.नि.यो. के जि.आर.के परिशिष्ट - ई में निम्नानुसार समावेश किया है ।

क. 55"स्ट्रिंग थ्रस्टिंग मशीन '

(XIV) उपयोग की हुयी टो टॉप कनवर्टर का समावेश ।

इस वर्ष उपयोग की हुयी तथा दस वर्ष से अधिक अवशिष्ट अवधि वाली पुरानी "टो टॉप कनवर्टर ' को प्रौ.उ.नि.यो.के अंतर्गत प्रौ.उ.नि.यो. के जी.आर. के पैरा 3.2 (2) (ग) (vii) में नई प्रविष्टि के रूप में समावेश किया गया है ।

3.2 (2) (ग) (vii) टो टॉप कनवर्टर

(XV) उपकरण के साथ 8 एम.टी. प्रति घंटा क्षमता को फायर्ड बॉयलर की प्रौ.उ.नि.ये. के अंतर्गत पात्रता ।

बहु चक्रवाती पृथक्कारक तथा चिमनी एवं यंत्रिक फलाई एश पृथक्कारक उपकरण से धूल के संचयन के साथ 5 एम.टी. प्रति घंटा क्षमता के कोल फायर्ड बॉयलर के मामले में दी गई अनुमति के अनुसार 8 एम.टी. प्रति घंटा क्षमता के कोल फायर्ड बॉयलर को शर्तों में शिथिलता के साथ प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत समाविष्ट किया गया, बशर्ते कि संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विशेष अनुमोदन या "ना आपत्ति प्रमाणपत्र " प्राप्त की जायेगी ।

(XVI) समानान्तर बाइंडिंग मशीन का समावेश ।

टिवस्टिंग मशीन के संयोजन से समानान्तर वाइंडिंग मशीन का परिशिष्ट - ख के क्र.सं. क 19 पर निम्नानुसार नई प्रविष्टि करके समावेश किया गया है :-

क्र.सं.19 अलग नियंत्र सुविधा तथा लंबाई नापने के उपकरणों के साथ समानान्तर वाइंडिंग मशीन ।

कृपया उपरोक्त आशोधन सभी संबोधितों के ध्यान में लाये जायें ।

(श्रीमती शशि सिंह)
निदेशक

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना

परिपत्र सं. 1 से 7

(2002-2003 श्रृंखला)

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय
पो.बै.सं. 11500, मुंबई-20

मि. सं. 28(19)/2000/एम.एस./

दिनांक : 08 मई , 2002

परिपत्र सं. 1

(2002-2003 श्रृंखला)

विषय: प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यों)

1.) नोडल अभिकरणों द्वारा अतिरिक्त बैंकों/वित्तीय संस्थानों का सहयोजन ।

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पटसन उद्योग के लिए नोडल अभिकरण इंडस्ट्रीयल फायनान्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (आयएफसीआय) ने दिनांक : 26/27 मार्च, 2002 के पत्रों द्वारा पटसन उद्योग के लिए निम्नलिखित वित्तीय संस्थानों को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत सहयोजित किया ।

क) तामिलनाडु मर्कन्टाईल बैंक लि.

ख) हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.

2.) दुर्बल परंतु संभवतः जीवनक्षम इकाईयो को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत समावेश ।

दुर्बल परंतु संभवतः जीवनक्षम इकाईयों को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत लाने के संबंध में आयएमएससी द्वारा अनुमोदित तथा टीए एम सी द्वारा लिया गया निर्णय जो दिनांक 20 मार्च, 2002 के परिपत्र संख्या 7 (2001-2002 श्रृंखला) के क्रम सं. 3 (ii) द्वारा परिचालित किया गया, वह पटसन उद्योग के लिए भी लागू होगा । अतः उक्त पैरा निम्नानुसार पढ़ा जाए ।

3.(ii) दुर्बल परंतु संभवतः जीवनक्षम वस्त्र एवं पटसन इकाईयों का प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत समावेश ।

वस्त्र एवं पटसन इकाईयों के लिए पुनर्रचना प्रस्ताव तैयार करते समय वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों द्वारा नगद लाभ, प्रोत्साहनों की सीमा , ऋण औचित्य अनुपात तथा संपत्ति का पुर्नमुल्यांकन की शर्तों में शिथिलता का विचार किया जाएगा । कृपया यह सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए ।

(श्रीमती शशी सिंह)
निदेशक

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय
पो.बै.सं. 11500, मुंबई-20

मि. सं. 28(19)/2000/एम.एस./

दिनांक : 14 जून, 2002

परिपत्र सं. 2
(2002-2003 श्रृंखला)

विषय: प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यों)

दिनांक 23 मई, 2002 को मुंबई में आयोजित 14 वीं एवं 15 वीं बैठक में प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना की तकनीकी सलाहकार सह-मोनीटरिंग समिति (तसमोस) द्वारा जारी किया गया स्पष्टीकरण ।

(1) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत कॅप्टीव पावर प्लान्ट का समावेश :-

(क) स्टॅण्ड अलोन आधार पर प्रौद्योगिकी उन्नयन परियोजना के साथ लगाए गए सी.पी.पी में निवेश की उच्चतम सीमा ।

सी.पी.पी स्टॅण्ड अलोन आधार पर पात्र पी एवं एम में किसी भी प्रतिबन्ध के बिना सम्पूर्ण निवेश की अनुमति है । प्रौद्योगिकी उन्नयन परियोजना के साथ सी.पी.पी. के लिए ऐसा प्रतिबन्ध दिनांक 23.10.2001 से उठाया गया है । तथापि, घरेलु खपत सुनिश्चित करने के लिए सी.पी.पी में निवेश इकाई के समग्र वर्तमान तथा प्रत्याशित भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं के ऋणदाता अभिकरण निर्धारण तक सीमित रखा जाए ।

(ख) स्टॅण्ड अलोन आधार पर लगाए गए सी.पी.पी की पात्रता के लिए समाप्ति तिथि ।

स्टॅण्ड अलोन आधार पर सी.पी.पी का समावेश करने के लिए दिनांक 23.10.2001 को संपन्न आय एम एस सी की 10 वीं बैठक में अनुमोदन दिया गया । अतः स्टॅण्ड अलोन सी.पी.पी के लिए समाप्ति तिथि आयएमएससी की तिथि यथा 23.10.2001 समझी जा सकती है ।

(ग) स्टॅण्ड अलोन आधार पर लगाए गए सी.पी.पी की पात्रता निर्धारित करने के लिए तिथि ।

स्टॅण्ड अलोन आधार पर लगाए गए सी.पी.पी की पात्रता निर्धारित करने के लिए सी पी पी के प्रथम वितरण की तिथि को समझा जा सकता है ।

(2) टी. ए.एम.सी. द्वारा अनुमोदित वित्तीय मानदण्ड ।

(क) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत विदेशी कंपनी द्वारा धारित 100% इक्विटी के साथ परियोजनाओं की पात्रता ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि 100% विदेशी इक्विटी वाले वस्त्र/पटसन इकाईयों का प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत समावेश किया गया है ।

(ख) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना ऋण का एक बैंक/वित्तीय संस्था से दुसरी बैंक/वित्तीय संस्था में स्थानांतरण साथ ही साथ प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत एक आवधिक ऋण खाता बंद करना तथा नया सामाजिक ऋण लेना ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना ऋण खाते के अंतर्गत देय मूल राशि एक बैंक/वित्तीय संस्था से दुसरी बैंक/वित्तीय संस्था में स्थानांतरित की जा सकती है बशर्ते कि पोर्टफोलियो (अर्थात शेष मूल राशि) अपरिवर्तित रहती है और संपूर्ण चुकौती अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ती/तथापि यह सुविधा एक परियोजना के लिए केवल एक बार दी जाएगी ।

(ग) रूप्यों में आवधिक ऋण से विदेशी मुद्रा ऋण में परिवर्तन ।

स्पष्ट किया जाता है कि प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत एक बैंक /वि.स. द्वारा मंजूर रूप्यों में आवधिक ऋण अन्य सहयोजित बैंक/वि.सं. द्वारा अंतरित/अधिकार में लिया जा सकता है और उसे विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है बशर्ते कि पोर्टफोलियो अपरिवर्तित रहता है और संपूर्ण चुकौती अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ती । यह सुविधा एक परियोजना के लिए केवल एक बार दी जाएगी । तथापि परिवर्तन के बाद रूप्यों में आवधिक ऋण पर 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के स्थान पर इकाई 5% तक विनिमय दर उतार-चढाव राशि के लिए पात्र होगी, जैसा कि वि.मु. ऋण में ग्राहक है ।

(घ) सहयोजित प्रा.ऋ.सं. द्वारा उनके प्रुडेन्शियल मापदंडो के अनुसार प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत प्रौद्योगिकी मापदंडो को प्रभावित किये बिना मंजूर ऋण के लिए नोडल अभिकरण का अनुमोदन ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि नोडल अभिकरणों ने पहले ही मान्य किया है कि सहयोजित प्रा.ऋ.सं. सीधी वित्त सहायता योजना के अंतर्गत प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के प्रौद्योगिकी मापदंडों को प्रभावित किये बिना अपने प्रुडेन्शियल मापदंड निश्चित कर सकता है और उनकी पद्धति से बैंक योग्य परियोजना प्रस्तुत कर सकते हैं । नोडल अभिकरणों द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत उन परियोजनाओं को अनुमोदित करना चाहिए जो सहयोजित प्रा.ऋ.सं. द्वारा उनके अपने प्रुडेन्शियल मापदंडों के अनुसार मंजूर किये गये हों एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के प्रौद्योगिकी मापदंडों के अनुसार हो ।

(च) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत अस्थगित भुगतान गारंटी (डी.पी.जी.) योजना

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत आस्थगित भुगतान गारंटी (डी.पी.जी.) योजना के कार्यान्वयन के लिए परिचालन मार्गदर्शक तत्व निम्नानुसार है ।

1 डी पी जी योजना केवल रूप्यों में ऋण के मामले में दिनांक 23 मार्च, 2002 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत समाविष्ट होगी ।

2. डी पी जी के अंतर्गत सहायता में मुख्य उपकरण एवं मामले कभी समाविष्ट होंगे जिन में एक ही परियोजना में डी पी जी तथा साधारण अवधि ऋण दोनों समाहित हैं । तथापि, सभी मामलों में परियोजना को अपने में प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना की प्रौद्योगिकी तथा अन्य मापदंडों की पूर्ति करनी होगी ।
3. उपकरणों के मामले में न्यूनतम रकम, विशेषतः डी पी जी में प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत ब्याज सहायता के उद्देश्य से 20% मानी जाएगी । तथापि ऐसे मामलों के संबंध में, जिनमें डी पी जी एवं आवधिक ऋण शामिल है , डी पी जी घटक को छोड़कर परियोजना लागत के आधार पर ली जा सकती है ।
4. अस्थगित भुगतान की अवधि बिलों/वचन-पत्रों के निष्पादन की तारीख से होगी तथा अधिक से अधिक ऋण स्थगन अवधि को मिला की 7 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
5. केवल रूपयों में ऋण प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत समाविष्ट होगा तथा क्रेता बैंक जो गारंटी दे रही है , प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत सहयोजित होनी चाहिए ।
6. देशी/आयातित मशीनें खरीदने-उपयोग करने का उद्देश्य रखनेवाला यदि आवश्यक मशीनों के लिए तुरंत पूरा नगद भुगतान करने की स्थिति में नहीं है , अस्थगित भुगतान सुविधा का लाभ उठाने के लिए मशीन विनिर्माता विदेशी आपूर्तिकर्ता का स्थानीय एजेंट से संपर्क करेगा । विनिर्माता-विक्रेता प्रत्येक किश्त के लिए आस्थगित भुगतान पर देय ब्याज के साथ अलग -अलग अवधि बिल/वचन पत्र तैयार करेगा ।
7. विक्रेता द्वारा तैयार किये गए बिल खरीददार/प्रयोक्ता द्वारा स्वीकार की किए जाएंगे तथा खरीददार/प्रयोक्ता की बैंक द्वारा उनकी गारंटी दी जाएगी । विकल्पतः ये बिल खरीददार / प्रयोक्ता द्वारा आहरित तथा उसकी बैंक द्वारा उनकी गारंटी दी जाएगी ।
8. ये बिल/वचन-पत्र विक्रेता को दिए जाते हैं, जिसपर मशीनों की लागत कार्यान्वित करके उसे बैंकर द्वारा छूट मिलती है, उसके द्वारा उसके बैंकर को देय छूट आस्थगित भुगतान की अवधि के लिए ब्याज के रूप में बिलों की रकमों में समाविष्ट है ।
9. क्रेता बैंक क्रेता के खाते नामे लिखकर और मूल राशि तथा आस्थगित भुगतान पर ब्याज सहित बिल के पूर्ण अंकित मूल्य के बिल उनकी-उनकी तिथियों पर वापस ले लेगी । नोडल अभिकरण से 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के पश्चात्, प्रतिपूर्ति राशि क्रेता की बैंक द्वारा क्रेता को लौटा दी जाएगी।
10. प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के सभी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के पश्चात् क्रेता बैंक ब्याज प्रतिपूर्ति के लिए नोडल अभिकरण विशेष से संपर्क करेगी । क्रेता बैंक को उपकरण की इनवॉइस मूल्य, छूट दर 00% प्रत्येक बिल की अवधि आवर्तन तथा संपूर्ण चुकौती अवधि के प्रमुख घटकों का ब्योरा देते हुए समग्र चुकौती अनुसूची के बारे में पूर्ण विवरण तैयार करना आवश्यक होगा ।
11. डी पी जी के अंतर्गत पुर्नभुगतान अवधि का उदाहरण तत्काल संदर्भ हेतु परिशिष्ट में दिया गया है ।

(3) टी ए एम सी द्वारा उनकी 14 वीं तथा 15 वीं बैठकों में माने गए आशोधन/अतिरिक्त मशीनें

i.) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना जी आर का परिशिष्ट जी

(क) बी. 1 से बी. 7 तक की विद्यमान प्रविष्टि निम्नानुसार पढ़ी जाए :-

- बी. 1 सभी स्कू मिल
- बी. 2 सभी जूट ड्रॉइंग्स
- बी. 3 फ्लायर टिवस्टिंग फ्रेम

(ख) के सापेक्ष आर्द्रता तथा तापमान नियंत्रण करने हेतु आधुनिक औद्योगिक आद्रीकरण पद्धति के की वर्तमान प्रविष्टि 1 के अनुसार पढ़ी जाए ।

(ग) ई जेक्वार्ड कार्ड पंचिंग मशीन

(ii) टफ्स पर जीआर की परिशिष्ट डी-1

ख.15 जैकार्ड और डॉबी

(iii) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना पर जी आर का परिशिष्ट बी.

ए. 2 (I) कॉटन फाइवर तथा इसके सम्मिश्रणों के लिए कृत्रिम ब्लों रूम मशीनें जिसमें प्री क्लीनर्स चूट फीडिंग पद्धति या लैग मेकिंग पद्धति वाली ओपनिंग एवं क्लीनिंग मशीन, मेटल डिटेक्टर, विदेशी फाइवर डिटेक्टर/रिमूवर के साथ अथवा के बिना मायक्रोइस्ट रिमूवर तथा डी-डस्टिंग कन्डेन्सर्स (खुली छोर वाली रोटार कतार्ई के लिए) समाविष्ट हो ।

ए.2 (II) सिंथेटिक/रिजनरेटेड फाइवर तथा उनके सम्मिश्रणों के लिए कृत्रिम ब्लो रूम मशीनें जिसमें छुट फीडिंग पद्धति या तेप मेकिंग पद्धति के साथ/ओपनिंग एवं क्लीनिंग मशीनें, विदेशी फाइवर डिटेक्टर/रिमूवर के साथ अथवा के बिना मेटल डिटेक्टर समाविष्ट हो ।

ए.2(III) सी सी डी केंमरे सहित विदेशी फाइवर डिटेक्टर, स्वचालित बेल प्लकिंग मशीनें तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत वर्तमान ब्लोरूम लाइन में कृत्रिम क्लीनिंग मशीन उपकरण ।

जी. 6 मेटलाइकज्ड यार्न के विनिर्माण के लिए माइक्रोस्लिटर तथा वाइंडर

(4) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना जी आर का परिशिष्ट-ई.

ए. 15 पॉवर ड्रिवन क्लोथ कटिंग मशीन/लेजर फैब्रिक कटिंग मशीन

ए. 16 प्लास्टिक स्टेपल स्टैचर

(5) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना पर जी आर का परिशिष्ट-सी

बी. 1. विस्कोज स्टैवल फाइवर की मशीनें

1. वल्व पिट्रीटमेंट इलेक्ट्रॉन

2. स्वचालित वल्व फीडिंग पद्धति

3. स्वचालित गूदा सुसंगति नियंत्रण पद्धति के साथ गूदा घोल मिश्रण
4. श्रेडर के साथ रिवन सेल स्लटी प्रेस
5. एडिंग ड्रम
6. स्वचालित अल्कली सेल्यूलोज कन्वेनिंग/फीडिंग पद्धति
7. अल्कली सेल्यूलोज कूलर- स्वचालित तापमान नियंत्रण के साथ तरलीकृत बेड टाइम
8. लाय फिल्टर (कैन्डल फिल्टर्स)
9. स्वचालित प्रभार लाय तथा प्रभार पानी मिश्रण तथा कूलिंग पद्धति
10. स्वचलन के साथ जेनरेटर
11. होमोजिनर्स के साथ निरंतर घुलनेवाली पद्धति
12. स्वचालित प्रक्रिया नियंत्रण के साथ पक्वन कक्ष, स्वचालित बैंक फलश विशेषता वाले निरंतर निस्थिन्दक, हायड्रोलिक फिल्टर प्रेस, रिजेक्ट विस्कोज रिक्वरी केक लिए सेन्ट्रीफ्यूज, स्कू/गिअर टाइप विस्कोज पम्प , विस्कोज हीटिंग पद्धति, वास्केट टाइप विस्कोज डिअरेटर्स, निरंतर कताई टैंक्स
13. विस्कोज विभाग के लिए वर्गीकृत नियंत्रण पद्धति
14. स्वचालित स्पिनवाथ प्रिपरेशन, संचरण, निस्थंदन, तापन तथा वाष्पीकरण पद्धति
15. हेस्टेलॉय-सी हेक्सा रोलर्स स्ट्रेच इकाई
16. उच्च गति स्वचालित आवर्ती कर्तक
17. कार्बन डाय सल्फाइड प्रति प्राप्ति द्रोण
18. मार्जकों तथा संधनित्रों के साथ कार्बन डाइसल्फाइड प्रतिप्राप्ति पद्धति
19. निर्गत क्षेत्र शीतलन तथा निस्थंदन पद्धति
20. वॉशिंग फाइवर के लिए उपचार-पश्चात् लाइन फाइवर का कन्वेइंग एवे रासायनिक उपचार
21. उपचार-पश्चात् रसायन निस्थंदन पद्धति
22. स्वचालित कन्वेइंग पद्धति के साथ वायवी फाइवर स्वीजिंग पद्धति, वेट फाइवर ओपनर, फाइवर ड्रायर तथा फाइवर ओपनर
23. गॉट का बजन, नमी आदि के प्रक्रिया नियंत्रण के साथ पूर्ण स्वचालन बेलिंग प्रेस
24. स्वचालित बेल हैडलिंग पद्धति
25. कताई से बेलिंग प्रेस के लिए वर्गीकृत नियंत्रण पद्धति

II). रंगीन फाइवर के लिए मशीनें

1. रंग घोल प्रिपरेशन तथा अन्तःक्षेपण के लिए वर्गीकृत नियंत्रण पद्धति
2. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आधारित संगणकीकृत रंग मेल पद्धति
3. रंग घोल अन्तःक्षेपण पम्पस
4. ऑन लाइन फाइवर गुणवत्ता देखरेख उपकरण
5. ऑन लाइन फाइवर दूषण, परीक्षण तथा दूर करने की पद्धति
6. स्वचालित फाइवर सेम्पलिंग पद्धति (रोबोटिक्स प्रकार)

III). उपयोग

- i) विस्कोज फिलामेंट तथा विस्कोज स्टैपल फाइबर दोनों के लिए प्रक्रिया शीतलन के लिए प्रशीतन पद्धति तथा पवन कक्ष वातानुकूलन ऊर्जा सक्षम टॉवर्स ।

IV) लयोसेल फाइबर संयंत्र

1. पल्पर्स
2. हाय विस्कोज रिअॅक्टर्स ऑपरेटिंग वैक्यूम
3. थिन फिल्म इवापोरेटर्स
4. पॉलिमर पम्प्स
5. पॉलिमर फिल्टर्स
6. स्पिनिंग मोड्यूल
7. फाइबर वॉशिंग तथा ट्रीटमेंट मशीने
8. फाइबर ड्रायर्स
9. फाइबर ओपनर्स
10. बेलिंग प्रेस
11. एजिटेटेड रिअॅक्टर्स
12. अॅसेसरिज के साथ डिस्टिलेशन
13. मल्टी स्टॅज इवा पोरेटर्स
14. आइआएन एक्सचेंज प्युरिफिकेशन प्लान्ट्स

V) हाय वेट माड्युल्स विस्कोज फाइबर

1. मोडल (एचडब्ल्यूएम) मशीन लाइन
2. सोडा स्टेशन के लिए पम्प्स
3. ब्राइन पीएचई
4. डिऑल्वर के लिए हीट एक्सचेंजर
5. 3% कॉस्टिक पीएचई
6. मैच्युअरिंग ड्रम के लिए रोटरी एअर लॉक
7. स्तर नियंत्रण पद्धति के साथ प्रभार जल टैंक
8. स्टिरर के साथ डोप टैंक
9. विस्कोज सक्क्युलेशन पम्प्स
10. फ्लैश टैंक से पहले हीट एक्सचेंजर
11. स्पिनिंग पम्प्स
12. स्पिनिंग पम्प के पश्चात् हीट एक्सचेंजर
13. कताई से बेलिंग तक पूर्ण पद्धति
14. स्पिन वाथ टैंक्स तथा पम्प्स
15. जिंक डिऑल्विंग पद्धति
16. स्पिन बाथ फिल्टर्स तथा एकजॉस्ट फैन्स
17. स्पिन बाथ कूलिंग के लिए हीट एक्सचेंजर
18. रोटरी वैक्यूम फिन्टर तथा पम्प्स

VI) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत कताई मशीनों के लिए ऑन लाइन उत्पादन देखरेख की प्रॉमिस-प्रोविन श्रेणी तथा गति नियंत्रण पद्धतियों का समावेश

ये प्रक्रिया नियंत्रण उपकरण है तथा इसलिए टीएएमसी ने कताई मशीनों के लिए ऑनलाइन उत्पादन देखरेख तथा गति नियंत्रण पद्धतियों समाविष्ट करने का निर्णय किया ।

कृपया उपरोक्त आशोधन सभी संबंधित के ध्यान में लाए जाए ।

**(श्रीमती शशी सिंह)
निदेशक**

डी पी जी के अंतर्गत पुर्नभुगतान अवधि

पार्टी का नाम	मेसर्स ए बी सी लिमिटेड
बीजक मूल्य	रु. 42,25,000
घटाये : 20% सीमा राशि	रु. 8,45,000
मूल राशि	रु. 33,80,000
ब्याज का दर (%)	15%
किस्तों की संख्या	26
प्रत्येकी मूल किस्त	1,30,000

(रुपये में)

क्र. सं.	माह की संख्या	मूल राशि	15% देय ब्याज	बिल का अंकित मूल्य	इकाई को 5% ब्याज प्रतिपूर्ति
1	9	130000	380250	510250	126750
2	12	130000	121875	251875	40625
3	15	130000	117000	247000	39000
4	18	130000	112125	242125	37375
5	21	130000	107250	237250	37375
6	24	130000	102375	232375	34125
7	27	130000	97500	227500	32500
8	30	130000	92625	222625	30875
9	33	130000	87750	217750	29250
10	36	130000	82875	212875	27625
11	39	130000	78000	208000	26000
12	42	130000	73125	203125	24375
13	45	130000	68250	198250	22750
14	48	130000	63375	193375	21125
15	51	130000	58500	188500	19500
16	54	130000	53625	183625	17875
17	57	130000	48750	178750	16250
18	60	130000	438750	173875	14625
19	63	130000	39000	169000	13000
20	66	130000	34125	164125	11375
21	69	130000	29250	159250	9750
22	72	130000	24375	154375	8125
23	75	130000	19500	149500	6500
24	78	130000	14625	144625	4875
25	81	130000	9750	139750	3250
26	84	130000	4875	134875	1625
कुल योग		3380000	1964625	5344625	654875

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय
पो.ब.नं.11 500,न्यू मरीन लाइन्स
मुंबई-400 20.

सं. 28(19)/2000-एम.एस./
2002

दिनांक :31 जुलाई,

परिपत्र सं. 3
(2002-2003 श्रृंखला)

विषय :- प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो.)

1. नोडल अभिकरणों द्वारा अतिरिक्त बैंकों/वित्तीय संस्थाओं का सहयोजना ।
 - i) इंडस्ट्रीयल इवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो प्रौ.उ.नि.योजना के तहत गैर लघु उद्योग वस्त्र क्षेत्र के लिए नोडल अभिकरण है, ने दिनांक: 16/07/2002 के पत्र आयडी बी आय एच.ओ. टीयूएफएस (16) द्वारा तमिलनाडू मर्कन्टाइल बैंक लि. को प्रौ.उ.नि.योजना के अंतर्गत गैर लघु उद्योग वस्त्र क्षेत्र के लिए प्रा.ऋ.सं. के रूप में सहयोजित किया है । आयडीबीआय एचओ टीयूएफएस (6)/369 द्वारा जम्मू अण्ड कश्मिर बैंक लि. को प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत गैर लघु उद्योग वस्त्र क्षेत्र के लिए प्रा.ऋ.सं. के रूप में सहयोजित किया है ।
 - ii) भारतीय वित्तीय कापोरेशन आयएफसीआय जो प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत पटसन उद्योग के लिए नोडल अभिकरण है, ने दिनांक: 26/04/2002 के पत्र सं.केडिट/111/टीयूएफएस/2002 द्वारा कॅनरा बैंक को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पटसन उद्योग के लिए प्रा.ऋ.सं. के रूप में सहयोजित किया है ।
2. अंतर मंत्रालयीन संचालन समिति की नई दिल्ली में दिनांक 5 जुलाई,2002 को संपन्न 12 वीं बैठक में लिए गए निर्णय :-
 - i) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पुरानी आयोजित गोलाकार बुनाई मशीनों का समावेश
 - i) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पुरानी आयोजित गोलाकार बुनाई मशीनों को पैरा 3.2 (2) जे (जे) में निम्नानुसार अतिरिक्त प्रविष्ट करके समावेश किया गया :-
3.2 (2) जे (जे) - 5 वर्ष तक पुरानी तथा कम से कम और 10 वर्ष तक चलने वाली गोलाकार बुनाई मशीन ।
 - ii) समय समय पर प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत द्वारा अनुमोदित संशोधनों/आशोधनों के फलस्वरूप ब्याज प्रतिपूर्ति के पात्रता की प्रभावी तिथि ।

जब नई मशीन या उपकरण जीआर के मदों की विदयामानसूचि में पहले से शामिल है, बेंच मार्क उपकरणों या मशीनों के समान या बेहतर है तो वह प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पात्र बताई गई है। ऐसे उपकरणों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना लाभ 1/4/1999 के द्वारा वितरित ऋण के लिए दे सकते हैं।

iii) स्टैंड अलोन आधार पर निस्सारी उपचारी संयंत्र निऊरा की के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना सहायता पात्रता।

वैयक्तिक इकाई या स्वतंत्र इकाई के मामले में जो स्वयं के या उस क्षेत्र के इच्छुक वस्त्र इकाइयां के समूह के उपयोग के लिए निरसारी उपचारी संयंत्र लगाते हैं प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत सामील करने के पात्र होंगे।

iv) विकेन्द्रित विद्युत करघा क्षेत्र में नई इकाइयों द्वारा अर्ध-स्वचालित करघों का संस्थापन

विकेन्द्रित विद्युत करघा क्षेत्र में नई इकाइयों को बेंच मार्क प्रौद्योगिकी विशेषताओं के साथ प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत अर्ध-स्वचालित करघों की संस्थापना करने की अनुमति दी गई है।

कृपया उपरोक्त आशोधन सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

(शशी सिंह)
निदेशक

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय
पो.बै.सं. 11500, मुंबई-20

मि. सं. 28(19)/2000/एम.एस./

दिनांक : 05 अगस्त, 2002

परिपत्र सं. 4
(2002-2003 श्रृंखला)

विषय: प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यों)

1. दिनांक 1 अगस्त, 2002 को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना की तकनीकी सलाहकार सह देखरेख समिति (टीएएमसी) द्वारा मुंबई में आयोजित 16 वीं बैठक में जारी किया गया स्पष्टीकरण ।

(i) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत हथकरघा क्षेत्र की पात्रता ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि हथकरघा क्षेत्र वाले सभी सयंत्रों, जो समय-समय पर संशोधित तथा पावरलूम एवं मिल क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों को दी गई अनुमति के अनुसार पहले से ही प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के जी. आर. में सूचीबद्ध किया है , के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के लाभ लेने के लिए पात्र है । हथकरघा क्षेत्र में केवल बुनाई क्रिया विद्युत करघा एवं मिल क्षेत्र से भिन्न है जबकि अन्य क्रियाएँ विशेषकर प्रोसेसिंग समान है । तदनुसार अनुलग्नक घ 1 का क्र.सं. सीसी का सीसी (ए) पुनः क्रमांकित किया गया तथा प्रौ.उ.नि.यों के जी. आर. के अनुलग्नक घ 1 में हथकरघा क्षेत्र के लिए निम्नलिखित सयंत्रों को समाविष्ट किया गया ।

सीसी (बी) से सीसी (ई) के अंतर्गत करघे बिजली के उपयोग बिना चलाए गए ।

सीसी (बी) : लेटीस/बॅरेल/टॅपेट/ड्रा बार/खड़ी आर्यन फ्रेम/मध्य बंद शेड/खड़ी लकड़ी की फ्रेम/डबल सिलेंडर आर्यन बॉर्डर जैसे डॉबी के साथ फिट किए गए फ्लाय शटल फ्रेम करघे के हथकरघे, सिंगल लिफ्ट सिंगल सिलेंडर लकड़ी की फ्रेम/सिंगल लिफ्ट सिंगल सिलेंडर आर्यन फ्रेम बार / डबल लिफ्ट सिंगल सिलेंडर आर्यन फ्रेम/डबल लिफ्ट डबल सिलेंडर आर्यन फ्रेम / जनता/लिनो जैसे जकार्ड, जाला एवं डॉबी या जेकार्ड का संयोजन एक तरफा ड्रॉप बॉक्स/दुतरफा ड्रॉप बॉक्स/गोलाकार शटल बॉक्स/ पीक एवं पीक स्ले के साथ फिट किए गए फ्लाय शटल स्ले ।

सीसी (सी) : लेट ऑफ मोशन जैसे लीवर एवं भार (वेट) लेट ऑफ मोशन/विशेष स्प्रिंग मोशन/रोप लेट ऑफ मोशन/भार पद्धति/स्प्रिंग पद्धति के साथ फिट किए गए फ्लाय शटल फ्रेम लुम ।

सीसी (डी) : टेक अप मोशन जैसे राचेट एवं पॉल मोशन/3 पहिया इचलकरंजी प्रकार मोशन/बिना इमरी रोलर 5 पहिया टेक-अप मोशन/7 पहिया टेक-अप मोशन के साथ फिट किए गए फ्लाइ शटल फ्रेम लुम ।

सीसी (ई) : विशेष उपकरण जैसे कॅच कार्ड पद्धति/स्वीवेल जुम /लॅपेट मोशन/टेरी मोशन/लिनो यंत्रावली/चेन्नाईल बुनाई (बुनाई करते समय चेन्नाईल का स्वचालित कटाव) मेटल फ्रेम हथकरघा/अधिक चौड़ाई वाले लकड़ी के फ्रेम का हथकरघा लंबी लंबाई के कपड़े बुनने की यंत्रावली आदि के साथ फिट किए गए हथकरघे ।

टिप्पणी:- इसके अलावा हथकरघा इकाईयों को पियानो कार्ड पंचिंग/इलेक्ट्रानिक कार्ड पंचिंग मशीने दी गई है ।

सीसी (1) : हाथ/पैडल/बिजली से चलाए जानेवाल पिन्स/बॉबिन्स/ड्रम्स तैयार करने के लिए बहु तकुओं के साथ वाइंडिंग मशीन ।

सीसी (2) : बॉल बेअरिंग के साथ बोलस्टर पर फिट किए गए तकुए वाली उच्च गति डबलिंग मशीन ।

सीसी (3) : केवल हथकरघा क्षेत्र के लिए चलता फिरता वस्त्र गणवत्ता परीक्षण उपकरण जो निम्नलिखित का परीक्षण करने में समर्थ है ।

1. 40 डिग्री सेल्सियस तक धुलाई में रंगों का पक्कापन
2. क्रॉकिंग/घिसाई में रंगों का पक्कापन
3. सिकुड़न
4. प्रति इंच एंडस पिक्स
5. यार्न का काउंट
6. यार्न के क्रिम्प का प्रतिशत
7. फैब्रिक्स की चौड़ाई
8. प्रति स्वेअर मीटर ग्राम आदि

पात्रता बैठक कि तिथि अर्थात 12.08.2002 से लागू होगी ।

(ii) रेडीमेड गारमेन्ट उद्योग के लिए अतिरिक्त मशीने

सॅण्ड ब्लॉस्टिंग/ब्रशिंग मशीन, रंगों का मेल मिलान की मशीन तथा मध्य चुनट की बुनीशर्ट तैयार करने के लिए स्वचालित मशीन को प्रौ.उ.नि.यों के जी. आर. के परिशिष्टक-ई में शामिल किया गया, जो निम्नानुसार है :-

- क. 57 : सॅण्ड ब्लॉस्टिंग/ब्रशिंग मशीन
- क. 58 : रंगों का मेल मिलाने की मशीन
- क. 59 : मध्य चुनट की बुनी शर्ट तैयार करने की स्वचालित मशीन

यह स्पष्ट किया जाता है कि कफ एवं कॉलर फ्युसिंग मशीन, कॅम्पेक्ट लायनर स्ट्रेट फ्युसिंग मशीन, संपूर्ण स्वचालित निरंतर स्ट्रेट फ्युसिंग मशीन आदि जैसी अन्य सभी मशीनों को भी प्रौ.उ.नि.यों के जी. आर. के परिशिष्ट - ई के क्र.सं. ए. 22 पर फ्युसिंग प्रेस के अंतर्गत शामिल किया गया ।

(iii). पटसन अपशिष्ट (कॅडिज) फायर्ड बॉयलर की पात्रता

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त करने के बाद पटसन अपशिष्ट (कॅडिज) फायर्ड बॉयलर को प्रौ.उ.नि.यों के अंतर्गत समाविष्ट किया गया । तदनुसार परिशिष्ट एफ-1 से एफ- 3 के क्र.सं. iv-1(बी) तथा परिशिष्ट एफ. -4 के क्र.सं. iii. 1(बी) पर विद्यमान प्रतिष्ठा को निम्नानुसार संशोधित किया गया :-

अतिरिक्त विशेषताओं यथा वायवीय नियंत्रित फिल्टर यंत्रावली, स्थिर-विद्युतिकी अवक्षेपी तथा सायक्लोन/मल्टी सायक्लोन उपकरण वाले 15 टन प्रति घंटा से कम सुक्ष्म धुल संचयक रखनेवाला हस्क फायर्ड/पटसन अपशिष्ट (कॅडीज) बॉयलर तथापि ऐसे बॉयलरों के लिए उपरोक्त तीनों विशेषताएँ आवश्यक नहीं है , बशर्ते कि संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का विशेष अनुमोदन अथवा अनापत्ति प्रमाणपत्र हो । आशोधन लागू होने की तिथि अं.मं.सं.स. की 9 वीं बैठक जिसमें हस्क फायर्ड बॉयलर समाविष्टि करने का निर्णय लिया गया था , की तिथि अर्थात् 13.06.2001 होगी ।

(iv) अन्य प्रा.ऋ.सं. द्वारा प्रौ.उ.नि.यों के अंतर्गत विद्यमान ऋण लेने के बाद प्रौ.उ.नि.यों लाभ लेने की अनुमति देने वाले आशोधन के प्रभावी होने की तिथि ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि योजना में उपरोक्त आशोधन पात्रता की तिथि 23 मई, 2002 अर्थात् टी.ए.एम.सी की 15 वीं बैठक, जिसमें उपरोक्त निर्णय लिया गया था, होगी ।

(v) प्रौ.उ.नि.यों के अंतर्गत विदेशी मूद्रा ऋण (विमूऋ) का रूपयों में परिवर्तन ।

प्रौ.उ.नि.यों के अंतर्गत वि.मू.ऋ. से रूपयों में परिवर्तन को अनुमति दी गई है बशर्ते कि पोर्टफोलियो (बकाया राशि) में कोई बदलाव न आए और समग्र चुकौती अवधि दस वर्ष से अधिक न बढ़े । यह सुविधा एक परियोजना के लिए केवल एक बार दी जाएगी । इस आशोधन की पात्रता प्रभावी होने की तिथि टि.ए.एम.सी की 16 वीं बैठक, जिसमें उपरोक्त निर्णय लिया गया था कि तिथि, अर्थात् 01.08.2002 होगी ।

(vi) प्रोसेसिंग क्षेत्र के लिए अतिरिक्त मशीने :-

प्रौ.उ.नि.यों के जी. आर के परिशिष्ट एफ-2 के क्रम सं. बी-1. 15 पर बुने हुए कपड़ों के लिए ओपन विड्थ स्क्वीज मॅगल के साथ रोप ओपनिंग लाइन को प्रौ.उ.नि.यों के अंतर्गत समाविष्ट किया गया । आशोधन लागू होने की तिथि 01.04.1999 होगी ।

उपरोक्त आशोधनों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए ।

(श्रीमती शशी सिंह)
निदेशक

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय
पो. बै. सं. 11500, मुंबई: 400 020.

सं. 28(19)/2000-एम.एस/

दिनांक 31.अक्टूबर,2002

परिपत्र सं. 5
(2002-2003 श्रृंखला)

विषय:- प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो)

1. नोडल अभिकरणों द्वारा अतिरिक्त बैंकों/वित्तीय संस्थानों का सहयोजन ।
 - (i) इण्डस्ट्रियल फाईनान्स कार्पो. ऑफ इंडिया (आयएफसीआय) जो प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पटसन उद्योग के लिए नोडल अभिकरण है, ने दिनांक 12.08.2002 एवं 10.10.2002 के पत्र सं. सीसीडी/टीयूएफएस/2002 द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक को प्रा.ऋ.सं. के रूप में सहयोजित किया है ।
 - (ii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आयडीबीआय) जो प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत वस्त्र उद्योग (गैर लघु उद्योग) के लिए नोडल अभिकरण है , ने दिनांक 04.09.2002 के पत्र सं. आयडीबीआय/एच.ओ.टीयूएफएस (6) द्वारा वस्त्र उद्योग के लिए बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत सहयोजित किया है ।
2. टीएएमसी में अतिरिक्त सदस्यों का नामांकन
फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एफएआयटीएमए), मुंबई के अध्यक्ष का प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना की तकनीकी सलाहकार सह मोनिटरिंग समिति के सदस्य के रूप में समावेश किया गया है ।
3. दिनांक 22 अक्टूबर, 2002 को संपन्न प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना की तकनीकी सलाहकार सह मोनिटरिंग समिति की 17 वीं बैठक में जारी किए गए स्पष्टीकरण/संशोधन ।
 - (i) 15 एच.पी. एवं अधिक के एअर कॉम्प्रेसर की पात्रता:-
प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के जी.आर. के परिशिष्ट डी-2 एच के अंतर्गत विद्यमान प्रविष्टि (15 एचपी एअर कॉम्प्रेसर) को निम्नानुसार संशोधित किया गया है ।
एच. 1 15 एच.पी. एवं अधिक के एअर कॉम्प्रेसर ।

(ii) स्पनलेस नॉन-वूवन फैब्रिक बनाने की पद्धति की पात्रता:-

परिशिष्ट डी-2 के तहत **जी** पर विद्यमान प्रविष्टि को **जी** नॉन-वूवन (स्पनलेस/जेट लेस) के रूप में पुनःनामांकित किया जाए तथा निम्नलिखित मशीनों को जोड़ा जाए । विद्यमान प्रविष्टि **जी** को **एच** के रूप में तथा विद्यमान प्रविष्टि **एच** को **आय** के रूप में तथा विद्यमान प्रविष्टि **आय** को **जी** के रूप में पुनःनामांकित किया गया ।

जी नॉन-वूवन (स्पनलेस/जेट लेस)

1. फायबर ओपनिंग मशीन
2. चुट फीड ट्रिपल डॉफर या चुट फीड के साथ रोलर कार्ड के साथ उच्च उत्पाद कार्ड
3. वेब ड्राफ्टर
4. एअर लेइंग मशीन
5. हाइड्रो एनटॅगलमेंट यूनिट
6. सक्शन युनिट
7. एनग्रेविंग युनिट
8. ऑन-लाइन प्रिंटिंग युनिट
9. सिंगल ड्रम तथा विभिन्न तापमान वाला ड्रायर
10. स्लिटर के साथ वाइंडर
11. थर्मिक फ्ल्यूइड/ऑयल के लिए बॉयलर

(iii) आरएमजी/मेड-अप्स इकाइयों के लिए मशीनों का समावेश :-

आरएमजी/मेड-अप्स इकाइयों के लिए निम्नलिखित मशीनों का प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के जीआर के परिशिष्ट-ई के क. सं. 60 से 63 पर समावेश किया गया :

60. बेल्ट लूप अटॅचिंग मशीन
61. बटन पॅकर
62. कॉलर हीट नोचर
63. स्पॉट वेल्डिंग मशीन

(iv) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत विदेशी मुद्रा ऋण (एफसीएल) का रूपी टर्म लोन (आरटीएल) में परिवर्तन:

(क) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत रूपी लाइबिलिटी के लिए भी विदेशी मुद्रा ऋण (एफसीएल) लेने की अनुमति है ।

(ख) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत वार्षिक आधार पर रूपी टर्म लोन (आरटीएल) को विदेशी ऋण (एफसीएल) में तथा विदेशी मुद्रा ऋण (एफसीएल) को रूपी टर्म लोन (आरटीएल) को विदेशी मुद्रा ऋण (एफसीएल) में परिवर्तन की तिथि को लागू दर विनिमय दर होगा । ऋण राशि की अवधि में कोई बदलाव नहीं होगा बशर्ते कि ऋणदाता अभिकरण के साथ भुगतान की अवधि 10 वर्ष तथा विदेशी मुद्रा का उधार उपलब्ध हो ।

कृपया उपरोक्त आशोधनों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए ।

(श्रीमती शशी सिंह)
निदेशक

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय
पो.ब.नं.11 500, न्यू मरीन लाइन्स
मुंबई-400 20.

सं. 28(19)/2000-एम.एस./

दिनांक : 12 दिसंबर, 2002

परिपत्र सं. 6
(2002-2003 श्रृंखला)

विषय :- प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो.)

1. नोडल अभिकरणों द्वारा अतिरिक्त बैंकों/वित्तीय सस्थानों का सहयोजन ।

(i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) जो प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत वस्त्र उद्योग (गैर-लघु उद्योग) के लिए नोडल अभिकरण है, ने दिनांक 6/11/2002 के पत्र सं आईडीबीआई.एचओ.टीयुएफएस(6) द्वारा प्रौ.उ.नि.योजना के अंतर्गत वस्त्र उद्योग के लिए आईडीबीआई बैंक लि., ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि. तथा यूटीआई बैंक लि. को सहयोजित किया है ।

2. दिनांक 22 नवंबर, 2002 को नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयीन संचालन समिति (आईएमएससी) की 13 वीं बैठक में लिए गए निर्णय ।

(1) प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत विदेशी मुद्रा ऋण के लिए फॉरवर्ड एक्स्चेंज कवर मूल्य का समावेश ।

प्रौ.उ.नि.यो के अंतर्गत विदेशी मुद्रा ऋण के लिए फॉरवर्ड कवर प्रिमीयम मूल्य एक विकल्प के रूप में विनियम के मूल दर पर 5% प्रति वर्ष तक सीमित होगा, जिसका उपयोग परियोजना के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार किया जा सकेगा ।

(ii) वस्त्र आधुनिकीकरण/विस्तारण के विना हस्क फायर्ड बॉयलर की पात्रता ।

स्टैंड अलोन आधारपर हस्क फायर्ड बॉयलर (वस्त्र आधुनिकीकरण/विस्तारण के बिना) का प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत समावेश किया गया ।

(iii) प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत लीज फायनान्स की पात्रता ।

पात्र संयंत्रों एवं उपकरणों के लिए विनिर्माताओं द्वारा नोडल अभिकरणों/प्रा.ऋ.सं. से लिए गए लीज फायनान्स के ब्याज को प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत समाविष्ट किया गया है । सामान्य लीजिंग मानदण्डों के अनुसार लीज फायनान्स समाविष्ट किया जाएगा परंतु लीज अवधि 10 वर्षों तक सीमित होगी ।

(iv) प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत कताई क्षमता के विस्तारण हेतु पात्र डारुनस्ट्रीम वेल्यू अॅडिशन प्रोसेस के रूप में फायबर डाइड यार्न का समावेश ।

प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत कताई क्षमता के विस्तारण हेतु पात्र वेल्यू अॅडिशन प्रक्रिया के रूप में मेल खानेवाले नए फायबर डाइंग क्षमता की संस्थापना को शामिल किया गया है । यद्यपि, विद्यमान फायबर डाइंग क्षमता का वेल्यू अॅडिशन प्रक्रिया के रूप में विचार नहीं किया जाएगा ।

- (v) प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत विद्यमान कॉम्पैक्ट कताई पद्धति के लिए डाऊनस्ट्रीम वेल्यू अॅडिशन तथा एमईएस अनुबन्ध से छूट ।

प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत विद्यमान कॉम्पैक्ट कताई पद्धति के लिए डाऊनस्ट्रीम वेल्यू अॅडिशन मानकों तथा एमईएस अनुबन्धों को छूट दी गई है ।

- (vi) 25,000 स्पिंडल्स से कम वाले निटिंग एवं गारमेंटिंग सुविधा के साथ नई संयुक्त कताई मिलों की प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत पात्रता ।

निटिंग तथा गारमेंटिंग सुविधा से लैस नई सम्मिश्रित इकाइयों को स्पिनिंग की समकक्ष/अनुरूप क्षमता संस्थापित करने के लिए अनुमति दी गई है । ऐसे मामलों में कताई सुविधा के लिए एमईएस लागू नहीं होगी । पावरलूम इकाइयां कताई क्षमता की एमईएस की प्रयोज्यता के सिवाय कताई की समकक्ष क्षमता संस्थापित कर सकती हैं ।

- (vii) प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत पुरानी मशीनों का आयात -पुरानी तथा मशीनों की शेष अवधि के संबंध में एजंसियों से प्रमाणपत्र की आवश्यकता ।

निर्यात -आयात नीति (2002-2007) के परिशिष्ट 28 के अनुसार एजंसी से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के संबंध में प्रौ.उ.नि.यो. के जी.आर के पैरा 3.2(3) के अंतर्गत निर्धारित वर्तमान स्थिति को इस शर्त के साथ बदला गया है कि आयातक आयातित पुरानी मशीनों तथा मशीनों की शेष अवधि पर निर्यातक देश के चार्टर्ड अभियंता से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें ।

- (viii) प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा अनुमोदित गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र (एन सी डी) का समावेश ।

नोडल अभिकरणों तथा सहयोजित प्रा.ऋ. सं. द्वारा अनुमोदित गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र (एन सी डी) , यदि वे प्रौ.उ.नि.यो. के मानदण्डों के अंतर्गत आते हों, को योजना के अंतर्गत समाविष्ट किया गया ।

उपरोक्त संशोधनों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए ।

(श्रीमती शशी सिंह)
निदेशक

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय
पो.ब.नं.11 500, न्यू मरीन लाइन्स
मुंबई-400 20.

स
दिनांक : 6 फरवरी, 2002

28(19)/2000-एम.एस./

**परिपत्र सं. 7
(2002-2003 श्रृंखला)**

विषय :- प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो.)

1. नोडल अभिकरणों द्वारा अतिरिक्त बैंकों/वित्तीय संस्थानों का सहयोजन:-
 - (1) इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (आयडीबीआय) जो प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत वस्त्र उद्योग (गैर लघु उद्योग) के लिए नोडल अभिकरण है, ने दिनांक:10/01/2003 के पत्र सं. आयडीबीआय/एचओ/टीयुएफएस(6) सुटेक्स को-ऑपरेटीव बैंक लि. को प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत वस्त्र उद्योग के लिए सहयोजित किया है।
2. दिनांक 21 जनवरी, 2003 को मुंबई में आयोजित तकनीकी सलाहकार-सह-मॉनीटरिंग समिति (टी.ए.एम.सी.) को 18 वीं बैठक के लिए गए निर्णय :
 - (1) नॉन वूवन/टेक्नीकल टेक्सटाइल्स के लिए मशीनों/उपकरणों का समावेश ।
नॉन वूवन/टेक्नीकल टेक्सटाइल्स के लिए निम्नलिखित मशीनों/उपकरणों को प्रौ.उ.नि.योजना के अंतर्गत सामाविष्ट किया गया ।
 1. टेक्नीकल टेक्सटाइल्स के किनारों को कोटींग करने के लिए हॉट गेल्ट/कोल्ड ग्ल्यू कोटींग मशीन-एज-ग्ल्यू कोटींग मशीन।
 2. अल्ट्रासॉनिक स्लिटिंग मशीन/एज सिलर
 3. टॉर्च के साथ ब्रेडिंग मशीन (गरम हवा के लिए)
 4. तनन तथा तापमान के मापन/नियंत्रण के लिए सर्वो ड्राइव के साथ पीएलसी ऑपरेड पध्दति ।
 5. आंतर बुनाई द्वारा दो किनारों को जोड़ने के लिए जैकॉर्ड मशीने
 6. टुरेट वाइंडर तथा अनवाइंडर
 7. पीयू/पीवीसी फिल्म कैलेडरींग मशीन
 8. प्लास्टीझोल्स/ऑर्गनसोल्स के लिए उच्च गति प्रेसिडन मिक्सर्स
 9. स्वचालित पैकिंग एवं निरीक्षण मशीन स्टेन्टर सुविधा के साथ हीटसेट ओवन
 10. कोगूलेटेड पीयू डीप कोटिंग मशीन

11. स्टेन्टर सुविधा के साथ हीटसेट ओवन
 12. मूमिंग एवं कर्टींग मशीन
 13. ग्रोमेट फिक्सिंग मशीन
 14. क्लिकींग प्रेस
 15. पायलट/लॅब कोर्टींग लाइन
1. नॉन-वूवन/टेक्नीकल टेक्सटाइल्स के लिए जॉच उपकरणों का परिशिष्ट डी-2 एच(10) से (21) में निम्नानुसार समावेश किया गया ।
10. वेदरमीटर
 11. यार्न संकुचन तथा संकुचन बल परीक्षण मशीन
 12. विस्कोमीटर्स
 13. मशीन मॉनीटरिंग तथा फ्लेक्स रेसिस्टन्स टेस्टर के लिए डाटा लॉगर्स।
 14. टिअर टेस्टिंग मशीन
 15. कोल्ड क्रॅक प्रतिरोध परीक्षण
 16. थिकनेस गेज
 17. वॉटर रिप्लेंशी टेस्टिंग मशीन ।
 18. वॉटर प्रूफिंग टेस्टिंग मशीन
 19. फायर रेसिस्टेंस टेस्टिंग एक्विपमेन्ट
 20. ऐक्सेलरेटेड एर्जिंग टेस्टिंग ओवन
 21. वर्षा-जल जॉच उपकरण 1 निरंतर वाटर स्प्रे टेस्ट तथा आय.आर स्पेक्ट्रो मीटर आदि

(II) उच्च गति की गोलाकार बुनाई मशीन के लिए तकनीकी विशेषताएं :-

गोलाकार बुनाई मशीन के लिए टी.ए.एम.सी. ने तकनीकी विशेषताएं निर्धारित की जो नई मशीनों के 23 चक्कर प्रतिमिनट तथा अनुज्ञेय पुरानी आयातित मशीनों के लिए 20 चक्कर प्रति मिनट है । तदनुसार प्रौ.उ.नि.धि. योजना के जी.आर. के परिशिष्ट डि-1 सी-1 तथा पैरा 3.2 (जे) के अंतर्गत प्रविष्टि निम्नानुसार संशोधित की गई :-

परिशिष्ट डी-1 सी-1

"1. नई मशीनों के लिए न्यूनतम 23 चक्कर प्रति मिनट की गति तथा अनुज्ञेय पुरानी सुधारित मशीनों के लिए 20 चक्कर प्रति मिनट की गति वाली उच्च गति गोलाकार बुनाई मशीन ।"

पैरा 3.2 (जे)

पाँच वर्ष तक पुरानी तथा न्यूनतम 10 वर्ष षेष कार्यावधि वाली उच्च गति की गोलाकार बुनाई मशीन (न्यूनतम 20 चक्कर प्रति मिनट की गति)

(III) केवल जरी यार्न के उत्पादन के लिए उपयोगी मशीन का समावेश :-

(क) प्रौ.उ.नि. योजना के जी.आर. के परिशिष्ट बी (जी) में निम्नलिखित मशीनों को समाविष्ट किया गया :

7. फ़ैन्सी यार्न ट्विस्टर तथा डबलिंग मशीन
8. ट्विस्टर तथा कपडे मॅन्युफॅक्चरिंग मशीन
9. ग्लीटरिंग मशीन/झिक मॅकिंग मशीन

(ख) परिशिष्ट बी (जी) (6) अंतर्गत रोल कटिंग मशीन यथा मायक्रो स्लिटिंग मशीन / रोल कटिंग मशीन को जोड़कर प्रविष्टि संशोधित की गई।

उपरोक्त संशोधनों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए ।

**(शशी सिंह)
निदेशक**

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना

परिपत्र सं. 1 से 7

तथा

पीडीसी श्रृंखला 1 एवं 3

(2003-2004 श्रृंखला)

भारत सरकार,
वस्त्र मंत्रालय,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
पो.बै.सं.-11500, मुंबई-20.

सं.28/19/2003/एम.एस./

दिनांक: 7 अप्रैल, 2003

परिपत्र सं.-1

(2003-2004 शृंखला)

विषय:- प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो.)।

1. नोडल अभिकरणों द्वारा अतिरिक्त बैंकों/वित्तीय संस्थाओं का सहयोजन,

(I) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), जो प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत वस्त्र उद्योग (गैर लघु उद्योग) के लिए नोडल अभिकरण है, ने दिनांक 14/2/2003 तथा 12/3/2003 के पत्र सं. आईडीबीआई/एच.ओ.टीयूएफएस(6) द्वारा युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि., तथा लक्ष्मी विकास बैंक लि., को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत सहयोजित किया है।

(II) लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई), जो प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत वस्त्र उद्योग (लघु उद्योग) के लिए नोडल अभिकरण है, ने दिनांक 11/2/2003 तथा 2/3/2003 के पत्र सं.डीएफआईडी/आरटीयूएफ द्वारा अपना सहाकारी बैंक लि., नासिक मर्चन्ट्स को-आप. बैंक (नास्को बैंक) तथा डोंबिवली नागरी सहकारी बैंक लि. को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत वस्त्र उद्योग के लिए सहयोजित किया है।

(III) इंडस्ट्रियल फाइनेन्सियल कार्पो. ऑफ इंडिया (आईएफसीआई), जो प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पटसन उद्योग के लिए नोडल अभिकरण है, ने दिनांक 05/3/2003 के पत्र सं. सीसीडी/टीयूएफएस/जूट/2003 द्वारा विजया बैंक को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पटसन उद्योग के लिए सहयोजित किया है।

2. दिनांक 24 फरवरी, 2003 को मुंबई में संपन्न तकनीकी सलाहकार-सह-देखरेख समिति (टीएएमसी) की 19वीं बैठक में लिए गए निर्णय।

(I) लेसर लेबल कटिंग मशीन का समावेश:-

(क) प्रौ.उ.नि.यो. के जी.आर. के परिशिष्ट-डी.1, (बी) 16 पर लेसर कटिंग मशीन

का निम्नानुसार समावेश किया गया ।

16. पॉवर ड्रीवन क्लॉथ कटिंग मशीन/लेसर फैब्रिक या लेबल कटिंग मशीन ।

(ख) लेबल कटिंग मशीन, यथा, पावर ड्रीवन क्लॉथ कटिंग मशीन/लेसर फैब्रिक या लेबल कटिंग मशीन को जोड़कर परिशिष्ट ई (ए) (15) के अंतर्गत प्रविष्टि संशोधित की गई ।

(11)"विद्यमान ब्लोरूम मशीन के बदले सेसॉर टेक्नोलॉजी फाइबर डिटेक्टर उपकरण का समावेश ।

परिशिष्ट-बी (ए) 2 (111) के अंतर्गत प्रविष्टि को निम्नानुसार संशोधित किया गया ।

(ए) 2 (111)"विद्यमान ब्लोरूम डाइरेक्ट लाइन में सभी विदेशी फाइबर डिटेक्टर, स्वचालित बेलप्लकिंग मशीन तथा परिष्कृत सफाई करने वाली मशीन उपकरण । "

(111) हायुमिडीफायर्स (चिलर्स) के बिना आर एच तथा तापमान का रखरखाव करने के लिए एअर वॉसर प्लान्टस् तथा एअर फिल्टर्स के साथ इंडस्ट्रियल ह्युमिडिफिकेशन पद्धति का समावेश ।

परिशिष्ट-बी (ए) 15 के अंतर्गत प्रविष्टि को निम्नानुसार संशोधित किया :-

15 " डी -ह्युमिडीफायर्स (चिलर्स) के साथ/के बिना आरएच तथा एअर वॉशर प्लान्ट तथा एअर क्रिस्टर्स के साथ इंडस्ट्रियल ह्युमिडिफिकेशन पद्धति । "

3. दिनांक 4 मार्च, 2003 को नई दिल्ली में संपन्न अंतर मंत्रालयीन संचालन समिति (आईएमएससी) की 14वीं बैठक में लिए गए निर्णय ।

(1) पुरानी आयातित नॉन-वुवन मशीनरी का समावेश:

दस वर्ष पुरानी तथा न्यूनतम 10 वर्ष शेष कार्यावधि वाली निम्नलिखित पुरानी आयातित नॉन-वुवन मशीनरी को प्रौ.उ.नि.योजना के अंतर्गत समाविष्ट किया तथा नॉन-वुवन/टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए जी.आर. 3.2 (2) के अंतर्गत निम्नानुसार प्रविष्टि की गई :-

1. उच्च गति कार्डस जिसके साथ चुट फीड एअरोडायनैमिक अथवा फीडर के साथ कार्ड वाला चुट फीड डबल डॉफर अथवा रोलर कार्ड
2. क्रॉस लॅपर
3. कॉम्प्रेसिव वॅट फीडर तथा कॉम्प्रेसिंग अॅप्रॉन के साथ नीडल लूम
4. 2 बाऊल थर्मो बॉन्ड कॅलेंडर
- 5.

चुट फीड के साथ वेब लेइंग तथा वेब फॉर्मिंग (सीनक्रोनाइज्ड) उच्च गति काडर्स

6. प्रिंट बॉन्डर

(!!) कॅप्टीव पावर उत्पादन के लिए पवन ऊर्जा का समावेश

कॅप्टीन पावर उत्पादन के लिए पवन ऊर्जा उपकरण को " वाईन्ड टर्बिन" समेत जी.आर. के टीयूएफएस के अंतर्गत पात्र अन्य निवेशों से संबंधित पैरा 3.3 (2)(!) पर प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत समावेश किया गया । यद्यपि नोडल अभिकरण उनके द्वारा प्राप्त विस्तृत प्रस्ताव वस्त्र मंत्रालय को वस्त्र आयुक्त के माध्यम से भेजेगा तथा ब्याज प्रतिपूर्ति की रिहाई करने से पहले उसका अनुमोदन प्राप्त करेगा ।

(!!!) प्रौ.उ.नि.यो.के अंतर्गत शीघ्र ब्याज प्रतिपूर्ति करने के लिए नोडल अभिकरणों/सहयोजित प्रा.ऋ.सं. को प्रोत्साहन देना ।

जिन बैंकों/वित्तीय संस्थानों ने 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के लिए पात्र वस्त्र इकाईयों को ऋण दिया है, यदि ऋण को पुर्नभुगतान निर्धारित तिथि में किया गया हो तो वे 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के बिना स्वीकार करेंगे, जो उन्हें नोडल अभिकरण से मिलेगा । जब तक नोडल अभिकरण से ब्याज प्राप्त नहीं होता है तब तक बैंक/वित्तीय संस्थान प्रतिपूर्ति राशि पर इकाई से प्रा.ऋ.सं. से ब्याज लेगी ।

(!v) प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) लि. द्वारा चलाई जा रही किराया-खरीद योजना का समावेश ।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. द्वारा चलाई जा रही किराया-खरीद योजना के ब्याज अंश को प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत शामिल किया गया बशर्ते कि मशीनरी योजना में निर्धारित प्रौद्योगिकी तथा अन्य पात्र प्राचलों की पूर्ति करती हो ।

(v) प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत पुराने आयातित वाटरजेट करघों की पुरानी अवधि में 5 वर्ष से 10 वर्षों तक वृद्धि तथा न्यूनतम चौड़ाई को विद्यमान 165 सेमी से 150 सेमी तक घटाना ।

पुराने आयातित वाटरजेट करघों की पुरानेपन अवधि में 5 वर्षों से 10 वर्षों तक वृद्धि की गई है तथा पात्र चौड़ाई विद्यमान 165 सेमी. चौड़ाई से 150 सेमी. तक कम की गई है ।

उपरोक्त आशोधनों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए ।

(श्रीमती शशी सिंह)
निदेशक

भारत सरकार,
वस्त्र मंत्रालय,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
पो.बै.सं.-11500, मुंबई-20.

सं. 28/19/2000/एम.एस./
2003

दिनांक: 14 मई,

परिपत्र सं.-2

(2003-2004 श्रृंखला)

विषय:- प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो.) ।

दिनांक 7 मई, 2003 को मुंबई में संपन्न तकनीकी सलाहकार सह-देखरेख समिति की 20वीं बैठक में लिए गए निर्णय ।

(i) प्रौ.उ.नि.यो. के जी.आर. के परिशिष्ट-बी में अतिरिक्त मशीनरी ।

प्रौ.उ.नि.यो. के जी. आर. की परिशिष्ट-बी (जी) में निम्नलिखित मशीनों को शामिल किया गया :-

10. एअर कवरिंग मशीन
11. यूनिवर्सल डबल कवरिंग मशीन
12. गोलाकार बुनाई/टेक्सचराइसिंग मशीन पर स्पॅनडेक्स अटॅचमेंट

(ii) रेडिमेड गारमेन्ट सेक्टर के लिए अतिरिक्त मशीनरी ।

प्रौ.उ.नि.यो. के जी. आर की परिशिष्ट-ई (ए) में निम्नलिखित मशीनों को शामिल किया गया :-

- 64- लेसर कलर फेडिंग/मार्किंग/ड्राइंग मशीन
- 65-लेसर परिचालित कलर स्प्रेयिंग मशीन
- 66- आरएमजी क्यूरिंग/हीट सेटींग ओवन

(iii) सभी उद्योगों के लिए 15 एच.पी. तथा उससे अधिक के एअर कॉम्प्रेसर का समावेश:-

"15 एच.पी तथा उससे अधिक के एअर कॉम्प्रेसर" का प्रौ. उ.नि.यो. के जी. आर. के निम्नलिखित परिशिष्टों में समावेश किया गया ।

1. परिशिष्ट बी (ए) 21
2. परिशिष्ट सी (बी) (!!!) 2
3. परिशिष्ट डी -1(बी) 17 एवं सी 7
4. परिशिष्ट ई (ए) 67

- 5 परिशिष्ट एफ-1(बी) (!v) 13
6 परिशिष्ट एफ-2(बी) (!v) 4
7 परिशिष्ट एफ-3(बी) (!v) 4
8 परिशिष्ट एफ-4(बी) (!!!) 4
9 परिशिष्ट जी (!) 22

(!v) पात्र थर्मो पॉक संबंधी स्पष्टीकरण ।

परिशिष्ट-एफ 1(बी)(!v)(2), परिशिष्ट-एफ 2 (बी)(!v)(2), परिशिष्ट-एफ 3 (बी)(!v)(2) एवं परिशिष्ट-जी (!) 21 के अंतर्गत विद्यमान प्रविष्टी "थर्मो पॉक (तेल/गैस फायर्ड)/अन्य उच्च तापमान हिटींग पद्धति" के रूप में संशोधित किया गया है ।

उपरोक्त आशोधनों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए ।

**(श्रीमती शशी सिंह)
निदेशक**

भारत सरकार,
वस्त्र मंत्रालय,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
पो.बै.सं.-11500, मुंबई-20.

सं. 28/19/2000/एम.एस./

दिनांक:25 अगस्त, 2003

परिपत्र सं.-3

(2003-2004 श्रृंखला)

विषय:- प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो.)।

1. नोडल अभिकरणों द्वारा अतिरिक्त बैंकों/वित्तीय संस्थानों का सहयोजन ।

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), जो प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत वस्त्र उद्योग (गैर-लघु उद्योग) के लिए नोडल अभिकरण है,ने दिनांक 08/5/2003 एवं दिनांक 14/5/2003 पत्र सं. आईडीबीआई एच.ओ.टीयूएफएस (6) द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना के अन्तर्गत वस्त्र उद्योग गैर लघु उद्योग के लिए निम्नलिखित बैंको का सहयोजन किया है ।

- (i) इलाहाबाद बैंक
- (ii) श्यामराव विट्ठल सहकारी बैंक लि.
- (iii) मुंबई मर्कन्टाइल सहकारी बैंक लि.

(ख) स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (सीडबी) जो प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत वस्त्र उद्योग (लघु उद्योग) के लिए नोडल अभिकरण है, ने दिनांक 14/7/2003 के पत्र सं. डीएफआईडी/आरटीयूएफ द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अन्तर्गत वस्त्र उद्योग लघु उद्योग के लिए सूरत डिस्ट्रिक्ट को. ऑप. बैंक लि. को सहयोजित किया ।

2. मुंबई में दिनांक 6 अगस्त, 2003 को तकनीकी सहाकार एवं देखरेख समिति (टीएएमसी) की संपन्न 21 वीं बैठक में लिए गए निर्णय ।

(i) ऊन धुनने के लिए मशीनरी का समावेश ।

ऊन धुनने के लिए बालिंग प्रेस को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना पर जी. आर. के परिशिष्ट-B (b) में निम्नानुसार समावेश किया गया ।
परिशिष्ट- B (b) 13- ऊन धुनने के लिए बालिंग प्रेस

(ii) कम्प्यूटरीकृत स्ट्रैप (कॉलर/कफ) फ्लॉट वेड निर्तीग मशीन का समावेश ।

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के जी.आर. के परिशिष्ट-डी-1 तथा परिशिष्ट-ई के अंतर्गत कम्प्यूटरीकृत स्ट्रॉप (कॉलर/कफ) फ्लॉट बेड निटिंग मशीन का निम्नानुसार समावेश किया गया ।

1. परिशिष्ट-डी-1(सी)8 कम्प्यूटरीकृत स्ट्रॉप (कॉलर/कफ) फ्लॉट बेड निटिंग मशीन
2. परिशिष्ट-ई (ए)68 कम्प्यूटरीकृत स्ट्रॉप (कॉलर/कफ) फ्लॉट बेड निटिंग मशीन

(iii) बैंक कोटींग लाइन्स का समावेश ।

कारपेट बैंकींग, नॉन वुवन टेक्सटाइल्स तथा तकनीकी टेक्सटाइल्स के लिए बैंक कोटींग को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के जी.आर. के परिशिष्ट-डी-2 के अन्तर्गत निम्नानुसार समावेश किया गया ।

1. परिशिष्ट-डी2-(डी)9 बैंक कोटींग लाइन्स
2. परिशिष्ट-डी2-(एफ) नॉन वुवन सी 16-बैंक कोटींग लाइन्स

(IV) रेडिमेड गारमेन्ट सेक्टर के लिए अतिरिक्त मशीनरी ।

कप सीमर का प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के जी.आर. के परिशिष्ट-ई (ए) के अंतर्गत निम्नानुसार समावेश किया गया ।

परिशिष्ट-ई (ए)69- कप सीमर

(V) इंडस्ट्रियल/टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए डिपींग यूनिट का समावेश ।

डिपींग यूनिट का प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के जी.आर.के परिशिष्ट-एफ-1 एवं एफु-2 के अंतर्गत निम्नानुसार समावेश किया गया ।

1. परिशिष्ट-एफ-1(बी) (III)18-डिपींग यूनिट
2. परिशिष्ट-एफ-2 (III)11-डिपींग यूनिट

(VI) उच्च गति की नई गोलाकार बुनाई मशीन के लिए न्यूनतम गति के लिए प्रतिबन्ध को हटाना ।

उच्च गति की नई गोलाकार बुनाई मशीन के लिए न्यूनतम गति के प्रतिबन्ध को हटाया गया है तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना पर जी. आर.परिशिष्ट-डी-1 सी-1 के अंतर्गत प्रविष्टि को निम्नानुसार संशोधित किया :-

परिशिष्ट-डी-1-सी-1 उच्च गति की नई गोलाकार बुनाई मशीन ।

अनुमेय पुरानी मरम्मत की गई गोलाकार बुनाई मशीन की न्यूनतम गति 20 चक्कर प्रति मिनट हो ।

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के जी. आर में गोलाकार बुनाई मशीन के लिए न्यूनतम गति का प्रतिबन्ध दिनांक 21/01/2003 से प्रभावी होगा । यह संशोधन दिनांक 21/01/2003 से प्रभावी होगा ।

उपरोक्त आशोधनों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए ।

(श्रीमती शशी सिंह)

निदेशक

भारत सरकार,
वस्त्र मंत्रालय,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
पो.बै.सं.-11500, मुंबई-20.

सं.28/19/2000/एम.एस./

दिनांक: 21 नवंबर, 2003

परिपत्र सं.-4
(2003-2004 श्रृंखला)
विषय:- प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो.)।

1. नोडल अभिकरणों द्वारा अतिरिक्त बैंकों/वित्तीय संस्थानों का सहयोजन ।

(क) इंडस्ट्रियल फायनान्सियल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (आईएफसीआई) जो प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत पटसन उद्योग के लिए नोडल अभिकरण है, ने दिनांक 22/10/2003 के पत्र सं.क्रेडिट-11 /A5/2003-19102 द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अन्तर्गत उद्योग के लिए फेडरल बैंक लिमिटेड का सहयोजन किया है ।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) जो प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत गैर लघु उद्योग वस्त्र उद्योग के लिए नोडल अभिकरण है, ने दिनांक 19/9/2003 के पत्र सं. आईडीबीआई एच.ओ. टीयूएफएस (6) द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अन्तर्गत गैर लघु उद्योग वस्त्र उद्योग के लिए फेडरल बैंक लिमिटेड एवं इंडियनरिनिवेबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लि. (आईआरडीए) का सहयोजन किया ।

(ग) स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी), जो प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत वस्त्र लघु उद्योग के लिए नोडल अभिकरण है, ने प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अन्तर्गत वस्त्र लघु उद्योग के लिए प्राइम को.ऑप.बैंक लि. का सहयोजन किया ।

2. नई दिल्ली में दिनांक 30 सितंबर, 2003 को अंतर-मंत्रालयीन स्थायी समिति (आईएमएससी) की संपन्न 15 वीं बैठक में लिए गए निर्णय ।

(i) विकेन्द्रीत पावरलूम क्षेत्र के लिए अर्ध-स्वचालित/स्वचालित करघों के लिए अनुबद्धित न्यूनतम 165 से.मी. चौड़ाई को हटाना ।

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अन्तर्गत पावरलूम के लिए अनुबद्धित न्यूनतम चौड़ाई को हटाया गया तथा उक्त को ठेकेदारों द्वारा उनकी आवश्यकतानुसार निश्चित किया जाएगा ।

(ii) विस्कोस फिलामेन्ट यार्न के लिए पुरानी आयातित मशीन का समावेश ।

विस्कोस फिलामेन्ट यार्न के उत्पादन के लिए 5 वर्ष पुरानी आयातित निरंतर कताई यार्न मशीन को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पात्र बनाया गया है तथा तदनुसार प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना की जी.आर. के पैरा 3.22

(2) में निम्नानुसार प्रविष्टि की गई है :-

पैरा 3.2 (2)(1)- संपूर्ण मापांक (मॉडयूल्स) ड्राइव यूनिट, कंट्रोल बोर्ड, प्रोग्रामेबल लॉजिस्टिक कंट्रोल (पीएलसी), मिटरिंग गिअर पम्प्स, स्पिनरेट्स, कारुन्टर स्पिनरेट्स समेत डिजीटल इलेक्ट्रॉनिक फ्रिक्वेन्सी इनवर्टर्स युक्त विस्कोस फिलामेन्ट यार्न के लिए पांच वर्ष तक पुरानी कताई मशीन ।

3. प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना को 31/3/2007 तक बढ़ाना ।

सरकार ने तत्काल प्रभाव से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना को 31/3/2003 तक बढ़ाने के लिए अनुमोदन दिया है ।

4. पावरलूम लघु उद्योग इकाइयों के लिए मशीन की लागत पर 20% पूंजीगत सब्सिडी के क्रेडिट लिंकड इन्सेन्टीव का अतिरिक्त विकल्प ।

पावरलूम लघु उद्योग इकाइयों को योजना के अंतर्गत स्वीकार्य आधुनिक बुनाई मशीन के लागत के 20% क्रेडिट लिंकड इन्सेन्टीव जो रु. 60 लाख तक की लागत तक ऋण की सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त सभी सहकारी बैंकों तथा अन्य प्रामाणिक गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों समेत क्रेडिट नेटवर्क से प्राप्त करने के अतिरिक्त विकल्प के प्रस्ताव द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के विस्तार को तत्काल प्रभाव से सरकार ने अनुमोदित किया है ।

आवश्यक परिचालित मार्गदर्शक तत्व अलग से जारी किए जाएंगे ।

उपरोक्त आशोधनों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए ।

(श्रीमती शशी सिंह)

निदेशक

भारत सरकार,
वस्त्र मंत्रालय,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
पो.बै.सं.-11500, मुंबई-20.

सं. 28/19/2000/एम.एस./

दिनांक:

23/12/2003

**परिपत्र सं.-5
(2003-2004 श्रृंखला)**

विषय:- प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो.) ।

1. नोडल अभिकरणों द्वारा अतिरिक्त बैंको/वित्तीय संस्थानों का सहयोजन ।

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) जो प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत गैर- लघु वस्त्र उद्योग के लिए नोडल अभिकरण है, ने दिनांक 1/12/2003 के पत्र संख्या आईडीबीआईएच.ओ.टीयूएफएस.(6) द्वारा प्रौ.उ.नि.योजना के अन्तर्गत गैर- लघु वस्त्र उद्योग के लिए बैंक ऑफ अमेरिका, एन.ए. तथा सारस्वत सहकारी बैंक लि. का सहयोजन किया है ।

2. मुंबई में दिनांक 4 दिसम्बर, 2003 को तकनीकी सलाहकार एवं देखरेख समिति (टीएएमसी) की 22वीं बैठक में लिए गये निर्णय ।

(i) इन्फ्रा रेड ड्रायर के साथ परत साधन का समावेश ।

इन्फ्रा रेड ड्रायर के साथ परत साधन को परिशिष्ट-डी-2 एफ.नॉन वुवन-सी (10) के अन्तर्गत विद्यमान प्रविष्टि को संशोधित करके योजना के अन्तर्गत पात्र मशीन के रूप में निम्नानुसार शामिल किया गया :

परिशिष्ट डी-2 एफ (सी) 10 "कोंग्यूलेटेड पीयू डिप्ड कोटिंग मशीन या इन्फ्रा रेड ड्रायर के साथ कोटिंग, डिपिंग/नाईफ मशीन"

(ii) अन्य पीएलआई/एनए में स्थानांतर करने पर गैर विनिमेय ऋण पत्रों (एनसीडी) पर ब्याज प्रतिपूर्ति की पात्रता ।

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत शामिल नोडल अभिकरणों/सहयोजित पीएलआई द्वारा अंशदान किए गए गैर विनिमेय ऋण पत्रों को उनके जीवनकाल में

एक बार अन्य नोडल अभिकरण/सहयोजित पीएलआई में स्थानांतर करने की अनुमति दी गई है। नोडल अभिकरण यह अवश्य सुनिश्चित करे कि नोडल अभिकरणों या सहयोजित पीएलआई को स्थानांतरित गैर विनिमेय ऋण पत्रों तथा बाजार के अन्य निवेशकों को स्थानांतरित गैर विनिमेय ऋण पत्रों को ब्याज प्रतिपूर्ति नहीं की गई हो ।

(iii) स्टॅण्ड अलोन आधार पर करघों में फिटमेंट के लिए दस वर्षों से अधिक पुराने जॅकॉर्ड/डॉबी की पात्रता ।

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पात्र स्टॅण्ड अलोन आधार पर दस वर्ष तक पुरानी इलेक्ट्रॉनिक जॅकॉर्ड/डॉबी को किसी भी करघों में फिट किया जा सकता है, चाहे वह करघा प्रौ.उ.नि.यो. के अनुरूप हो या न हो ।

(iv) अर्ध स्वचालित करघों के तकनीकी विनिर्देशन के संबंध में परिशिष्ट डी-1 (बी)3 बी का संशोधन ।

परिशिष्ट डी-1 (बी)3 बी में अर्ध स्वचालित करघों के लिए दिए गए तकनीकी विनिर्देशन को प्रविष्टि की 8वीं तथा 9वीं लाइन को काटकर संशोधित किया गया, यथा, शुरू करने, बंद करने एवं "खिसकाने के लिए खिसकाने वाली व्यवस्था के साथ पुश बटन की मांग" ।

3. सीएलसीएस-टीयूएफएस @ 12 के अंतर्गत सब्सिडी राशि पर सीमा ।

वर्तमान में योजना में सीएलसीएस-टीयूएफएस के अंतर्गत पात्र निवेश पर अधिकतम सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की है । इस मामले की जाँच की गई तथा यह स्पष्ट किया गया कि सीएलसीएस-टीयूएफएस के अंतर्गत इकाइयों को रु. 1 करोड़ तक या एसएसआई सीमा तक इकाई के पहुँचने तक, जो भी अधिक हो, नए निवेश (प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत पात्र) करने की अनुमति दी गई है, तदनुसार योजना के अंतर्गत सब्सिडी राशि निकाली जाएगी ।

उपरोक्त आशोधनों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए ।

**(श्रीमती शशी सिंह)
निदेशक**

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
पोस्ट बैग सं.11500, मुंबई 400 020.

सं. 28/19/2003-एम.एस./
2004

दिनांक: 14 जनवरी

परिपत्र सं. -6
(2003-2004 श्रृंखला)
विषय: प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो.)

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत कॅप्टिव ऊर्जा के उत्पादन हेतु पवन ऊर्जा का

समावेश:-

दिनांक 4 मार्च, 2003 का संपन्न प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना की अंतर मंत्रालयीन स्थायी समिति (आईएमएससी) की 14वीं बैठक में प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत कॅप्टिव ऊर्जा के उत्पादन के लिए पवन ऊर्जा उपकरणों को अनुमोदन देते समय समिति ने अनुबन्ध किया कि प्रतिपूर्ति करने से पहले नोडल अभिकरण कॅप्टिव ऊर्जा उत्पादन हेतु पवन ऊर्जा प्लान्ट के लिए प्राप्त प्रस्तावों का विवरण वस्त्र आयुक्त के माध्यम से वस्त्र मंत्रालय को भेजगा तथा ब्याज प्रतिपूर्ति करने से पहले उनका अनमोदन प्राप्त करेगा । इस मामले की वस्त्र मंत्रालय द्वारा पुनः जांच की गयी तथा वस्त्र मंत्रालय ने दिनांक 5 जनवरी, 2004 के पत्र सं 28/6/2002-सीटी-1 द्वारा पवन ऊर्जा प्लान्ट संबंधी उपरोक्त अनुबंध को हटाने का निर्णय लिया ।

2. तथापि, प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत पवन ऊर्जा प्लान्ट के समावेश हेतु मंत्रालय ने मार्ग दर्शक तत्व निर्धारित किए । ऋणद अभिकरणों को पवन ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी देते समय निर्धारित मार्गदर्शक तत्वों का पालन करना होगा तथा नोडल अभिकरणों को ब्याज प्रतिपूर्ति करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा की प्रस्ताव सभी शर्तों को पूरा करता है। निर्धारित मार्गदर्शक तत्व निम्नानुसार हैं :-

2.1 पवन टरबाइन के आधार पर सी.पी.पी. में निवेश का ऋणद अभिकरणों के द्वारा घरेलू खपत में इकाई के वर्तमान एवं पूर्वानुमानित पावर की आवश्यकता को सुनिश्चित करने हेतु किए गए मूल्यांकन तक सीमित रखा जाएगा । आवश्यकता से अधिक पवन टरबाइन की क्षमता को स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना सब्सिडी का प्रयोग नहीं किया जा सकता । एनए/पीएलआई इस बात से संतुष्ट हो कि स्वीकार्य

सब्सिडी आवश्यक राशि तक सीमित हो तथा एसईबी को आपूर्ति की जानेवाली बिजली के लिए पवन ऊर्जा पार्क स्थापित करने के लिए सब्सिडी का प्रयोग न हो ।

2.2. प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के मानकों के अनुसार तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना तहत ऋण के लिए पात्र प्लान्ट एवं मशीनरी वाले वस्त्र इकाइयों के पवन टरबाइन का स्टैण्ड अलोन आधार पर समावेश किया जाएगा ।

2.3 पवन ऊर्जा मिलें केवल ऐसी जगह स्थापित की जा सकती हैं जो उद्देश्य के लिए उपयुक्त हो तथा वहाँ पवन का आवश्यक वेग हो । यह आवश्यक नहीं है कि उसी जगह वस्त्र इकाइयाँ हो । यदि पावर की आपूर्ति राज्य बिजली बोर्ड या किसी अन्य एकाधिकार राज्य के संचारन एवं वितरण नेटवर्क द्वारा की गयी हो तो नोडल अभिकरण/पीएलआई यह जांच कर सकता है कि क्या वस्त्र इकाइयों को स्थापित पवन ऊर्जा इकाइयाँ अविरत पावर की आपूर्ति कर रहे हैं । नोडल अभिकरण/पीएलआई इस बात से भी संतुष्ट हो कि बिजली बोर्ड द्वारा की गई संचारण एवं वितरण व्यवस्था वस्त्र इकाइयों को अविरत पावर आपूर्ति सुनिश्चित करें, जो सब्सिडी मंजूर करने के लिए प्रमुख ध्येय है ।

2.4 क्योंकि पवन ऊर्जा की उत्पत्ति बहुत से प्राकृतिक कारकों पर अवलम्बित है, वस्त्र इकाई संपूर्ण रूप से पवन ऊर्जा स्रोत पर निर्भर नहीं रह सकता है तथा उसे डी.जी.सेट के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए विकल्प की आवश्यकता होगी । नोडल अभिकरण/पीएलआई उक्त को सुनिश्चित करें ।

3. प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पवन टरबाइन के लिए सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए किसी भी दावे पर विचार करने से पहले उपरोक्त मुद्दों की जांच की जाए । सहयोजित पीएल आई से प्राप्त पवन ऊर्जा प्लान्ट्स के प्रस्तावों के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति जारी करने से पहले नोडल अभिकरण मार्गदर्शक तत्वों का सख्ती से पालन करें ।

उपरोक्त आशोधनों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए ।

(श्रीमती शशी सिंह)
निदेशक

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
पो.बै. सं. 11 500, मुंबई : 400 020.
फैक्स सं.022-2002495
E-mail: texcomindia@txcindia.com
Website : www.txcindia.com

सं. 28(19)/2003-एम.एस/

दिनांक : 23 जनवरी, 2004

परिपत्र सं. 7

(2003-2004 श्रृंखला)

विषय : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो.)

पावरलूम क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो.) के अंतर्गत 20% की दर से क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी (सीएलसीएस @20% - टीयूएफएस) - संचालित मार्गदर्शक तत्व ।

1. सरकार ने पावरलूम इकाइयों को प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के बदले में 20% कैपिटल सब्सिडी देने का विकल्प रखा है । सीएलसीएस @20% - टीयूएफएस के संचालित मार्गदर्शक तत्व निम्नानुसार है :-

योजना की अवधि

2. सीएलसीएस @ 20% -टीयूएफएस दिनांक 6 नवंबर, 2003 से 31 मार्च, 2007 तक कार्यरत रहेगी । योजना की अवधि के अंतिम तिथि तक ऋणद अभिकरणों द्वारा मंजूर किए गए ऋण 20% कैपिटल सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे ।

पात्र इकाइयाँ

3. योजना केवल लघु उद्योग क्षेत्र के पावरलूम, यथा, लघु उद्योग सीमा तक प्लान्ट एवं संयंत्र में निवेश किए गए इकाइयों के लिए लागू है । तथापि योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु पहले से एसएसआई पंजिकरण होना आवश्यक नहीं होगा ।

सब्सिडी की प्रमात्रा

4. प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत विनिर्दिष्ट मशीनरी में किए गए निवेश पर 20% कैपिटल सब्सिडी उपलब्ध होगी बशर्ते कि सब्सिडी राशि की अधिकतम सीमा रू.12 लाख हो ।
5. 20% सब्सिडी प्राप्त करनेवाली पावरलूम इकाइयाँ एनईएफ योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगी ।

पात्र मशीनरी एवं मूल्य निर्धारण

6. योजना के अंतर्गत देशी विनिर्मित अर्ध-स्वचालित करघे, स्वचालित करघे, विनिर्दिष्ट करघों के उपकरणों सहित अथवा उसके बिना शटललेस करघे तथा विनिर्दिष्ट बुनाई प्रारंभिक मशीने शामिल है ।

7. प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के मानकों नुसार नये आयातित तथा पुराने आयातित शटललेस करघे भी योजना के अंतर्गत पात्र होंगे ।
8. सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक तत्वों (संलग्नक-I) के अनुसार वस्त्र आयुक्त द्वारा बेंचमार्क मशीनरी एवं बेंचमार्क मूल्य के साथ स्थापित विनिर्माताओं की प्रथम सूची संलग्नक - II पर है । सूची में सम्मिलित ऐसे देशी मशीनों के मूल्य या वास्तविक इनवॉइस मूल्य, इनमें से जो कम हो, पर 20% कैपिटल सब्सिडी उपलब्ध होगी ।
9. विभिन्न मॉडल तथा पुराने आयातित करघों के लिए सब्सिडी की सीमा वस्त्र आयुक्त द्वारा अलग से जारी की जाएगी ।

मशीनों के मूल्य का पुनरीक्षण

10. प्रारंभिक मूल्य एक वर्ष के लिए स्थिर रखा जाएगा, तत्पश्चात उसे मूल्य सुधार सुत्र के आधारपर संशोधित किया जाएगा जिसका मूल्य के तत्वों के मुख्य अंगों के आधारपर हल निकाला जाएगा । मूल्य सुधार सुत्र का वस्त्र आयुक्त द्वारा अलग से हल निकाला जाएगा तथा घोषणा की जाएगी ।

ऋणदाता अभिकरण

11. श्रेणी क एवं ख के रूप में आरबीआई के साथ एनबीएफसी का पंजीकरण किया गया । सहकारी बैंक/एसएफसी/एसआईडीसी तथा सीडबी समेत सभी बैंक योजना के अंतर्गत ऋण देने के लिए पात्र है ।

वित्तीय मानक

12. वित्तीय मानक जैसे ऋण की अवधि, ऋणस्थगन अवधि सुरक्षा ऋण इक्विटी अनुपात, गत वर्ष के लाभ की स्थिति, नेटवर्थ आदि ऋणदाता अभिकरणों के विद्यमान मानकों के अनुसार होंगे । तथापि वे टफ मानकों से सख्त नहीं होने चाहिए ।
13. सावधिक ऋण के अतिरिक्त पात्र पावरलूम इकाइयां ऋणदाता अभिकरणों के इजारा वित्तप्रबन्ध एवं भाटक-क्रय योजनाओं के अंतर्गत भी वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं ।

मशीनरी विनिर्माताओं को सब्सिडी जारी करना

14. सावधिक ऋण के लिए पावरलूम इकाई उनके परियोजना प्रस्ताव के साथ ऋणदाता अभिकरण से संपर्क करेगी । ऋणद अभिकरण वस्त्र आयुक्त कार्यालय को ऋण की स्वीकृति की सलाह विहित प्रपत्र में (संलग्नक-III) में देगा ।

15. पावरलूम उद्यमी उनका 15% प्रारंभिक अंशदान सीधे मशीनरी विनिर्माताओं को देगा । जब मशीने भेजने के लिए तैयार हो जाएगी तब ऋणद अभिकरण द्वारा मशीनरी विनिर्माताओं को ऋण जारी किया जाएगा । यदि ऋण की राशि से 80% मशीन की लागत मूल्य पूर्ण नहीं हो पायी तो पावरलूम बुनकरों को उनको अपने माध्यम से शेष राशि का भुगतान मशीनरी विनिर्माता को करना पड़ेगा ।
16. 80% मशीनरी की मूल्य प्राप्त होने पर मशीनरी विनिर्माता/पावरलूम उद्यमी मशीन स्थापित एवं शुरू करेगा । करघों का कार्य समाधानपूर्वक होने पर मशीनरी विनिर्माता वस्त्र आयुक्त कार्यालय को सूचित करेगा ।
17. आयातित मशीन के संबंध में पावरलूम बुनकर करघे शुरू होने के बाद वस्त्र आयुक्त कार्यालय को सूचित करेंगे ।
18. मशीन के कार्य का निरीक्षण करने एवं प्रमाणित करने के लिए वस्त्र आयुक्त क्षेत्रीय आधारपर निरीक्षण दलों का गठन करेंगे । यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रमाणन समिति मशीनरी विनिर्माताओं द्वारा सूचित करने से 15 दिनों के भीतर प्रमाणपत्र जारी करेगी ।
19. निरीक्षण दल द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात मशीनरी विनिर्माताओं को वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा 20% सब्सिडी जारी की जाएगी । प्रमाणन समिति द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने के 15 दिनों के भीतर वस्त्र आयुक्त कार्यालय 20% सब्सिडी जारी करना सुनिश्चित करेगा ।
20. प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना संगत आयातित करघों एवं मशीनरी के संबंध में पावरलूम बुनकरों को खरीद करने के लिए बैंक में एलसी खोलना आवश्यक होगा । ऐसे मामले में आयातित करघों एवं मशीनरी की स्थापना एवं शुरू होने की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 20% सब्सिडी सीधे पावरलूम बुनकरों के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी ।
21. यदि पावरलूम उद्यमी ने 20% कैपिटल सब्सिडी देने के लिए ऋणद अभिकरण से वित्तीय सहायता ली हो, तो वस्त्र आयुक्त द्वारा 20% सब्सिडी सीधे ऋणद अभिकरण को जारी की जाएगी ।
22. यदि मशीनरी चरणबद्ध तरीके से स्थापित/शुरू की जानेवाली हो तो सब्सिडी भी चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएगी ।
23. मशीनरी की स्थापना/कार्य का सांयोगिक समय समय पर निरीक्षण करने हेतु वस्त्र आयुक्त द्वारा मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल का गठन किया जाएगा ।

दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षण

24. योजना के दुरुपयोग से बचाने के लिए प्रत्येक मशीन पर एकमात्र मिल की निक्षेपण संख्या तथा चालू क्रम संख्या (ऑल नॉट < 2 एमएम डेपथ) उत्कीर्ण की जाएगी। प्रत्येक मशीन के लिए नऊ अंकों की पहचान कोड संख्या होगी। नऊ अंकों की पहचान कोड संख्या में निम्नलिखित शामिल होगा :-

- पहचान कोड के पहले तीन अंक (000) प्रत्येक विनिर्माता के लिए एकमात्र मिल संख्या दर्शाएगी, जो वस्त्र आयुक्त द्वारा संलग्नक - II के मद. 3 के अनुसार जारी किए गए हैं। एकमात्र तीन अंकों की मिल संख्या का मशीनरी विनिर्माताओं द्वारा विशिष्ट निक्षेपण घटकों में निक्षेपण किया जाएगा।
- पहचान कोड के अगले दो अंक (00) मशीनरी के प्रकार के सूचक होंगे। विभिन्न प्रकार के मशीनरी के लिए दो अंक वस्त्र आयुक्त द्वारा निश्चित किए गए हैं। दो अंकों का ब्योरा संलग्नक - IV में दिया गया है। प्रत्येक मशीनरी पर तीन अंकों के एकमात्र मिल संख्या के बगल में दो अंक उत्कीर्ण किए जाएंगे (ऑल नॉट < 2 एमएम डेपथ)।
- अगले चार अंक (0000) योजना के अंतर्गत विनिर्माता उत्पादन किए गए मशीनरी की संख्या के सूचक होंगे। प्रत्येक प्रकार की मशीनरी के लिए चालू क्रम में चार अंक संबंधित मशीनरी विनिर्माता द्वारा दिया जाएगा तथा इसे तीन अंकों की एकमात्र मिल संख्या एवं दो अंकों की संख्या के बगल में उत्कीर्ण किया जाएगा, जिसे वस्त्र आयुक्त द्वारा निश्चित किया गया है।

उदाहरण के लिए, मे. ऑनेस्ट ट्रेडींग कं प्रा. लि. ने योजना के अंतर्गत उत्पादन किए गए प्रथम अर्ध-स्वचालित करघे का नऊ अंकोंवाला पहचान कोड '017010001' है। पहले तीन अंक '017' मे. ऑनेस्ट ट्रेडींग कं प्रा. लि. की एकमात्र मिल संख्या दर्शाती है, अगले दो अंक '01' मशीनरी का प्रकार, अर्थात्, अर्ध-स्वचालित करघा, दर्शाते हैं; अगले चार अंक '0001' मे. ऑनेस्ट ट्रेडींग कंपनी द्वारा योजना के अंतर्गत उत्पादन किए गए प्रथम अर्ध-स्वचालित करघे को दर्शाते हैं। इसी तरह के में. लक्ष्मी टेक्सटाईल स्टोर्स द्वारा योजना के अंतर्गत उत्पादित प्रथम रैपियर करघे का नऊ अंकों वाला पहचान कोड '0021040001' होगा। पहले तीन अंक '001' में. लक्ष्मी टेक्सटाईल स्टोर्स की एकमात्र मिल संख्या दर्शाते हैं; अगले दो अंक '04' मशीनरी का प्रकार, अर्थात् रैपियर करघा, दर्शाते हैं, तथा अगले चार अंक '0001' में. लक्ष्मी टेक्सटाईल स्टोर्स द्वारा योजना के अंतर्गत उत्पादन किए गए प्रथम रैपियर करघे को दर्शाते हैं।

25. वस्त्र आयुक्त द्वारा निश्चित किए गए अनुसार चुने गए कास्ट कम्पोनेन्ट्स पर अभिज्ञेय मशीनरी विनिर्माता तीन अंकों का एकमात्र मिल संख्या अंकीत करेंगे। अंकीत करने के लिए मदवार विनिर्दिष्ट कम्पोनेन्ट्स संलग्नक - V पर है। वस्त्र आयुक्त द्वारा निश्चित की गई दो अंकों की मशीनरी संख्या एवं चार अंकों की चालू क्रम संख्या ऐसे कास्ट कम्पोनेन्ट्स पर मशीनपर मिल संख्या के बगल में उत्कीर्ण किए जाएंगे (ऑल नॉट < 2 एमएम डेपथ)।

26. विनिर्दिष्ट मशीनों के लिए जिनका कास्ट कम्पोनेन्ट्स नहीं है, ऐसी संख्या लिखने के बजाय एकमात्र मिल संख्या (ऑल नॉट < 2 एमएम डेपथ) उत्कीर्ण करने की अनुमति वस्त्र आयुक्त द्वारा दी गई है।

27. मशीनरी विनिर्माताओं के विद्यमान स्टॉक के लिए, योजना के प्रारंभ की तिथि को स्टॉक की घोषणा का विवरण मशीनरी विनिर्माताओं द्वारा **श्री एस. चक्रवर्ती, निदेशक, पावरलूम** को दिया जाएगा । ऐसे स्टॉक की मात्रा के आधारपर, ऐसे स्टॉक पर एकमात्र मिल संख्या (ऑफ 2 एमएम डेप्ट) उत्कीर्ण करने की अनुमति देते हुए योजना के अंतर्गत ऐसे स्टॉक को शामिल करने संबंधी निर्णय वस्त्र आयुक्त लेंगे ।

योजना की प्रगति की देखरेख

28. योजना की प्रगति की देखरेख टीएमसी करेगी ।

शिकायत समिति

29. योजना के अंतर्गत मशीनरी खरीदने के पश्चात बुनकरों की शिकायतों पर वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में स्थापित शिकायत समिति, जिसमें प्रत्येक बुनकर संघ तथा एफआईटीईआई का एक प्रतिनिधि शामिल होगा, द्वारा विचार किया जाएगा ।

सीएलसीएस-टीयूएफएस @20% के प्रचालित मार्गदर्शक तत्व सभी संबंधितों के ध्यान में लाए जाए ।

(श्रीमती शशी सिंह)
निदेशक

सीएलसीएस @ 20% टीयूएफएस के अंतर्गत पात्र मशीनरीके मूल्य निर्धारित करने हेतु सरकार द्वारा जारी मागदर्शक तत्व ।

1. मशीनरी की गुणवत्ता बनाये रखना सुनिश्चित करने हेतु देशी विनिर्माताओं को अभिमेय किया जाएगा तथा ऐसे विनिर्माताओं की मशीनों को विनिर्देशन एवं कार्य निष्पादन की शर्तों के अनुसार बेंच मार्क किया जाएगा ।
2. योजना के अंतर्गत पात्र मशीनरी की बिक्री मूल्य वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित की जाएगी । पिछली अवधि की मदवार इनवॉइस मूल्य के आधार पर मशीनरीवार, विशिष्टता वार मूल्य निर्धारित किया जाएगा । जनवरी,2003 से मार्च,2003 को पिछली अवधि माना जाएगा तथा यदि उक्त अवधि में कोई इनवॉइस न हो तो वस्त्र आयुक्त द्वारा अवधि निश्चित की जाएगी । जहां कहीं भी कोई इनवॉइस न हो तो समतूल्य या थोडीसी अलग मशीनरी विनिर्माता के इनवॉइस मूल्य के आधारपर मूल्य निश्चित किया जाएगा ।
3. समान विनिर्माताओं के विभिन्न मॉडलों में युक्तिसंगत मूल्यों की दृष्टि से वस्त्र आयुक्त बेंच मार्क मूल्य इनवॉइस मूल्य से अलग निश्चित कर सकता है ।
4. यदि अभिमेय चिनिर्माताओं द्वारा योजना की अवधि के दौरान नयी पात्र मशीन या पात्र मशीन का सुधारित नमूना बाजार में लाया गया तो ऐसे मॉडल का मूल्य अन्य अभिज्ञेय विनिर्माताओं के समतूल्य मॉडलों के मूल्य के समान निर्धारित किया जाएगा ।
5. यदि अभिमेय विनिर्माताओं द्वारा संपूर्ण नया मॉडल जो देश में कहीं भी उपलब्ध नहीं है, बाजार में लाया गया तो ऐसे मॉडल का मूल्य वस्त्र आयुक्त निश्चित करेंगे ।
6. पुराने आयातित करघों के ओवर इनवॉइसिंग को रोकने के लिए पुराने करघों के मूल्यों के बाजार के अध्ययन के आधारपर सब्सिडी वस्त्र आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी ।
7. मूल्यों सहित बेंचमार्क मशीनरी की सूची, जिसमें विनिर्मातावार, मशीनरीवार, विशिष्टतावार मूल्य का ब्योरा दिया गया है, वस्त्र आयुक्त द्वारा जारी की जाएगी ।

प्रपत्र

दिनांक

ऋणदाता अभिकरण का नाम एवं पता :

क्र. सं.	कर्जदार का नाम एवं पता					सीएलसीएस @ 20% के अंतर्गत कुल मंजूर राशि	
		विशेषताओं के साथ मशीनरी का नाम	मशीनरी विनिर्माता का नाम एवं पता (देशी मशीनरी के संबंध में)	आयात का राष्ट्र (आयतित मशीन के संबंध में)	मशीनरी का मूल्य	दिनांक	राशि (रु.)
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
2							
	उप-योग						
	उप-योग						
	उप-योग						
	कुल योग						

1. यदि पुराने करघे आयात किये गए हो तो उसे मद सं. (3) में दर्शाया जाए ।
2. मद सं. 6 में बेंच मार्क मूल्य या इनवाइस मूल्य, जो भी कम हो, दर्शाया जाए ।
3. सीएलसीएस @20% के अंतर्गत कुल मंजूर राशि बेंचमार्क मूल्य या इनवाइस मूल्य, जो भी हो कम हो, पर आधारित होनी चाहिए ।

वस्त्र आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया विभिन्न प्रकार के
मशीनरी के लिए दो अंको का कोड

क्र.सं.	मशीनरी का प्रकार	वस्त्र आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट दो अंको का कोड
1.	सेमी-आटोमेटिक लूम	01
2.	आटोमेटिक शटल स्टाप चेंज लूम	02
3.	पिर्न चेंजिंग आटोमेटिक लूम	03
4.	शटल-लेस रॅपियर लूम	04
5.	डॉबी	05
6.	जॅक्वार्ड	06
7.	पिर्न वाईडिंग	07
8.	सेक्शनल वार्पिंग मशीन	08
9.	वार्पिंग मशीन	09
10.	साईडिंग मशीन	10
11.	टू फॉर वन टिव्स्टर	11
12.	प्रिवाईडर/रिवाईडर	12

मदवार विनिर्दिष्ट कास्ट कम्पोनेन्ट्स

लूमस	सेक्शनल वार्पिंग
● मशीन फ्रेम - आर	● वार्पिंग ड्रम (आरएच) के लिए ब्रेक फ्लेंग
● मशीन फ्रेम - एल	● वार्पिंग ड्रम (एलएच) के लिए ब्रेक फ्लेंग
● स्ले स्वार्ड - एल	● रिड टेबल बॉडी
● स्ले स्वार्ड - आर	● बिम डोनिंग डॉफिंग सेट
● डॉबी माऊटिंग फ्रेम/टॉप माऊटिंग फ्रेम-एल	● मशीन ट्रावर्सिंग के लिए गियर बॉक्स
● डॉबी माऊटिंग फ्रेम/टॉप माऊटिंग फ्रेम-आर	● वार्पिंग टेबल एवं बीम के लिए गियर बॉक्स
● ब्रिस्ट बिम	● आर्म ट्रॅवर्स
● लूम सेंटर ब्रैकेट	
● बॉक्स प्लेट - एल	
● बॉक्स प्लेट - आर	
वार्पिंग मशीन	साईडिंग मशीन
क्रिल पार्ट	क्रिल
● फ्रेम होल्डर	● क्रिल ब्रैकेट
● यार्न टेन्शनर्स	● क्रिल फ्रेम
● कोन फ्रेम	साईडिंग बॉक्स
● हेड स्टॉक	● रबर रोलर हाऊसिंग
● ड्राइव शाफ्ट हाऊसिंग	● मेन फ्रेम
● गिर्ट बार्स	ड्रायर
	● सिलेन्डर बियरिंग हाऊसिंग
	● सिलेन्डर डिश एन्ड
	हेड स्टॉक
	● निप रोलर हाऊसिंग
	● मेन फ्रेम
पिर्न वाईडिंग मशीन	टीएफओटी/प्री-वाईडर
● गियर बॉक्स	● गियर बॉक्स/मोटर हाऊसिंग प्लेट
● फॅब्रिकेटेड महत्वपूर्ण भाग (कम से कम चार जगहों पर)	● प्रत्येक सेक्शन के बाइंडर्स

टिप्पणी :- ढलाई द्वारा निर्मित अवयवों पर इनकी ढलाई के दौरान विशिष्ट विनिर्माता कोड संख्या उकेरी जानी चाहिए । अवयवों पर कोड संख्या के अलावा रनिंग क्रम संख्या भी उकेरी जाएगी ।

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
(पावरलूम विकास प्रकोष्ठ)
पो.बै. सं. 11 500, मुंबई : 400 020.
न्यू सी.जी.ओ. भवन, 48, न्यू मरीन लाईन्स,
फैक्स सं.022-2004693, E-mail: texcomindia@txcindia.com
फोन नं.022-2001050-268/249.

सं. 2(65)/2004-पीडीसी/
दिनांक : 11/2/2004

परिपत्र सं. 1
(पीडीसी 2003-2004 श्रृंखला)

विषय : पावरलूम क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना
(प्रो.उ.नि.यो.) 20% की दर से क्रेडिट लिंकड कैपिटल
सब्सिडी (सीएलसीएस @20% - टीयूएफएस)
संदर्भ : इस कार्यालय का दिनांक 23 जनवरी,2004 का
परिपत्र सं.7

पात्र पुरानी आयातित मशीनों का मूल्य निर्धारण :-

वस्त्र आयुक्त ने सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक तत्वों के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत पात्र पुरानी आयातित मशीनों के बेंचमार्क मूल्य पर सब्सिडी के उद्देश्य से सीमा निश्चित की है जो उक्त अनुलग्नक-1 में संलग्न है ।

मशीनों के मूल्य का पुनरावलोकन

पात्र देशी मशीनों का बेंचमार्क मूल्य वार्षिक आधार पर "पावरलूम ऑटोमैटिक" की मासिक मूल्य सूची के वार्षिक बदलों के अनुसार परिशोधित किया जाएगा ।

देशी मशीनों के बेंचमार्क मूल्य

दिनांक 23/1/2004 के परिपत्र सं. 7 के साथ संलग्न अनुलग्नक में उल्लिखित बेंचमार्क मूल्य फैक्टरी कीमतों के आधार पर हैं । इनवाँइस के अनुसार यदि उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर लागू हो, तो उसे भी सबसिडी का हिसाब लगाते वक्त विचाराधीन रखा जाएगा ।

संलग्न : यथोपरि ।

(एस. चक्रवर्ती)
निदेशक

अनुलग्नक -I

अनु. क्र.	पुरानी आयातित मशीनों का विवरण	विशेष विवरण	सबसिडी उद्देश्य के लिये बेंचमार्क मूल्य पर अधिकतम सीमा (रु.लाख)
1.	टैपेट/केम के साथ वाटर जेट करघे	गति/चौड़ाई का ध्यान रखे बिना	4.50
2.	डॉबी/जेकवार्ड के साथ वाटर जेट करघे	गति/चौड़ाई का ध्यान रखे बिना	5.50
3.	टैपेट/केम के साथ प्रोजेक्टाइल करघे	पी-7100, पी-7150, पी-7200, पी-7250	12.00
	डॉबी के साथ प्रोजेक्टाइल करघे	पी-7100, पी-7150, पी-7200, पी-7250	14.00
	टैपेट के साथ प्रोजेक्टाइल करघे	पी-लिन	10.00
4.	टैपेट/केम के साथ एअरजेट करघे	गति/चौड़ाई का ध्यान रखे बिना	12.00
5.	डॉबी के साथ एअरजेट करघे	गति/चौड़ाई का ध्यान रखे बिना	14.00
6.	(बिना डॉबी के साथ) रॅपिअर करघे	350-500 मीटर्स/मि.का इन्सर्शन दर	1.50
7.	(बिना डॉबी के साथ) रॅपिअर करघे	501-750 मीटर्स/मि.का इन्सर्शन दर	4.50
8.	(बिना डॉबी के साथ) रॅपिअर करघे	750 मीटर्स/मि.का इन्सर्शन दर	8.00
9.	डॉबी के साथ रॅपिअर करघे	750 मीटर्स/मि.का इन्सर्शन दर	10.00

टिप्पणी :

उपरोक्त कीमतें सीआईएफ कीमतें है । वास्तविक सीआईएफ कीमत (उपरोक्त अधिकतम सीमा के अधीन) तथा वास्तविक सीमाशुल्क के जोड़ पर सबसिडी ग्राह्य होगी।

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
(पावरलूम विकास प्रकोष्ठ)
पो.बै. सं. 11 500, मुंबई : 400 020.
न्यू सी.जी.ओ. भवन, 48, न्यू मरीन लाईन्स,
फैक्स सं.022-2004693, E-mail: texcomindia@txcindia.com
फोन नं.022-2001050-268/249.

सं. 2(65)/2004-पीडीसी/

दिनांक : 22 मार्च, 2004

परिपत्र सं. 2

(पीडीसी 2003-2004 श्रृंखला)

विषय : पावरलूम क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना
(प्रो.उ.नि.यो.) 20% की दर से क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल
सब्सिडी (सीएलसीएस @20% - टीयूएफएस) -मार्गदर्शक
तत्व

संदर्भ परिपत्र सं.7 (2003-2004 श्रृंखला) दिनांक 23
जनवरी, 2004

विनिर्दिष्ट विनिर्माताओं की बेंचमार्कड मशीनरी एवं बेंचमार्कड मूल्यों सहित सूची

उपरोक्त संदर्भित परिपत्र सं. 7 के क्रम में, विनिर्दिष्ट विनिर्माताओं की बेंचमार्कड मशीनरी एवं बेंचमार्कड मूल्यों सहित सूची **अनुलग्नक -I** पर है ।

परिपत्र सं.7 (2003-2004 श्रृंखला) दिनांक 23 जनवरी, 2004 का शुद्धि पत्र

- परिपत्र सं.7 में स्तंभ 5, मद के एवं एल पर उल्लिखित टू फॉर वन टिविस्टर (टीएफओटी) तथा प्रिवाइन्डर (रिवाईन्डर) की बेंचमार्कड मूल्य प्रति तकुओं के अनुसार है ।
- मेसर्स. अलिध्रा टेक्सप्रो इंजीनियर्स प्रा. लि., सिलवासा द्वारा विनिर्मित टीएफओटी के संबंध में प्रति तकुओं की बेंचमार्कड मूल्यों को अंतिम रूप देते समय अनवधानता से एक गलती हो गई । अब यह ध्यान में आया है कि मेसर्स. अलिध्रा ने मशीन फ्रेम तथा अन्य भाग तथा तकुओं के लिए अलग-अलग बीजक जमा किये थे और ये बीजक टीएफओटी के लिए कीमत निश्चित करते समय ध्यान में नहीं लिये गये थे । इस के मद्देनजर इस कंपनी द्वारा विनिर्मित टीएफओटी का बेंचमार्कड मूल्य निम्नानुसार संशोधित किया गया है :-

1	2.	3.	4.	5.
	विनिर्माता का नाम एवं पता	वस्त्र आयुक्त द्वारा जारी एकमात्र मिल संख्या	विवरण	प्रति स्पिंडल बेंचमार्क मूल्य (रु.)
5	मेसर्स.अलीध्रा टेक्सप्रो इंजि. . प्रा. लि., सिलवासा कार्या : बी-52, 2रा माला, रोड नं.3 उद्योगनगर, उधना, सूरत : 394 210 फोन नं.0261 2274140/2278059/ 2278134 फैक्स नं. 2278899 E-mail:texpro@netvisionbbs.com श्री आर. एच. गोंडालिया	016	70एमएम पॉट डीआईए (इकॉनामी) 70 एमएम पॉट डीआईए 800 ग्राम पॅकेज 70 एमएम पॉट डीआईए 1000 ग्राम पॅकेज 90 एमएम पॉट डीआईए 145 एमएम पॉट डीआईए	1625/- 2250/- 2477/- 3600/- 5900/-

3. M/s.Lakshmi Automatic Loom Works Limited, Hosur, का नाम परिपत्र में गलत उल्लिखित किया गया है । उक्त को संशोधित किया गया है । इसे मेसर्स. लक्ष्मी ऑटोमैटिक लूम वर्कस् लि., होसूर पढ़ा जाए ।

4.M/s.Lakshmi Automatic Loom Works Limited, Hosur, द्वारा विनिर्मित "पर्न चेजिंग ऑटोमेटिक लूम" के संबंध में विवरण में संशोधन तथा विभिन्न विवरणों एवं मूल्यों में जोड़ उनके द्वारा जमा किये गये बीजकों के आधार पर निम्नानुसार है :-

1	निर्माता का नाम एवं पता	वस्त्र आयुक्त द्वारा जारी एकमात्र मिल संख्या	विवरण	बैंचमार्कड मूल्य
				उपसाधनों के बिना
2.	3.	4.	5.	
ग	पर्न चेजिंग ऑटोमेटिक लूम			
1	मेसर्स. लक्ष्मी आटोमेटिक लूम वर्क्स लि., पो.बै.सं.6320,1100 अवनाशी रोड, कोईम्बतूर : 641 037(तमिलनाडू) फोन (कार्या.) 0422 2215484/2213489 E.Mail- lalweb@md2.vsnl.net.in श्री ए. दोराईस्वामी सचिव एवं उपाध्यक्ष (वित्त)	024	150 सेंमी कॅम डॉबी 180 सेंमी कॅम (टॅपेट) 180 सेंमी कॅम डॉबी 190 सेंमी कॅम (टॅपेट) 190 सेंमी कॅम डॉबी 220सेंमी कॅम डॉबी के साथ तथा टेरि. 280 सेंमी कॅम डॉबी 350 सेंमी कॅम (टॅपेट)	3,37,276/- 2,80,404/- 3,97,590/- 3,21,404/- 4,00,005/- 4,94,130/- 4,57,385/- 4,75,320/-

5. यह ध्यान में आया है कि मेसर्स. पी.पी. प्रॉडक्ट, अहमदाबाद अब पोलीस्टार मॉडेल पर्न वाईडिंग मशीन का निर्माण नहीं करते । अतः मेसर्स. पी.पी. प्रॉडक्ट, अहमदाबाद की पर्न वाईडिंग मशीनों के संबंध में उल्लिखित विवरण अर्थात्

"प्रियालक्ष्मी पोलीस्टार मॉडेल, 4 तकुओं का एकक, ऑटोमेटिक पर्न वाईडिंग मशीन " को निम्नानुसार संशोधित किया गया है -

"प्रियालक्ष्मी मॉडेल, 4 तकुओं का एकक, ऑटोमेटिक पर्न वाईडिंग मशीन "

अन्य सभी विवरण तथा कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं है ।

(एस. चक्रवर्ती)
निदेशक

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
(पावरलूम विकास प्रकोष्ठ)
पो.बै. सं. 11 500, मुंबई : 400 020.
न्यू सी.जी.ओ. भवन, 48, न्यू मरीन लाईन्स,
फैक्स सं.022-2004693, E-mail: texcomindia@txcindia.com
फोन नं.022-2001050-268/249.

सं. 2(65)/2004-पीडीसी/

दिनांक : 16/07/2004

परिपत्र सं. 3

(पीडीसी 2003-2004 श्रृंखला)

विषय : 1 के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रो.उ.नि.यो.) 20%
क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी (सीएलसीएस @20% -

संदर्भ : इस कार्यालय का दिनांक 23 जनवरी,2004 का परिपत्र सं.7

विनिर्दिष्ट उत्पादकों की सूची सहित बेंचमार्कड मशीनरी एवं बेंचमार्क मूल्य :-

उपरोक्त संदर्भित परिपत्र संख्या 07 के अनुक्रम में विनिर्दिष्ट उत्पादकों एवं बेंचमार्क मशीनरी एवं मूल्यों की तीसरी सूची को पुस्तिका के भाग -4 में अनुलग्नक एक के रूप में शामिल कर लिया गया है 1

परिपत्र सं. 7 (2003-2004 श्रृंखला) एवं परिपत्र सं.2 (पीडीसी 2003-04 श्रृंखला) में संशोधन :

1. कॉलम 4 सूची डी परिपत्र सं.7 दिनांक:23/1/2004 एवं कॉलम 4 सूची बी परिपत्र सं.2 दिनांक 22/03/2004 के संबंध में दिए मानकों के लिए शटल रहित रैपियर लूम के बारे में निम्नलिखित उत्पादकों के नाम में संशोधन के बाद उन्हें निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

क्र. सं.	विनिर्माता का नाम एवं पता	वस्त्र आयुक्त द्वारा जारी एकमात्र मिल संख्या	विशिष्टता	बैचमार्क मूल्य
				उपसाधनों के बिना
1	2.	3.	4.	5.
1	मेसर्स. लक्ष्मी टेक्सटाईल स्टोर्स, 22/23, पूनमजी इंडस्ट्रियल इस्टेट, धोबीघाट, शहापूर, अहमदाबाद : 380 004. फोन नं.5622510, फैक्स 0795622845 E.Mail - shanghi@vsnl.com . श्री केतन सांघवि (340 - 380 मी. प्र. मि.)	001	180 से.मी. केवल कॅम (टपेट) / 4 अॅक्यूमूलेटर के साथ	3,45,000/-
			180 से.मी. केवल कॅम (टपेट) / 4 अॅक्यूमूलेटर के साथ	4,05,000/-
			190 से.मी. केवल कॅम (टपेट) / 4 अॅक्यूमूलेटर के साथ	3,65,000/-
			190 से.मी. केवल कॅम डॉबी / 4 अॅक्यूमूलेटर के साथ	4,25,000/-
			230 से.मी. केवल कॅम (टपेट) / 4 अॅक्यूमूलेटर के साथ	4,53,000/-
2	मेसर्स. लाईफबॉर्ड मशीन्स प्रा.लि., जॉय सिल्क मिल्स कंपाऊंड स्टेशन रोड, लाल दरवाजा, सूरत 395003 फोन नं. 0261 7418837/7404150 फॅक्स - 0261 7423410 श्री दिलीप जे. धामणवाला (340 - 380 मी. प्र. मि.)	012	190 से.मी. (इकॉनामी) कॅम मोशन 2 अॅक्यूमूलेटर/मेकॅनिकल वेफ्ट सीलेक्टर के साथ	2,00,000/-
			190 से.मी. (इकॉनामी) कॅम (टॅपेट) 2 अॅक्यूमूलेटर /इलेक्ट्रॉनिक वेफ्ट सीलेक्टर के साथ	2,15,000/-
			190 से.मी. मिलेनिअम मॉडेल कॅम (टॅपेट) 2 अॅक्यूमूलेटर के साथ	3,18,000/-
			190 से.मी. मिलेनिअम मॉडेल कॅम डॉबी 2 अॅक्यूमूलेटर के साथ	3,20,000/-
3	मेसर्स. डायनामिक लूमस् मॅन्यूफैक्चरिंग कं., डायनामिक इस्टेट, स्वस्तिक चार रस्ता के पास, नागरवेल, हनुमान रोड, अमरेवाडी, अहमदाबाद : 380 026 फोन नं. 079 2743194/2743305 श्री वसंत पटेल, प्रोप्रायटर (340 - 380 मी. प्र. मि.)	003	180 से.मी. के साथ कॅम डॉबी / 4 अॅक्यूमूलेटर	4,25,000/- यह मूल्य उपसाधनों के साथ है ।
4	मेसर्स. इंडस्ट्रियल इंजि. वर्कस्, नं.27,8 वॉ क्रास मगाधी रोड, बेंगलोर : 560 023. फोन नं.3380325/3380759 फॅक्स : 3381084 E.Mail - indlengg@vsnl.net श्री वी. जी. कृष्णमुर्ती प्रोप्रायटर (340 - 380 मी. प्र. मि.)	021	210 से.मी. के साथ कॅम डॉबी / 4 के साथ 16 सॉफ्ट अॅक्यूमूलेटर	3,95,000/- यह मूल्य उपसाधनों के साथ है ।

5	मेसर्स दिनकर सोकर्जी मशीन जी-232 उधाना संघ कॉम्प्लेक्स, रोड नं.10 उद्योग नगर, उधान सूरत , टेलि. 0261-2275810 मो.3384467 श्री एस.डी. कोठारे	063	190 से.मी. के साथ कॅम डॉबी / 4 के साथ अॅक्यूमूलेटर	2,20,000/-
---	---	-----	---	------------

उपरिलिखित परिपत्र सं.7 की सूची डी तथा परिपत्र सं. 2 की सूची बी में उल्लिखित सभी अन्य विवरण अपरिवर्तित रहेंगे ।

1. परिपत्र सं.2 में सूची बी में उल्लिखित रैपियर लूम तथा सूची ए में उल्लिखित अर्ध स्वचालित क्रमशः शटललेस रैपियर लूम अर्ध स्वचालित लूम पढ़ा जाए ।
2. परिपत्र सं.7 सूची के तथा एल तथा परिपत्र सं. 2 सूची ई तथा एफ में उल्लिखित टू फॉर वन ट्विंस्टर्स तथा प्रिवाइन्डर्स ट्विस्टिंग तथा फिलामेंट यार्न के लिए है ।
3. परिपत्र सं. 7 के परिशिष्ट -IV अर्थात मदवार विनिदिशिष्ट कास्ट कम्पोनन्ट्स में निम्नलिखित जोड़ा गया है ।

जेक्वार्ड	डॉबी
साइड फ्रेम्स (दायीं तथा बायीं)	साइड फ्रेम्स (दायीं तथा बायीं)

(एस. चक्रवर्ती)
निदेशक

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना

परिपत्र सं. 1 से 10
(2004-2005 श्रृंखला)

तथा

परिपत्र सं. 1 से 4
(पीडीसी 2004-2005 श्रृंखला)

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
पो.बै. सं. 11 500, मुंबई : 400 020.
फैक्स सं.022-2002495, E-mail: texcomindia@txcindia.com
Website : www.txcindia.com

सं. 28(19)/2003-एम.एस/

दिनांक : 16 अप्रैल,2004

परिपत्र सं. 1
(2004-2005 श्रृंखला)

विषय : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो.)

1. नोडल अभिकरणों द्वारा अतिरिक्त बैंकों/वित्तीय संस्थानों का सहयोजन ।

(i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), जो प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत वस्त्र उद्योग (गैर-लघु उद्योग) के लिए नोडल अभिकरण है, ने दिनांक 27/2/04, 16/2/04 एवं दिनांक 12/3/04 के पत्र सं. आईडीबीआई.एचओ.टीयूएफएस (6) द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अन्तर्गत वस्त्र उद्योग के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त बैंको का सहयोजन किया है :-

- (1) दी न्यू इंडिया को. ऑपरेटिव बैंक लि.
- (2) दी कॉसमॉस को. ऑपरेटिव बैंक लि.
- (3) दी सूरत डिस्ट्रीक्ट को. ऑपरेटिव बैंक लि.

(ii) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सीडबी), जो प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत वस्त्र उद्योग (लघु उद्योग) के लिए नोडल अभिकरण है, ने दिनांक 12/3/04, 10/3/04, 18/3/04, 29/3/04 एवं 31/3/04 के पत्र सं. डीएफआईडी/आरटीयूएफ द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अन्तर्गत वस्त्र उद्योग के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त बैंको को सहयोजित किया :-

- (1) दी कपोल को ऑप. बैंक लि.
- (2) जलगांव जनता सहकारी बैंक लि.
- (3) दी शिरपुर पीपल्स को.ऑप. बैंक लि.
- (4) राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लि.
- (5) श्री वीरशैव को. ऑप. बैंक लि.

2. प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत रेडिमेड गारमेन्ट (आरएमजी) इकाइयों के लिए भवन एवं अन्य नियत परिसम्पत्तियों में निवेश पर 25% उच्चतम मूल्य की वृद्धि ।

वस्त्र मंत्रालय ने दिनांक 29 मार्च,2004 के पत्र सं. 6/1/2003-सीटी-1 द्वारा यह निश्चित किया है कि प्रौ.उ.नि.यो. पर जी.आर. के पैरा 3.3(1) के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी अंपैरेल इकाइयों में भूमि एवं भवन में निवेश के लिए चालू उच्चतम मूल्य की प्लान्ट एवं मशीनरी में निवेश की वर्तमान सीमा 25% से बढ़ाकर 50% करना निश्चित किया है । बढ़ाई गई सीमा केवल ऐसी परियोजनाओं के लिए लागू होगी जहां 1 अप्रैल, 2004 के बाद ऋण मंजूर किए गए हैं अथवा पहले से ही स्वीकृत ऋण का वह हिस्सा जो 1 अप्रैल,2004 तक वितरित नहीं किया गया हो ।

3. दिनांक 1 अप्रैल,2004 को मुम्बई में संपन्न तकनीकी सलाहकार सह देखरेख समिति (टीएएमसी) की 23 वीं बैठक में लिए गए निर्णय :-

(i) जिनिंग एवं प्रेसिंग इण्डस्ट्री के लिए फॉगिंग तथा इवंपोरेटिंग पद्धति का समावेश ।

प्रौ.उ.नि.यो. के जी.आर. के परिशिष्ट ए (ए) 8(ii) के अंतर्गत जिनिंग एवं प्रेसिंग इण्डस्ट्री के लिए फॉगिंग एवं इवंपोरेटिंग पद्धति का निम्नानुसार समावेश किया गया :-

(ए) 8(ii) - फॉगिंग एवं इवंपोरेटिंग पद्धति ।

(ii) तकनीकी वस्त्र विनिर्माण के लिए पीयू कोटिंग लाइन का समावेश ।

प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत पीयू कोटिंग लाइन को पात्र बनाया गया है तथा तदनुसार परिशिष्ट - डी - 2 (एफ) नॉन वुवन-सी (10) में प्रविष्टि निम्नानुसार संशोधित की गई है :-

परिशिष्ट - डी - 2 (एफ) नॉन-वुवन-सी (10) : इन्फ्रा रेड ड्रायर के साथ कॉंग्युलेटेड पीयू डिप्ल कोटिंग मशीन/पीयू कोटिंग लाइन या कोटिंग डिपिंग/नाईफ मशीन (पात्रता केवल तकनीकी वस्त्र को प्रतिबंधित)।

(iii) तकनीकी वस्त्र विनिर्माण के लिए अतिरिक्त मशीनरी का समावेश ।

प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत निम्नलिखित मशीनों को पात्र बनाया गया है तथा तदनुसार परिशिष्ट में निम्नानुसार प्रविष्टि की गई :-

क्र. सं.	मशीनरी का नाम	प्रौ.उ.नि.यो. पर जी.आर. में परिशिष्ट एवं क्र.सं.
1.	पी.यू. टम्बलिंग मशीन एवं ड्राइंग मशीन	परिशिष्ट - डी - 2 (एफ) नॉन वुवन सी मद सं. 17
2.	डीएमएल रिकवरी प्लान्ट एवं डिस्टिलेशन प्लान्ट	परिशिष्ट - डी - 2 (एफ) नॉन वुवन सी मद सं. 18
3.	कोटेड वस्त्र के लिए प्रिंटिंग मशीन	परिशिष्ट - डी - 2 (एफ) नॉन वुवन सी मद सं. 19

(iv) मद (iv) 1 (ए) तथा परिशिष्ट - एफ 4(III) 1 (ए) के लिए परिशिष्ट एफ 1, एफ 2, एफ 3 में बॉयलर के लिए संशोधन :-

8 टनों तक बॉइलर, बशर्ते कि फ्लूइडाइज्ड बेड तेल/गैस की आग पर प्रतिबंधित न रहे, दोनों मल्टीपल सायक्लॉन सेपरेटर आदि के साथ अनुमत है तथा उसके अनुसार मद (iv) के परिशिष्ट एफ 1, एफ 2, एफ 3 की प्रविष्टि तथा अनेक्स - एफ 4 (III) 1(a) निम्नानुसार संशोधित की गई है ।

वायु की सहायता से नियंत्रित होनेवाली फिल्टर यंत्रपद्धति, स्थिर वैद्युत अवक्षेपकर्ता तथा सुक्ष्म धूल जमा करनेवाला तेल/गैस से जलनेवाला अथवा तरल कोयले से जलनेवाला बॉइलर । तथापि चिमनी से धूल जमा करने के लिए मल्टीपल सायक्लॉन सेपरेटर तथा यंत्रवत फ्लैश सेपरेटर उपकरण के साथ 8 टन प्रति घंटा वाले तेल, गैस या कोयले से जलनेवाले बॉयलर भी पात्र होंगे । ऐसी कम क्षमता वाले बॉयलर विशिष्ट इकाई के लिए एक से अधिक पात्र नहीं होंगे । इसके लिए संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी ।

(v) ड्रा ट्विस्टींग एवं ड्रा वाइंडिंग मशीन का समावेश ।

प्रौ.उ.नि.यो. के जी.आर. के परिशिष्ट बी (जी) (13) में ड्रा ट्विस्टींग एवं ड्रा वाइंडिंग मशीन का निम्नानुसार समावेश किया ।

(जी) (13) ड्रा टिव्स्टींग एवं ड्रा वाइंडिंग मशीन

(vi) लेटेक्स कोटिंग के साथ या उसके बिना बाथमैट्स का विनिर्माण करने के लिए टफ्टिंग मशीन का निम्नानुसार समावेश किया ।

प्रौ.उ.नि.यो. के जी.आर. के परिशिष्ट - डी 1 (बी) (18) के अंतर्गत टफ्टिंग मशीन का समावेश किया गया ।

बी (18) - इलेक्ट्रानिक प्रोसेस कंट्रोलस के साथ टफ्टिंग मशीन ।

(vii) इलेक्ट्रानिक कंट्रोलस के साथ वेफ्ट स्ट्रेटनर का समावेश :-

प्रौ.उ.नि.यो. के जी.आर. के परिशिष्ट एफ 1 (बी) (III) के अंतर्गत इलेक्ट्रानिक कंट्रोलस के साथ वेफ्ट स्ट्रेटनर का निम्नानुसार समावेश किया गया ।

(19) इलेक्ट्रानिक कंट्रोलस के साथ वेफ्ट स्ट्रेटनर ।

(viii) प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत नॉन-वुवन मशीन का समावेश ।

प्रौ.उ.नि.यो. के जी.आर. के परिशिष्ट डी-2 ई. नॉन वुवन-ए के अंतर्गत निम्नलिखित नॉन-वुवन मशीनों का निम्नानुसार समावेश किया गया :-

(ए) केमिकली बॉन्डेड नॉन वुवन्स

(बी) स्टीच बॉन्ड नॉन वुवन्स

(सी) स्पन बॉन्डेड नॉन वुवन्स

(डी) मेल्ट ब्लॉन नॉन वुवन्स

(ई) स्पन बॉन्ड मेल्ट ब्लॉन (एसएमएस) नॉन वुवन्स

(ix) प्रौ.उ.नि.यो. पर जी. आर के पैरा 4.2 (बी) (ई) में संशोधन :-

"परिवर्तन के रूप में रिंग फ्रेम के लिए ऑटो डॉफर पद्धति को योजना के अंतर्गत समाविष्ट किया गया जिसे किसी भी बनावट/विनिर्माण का ध्यान रखे बिना नये या विद्यमान फ्रेम के रूप में परिवर्तित/स्थापित किया जाएगा ।"

उपरोक्त आशोधनों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए ।

**(श्रीमती शशी सिंह)
निदेशक**

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
पो.बै. सं. 11 500, मुंबई : 400 020.
फैक्स सं.022-2002495, E-mail: texcomindia@txcindia.com
Website : www.txcindia.com

सं. 28(19)/2003-एम.एस/

दिनांक : 16 अप्रैल,2004

परिपत्र सं. 2
(2004-2005 श्रृंखला)

विषय : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो.)

1. नोडल अभिकरणों द्वारा अतिरिक्त बैंकों/वित्तीय संस्थानों का सहयोजन ।

(i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), जो प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत वस्त्र उद्योग (गैर-लघु उद्योग) के लिए नोडल अभिकरण है, ने दिनांक 07/4/2004, 16/4/2004 एवं 23/4/2004 के पत्र सं. आईडीबीआई.एचओ.टीयूएफएस (6)/269,283 एवं 367 द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अन्तर्गत वस्त्र उद्योग के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त बैंको का सहयोजन किया है :-

- (1) बीएनपी परिबास
- (2) स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक
- (3) एचडीएफसी बैंक लि.

(ii) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), जो प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत वस्त्र उद्योग (लघु उद्योग) के लिए नोडल अभिकरण है, ने दिनांक 16/4/2004 के पत्र सं. डीएफआईडी/ आरटीयूएफ द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अन्तर्गत वस्त्र उद्योग के लिए दि पंचशील मर्कन्टाइल को. ऑप. बैंक लि. सूरत को सहयोजित किया है :-

2. दिनांक 29 अप्रैल,2004 को नई दिल्ली में संपन्न अंतर-मंत्रालयीन स्थायी समिति (आईएमएससी) की 16 वीं बैठक में लिए गए निर्णय :-

(i) पुराने रैपियर करघों के साथ पुराने जैकॉर्ड (शेडिंग फॉर्मेशन उपकरण) का समावेश :-

पुराने रैपियर करघों के साथ आयातित पुराने जैकॉर्ड (शेडिंग फॉर्मेशन उपकरण) को प्रौ.उ.नि.यो. के जी.आर के पैरा 3.2 (2) (बी) में वर्तमान प्रविष्टि को निम्नानुसार संशोधित करके प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत पात्र मशीनरी बनाया गया है।

पैरा 3.2 (2) (बी)

दस वर्ष तक पुराने तथा न्यूनतम 10 वर्षों तक चलने वाले स्वतः बंद होनेवाले एवं तनन नियंत्रण करनेवाले, क्रील तथा/अथवा सेक्शनल वार्षिंग मशीन के साथ उच्च गति या उसके बिना सीधे बीम वार्पर के साथ इलेक्ट्रानिक जैकॉर्ड/इलेक्ट्रानिक डॉबी लगाये हुए या उसके बिना एअरजेट, प्रोजेक्टाईल, रैपियर तथा वाटरजेट शटललेस लूमस ।

(ii) पुरानी वार्प एवं राचेल बुनाई मशीन के साथ पुरानी वार्षिक मशीन का समावेश।

पुरानी वार्प एवं राचेल बुनाई मशीन के साथ पुरानी वार्षिक मशीन को प्रौ.उ.नि.यो. पर जी.आर के पैरा 3.2 (2) एच में वर्तमान प्रविष्टि को निम्नानुसार संशोधित करके प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत पात्र मशीनरी बनाया गया है :-

पैरा 3.2(2) (एच) :-

10 वर्ष तक पुरानी तथा न्यूनतम 10 वर्षों तक चलनेवाली यार्न तनन उपकरण के साथ वार्प बुनाई/राचेल बुनाई मशीन के लिए वार्षिक मशीन के साथ या उसके बिना वार्प एवं राचेल बुनाई-मशीन।

(iii) स्टैंड अलोन आधारपर पुराने इलेक्ट्रानिक डॉबी/इलेक्ट्रानिक जैकॉर्ड का समावेश।

प्रौ.उ.नि.यो. पर जी.आर के पैरा 3.2 (2) (एम) में निम्नानुसार अतिरिक्त प्रविष्टि करके प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत स्टैंड अलोन आधारपर पुराने इलेक्ट्रानिक डॉबी/इलेक्ट्रानिक जैकॉर्ड को पात्र मशीनरी बनाया गया है।

पैरा 3.2(2) (एम) :-

10 वर्ष तक पुरानी तथा न्यूनतम 10 वर्षों तक चलनेवाली स्टैंड अलोन आधारपर पुराने इलेक्ट्रानिक डॉबी/इलेक्ट्रानिक जैकॉर्ड।

(iv) प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत एक खण्ड (परिशिष्ट) के लिए विनिर्दिष्ट मशीनरी की अन्य खण्ड के लिए जिसके लिये समान मशीनरी सूचकांक नहीं है, पात्रता :-

सरकार ने विशिष्ट खण्ड के लिए विशेष रूप से प्रतिबंधित पात्रता होने के बावजूद भी एक खण्ड के लिए पात्र मशीनरी किसी और खण्ड/कार्य के लिए भी पात्र बनाने के लिए मान्यता दी है।

(v) डारुन स्ट्रीम वॉल्यू एडीशन/एमईएस प्रतिबन्ध के संबंध में उपबन्धों में संशोधन जब वर्तमान निटिंग एवं गारमेन्टिंग तथा पावरलूम इकाइयों द्वारा नई स्पिनिंग इकाइयां लगाई गई हो।

(i) वर्तमान निटिंग एवं गारमेन्टिंग इकाइयां जो यार्न के कॅप्टिव खपत के लिए स्पिनिंग इकाइयां लगाना चाहते हैं, वे प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत कॉटन रिंग स्पिनिंग पद्धति के 25,000 तकुओं की एमईएस आवश्यकता को पूर्ण करना होगा। तथापि डारुन स्ट्रीम वॉल्यू एडीशन में निवेश में वर्तमान निटिंग तथा गारमेन्टिंग सुविधा को भी ध्यान में लिया जाएगा तथा केवल अतिरिक्त बढ़ी हुई क्षमता को स्थापित करने की आवश्यकता होगी।

(ii) पावरलूम इकाइयों को एमईएस प्रतिबन्ध आकृष्ट किए बिना कॅप्टिव यार्न की आवश्यकता के लिए नई स्पिनिंग इकाई लगाने हेतु एमईएस प्रतिबन्ध को "नई पावरलूम

इकाइयां" के रूप में संशोधित किया है । दूसरे शब्दों में, वर्तमान पावरलूम इकाइयां जो यार्न की कॅप्टिव खपत के लिए स्पिनिंग इकाइयां लगाना चाहते हैं, को प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत पात्र बनने के लिए प्रौ.उ.नि.यो. के अन्तर्गत कॉटन रिंग स्पिनिंग पद्धति के 25,000 तकुओं की एमईएस आवश्यकता को पूर्ण करना होगा तदनुसार प्रौ.उ.नि.यो. पर जी. आर. के पैरा 3.2 (9) में प्रविष्टि निम्नानुसार संशोधित की गई है :-

पैरा 3.2 (9) (i) निटींग एवं गारमेन्टींग सुविधा से युक्त नई मिश्रित इकाइयों को कताई में समतुल्य/समान क्षमता स्थापित करने की अनुमति दी गई है । ऐसे मामलों में कताई सुविधा के लिए एमईएस लागू नहीं होगा । तथापि, वर्तमान निटींग एवं गारमेन्टींग इकाइयां जो यार्न की कॅप्टिव खपत के लिए कताई इकाइयां लगाना चाहते हैं, को प्रौ.उ.नि.यो. के तहत कॉटन रिंग कताई पद्धति के लिए 25,000 या उससे अधिक तकुओं की एमईएस आवश्यकता को पूर्ण करने की आवश्यकता है । तथापि ऐसी इकाइयों के लिए डाऊन स्ट्रीम वॅल्यू एडीशन में निवेश में वर्तमान निटींग तथा गारमेन्टींग सुविधा को भी ध्यान में लिया जाएगा तथा केवल अतिरिक्त बढ़ी हुई क्षमता को स्थापित करने की आवश्यकता होगी ।

(i) नई पावरलूम इकाइयां भी कताई क्षमता के लिए एमईएस को लागू किये बिना कताई में समतुल्य क्षमता लगा सकते हैं । तथापि वर्तमान पावरलूम इकाइयां जो यार्न की कॅप्टिव खपत के लिए कताई इकाइयां लगाना चाहते हैं, को प्रौ.उ.नि.यो. के तहत कॉटन रिंग कताई पद्धति के लिए 25,000 या उससे अधिक तकुओं की एमईएस आवश्यकता को पूर्ण करने की आवश्यकता है । तथापि ऐसी इकाइयों के लिए डाऊन स्ट्रीम वॅल्यू एडीशन में निवेश में वर्तमान बुनाई सुविधा को भी ध्यान में लिया जाएगा तथा केवल अतिरिक्त बढ़ी हुई क्षमता को स्थापित करने की आवश्यकता होगी ।

(vi) विकेन्द्रीकृत पावरलूम क्षेत्र के शटललेस करघों के संबंध में न्यूनतम प्रतिबंधित चौड़ाई को हटाना ।

प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत सभी प्रकार के शटललेस करघों के लिए न्यूनतम प्रतिबंधित चौड़ाई को हटाया गया है ।

(vii) अपनी क्षमता का 12000 से 25000 तक बढ़ाने वाली कताई इकाइयों के लिए डाऊन स्ट्रीम वॅल्यू एडीशन की शर्त को हटाना ।

12000 से 25000 तकुएं की क्षमता बढ़ानेवाली कताई इकाइयों के लिए पहले सौ मामलों में डाऊन स्ट्रीम वॅल्यू एडीशन शर्त को हटाया गया है ।

(viii) प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत चुकौती अवधि ।

ऋणद अभिकरणों तथा वस्त्र इकाइयों के बीच चुकौती अवधि निश्चित की जानी है । तथापि बैंक 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए ऋण दे सकती है, परन्तु दो वर्ष के विलम्बन काल समेत सब्सिडी केवल 10 वर्षों तक ही दी जाएगी ।

उपरोक्त आशोधनों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए ।

**(श्रीमती शशी सिंह)
निदेशक**

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
पो.बै. सं. 11 500, मुंबई : 400 020.
फैक्स सं.022-2002495, E-mail: texcomindia@txcindia.com
Website : www.txcindia.com

सं. 28(19)/2003-एम.एस/
दिनांक 23 नवम्बर, 2004

परिपत्र सं. 3
(2004-2005 श्रृंखला)

विषय : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो.)

1. नोडल एजेन्सियों द्वारा अतिरिक्त बैंकों/वित्तीय संस्थानों के सम्मिलित होने का विकल्प (सहयोजन)।

(i) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत जूट उद्योग के लिए नोडल एजेन्सी (एन.ए.) भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम लि. (आइएफसीआई) ने उनके पत्र सं.क्रेडिट:दो ए/टीयूएफएस/2004 दिनांक 02/6/2004 द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त बैंकों/वित्तीय संस्थानों के टफ के अन्तर्गत जूट उद्योग के लिए सहयोजित होना सूचित किया है :-

1. आसाम औद्योगिक विकास निगम लि. (आसाम इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.)
2. उत्तरी पूर्वी विकास वित्त निगम लि. (नार्थ इस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेन्स कार्पोरेशन लि.)
3. आन्ध्र बैंक

(ii) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत वस्त्र उद्योग (लघु उद्योग) के लिए नोडल एजेन्सी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई) ने पत्र सं. डी.एफ.आई.डी/आर.ई.एफ./95 दिनांक 26/5/04, 6/7/04 एवं 03/9/2004 द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त बैंकों/वित्तीय संस्थानों के टफ के अन्तर्गत जूट उद्योग के लिए सम्मिलित होना सूचित किया है :-

1. न्यू इण्डिया को-ऑप. बैंक लि.
2. द धूले विकास सहकारी बैंक लि.
3. विटा मर्चेन्ट्स को.ऑप. बैंक लि.

(iii) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत वस्त्र उद्योग (गैर लघु उद्योग) की नोडल एजेन्सी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) ने उनके पत्र सं..आई.डी.बी.आई/एच.ओ.टफ.(6)/ दिनांक 01/7/04, 7/7/04 एवं 16/8/2004 के माध्यम से निम्नलिखित अतिरिक्त बैंकों/वित्तीय संस्थानों के टफ के अन्तर्गत वस्त्र उद्योग के लिए सम्मिलित होना सूचित किया है :-

1. सिटी यूनियन बैंक लि.
2. द हांग-कांग एवं संगहाई बैंकिंग कार्पोरेशन (निगम)
3. इण्डसलैण्ड बैंक लि.

यह निर्णय तकनीकी सलाहकार-सह-छानबीन समिति (त.स.छा.स.) की दिनांक 22/09/2004 को मुंबई में हुई 24 वीं बैठक में लिया गया।

i) **रिंग फ्रेम में सीधे ही दो धागों को ऐंठकर लगाने वाले उपस्कर का लगाया जाना ।**
सीधे ही धागों को ऐंठने संबंधी उपस्कर का रिंग फ्रेम में लगाना (उदा. कताई मशीन के लिए इलीट्वीस्ट उपस्कर) यह टफ के सा.नि.(जी.आर) अनुलग्नक बी (ए) के अन्तर्गत आता है ।

अनुलग्नक बी (ए) 22 : सीधे ही धागों को ऐंठने का उपस्कर रिंग फ्रेम में लगाते हैं (उदा. कताई मशीन के लिए इलीट्वीस्ट उपस्कर)

ii) **कताई क्षेत्र के लिए गुणवत्ता नियंत्रण सीएसपी सिस्टम का सम्मिलन ।**

गुणवत्ता नियंत्रक सीएसपी सिस्टम को सम्मिलित कर लिया गया है यह टफ के अन्तर्गत सा.नि. (जी.आर) के अधीन बी (एच) (11) में निम्नानुसार हैं :-

अनुलग्नक -बी (एच) (11) सीएसपी के लिए कम्प्यूटरीकृत ली स्ट्रेंथ जाँच मशीन, काउण्ट एवं सी वी प्रतिशत सीएसपी एवं काउण्ट के लिए ।

iii) **टफ के अन्तर्गत इंकजेट इन्ग्रेवर/रोटरी स्क्रीन इन्ग्रेवर का सम्मिलन ।**

टफ के सा.नि. (जीआर) के अन्तर्गत हाईस्पीड माइक्रो इंकजेट इंग्रेवर यू.वी इन्सपोजिंग यूनिट का एनेक्स एफ 1 एवं एफ 2 के अधीन निम्नानुसार सम्मिलित किया गया है :-

एनेक्स एफ-1 (बी) । (28) - हाईस्पीड माइक्रो इंग्रेवर यू.वी एस्कपोजिंग इकाई सहित ।

एनेक्स एफ-2 (बी) । (16) - हाईस्पीड माइक्रो इंकजेट इंग्रेवर यू.वी एस्कपोजिंग इकाई सहित ।

iv) **सिल्क क्षेत्र के लिए कन्वेअर कूकिंग मशीन का सम्मिलित किया जाना जिसे केन्द्रीय सिल्क प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (के.हि.प्रौ.अ.सं.) द्वारा विकसित किया गया ।**

कन्वेअर कूकिंग मशीन जिसका विकास केन्द्रीय सिल्क प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (के.सि.प्रौ.अ.सं.) द्वारा किया गया है उसे टफ के सा.नि. (जीआर) के तहत एनेक्स वी के अन्तर्गत निम्नानुसार उपयुक्त मशीनरी के रूप में सम्मिलित किया गया है :-

एनेक्स-बी (ई) (4) कन्वेअर कूकिंग मशीन ।

v) **गैर-बुनाई प्रयोज्य स्वास्थ्य की देखभाल के उत्पादों इत्यादि जैसे-फेस मास्क, नर्स/सर्जन के कैप, जूते का आवरण एवं कप के मास्क आदि के उत्पादन की मशीनरी का सम्मिलित किया जाना ।**

गैर-बुनाई प्रयोज्य स्वास्थ्य की देखभाल संबंधी उत्पादों के उत्पादन के लिए जरूरी मशीनरी का टफ के सा.नि. (जीआर) के अन्तर्गत एनेक्स डी-2 (डी) में निम्नानुसार सम्मिलित किया गया है :-

एनेक्स डी 2(डी) (10) पराध्वनिक व्यवस्था सहित स्वचालित ब्लैक मास्क बनाने वाली मशीन ।

एनेक्स डी 2(डी) (11) पराध्वनिक व्यवस्था सहित स्वचालित मास्क हाई टेप सिलिंग मशीन ।

एनेक्स डी 2(डी) (12) पराध्वनिक व्यवस्था सहित स्वचालित बोफन्ट/नर्स कैप बनानेवाली मशीन ।

एनेक्स डी 2(डी) (डी) (13) पराध्वनिक व्यवस्था सहित स्वचालित सर्जन कैप बनाने की मशीन ।

एनेक्स डी 2(डी) (डी) (14) पराध्वनिक व्यवस्था सहित स्वचालित शू कवर बनाने की मशीन ।

एनेक्स डी 2(डी) (डी) (15) पराध्वनिक व्यवस्था सहित स्वचालित सी-टाईप/ कप मास्क बनाने की मशीन ।

एनेक्स डी 2(डी) (डी) (16) पराध्वनिक व्यवस्था सहित स्वचालित इलास्टिक लूप सीलिंग बनाने की मशीन ।

उपरोक्त संशोधनों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए ।

(श्रीमती शशी सिंह)
निदेशक

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
पो.बै. सं. 11 500, मुंबई : 400 020.
फैक्स सं.022-2002495, E-mail: texcomindia@txcindia.com
Website : www.txcindia.com

सं. 28(19)/2003-एम.एस/
नवम्बर, 2004

दिनांक :

परिपत्र सं. 4
(2004-2005 श्रृंखला)

विषय : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो.)

1 नोडल अभिकरण द्वारा अतिरिक्त बैंकों/वित्तीय संस्थानों का सहयोजन ।

- (i) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), जो प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत वस्त्र उद्योग (लघु उद्योग) के लिए नोडल अभिकरण है ने दिनांक 5 अक्टूबर, 2004 के पत्र संख्या एमएचओ/3892/डीएफआईडी/आरटीयूएफ द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत वस्त्र उद्योग के लिए कोहिनूर सहकारी बैंक लि. को सहयोजित किया है ।
- (ii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), जो प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत वस्त्र उद्योग (गैर लघु उद्योग) के लिये नोडल अभिकरण है, ने दिनांक 6 अक्टूबर, 2004 के पत्र सं. आईडीबीआई.एचओ/टीयूएफएस(6) द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत गैर लघु उद्योग वस्त्र क्षेत्र के लिये जनकल्याण सहकारी बैंक लि. मुंबई को सहयोजित किया है ।

2. नई दिल्ली में दिनांक 15 अक्टूबर, 2004 को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना पर अंतर मंत्रालयीन संचालन समिति की 17वीं बैठक में लिये गये निर्णय ।

- (i) कॉटन रिंग कताई पद्धति के अंतर्गत नई कताई इकाइयों का न्यूनतम आर्थिक आकार वर्तमान 25,000 तकुओं से घटाना । कॉटन रिंग पद्धति के अंतर्गत नई कताई इकाइयों का न्यूनतम आर्थिक आकार वर्तमान 25,000 तकुओं से घटाकर 12,000 तकुए कर दिया गया है ।
- (ii) कॉटन रिंग कताई पद्धति के अंतर्गत वर्तमान कताई इकाइयों का न्यूनतम आर्थिक आकार प्रचलित 12,000 तकुओं से घटाना ।
 - (क) कॉटन रिंग कताई पद्धति के अंतर्गत वर्तमान में स्थित कताई इकाइयों का न्यूनतम आर्थिक आकार वर्तमान 12,000 तकुओं से 8,000 तकुए कर दिया गया है।
 - (ख) पिछले जोड़ के रूप में कैप्टिव यार्न की आवश्यकता के लिये वर्तमान में स्थित नीटिंग, गारमेंटिंग तथा विद्युतकरघा इकाइयों को भी कम से कम 8000 तकुओं तक की नई कताई इकाई स्थापित करने की अनुमति दी गई है ।

(iii) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत नई कताई इकाइयों के लिये डाउन स्ट्रीम मूल्य जोड़ की शर्त को तथा वर्तमान कताई इकाइयों के विस्तार की शर्त को हटाया जाना।

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत नई कताई इकाइयों के लिये डाउन स्ट्रीम मूल्य जोड़ की शर्त तथा वर्तमान कताई इकाइयों के विस्तार को हटा दिया गया है। यह निर्णय ऐसी सभी इकाइयों को लागू होगा जो पिछले डाउन स्ट्रीम मूल्य जोड़ के मापदंडों की शर्तों पर बन रही हैं/विस्तार कर रही हैं।

कृपया प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के उपरोक्त संशोधन/छूट को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

(श्रीमती शशी

सिंह)

निदेशक

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
पो.बै. सं. 11 500, मुंबई : 400 020.
फैक्स सं.022-2002495, E-mail: texcomindia@txcindia.com
Website : www.txcindia.com

सं. 28(19)/2003-एम.एस/

दिनांक : 16 दिसम्बर, 2004

परिपत्र सं. 5
(2004-2005 श्रृंखला)

विषय : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो.)

आपका ध्यान परिपत्र संख्या 4(2004-2005 श्रेणी) के मद संख्या 2 (I एवं iii) की ओर आकृष्ट किया जाता है जो कॉटन रिंग स्पीनिंग सिस्टम के अन्तर्गत कताई इकाइयों के संबंध में आई एम एस सी द्वारा मंजूर छूट अर्थात् न्यूनतम आर्थिक आकार (मिनिमम इकोनॉमिक साइज) एवं अनुप्रवाह मूल्य वर्धक मानकों के संबंध में है । वस्त्र मंत्रालय के पत्र संख्या 6/8/2004-सी टी-एक दिनांक 15 दिसम्बर 2004 द्वारा निम्नानुसार सूचित किया गया है कि उपरोक्त छूट कब से लागू होगी तथा इसका लागू किया जाना और यह छूट उन्हीं इकाइयों को प्राप्त होगी जिन्होंने 15 अक्टूबर, 2004 के पहले आधुनिकरण की प्रक्रिया पूरी की ली है ।

कताई इकाइयों के एम ई एस में कमी के बारे में एवं अनुप्रवाह वाले मूल्यवर्धक सम्भावनाओं की समाप्ति संबंधी आई.एम.एस.सी के छूट के निर्णय के अंतर्गत पहले ऐसी जिन इकाइयों ने आधुनिकरण कर लिया है के बारे में 17 वीं बैठक में चर्चा दिनांक 18 अक्टूबर, 2004 को हुई और निर्णय लिया गया कि वे दिनांक 15 अक्टूबर 2004 तक बाकी राशि के लिए इस योजना में टफ्स के मानदेय के पात्र होंगे (दिनांक 1.4.1999 के बाद संवितरित)

टफ्स योजना के उपरोक्त स्पष्टीकरण को सभी संबंधितों की जानकारी में लाया जाए ।

(श्रीमती शशी सिंह)
निदेशक

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
पो.बै. सं. 11 500, मुंबई : 400 020.
फैक्स सं.022-2002495, E-mail: texcomindia@txcindia.com
Website : www.txcindia.com

सं. 28(19)/2003-एम.एस/

दिनांक : 25

जनवरी, 2005

परिपत्र सं. 6
(2004-2005 श्रृंखला)

विषय : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टफ)

1. टफ में संशोधन

सरकार ने प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना में दिनांक 13 जनवरी, 2005 से निम्नलिखित संशोधनों को मंजूरी प्रदान की है :-

- (i) विकेन्द्रीकृत विद्युत करघा क्षेत्र के लिए सी एल सी एस के अन्तर्गत टफ में 20% की दर से मशीनरी के लिए पूँजी संबंधी उच्चतम सीमा को **रुपये 60 लाख से बढ़ाकर 1 (एक) करोड** कर दिया गया है।
- (ii) टफ के अन्तर्गत की सी एल सी एस में 12% दर से वस्त्र जूट संबंधी लघु स्तरीय उद्योगों के लिए ऋणमुक्त पूँजीगत आर्थिक सहायता दर को **12% से बढ़ाकर 15%** कर दिया गया है।

अन्य सभी शर्तें पूर्ववत् हैं।

2. (सिडबी) द्वारा अतिरिक्त बैंकों का सहयोजन

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा अतिरिक्त बैंकों का सहयोजन वस्त्र उद्योग की लघु स्तरीय औद्योगिक इकाईयों के लिए नोडल एजेन्सी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने निम्नलिखित तीन बैंकों को चुना है :-

- i) सूरत नागरिक सहकारी बैंक लि. सूरत
- ii) जनकल्याण सहकारी बैंक लि. मुम्बई
- iii) नव जीवन को आपरेटिव बैंक लि. उल्लास नगर

टफ में उपरोक्त संशोधनों/छूटों को सभी संबंधितों की जानकारी में लाया जाए।

(श्रीमती शशी सिंह)
निदेशक

सं. 28(19)/2003-एम.एस/

दिनांक :10 फरवरी,

2005

**परिपत्र सं. 7
(2004-2005 श्रृंखला)**

विषय : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टफ)

1. तकनीकी सलाहकार सह-देखरेख समिति (टीएमसी) द्वारा इसकी दिनांक 8 फरवरी 2005 को मुंबई में आयोजित 25 वीं बैठक में लिये गये निर्णय ।

(i) फैन्सी यार्न के उत्पादन के लिये विद्युतचालित फ्लैट बेड निटिंग मशीन का समावेश ।

फैन्सी यार्न के उत्पादन के लिए फ्लैट बेड निटिंग मशीन का समावेश टफ्स के जी.आर. के परिशिष्ट डी-1 (a) (14) में किया गया है और तदनुसार विद्यमान प्रविष्टि निम्नानुसार संशोधित की गई है :

परिशिष्ट-डी 1 (a) (14) फैन्सी यार्न ट्विस्टर्स एवं डबलर्स माइक्रो प्रोसेसर के

साथ/कट चेनाइल यार्न मशीन/फैन्सी यार्न के उत्पादन के लिये विद्युतचालित फ्लैट बेड निटिंग मशीन ।

(ii) ऑटो लेवलर के बिना अधिक उत्पादन वाली ड्रॉ फ्रेम का समावेश

प्रति मिनट 500 मीटर तथा उससे अधिक की डिलीवरी स्पीड वाली ऑटो लेवलर के बिना अथवा उसके साथ अधिक उत्पादन वाली ड्रॉ फ्रेम का समावेश टफ्स पर जी. आर के परिशिष्ट बी-(a) (5) में किया गया है और तदनुसार वर्तमान प्रविष्टि को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:-

परिशिष्ट-बी 1 (a) (5) : प्रति मिनट 500 मीटर तथा उससे अधिक की डिलीवरी स्पीड वाली ऑटो लेवलर के बिना अथवा उसके साथ अधिक उत्पादन वाली ड्रॉ फ्रेम ।

(iii) यार्न के लिये हॉट एअर ड्रायर का समावेश

टफ्स के जी.आर के परिशिष्ट सी (b) (iv) (8) में यार्न के लिये हॉट एअर ड्रायर का समावेश किया गया है और तदनुसार वर्तमान प्रविष्टि को निम्नानुसार संशोधित किया गया है ।

परिशिष्ट सी (b) (iv) (8)

(iv) टफ्स के प्रावधानों में संशोधन के अंतर्गत टफ्स ऋण के एक बैंक/वित्तीय संस्थान से दूसरी बैंक/वित्तीय संस्थान में अंतरण उसी तरह टफ्स के अंतर्गत ऋण खाते को बंद करना एवं परियोजना की अवधि के दौरान केवल एक बार नया आवधिक ऋण प्राप्त करना ।

ऋण की अवधि के दौरान टफ्स ऋण के तीन बार विनिमय को अनुमति प्रदान की गई है बशर्ते कि पोर्टफोलियो (अर्थात् शेष राशि) में कोई परिवर्तन नहीं होगा और परियोजना की कुल चुकौती अवधि दस वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(v) इलेक्ट्रॉनिक फीड एवं कटिंग उपकरण के साथ स्वचालित स्ट्रैप कटर मशीन का समावेश

टफ्स पर जी.आर के परिशिष्ट-ई (64) में इलेक्ट्रॉनिक फीड एवं कटिंग उपकरण के साथ स्वचालित स्ट्रैप कटर मशीन का निम्नानुसार समावेश किया गया है:-

परिशिष्ट-ई (64) : इलेक्ट्रॉनिक फीड एवं कटिंग उपकरण के साथ स्वचालित स्ट्रैप कटर मशीन

(vi) टफ्स पर जी.आर के परिशिष्ट-ई 65 में कप मोल्डिंग मशीन का समावेश किया गया है :

परिशिष्ट ई (65) : कप मोल्डिंग मशीन

2. आईडीबीआई/सिडबी द्वारा अतिरिक्त बैंको का सहयोजन

(क) इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (आईडीबीआई), वस्त्र उद्योग के गैर लघु उद्योग क्षेत्र की नोडल एजेन्सी ने 'येस बैंक लि. मुंबई को सहयोजित किया है ।

(ख) स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी), वस्त्र उद्योग गैर लघु उद्योग क्षेत्र की नोडल एजेन्सी ने सूरत मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि. सूरत को सहयोजित किया है ।

**(श्रीमती शशी सिंह)
निदेशक**

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
पो.बै. सं. 11 500, मुंबई : 400 020.
फैक्स सं.022-2002495, E-mail: texcomindia@txcindia.com
Website : www.txcindia.com

सं. 28(19)/2003-एम.एस/

दिनांक : 11 फरवरी, 2005

परिपत्र सं. 8
(2004-2005 श्रृंखला)

विषय : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टफ्स) -टफ के अन्तर्गत ऋणयुक्त पूँजीगत सहायता 20 प्रतिशत/15 प्रतिशत की दर से के बारे में। (ऋ.यु.पू.स. 20 प्रतिशत/15 प्रतिशत की दर से)

1. लघु उद्योग के विद्युत करघा इकाइयों हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना - ऋणयुक्त पूँजीगत सहायता 20 प्रतिशत/15 प्रतिशत की दर से :-
लघु औद्योगिक विद्युत करघा इकाइयों की पात्रता के बारे में प्रश्न उठाया गया है कि क्या वे टफ के अन्तर्गत 20 प्रतिशत ऋणयुक्त पूँजीगत सहायता प्राप्त करके लघु उद्योगों की सीमा से क्रमिक रूप से बाहर हो जायेंगे । इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी इकाइयाँ टफ के अन्तर्गत ऋणयुक्त पूँजीगत सहायता रूपये एक करोड़ तक प्राप्त करने की पात्र होंगी, यद्यपि मद प्राप्ति के बाद मध्यम स्तरीय उद्योग के रूप में ऐसी इकाइयाँ टफ के अन्तर्गत 20 प्रतिशत ऋणयुक्त पूँजीगत सहायता हेतु पुनः (दोबारा) पात्र नहीं होंगी ।
2. लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए टफ के अन्तर्गत ऋणयुक्त पूँजीगत सहायता 15 प्रतिशत की दर से :-
 - i) इस बारे में पूछताछ की जा रही है कि क्या पूँजीगत सहायता 13 जनवरी, 2005 के पूर्व के सभी मंजूर प्रस्तावों को मिलेगी, जहाँ राशि संवितरण किया जाना शेष है । इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि पूँजीगत सहायता को तकनीकी उन्नयन के लिये मंजूर किए गए ऋण के संवितरण के साथ अनुपाततः दिया जायेगा । 15 प्रतिशत सहायता उन प्रस्तावों हेतु दी जायेगी जो 13 जनवरी, 2005 के पहले मंजूर किये गये होंगे किन्तु उनका संवितरण अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है ।
 - ii) इस बारे में एक और बात पूछी जा रही है कि क्या आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी उन मामलों में भी मिलेगी जो 13 जनवरी, 2005 के पहले ही मंजूर किये जा चुके हैं और जहाँ आंशिक संवितरण 13 जनवरी 2005 से पूर्व ही किया जा चुका है । इस बारे में यह सूचित किया जाता है कि 13 जनवरी, 2005 के पहले मंजूर किये गये मामलों में जहाँ 13 जनवरी, 2005 के पहले या बाद में आंशिक संवितरण हुआ हो, 15 प्रतिशत की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध होगी ।

टफ योजना के बारे में उपरोक्त स्पष्टीकरण को सभी संबंधितों की जानकारी में लाया जाए ।

सिंह)

(श्रीमती शशी

निदेशक

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
पो.बै. सं. 11 500, मुंबई : 400 020.
फैक्स सं.022-2002495, E-mail: texcomindia@txcindia.com
Website : www.txcindia.com

सं. 28(19)/2004-एम.एस/

दिनांक : 26 फरवरी, 2005

परिपत्र सं. 9
(2004-2005 श्रृंखला)

विषय : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो.)

1. अन्तर मंत्रालयीन संचालन समिति (अं.मं.सं.स) द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2005 को नई दिल्ली में हुई उनकी 18 वीं बैठक में लिये गये निर्णय ।

i) टफ के अन्तर्गत नवीन कताई मिलों तथा मौजूदा कताई मिलों के विस्तार के संबंध में अनुप्रवाह मूल्य वृद्धि मानकों के विलोपन संबंधी स्पष्टीकरण ।

यह स्पष्टीकरण खोजा गया कि क्या टफ के अंतर्गत नवीन कताई मिलों तथा मौजूदा कताई मिलों के विस्तार के संबंध में निर्धारित अनुप्रवाह मूल्य वृद्धि मानकों के विलोपन क्या ऐसी परियोजनाओं के लिए भी लागू होगा जो 20 अक्टूबर, 2004 से पहले कार्यान्वयन के अधीन है किन्तु अभी पूर्ण नहीं है । अंमंसंस ने निर्णय लिया है कि यह लाभ उन इकाइयों को मिलेगा जिन्होंने अपनी परियोजना के कार्यान्वयन प्रारंभ 20 अक्टूबर से 18 माह पहले किया हो ।

ii) टफ्स के अंतर्गत संयंत्रों एवं मशीनों की पात्रता सूची में से वायु ऊर्जा इकाइयों को हटाना ।

टफ्स के अंतर्गत संयंत्रों एवं मशीनों की पात्रता सूची में से वायु ऊर्जा इकाइयों को 22 फरवरी 2005 (अर्थात् आई एम एस सी द्वारा निर्णय लेने की तारीख) से हटाया गया है ।

iii) टफ से अंतर्गत उपयोग की जा चुकी पुरानी प्रोजेक्टाइल, रैपियर, एमर जेट तथा वाटर जेट शटलरहित करघों की क्रियाशीलता अवधि (क्विटेज अवधि) में 10 से 15 वर्ष तक की वृद्धि ।

उपयोग की जा चुकी पुरानी आयातित प्रोजेक्टाइल, रैपियर, एयर जेट एवं वाटर जेट, शटलरहित करघे कर क्रियाशीलता अवधि को बढ़ाकर 10 से 15 वर्ष कर दिया गया है:-

3.2(2) (बी) एयर जेट प्रोजेक्टाइल, रैपियर एवं वाटर जेट शटलरहित करघे जो इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड/इलेक्ट्रॉनिक डॉबी सहित अथवा उसके बिना लगे हो और उच्च गति के साथ अथवा बिना उसके सीधी बीम वार्पर, फ्रील सहित एवं/अथवा सेक्शनल वार्पिंग मशीन ऑटो स्टॉप सहित तथा

15 वर्ष तक के टेंशन नियंत्रण और क्रियाशीलता अवधि तथा कम से कम 10 वर्ष तक मशीन की कार्य करते रहने की अवधि रहेगी ।

iv. ब्याज की प्रतिपूर्ति में होनेवाला विलंब :-

अंमंसंस ने ब्याज की प्रतिपूर्ति में होने वाले विलंब के मामलों की जाँच की और यह पाया कि सारे पात्र मामलों को इकट्ठा कर दिया गया है और यदि किसी मामले में विसंगति पाई गई तो ऐसी स्थिति में पूरे समूह की प्रतिपूर्ति लंबित हो जाती है अतः अंमंसंस ने निदेश दिया है कि सभी स्पष्ट मामलों को तुरंत निपटाया जाये तथा विसंगति वाले मामले पर अलग से विचार किया जाए । इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक तिमाही में दावे करने के स्थान पर बैंक मासिक आधार पर मामलों को निपटाएंगे ।

v. ब्याज दर शीघ्र अदायगी के लिये नोडल एजेन्सी को दिये जाने वाले प्रोत्साहन:-

अंमंसंस द्वारा टफ के लाभार्थी को ब्याज की किस्त अदायगी के समय अनुदान के रूप में प्रदत्त 4.95 प्रतिशत प्रतिवर्ष राशि को रोकर शेष राशि अदा करने संबंधी मामले पर भी चर्चा हुई । इस बारे में अंमंसंस द्वारा निर्णय लिया गया है कि टफ के अंतर्गत प्रस्तावित 5 प्रतिशत अनुदान का एक प्रतिशत ऋणदाता बैंक को प्राप्त होगा । अंमंसंस ने निर्देश दिया है कि इस निर्णय के बारे में नोडल एजेन्सियों तथा ऋणदाता बैंकों को सूचित कर दिया जाए । इस बारे में विस्तृत ब्यौरेवार विवरण जिसमें इसको लागू किये जाने संबंधी दिशा निदेश नोडल एजेन्सियों/बैंकों तथा व्यापारियों से सम्पर्क करके शीघ्र ही जारी किया जायेगा ।

2. आई डी बी आई द्वारा अतिरिक्त बैंकों को सहयोजित करना :

- (क) भारतीय औद्योगिकी विकास बैंक (आई डी बी आई) जो कि वस्त्र उद्योग क्षेत्र की गैर लघु औद्योगिकी इकाई हेतु नोडल एजेन्सी है, ने पंजाब बैंक लि. मुंबई को सहयोजित किया है ।

टफ योजना के संबंध में उपरोक्त स्पष्टीकरण को सभी संबंधितों की जानकारी में लाया जाये ।

**(श्रीमती शशी सिंह)
निदेशक**

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
(पावरलूम विकास प्रकोष्ठ)
पो.बै. सं. 11 500, मुंबई : 400 020.
न्यू सी.जी.ओ. भवन, 48, न्यू मरीन लाईन्स,
फैक्स सं.022-2004693, E-mail: texcomindia@txcindia.com
फोन नं.022-2001050-268/249.

सं. 2(65)/2004-एम एस/

दिनांक 24/03/2005

परिपत्र सं.10
(2004-2005 श्रृंखला)

विषय :- प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौउनियो)

- 1 टफ योजना के अन्तर्गत नई स्पीनिंग मिलों की स्थापना के साथ ही साथ मौजूदा स्पीनिंग मिलों के विस्तार संबंधी मामलों में अनुप्रवाह मूल्य वर्धन मानकों को हटाये जाने संबंधी स्पष्टीकरण :-

परिपत्र सं. 9(2004-2005 श्रृंखला) दिनांक 26 फरवरी 2005 के पैरा (1) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है , जिसमें उल्लेख किया गया है कि अंतर मंत्रालयीन संचालन समिति ने निर्णय लिया है कि टफ्स के अंतर्गत नयी स्पीनिंग और मौजूदा स्पीनिंग मिलों के विस्तारण के लिए अनुबंधित अनुप्रवाह मूल्य वर्धन मानक के हटाये जाने के लाभ को 20 अक्टूबर 2004 के 18 महीने पहले तक शुरु हुई परियोजनाओं को भी प्रदान किया जा सकता है । टफ के अंतर्गत आने वाली उपरोक्त अंतर मंत्रालयीन संचालन समिति के निर्णय की निम्नप्रकार व्याख्या की गई है :-

" वे इकाईयाँ जिन्होंने एम इ एस में कमी तथा अनुप्रवाह मूल्य वर्धन अनुबंधन के हटाये जाने के संबंध में अंतर मंत्रालयीन संचालन समिति के निर्णय से पूर्व ही छूट दिए गए मानको के अनुरूप आधुनिकी करना किया है वे 21 अप्रैल 2003 तक बकाया राशियों के लिए (01.04.1999 के बाद संवितरित) टफ संबंधी प्रोत्साहन योजना प्राप्ति के पात्र होंगे । 21 अप्रैल 2003 के बाद संवितरित ग्राह्य राशि पूरी तरह से टफ के अन्तर्गत आयेगी "

2. वीण्ड एनर्जी इकाईयों को टफ के अंतर्गत पात्र प्लाण्ट एवं मशीनरी की सूची से हटाये जाने संबंधी आखिरी तारीख के संबंध में स्पष्टीकरण :-

टफ के अंतर्गत पात्र प्लाण्ट एवं मशीनरी की सूची से वीण्ड मिल के हटाये जाने की आखिरी तारीख 22 फरवरी 2005 है । आखिरी तारीख निर्धारित करने के लिए मापदण्ड मंजूरी की तिथि होगी । इस प्रकार 22 फरवरी 2005 के पहले टफ के अंतर्गत बैंक द्वारा मंजूर वीण्ड मिल परियोजना टफ अंतर्गत लाभ प्राप्ति की हकरार होगी

टफ योजना के बारे में उपरोक्त स्पष्टीकरण सभी संबंधितों की जानकारी में लाये जाए ।

(श्रीमती शशी सिंह)
निदेशक

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
(पावरलूम विकास प्रकोष्ठ)
पो.बै. सं. 11 500, मुंबई : 400 020.
न्यू सी.जी.ओ. भवन, 48, न्यू मरीन लाईन्स,
फैक्स सं.022-2004693, E-mail: texcomindia@txcindia.com
फोन नं.022-2001050-268/249.

सं. 2(65)/2004-पीडीसी/75
: 10 नवम्बर,2004

दिनांक

परिपत्र सं. 1

(पीडीसी 2004-2005 श्रृंखला)

**विषय : पावरलूम सेक्टर के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौउनियो) के अर्न्तगत
20% की दर से क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी-(प्रचालन दिशा-निर्देश)**

विनिर्दिष्ट विनिर्माता एवं बेंचमार्कड मशीनरी और बेचमार्कड कीमतों की सूची

उपरोक्त संदर्भित परिपत्र सं. 7 के क्रम में विनिर्दिष्ट विनिर्माताओं के साथ
बेंचमार्कड मशीनरी और बेंचमार्कड कीमतों की सूची संलग्नक-1 पर प्रस्तुत की गई है ।

परिपत्र सं.1, (पीडीसी 2003-04 श्रृंखला) दिनांक- 11.2.2004 में किए गए
उल्लेख के अनुसार आवर्ती परिपत्रों में उल्लेखित बेंचमार्कड कीमतें फैक्टरी बाह्य है ।
उत्पाद शुल्क और बिक्रिकर, अगर बीजक के अनुरूप लागू होती है, तो,इन्हे सब्सिडी के
परिकलन के लिए सम्मिलित किया जाएगा ।

परिपत्र सं. 7(2003-04 श्रृंखला) और परिपत्र सं.2 (पीडीसी 2003-04
श्रृंखला) के लिए शुद्धिपत्र

मेसर्स अलीधर टेक्सप्रो इंजीनियरिंग प्राइवेट लि., का नाम मेसर्स अलीधरा
टेक्सप्रो प्राइवेट लि. पढ़ा जाए ।

संलग्नक-यथोपरीं

(एस. चक्रवर्ती)
निदेशक

अनुलग्नक-1				
चिन्हित उत्पादकों की सूची इसमें बेंचमार्क मशीनरी एवं बेंचमार्क मूल्य सम्मिलित हैं ।				
अनु. क्र.	विनिर्माता का नाम एवं पता	वस्त्र आयुक्त द्वारा आवंटित यूनिट मिल संख्या	विशिष्टता	बेंचमार्क मूल्य बिना उपसाधनों के
1	2.	3.	4.	5.
अ. अर्ध स्वचालित लूम				
1	मेसर्स. डायनामिक ऑटोलूमस इंडिया प्रा.लि., 26 चेतना इस्टेट, नागरवेल हनुमान मंदिर के पास, अमराईवाड़ी, अहमदाबाद-380026 मो.0985024411 श्री मित्तल पटेल	02	310 से.मी. X 4/1	95,000/-
2	मेसर्स ज्वेल इंजीनियर्स, 18-ए जगन्नाथ इस्टेट, गुजरात बॉटलिंग के पास, रखियाल, अहमदाबाद-23 फोन नं.55134950, मो.0982431111 श्री हरीश भानूभाई मिस्त्री	090	172 से.मी. X 2/1	40,000/-
			172 से.मी. X 4/1	43,500/-
			182 से.मी. X 2/1	44,000/-
			182 से.मी. X 4/1	47,500/-
3	मेसर्स जेम्स इंजीनियर्स, 18/5 जगन्नाथ इस्टेट, गुजरात बॉटलिंग के पास, रखियाल, अहमदाबाद-23 फोन नं.55134951 मो.09824511119 श्री राजेश कांतीलाल पटेल	091	152 से.मी. X 2/1	31,551/-
			172 से.मी. X 2/1	39,251/-
			172 से.मी. X 4/1	42,751/-
			182 से.मी. X 4/1	47,500/-
4.	मेसर्स. सुपरमैक इण्डस्ट्रीज पहलवान इस्टेट, शास्त्री स्टेडियम के सामने, रखियाल, अहमदाबाद : 380 023. फोन नं. 079-22748421/521, मो.09825244076 श्री पप्पूभाई	092	142 से.मी. X 2/1	30,250/-
			142 से.मी. X 4/1	33,750
			152 से.मी. X 1/1	33,250/-
			152 से.मी. X 2/1	36,750/-
			152 से.मी. X4/1	40,250/-
			172 से.मी. X 2/1	40,000/-
			172 से.मी. X 4/1	43,500/-
			182 से.मी. X 1/1	40,500/-
			182 से.मी. X 2/1	44,000/-
			182 से.मी. X 4/1	47,500/-
5.	मेसर्स. सुपरटेक्स इण्डस्ट्रीज पहलवान इस्टेट, शास्त्री स्टेडियम के सामने, रखियाल,अहमदाबाद : 380 023. फोन नं. 079-22748421/521, मो.09825244076 श्री पप्पूभाई	093	142 से.मी. X 2/1	30,250/-
			142 से.मी. X 4/1	33,750
			152 से.मी. X 2/1	36,750/-
			152 से.मी. X 4/1	40,250/-
			172 से.मी. X1/1	36,750/-
			172 से.मी. X 2/1	40,000/-
			172 से.मी. X 4/1	43,500/-
			182 से.मी. X 2/1	44,000/-
			182 से.मी. X 4/1	47,500/-
			300 से.मी. X 1/1	66,500/-

6.	मेसर्स भाविन सेल्स कॉर्पोरेशन्. बी-11, बेसमेंट ट्रेड हाऊस ,फायर स्टेशन के सामने, रिंग रोड, सूरतफोन नं.0261-83208033 मो-09825119443श्री आर.पी. धादुक	094	172 से.मी. X 2/1	40,000/-/-
----	--	-----	------------------	------------

टिप्पणी : इनवॉइस में मशीन की विस्तृत विशिष्टता का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । यदि मशीनों की आपूर्ति मानक उपसाधनों के साथ की गई हो तो इनवॉइस के साथ ऐसे उपसाधनों की विस्तृत सूची लगायी जाए । यदि मशीन की आपूर्ति विशिष्ट नियंत्रणों/यंत्रावली के साथ की गयी हो, तो इनवॉइस में उक्त का स्पष्ट उल्लेख हो ।

अनु क्र.	विनिर्माता का नाम एवं पता	वस्त्र आयुक्त द्वारा जारी एकमात्र मिल संख्या	विशिष्टता	बेचमार्क मूल्य
				उपसाधनों के बिना
1	2.	3.	4.	5.
बी	ऑटो शटल-लेस टॉप चेन्ज लूम			
1.	मेसर्स प्रीमीयर लूमस मैन्यू. प्रा. लि. एम.जी.रोड सं.-11, उद्योग नगर उधना,,सूरत फोन नं 0261- .2278491/2279312 फैक्स 02612277209 E.Mail preloom@wilnetonlin.Net श्री मूलचंद भाई	013	152 से.मी. X 2/1	94,000/-
सी	रेपीयर लूमस			
1.	मेसर्स भाविन सेल्स कॉर्पोरेशन. बी-11, बेसमेंट ट्रेड हाऊस ,फायर स्टेशन के सामने, रिंग रोड, सूरत फोन नं.0261- 83208033 मो-09825119443श्री आर.पी. धादूक	094	(168 सेमी) बिना डोबी एवं बिना वेफ्ट एक्यूमलेटर (डब्ल्यू आय आर -340-380 प्रति मि)	1,68,000/-
2.	मेसर्स. हिमसंन्स टेक्सटाईल इंजि. इंडस्ट्रियल लि., 2/94, जी.आई.डी.सी., पान्डेसरा, सूरत : 394221. फोन नं.0261 8691741/42/43/44 E.Mail-nimesh@himsonceramics.com श्री रजनीकांत बचकनिवाला,प्रबंध निदेशक	011	(230सेमी) कॅम/टैपेट के साथ एवं 4 क्यूमलेटर (डब्ल्यू आय आर -340- 380 प्रति मि)	4,50,000/-
3.	मेसर्स. डायनामिक लूमस् मॅन्यूफॅक्चरिंग कं., डायनामिक इस्टेट, स्वस्तिक चार रस्ता के पास, नागरवेल हनुमान रोड, अमरेवाडी, अहमदाबाद : 380 026 फोन नं. 079 2743194/2743305 श्री वसंत पटेल,प्रोप्रायटर (340 - 380 मी. प्र. मि.)	003	190सेमी कॅम डोबी के साथ एवं 4 वेफ्ट क्यूमलेटर इलेक्ट्रॉनिक वेफ्ट सिलेक्टर (फिलामेंट यार्न के लिए) (230सेमी) कॅम डोबी के साथ एवं 4 क्यूमलेटर	4,35,000/- 4,53,000/-
			190सेमी डोबी के साथ एवं 4 वेफ्ट क्यूमलेटर इलेक्ट्रॉनिक वेफ्ट सिलेक्टर (फिलामेंट यार्न के लिए)	3,50,000/-
4	मेसर्स ऑनेस्ट ट्रेडिंग कंपनी प्रा.लि. पो बा 43 महादेव नगर, बिलीमोरा-396 321 टेलि. 02634-283902श्री पी.एन. मिस्ट्री	017	172सेमी कॅम/टैपेट के साथ एक्यूमलेटर की बिना	2,11,000/-
5	मेसर्स वेवटेक इंडस्ट्रीज ब्लॉक नं.01, सर्वे 122, वेलीलेज दादरा नगर हवेली का संघ शासित क्षेत्र, श्री वल्लभ भाई थूमर , भागीदार	095	172सेमी कॅम/टैपेट तथा 4वेफ्ट एक्यूमलेटर की बिना (डब्ल्यू आय आर 340-380 प्रति.मि.) 182 सेमी कॅम/टैपेट, 4 वेफ्ट एक्यूमलेटर इलेक्ट्रॉनिक वेफ्ट सिलेक्टर तथा माईक्रा प्रोसेसर कंट्रोल के साथ	3,32,000/- 3,12,000/-

			182 सेमी कॅम/टैपेट, 2 वेफ्ट एक्यूमलेटर इलेक्ट्रॉनिक वेफ्ट सिलेक्टर तथा माईक्रा प्रोसेसर कॅम ड्रिवन रेपियर, 300 आरपीएम गति (डब्ल्यू आय आर 540 प्रति मि) के साथ	5,50,000/-
--	--	--	--	------------

टिप्पणी : इनवॉइस में मशीन की विस्तृत विशिष्टता का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । यदि मशीनों की आपूर्ति मानक उपसाधनों के साथ की गई हो तो इनवॉइस के साथ ऐसे उपसाधनों की विस्तृत सूची लगायी जाए । यदि मशीन की आपूर्ति विशिष्ट नियंत्रणों/यंत्रावली के साथ की गयी हो, तो इनवॉइस में उक्त का स्पष्ट उल्लेख हो ।

अनु. क्र.	विनिर्माता का नाम एवं पता	वस्त्र आयुक्त द्वारा जारी एकमात्र मिल संख्या	विशिष्टता	बेंचमार्क मूल्य
				उपसाधनों के बिना
1	2.	3.	4.	5.
डी. सेक्शन वार्षिक मशीन				
1.	मेसर्स हर्ष इंटरप्राइजेस, 225,आशीर्वाद इंडस्ट्रीयल , न्यू फ्रुट मार्केट के सामने , नारोदा रोड, अहमदाबाद-25 टेली.2822881-2822882 मो.9426012341श्री कलपेस पटेल	054	हाई स्पीड सेक्शनल वार्षिक मशीन मॉडल 105, चौड़ाई 2200 एमएम, फिक्स्ड कोन 1000 एमएम बिम फ्लेन्ज डायल के लिए उपयुक्त, 608 एण्ड्स स्वीवेल कोन क्रील	11,51,000/ -
2.	विसा मशीनरी (इंडिया) 29/9, गोपाल इस्टेट, हर्षद चेबर्स के बाजू में, ओठव, अहमदाबाद 382415 श्री जगदीश पंचाल	096	हाई स्पीड सेक्शनल वार्षिक मशीन मॉडल 106 ईकोनोमॅटिक, चौड़ाई 2200 एमएम, फिक्स्ड कोन 1000 एमएम बिम फ्लेन्ज डायल के लिए उपयुक्त, 512 एण्ड्स स्वीवेल कोन क्रील के साथ वैकसींग उपकरण	12,01,000/ -
			हाई स्पीड सेक्शनल वार्षिक मशीन मॉडल 106 चौड़ाई 2200 एमएम, फिक्स्ड कोन 1000 एमएम बिम फ्लेन्ज डायल के लिए उपयुक्त, 400 एण्ड्स स्वीवेल कोन क्रील	11,25,000/ -
3	मेसर्स विस्को मशीनरी (इंडिया) सी-1/539, जीआयडीसी इस्टेट, पोस्ट ऑफिस के बाजू, उद्धव, अहमदाबाद 382 415 श्री दीपक पंचाल	097	हाई स्पीड सेक्शनल वार्षिक मशीन मॉडल 107 ईकोनोमॅटिक, चौड़ाई 2500 एमएम, फिक्स्ड कोन 1000 एमएम बिम फ्लेन्ज डायल के लिए उपयुक्त, 560 एण्ड्स स्वीवेल कोन क्रील, हाईड्रोलिक बिम लोडिंग/अनलोडिंग न्यूमॅटिक बिम प्रसिंग उपकरण , कम्प्यूटर तथा एम/सी कन्ट्रोल के लिए पीएलसी व्यवस्था	30,51,000/ -
ई.	साइजिंग मशीन			

1.	मेसर्स. ज्युपिटर इंजि. कंपनी, प्लॉट नं. 510, फेस 3V, जीआईडीसी, वटवा, अहमदाबाद फोन नं. 079 : 5835313 श्री जी. जे. मिस्त्री	009	मल्टी सिलेंडर साइजिंग मशीन ,20 बिम्स क्रील, विशेष रूप से निर्मित सिंगल साइज बॉक्स, 9 ड्राईंग सिलेंडर (7 टेफ्लोन कोटेड) तापमाप नियंत्र, 130" हेड स्टॉक के साथ, सम्पूर्ण	24,00,000/ -
----	---	-----	--	-----------------

टिप्पणी : इनवॉइस में मशीन की विस्तृत विशिष्टता का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । यदि मशीनों की आपूर्ति मानक उपसाधनों के साथ की गई हो तो इनवॉइस के साथ ऐसे उपसाधनों की विस्तृत सूची लगायी जाए । यदि मशीन की आपूर्ति विशिष्ट नियंत्रणों/यंत्रावली के साथ की गयी हो, तो इनवॉइस में उक्त का स्पष्ट उल्लेख हो ।

अनु. क्र.	विनिर्माता का नाम एवं पता	वस्त्र आयुक्त द्वारा जारी एकमात्र मिल संख्या	विशिष्टता	बेंचमार्क मूल्य
				उपसाधनों के बिना
1	2.	3.	4.	5.
इ	टू फॉर वन फॉर टिवस्टर			
1	मेसर्स क्लासिक मैकनिक प्लॉट नं. 01, गलानी नगर, नालंदा स्कूल के सामने , रचना सोसायटी रोड, वराछा रोड़, सूरत इ 395006 श्री बाजूभाई वघासियां	098	60एमएम पोट डीआईए	900/-
2	श्री श्यामला टेक्सटाइल इंजी , 2 गलानी नगर, नालंदा स्कूल के पास, दशरथ नगर, कपोदरा, वराछा रोड़, सूरत श्री बाजूभाई वघासियां	099	60एमएम पोट डीआईए	900/-
3	मेसर्स मिलिंद टेक्नोटेक्स जॉयसिल्क मिल्स कंपाऊड, वेदताल देवदी रोड़, सूरत 395003 टेली-24118837/ मो-09824136972 श्री एन.जे. दमनवाला, प्रोप्रायटर श्री जॉय दमनवाला,	100	70एमएम पोट डीआईए	1032/-
4.	मेसर्स.अलीधरा टेक्सप्रो इंजि. . प्रा. लि., सिलवासा कार्या : बी-52, 2रा माला, रोड नं.3 उद्योगनगर, उधान, सूरत टेलि.0261-2274140/2278059/2278134 फैक्स : 2278899 श्री आर. एच. गोंडालिया	016	70 ए एवं 126 एमएम पॉट डीआईए	3,452/-
			60 एमएम पॉट डीआईए	1,281/-
			63 एमएम पॉट डीआईए एवं 800 ग्राम पॅकेज	1,300/-
5	मेसर्स. जे.सी. मशिनरी प्रा. लि. सर्वे नं.211/1, ब्लाक नं.165, मोटा, बोरासारा, किम, फोन नं. 0261-2632421/2632247 श्री किशोर महादेववाला	047	60एम एम पॉट डीआईए	1,281/-
6	मेसर्स जे.सी इंजीनियरिंग सर्वे नं.38/1 एफ, महादेव इस्टेट, खादीवाला स्ट्रीट, हरिष डाइंग के पास, खतोदरा,सूरत श्री दिलीप महादेववाला	048	73 एमएम पोट डीआईए	1000/-
7	श्री जे.एन फ़ब्रिक , रोड नं.6 इलेक्ट्रोम के बाद, उद्धाना, पुराना इंडस्ट्रीयल इस्टेट ,उद्धाना श्री जिगनिश चोखावाला	101	60एमएम पोट डीआईए	900/-
			70एमएम पोट डीआईए	1032/-

टिप्पणी : इनवॉइस में मशीन की विस्तृत विशिष्टता का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । यदि मशीनों की आपूर्ति मानक उपसाधनों के साथ की गई हो तो इनवॉइस के साथ ऐसे उपसाधनों की विस्तृत सूची लगायी जाए । यदि मशीन की आपूर्ति विशिष्ट नियंत्रणों/यंत्रावली के साथ की गयी हो, तो इनवॉइस में उक्त का स्पष्ट उल्लेख हो ।

अनु. क्र.	विनिर्माता का नाम एवं पता	वस्त्र आयुक्त द्वारा जारी एकमात्र मिल संख्या	विशिष्टता	बेंचमार्क मूल्य
				उपसाधनों के बिना
1	2.	3.	4.	5.
8	मेसर्स बी आर ब्रदर्स 3/4138, लाद सेरी नवापूरा सूरत मो-0982146784 श्री भरत चौखावाला	102	60एमएम पोट डीआईए	900/-
			70एमएम पोट डीआईए	1,032/-
9	मेसर्स एन आर नॉयलान 5/345 कलयुग स्ट्रीट , हरीपुरा सूरत टेली-2427194 श्री नवीनचंद्र आर चौखावाला	103	60एमएम पोट डीआईए	900/-
			70एमएम पोट डीआईए	1,032/-
10	मेसर्स एस.आर. सिल्क , प्रनामी मंदीर, टेकरा, वरियाई वगोल श्री सुमित आर चौखावाला	104	60एमएम पोट डीआईए	900/-
			70एमएम पोट डीआईए	1,032/-
11	मेसर्स. एस. कांतिलाल अॅन्ड कं. 3/3973, नागरदास शेरी, नावापूरा, सूरत फोन नं. 0261 इ 2320522 श्री राजेन्द्र चौखावाला	036	60 एमएम पॉट डीआईए	1,281/-
12	मेसर्स. सनमून इंडस्ट्रीज, सर्वे नं.78/1/2, ओल्ड देना बैंक रोड, दमानी रोड, दादरा नगर हवेली टेलि.(H)0261-2552222 श्री एच.एच. मिस्त्री	069	60 एमएम पॉट डीआईए	960/-
13	मेसर्स. सनटेज इंडस्ट्रीज, शेड नं.3, शाह इंड इस्टेट, फ्लायओवर ब्रीज, अे.के. रोड,सुरत टेलि.0261-2553091 श्री एम.एच. मिस्त्री	070	60 एमएम पॉट डीआईए	875/-
14	मेसर्स. मिहिर मशिनरी मेन्यूफॅक्चर्स, सर्वे नं.277/1/5, दमानी रोड, सिलवासा दादरा नगर हवेली टेलि.02638-2668505 श्री वि. के. मिस्त्री	057	70 एमएम पॉट डीआईए इकोनोमी मॉडल	1,032/-
15	मेसर्स. अरुण टेक्स मेक इंडस्ट्रीज, सर्वे नं.277/1/5, दमानी रोड, दादरा नगर हवेली टेलि.02638-2668505 श्री जे. डी. मिस्त्री	056	60 एमएम पॉट डीआईए	875/-
			70 एमएम पॉट डीआईए इकोनोमी मॉडल	1,032/-
16	मेसर्स. आशीर्वाद इंजिनिअर्स, 26-27, जसुकाका वाड़ी, लेप्रोसी हॉस्पिटल के पास, अे.के. रोड, सुरत टेलि.(H) 0261-2550061 श्री डी.एच. मिस्त्री	064	60 एमएम पॉट डीआईए	900/-

टिप्पणी : इनवॉइस में मशीन की विस्तृत विशिष्टता का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । यदि मशीनों की आपूर्ति मानक उपसाधनों के साथ की गई हो तो इनवॉइस के साथ ऐसे उपसाधनों की विस्तृत सूची लगायी जाए । यदि मशीन की आपूर्ति विशिष्ट नियंत्रणों/यंत्रावली के साथ की गयी हो, तो इनवॉइस में उक्त का स्पष्ट उल्लेख हो ।

अनु. क्र.	विनिर्माता का नाम एवं पता	वस्त्र आयुक्त द्वारा जारी एकमात्र मिल संख्या	विशिष्टता	बेंचमार्क मूल्य
				उपसाधनों के बिना
1	2.	3.	4.	5.
17	मेसर्स. पंकज इंडस्ट्रिज, सी-31, सागर इस्टेट, आईस फैक्टरी के सामने, नंदु दोषी नी वाडी, गोटालावाडी, सूरत : 4, फोन नं.2532735 श्री पंकज पटेल, प्रोप्रायटर	043	60 एमएम पॉट डीआईए इकॉनामी मॉडल	900/-
			70 एमएम पॉट डीआईए	1,032/-
18	मेसर्स. ऐपेक्स टेक्सप्रो इंडस्ट्रिज, प्लॉट नं. 30, ग्राऊड फ्लोर, लक्ष्मी टाईल्स कम्पाऊड, जगदंबा मिल्स के पास, ऐ. के. रोड, सूरत. फोन नं. 0261 इ 25563282 श्री रतिलाल गजेरा	040	60 एमएमआर डी आईए	870/-
19	मेसर्स बालाजी इंजीनियरिंग सर्वे नं. 207/2 प्लॉट नं. 42, सहेली अटोरी नाके के पास, तिरूपति मिल कॉम्प्लेक्स , जीआयडीसी , पांडेसरा , सूरत 394221 श्री दिनेश चंद्र टी बालाजी वाला	105	60एमएम पोट डीआईए	900/-
			70एमएम पोट डीआईए	1032/-
20	मेसर्स मितूल इंजि 32-33, भाजीवाला इंड इस्टेट, ए के रोड सूरत टेलि. 0261-2542997,2503037 मो. 9825141135 श्री प्रदीप एल बारवालियां	075	60एमएम पोट डीआईए	900/-
21	मेसर्स. विव टेक इंजिनियर्स ब्लाक नं. 1, सर्व्हे नं.122, गाँव-दादरा : 396 191 (सिलवासा) E.Mail-lidhra@vsnl.com सं.प्रदेश दादरा अँन्ड नगर हवेली फोन नं. (0260) 2668304 श्री वल्लभभाई एस. थुमार	075	60 एमएम पॉट डीआईए	1,281/-
			80 एमएम पॉट डीआईए	1,752/-
			90एमएम पॉट डीआईए	3,600/-
			145 एमएम पॉट डीआईए	5,900/-
			126 एमएम पॉट डीआईए	4,260/-
22	मेसर्स श्याम इंजीनियरिंग वर्क्स , सी इलेक्ट्रा. सब स्टेशन गली राठी पैलेस रिंग रोड, सूरत श्री सुरेश भाई कोठीवाला	106	60एमएम पोट डीआईए	900/-
			70एमएम पोट डीआईए	1032/-

टिप्पणी : इनवॉइस में मशीन की विस्तृत विशिष्टता का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । यदि मशीनों की आपूर्ति मानक उपसाधनों के साथ की गई हो तो इनवॉइस के साथ ऐसे उपसाधनों की विस्तृत सूची लगायी जाए । यदि मशीन की आपूर्ति विशिष्ट नियंत्रणों/यंत्रावली के साथ की गयी हो, तो इनवॉइस में उक्त का स्पष्ट उल्लेख हो ।

अनु. क्र.	विनिर्माता का नाम एवं पता	वस्त्र आयुक्त द्वारा जारी एकमात्र मिल संख्या	विशिष्टता	बेंचमार्क मूल्य
				उपसाधनों के बिना
1	2.	3.	4.	5.
प्री-वाइन्डर				
1	मेसर्स क्लासिक मैकेनिक प्लॉट नं. 01, गलानी नगर, नालंदा स्कूल के सामने , रचना सोसायटी रोड, वराछा रोड, सूरत इ 395006 श्री बाजूभाई वघासियां	098	60 स्पीडल मेकेनिकल ड्राईव इनव्हाटर के साथ	2,512/-
2	श्री श्यामला टेक्सटाइल इंजी , 2 गलानी नगर, नालंदा स्कूल के पास, दशरथ नगर, कपोदरा, वराछा रोड, सूरत श्री बाजूभाई वघासियां	099	40 स्पीडल मेकेनिकल ड्राईव	1,764/-
3	मेसर्स मिलिंद टेक्नोटेक्स जॉयसिल्क मिल्स कंपाऊंड, वेदताल देवदी रोड, सूरत 395003 टेली-24118837/ मो- 09824136972 श्री एन.जे. दमनवाला, प्रोप्रायटर श्री जॉय दमनवाला,	100	64 स्पीडल मेकेनिकल ड्राईव इनव्हाटर के साथ	1,600/-
4	मेसर्स.अलीधरा टेक्सप्रो इंजि. . प्रा. लि., सिलवासा कार्या : बी-52, 2रा माला, रोड नं.3 उद्योगनगर, उधान, सूरत टेलि.0261-2274140/2278059/2278134 फैक्स : 2278899 श्री आर. एच. गोंडालिया	016	126 स्पीडल प्र.ति. मशीन सर्वो मोटर के साथ पी.एल.सी,	7,000/-
5	मेसर्स.अलीधरा टेक्सपीन इंजि. . प्रा. लि., सिलवासा कार्या : बी-52, 2रा माला, रोड नं.3 उद्योगनगर, उधान, सूरत टेलि.0261-2274140/2278059/2278134 फैक्स : 2278899 श्री आर. एच. गोंडालिया	067	40 स्पीडल मेकेनिकल ड्राईव इनव्हाटर के साथ	4,500/-
6	श्री जे.एन फ्रब्रिक , रोड नं.6 इलेक्ट्रोम के बाद, उद्धाना, पुराना इंडस्ट्रीयल इस्टेट ,उद्धाना श्री जिगनिश चोखावाला	101	64 स्पीडल मेकेनिकल ड्राईव	1,600/-

टिप्पणी : इनवॉइस में मशीन की विस्तृत विशिष्टता का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । यदि मशीनों की आपूर्ति मानक उपसाधनों के साथ की गई हो तो इनवॉइस के साथ ऐसे उपसाधनों की विस्तृत सूची लगायी जाए । यदि मशीन की आपूर्ति विशिष्ट नियंत्रणों/यंत्रावली के साथ की गयी हो, तो इनवॉइस में उक्त का स्पष्ट उल्लेख हो ।

अनु. क्र.	विनिर्माता का नाम एवं पता	वस्त्र आयुक्त द्वारा जारी एकमात्र मिल संख्या	विशिष्टता	बेंचमार्क मूल्य
				उपसाधनों के बिना
1	2.	3.	4.	5.
7	मेसर्स बी आर ब्रदर्स 3/4138, लाद सेरी नवापुरा सूरत मो-0982146784 श्री भरत चौखावाला	102	48 स्पीडल मेकेनिकल झाईव इनव्हाटर के साथ	2,500/-
8	मेसर्स एन आर नॉयलान 5/345 कलयुग स्ट्रीट , हरीपुरा सूरत टेली-2427194 श्री नवीनचंद्र आर चौखावाला	103	48 स्पीडल मेकेनिकल झाईव इनव्हाटर के साथ	2,500/-
9	मेसर्स एस.आर. सिल्क , प्रनामी मंदीर, टेकरा, वरियाई वगोल श्री सुमित आर चौखावाला	104	64 स्पीडल मेकेनिकल झाईव	1,600/-
10	मेसर्स. सनमून इंडस्ट्रीज, सर्वे नं.78/1/2, ओल्ड देना बैंक रोड, दमानी रोड, दादरा नगर हवेली टेलि.(H)0261-2552222 श्री एच.एच. मिस्त्री	069	48 स्पीडल मेकेनिकल झाईव इनव्हाटर के साथ	2,770/-
11	मेसर्स सुनतेज इंडस्ट्रीज शेड नं. 03, शाह इंड. इस्टेट, फ्लाय ओवर ब्रिज के सामने, ए.के. रोड, सूरत श्री एम एस मिस्त्री	070	48 स्पीडल मेकेनिकल झाईव इनव्हाटर के साथ	2,770/-
12	मेसर्स अरुण टेक्स मेक इंडस्ट्रीज सर्वे नं. 277/1/5 दमाणी रोड, दादरा	056	80 स्पीडल मेकेनिकल झाईव इनव्हाटर के साथ	2,512/-
13	मेसर्स सनस्टार इंडस्ट्रीज प्लॉट नं. 414 रोड नं.4, जी.आय.डी.सी. सचिन, सूरत	071	80 स्पीडल मेकेनिकल झाईव इनव्हाटर के साथ	2,512/-
14	मेसर्स कन्हैया टेक्सटाइल इंजि.वर्क्स 938 ओल्ड जी.आय.डी. कातरगांव , सूरत	058	80 स्पीडल मेकेनिकल झाईव इनव्हाटर के साथ	2,512/-

टिप्पणी : इनवॉइस में मशीन की विस्तृत विशिष्टता का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । यदि मशीनों की आपूर्ति मानक उपसाधनों के साथ की गई हो तो इनवॉइस के साथ ऐसे उपसाधनों की विस्तृत सूची लगायी जाए । यदि मशीन की आपूर्ति विशिष्ट नियंत्रणों/यंत्रावली के साथ की गयी हो, तो इनवॉइस में उक्त का स्पष्ट उल्लेख हो ।

अनु. क्र.	विनिर्माता का नाम एवं पता	वस्त्र आयुक्त द्वारा जारी एकमात्र मिल संख्या	विशिष्टता	बेंचमार्क मूल्य
				उपसाधनों के बिना
1	2.	3.	4.	5.
15	मेसर्स बालाजी इंजीनियरिंग सर्वे नं. 207/2 प्लॉट नं. 42, सहेली अटोरी नाके के पास, तिरुपति मिल कॉम्प्लेक्स, जीआयडीसी, पांडेसरा, सूरत 394221 श्री दिनेश चंद्र टी बालाजी वाला	105	60 स्पीडल मेकेनिकल ड्राईव इनव्हाटर के साथ	2,512/-
			80 स्पीडल मेकेनिकल ड्राईव इनव्हाटर के साथ	2,512/-
16	मेसर्स. विव टेक इंजिनियर्स ब्लॉक नं. 1, सर्वे नं.122, गॉव-दादरा : 396 191 (सिलवासा) E.Mail-lidhra@vsnl.com सं.प्रदेश दादरा अॅन्ड नगर हवेली फोन नं. (0260) 2668304 श्री वल्लभभाई एस. थुमार	035	80 स्पीडल प्र.ति. मशीन सर्वो मोटर के साथ पी.एल.सी,	6,875/-
17	मेसर्स श्याम इंजीनियरिंग वर्क्स, सी इलेक्ट्रा. सब स्टेशन गली राठी पैलेस रिंग रोड, सूरत श्री सुरेश भाई कोठीवाला	106	40 स्पीडल मेकेनिकल ड्राईव इनव्हाटर के साथ	2,500/-
			40 स्पीडल मेकेनिकल ड्राईव	1,750/-
			60 स्पीडल मेकेनिकल ड्राईव इनव्हाटर के साथ	2,250/-
			60 स्पीडल मेकेनिकल ड्राईव	1,500/-
			80 स्पीडल मेकेनिकल ड्राईव	1,650/-
18	मेसर्स. अरुण टेक्सटाईल इंजि. प्रा. लि., 45, जसुकाका वाडी, ए. के. रोड, सूरत : 395 008. फोन नं.8552222/8550061/8544368 फॅक्स नं. 0261 - 8551836 श्री हरेश मिस्त्री	031	64 स्पीडल मेक ड्राईव इनव्हाटर के साथ	2,512/-

टिप्पणी : इनवॉइस में मशीन की विस्तृत विशिष्टता का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । यदि मशीनों की आपूर्ति मानक उपसाधनों के साथ की गई हो तो इनवॉइस के साथ ऐसे उपसाधनों की विस्तृत सूची लगायी जाए । यदि मशीन की आपूर्ति विशिष्ट नियंत्रणों/यंत्रावली के साथ की गयी हो, तो इनवॉइस में उक्त का स्पष्ट उल्लेख हो ।

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
(पावरलूम विकास प्रकोष्ठ)
पो.बै. सं. 11 500, मुंबई : 400 020.
न्यू सी.जी.ओ. भवन, 48, न्यू मरीन लाईन्स,
फैक्स सं.022-2004693, E-mail: texcomindia@txcindia.com
फोन नं.022-2001050-268/249.

सं. 2(65)/2004-05पीडीसी/
दिनांक : 29/12/2004

परिपत्र सं. 2
(पीडीसी 2004-2005 श्रृंखला)

विषय:- पावरलूम सेक्टर के लिए प्रौडनियो के अन्तर्गत 20% की दर से क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी (प्रचालन दिशा-निर्देश I)

योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध किए गए सभी मशीनरी के विनिर्माता निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे :

- (1) उपर्युक्त उल्लेखित 20% सीएल सीएस योजना के अन्तर्गत जारी परिपत्रों में सूचीबद्ध सभी मशीनरी के विनिर्माता 31 दिसम्बर 2005 से पूर्व आय एस ओ - 900 प्रमाणन प्राप्त करेंगे । इस प्रमाण-पत्र के अभाव में उक्त सूची से मशीनरी विनिर्माताओं के नाम रद्द कर दिए जाएंगे ।
- (2) दो या एक टिवस्टर और प्रिवाइंडर के सभी विनिर्माता सुनिश्चित करेंगे कि योजना के अन्तर्गत 1 अप्रैल 2005 से संस्थापित टिएफओटि में अनिवार्यतः काम्पानेन्ट/प्रणाली की निम्नलिखित मर्दे हैं ।

- क्रेडल
- ड्राप वॉयर प्रणाली
- ओवर फीड प्रणाली

योजना के अन्तर्गत संस्थापित टिएफओटि के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी, अगर इसमें उपरोक्त काम्पानेन्ट/प्रणाली न लगी हो ।

(एस. चक्रवर्ती)
निदेशक

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
(पावरलूम विकास प्रकोष्ठ)
पो.बै. सं. 11 500, मुंबई : 400 020.
न्यू सी.जी.ओ. भवन, 48, न्यू मरीन लाईन्स,
फैक्स सं.022-2004693, E-mail: texcomindia@txcindia.com
फोन नं.022-2001050-268/249.

सं. 2(65)/2004-पीडीसी/

दिनांक : 10/02/2005

परिपत्र सं. 3

(पीडीसी 2004-2005 श्रृंखला)

विषय:- पावरलूम सेक्टर के लिए टप्स के अन्तर्गत 20% की दर से क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी (प्रचालन दिशा निर्देश)।

संदर्भ:- परिपत्र सं 7(200304 श्रृंखला) दिनांक 23-जनवरी 2004 विनिर्दिष्ट विनिर्माताओं एवं बेंचमार्कड मशीनरी और बेंचमार्कड कीमतों की सूची

विनिर्दिष्ट विनिर्माताओं एवं बेंचमार्कड मशीनरी और बेंचमार्कड कीमतों की पाँचवी सूची

उपरोक्त परिपत्र सं. 7 के क्रम में परिशिष्ट-1 पर विनिर्दिष्ट विनिर्माताओं एवं बेंचमार्कड मशीनरी और बेंचमार्कड कीमतों की पाँचवी सूची प्रस्तुत की गई हैं।

परिपत्र सं. 7,2003-04 श्रृंखला और परिपत्र सं.3 [पीडीसी 2003.2004 श्रृंखला]. के

लिए शुद्धिपत्र

- परिपत्र सं.7 दिनांक 23 जनवरी 2004 की सूची ए में क्रम सं. 3 में उल्लेखित मेसर्स सनराइस इन्डस्ट्रीयल का नाम टंकण की त्रुटि के कारण गलत छपा था। इसे "द सनराइस इन्डस्ट्रीयल" पढ़ा जाए।
- परिपत्र सं.7 (क्र.सं.3, सूचीए) में उल्लेखित मेसर्स सनराइस इन्डस्ट्रीयल के संबंध में अर्ध स्वचालित लूम 198 सेमी x 4/1 की कीमत में निम्नानुसार संशोधन किया गया है

क्रम सं	विनिर्माता का नाम और पता	वस्त्र आयुक्त द्वारा आबंटित मिल न.	विनिर्दिष्ट	बेंचमार्कड कीमताएं, बिना अनुषंगी के
3.	मेसर्स द सनराइस इन्डस्ट्रीयल पो. बैग सं.2105, 5 th मेन रोड, सनराइस अरुणाचलम सर्कल, श्रीरामपुरम, बैंगलूर-560021, टेलिफोन: 3388607/330356 फैक्स. 080-3383523. श्री ए. नरसिंहन, मैनेजिंग पार्टनर	022	198 सेमी x4/1	48.816/-

परिपत्र सं.3 दिनांक 16.07.2004 की सूची ई.में उल्लेखित फिलमेन्ट यार्न के टिएफओटि विनिर्देश में असावधानी से टंकण त्रुटि के कारण "स्पिंडल की सं." गलत छपी गई थी, इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए।

"परिपत्र सं. 3 दिनांक 16.7.2004 की सूची 'ई' में बेच मार्कड टू फॉर वन टिवस्टर के अर्न्तगत उल्लेखित स्पिंडल की संख्या हटा दी गई है ।

(डॉ. हरशरण दास)
अतिरिक्त वस्त्र आयुक्त

अनुलग्नक-1 चिन्हित उत्पादकों की सूची इसमें बैचमार्क मशीनरी एवं बैचमार्क मूल्य सम्मिलित हैं ।				
अनु. क्र.	विनिर्माता का नाम एवं पता	वस्त्र आयुक्त द्वारा आवंटित यूनिट मिल संख्या	विशिष्टता	बैचमार्क मूल्य बिना उपसाधनों के
1	2.	3.	4.	5.
अ. अर्ध स्वचालित लूम				
1	मेसर्स अमृत इंडस्ट्रीज, P Lno 5/बी गोपाल इस्टेट, हर्षद चेबर्स के बाजू में, वल्लभ नगर, उद्धव, अहमदाबाद-15 फोन-079-2872319 श्री के.पी. पंचाल	107	162 सेमी 4X1	38,940/-
2	मेसर्स जय अंबे प्लॉट नं. 38/3, रोड बी , लाईन इ5 जय केमिकल्स के सामने रिलान्यस के नजदीक, जी आय डी सी , ओढय, अहमदाबाद इ382415 श्री पोपट भाई पंचाल	108	152 सेमी 2X1	22,500/-
3	मेसर्स सन इंडस्ट्रीज जॉयसिल्क मिल्स कपांऊड , लाल दरवाजा, वस्तादेवदी रोड, सूरत 395003 श्री जनक डी धामनवाला	027	152 सेमी 2X1 162 सेमी 2X1 182 सेमी 4X1	40500/- 42500/- 47000/-
4.	मेसर्स ऑनेस्ट ट्रेडिंग कंपनी प्रा.लि. पो बा 43 महादेव नगर, बिलीमोरा-396 321 टेलि. 02634-283902/283302 श्री धन्यजय शाह	017	172सेमी कॅम/टैपेट के साथ एक्यूमलेटर की बिना	2,11,000/-
5.	मेसर्स बिलीमोरा इंजी. प्रा.लि., महादेव नगर, बीलीमोरा,396 321 जि. नवसारी, गुजरात	109	150 सेमीx2/1 150 सेमीx4/1 172 सेमीx4/1 182 सेमीx4/1	47000/- 49500/- 55000/- 58000/-
6	मेसर्स सन इंडस्ट्रीज जय सिल्क मिल्स कॅम्पाऊंड, लाल दरवाजा, वास्ता देवली रोड, सूरत - 03 श्री जनक धामनवाला,	027	152 सेमीx2/1 162 सेमीx2/1 182 सेमीx4/1	40500/- 42500/- 47000/-

7	मेसर्स सनसाइज इंड पो बा 2105, 5 वी मेन रोड सनसाइज अरुणाचलम सर्कल, श्री राम पुरम् बंगलौर 560021	022	218 सेमी 1X1 305 सेमी 1X1	43,000/- 65000/-
---	---	-----	------------------------------	---------------------

टिप्पणी : इनवॉइस में मशीन की विस्तृत विशिष्टता का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । यदि मशीनों की आपूर्ति मानक उपसाधनों के साथ की गई हो तो इनवॉइस के साथ ऐसे उपसाधनों की विस्तृत सूची लगायी जाए । यदि मशीन की आपूर्ति विशिष्ट नियंत्रणों/यंत्रावली के साथ की गयी हो, तो इनवॉइस में उक्त का स्पष्ट उल्लेख हो ।

अनु. क्र.	विनिर्माता का नाम एवं पता	वस्त्र आयुक्त द्वारा आवंटित यूनिट मिल संख्या	विशिष्टता	बैचमार्क मूल्य बिना उपसाधनों के
1	2.	3.	4.	5.
8	मेसर्स फ्रेण्डस् इंजी . वर्क्स, सोनाली रोड, चादनी बांग , पानीपत 130203	084	228 सेमी 4X4 266 सेमी 1X1	61,116/- 59,800/-
9	मेसर्स इंटरनेशनल इंजी कार्पो. जी टी रोड, पुतली घर , पो. खालसा कालेज, अमृतसर-143 002	083	279 सेमी 1X1 325 सेमी 1X1	63,700/- 73,700/-
बी.	स्वचालित पर्ण चेजिंग लूम			
1	मेसर्स हॉन्सेट ट्रेडिंग कंपनी प्रा. लि. पो बा सं. 43, महादेवी नगर बेलीमोरा 396 321	017	300 सेमी	1,50,000/-
2	मेसर्स लक्ष्मी ऑटोमैटिक लूम वर्क पो. बा. 6320, 1100, अवनाशी रोड, कोयम्बतूर 641 03	024	220 से मी कैम के साथ	3,39,104/-
सी	शटल लेस रेपियर लूम			
1	मेसर्स ऑनेस्ट ट्रेडिंग कंपनी प्रा.लि. पो बा 43 महादेव नगर, बिलीमोरा-396 321	017	225 सेमी कैम (टैपेट) तथा एक्युमलेटर के बिना ,केवल डॉबी मॉऊट फ्रेम के साथ	2,51,000/-
2	मेसर्स. हिमसंन्स टेक्सटाईल इंजि. इंडस्ट्रियल लि., 2/94, जी.आई.डी.सी., पान्डेसरा, सूरत : 394 221.फोन नं.0261- 3090886/887 E.Mail-nimesh@himsonceramics.com	011	19 सेमी) कैम/डोबी के साथ एवं 4 एक्युमलेटर एवं इलेक्ट्रॉनिक वेफ्ट सलेक्टर	4,35,000/- उपसाधनों के सहित
3	मेसर्स लक्ष्मी ऑटोमैटिक लूम वर्क पो. बा. 6320, 1100, अवनाशी रोड, कोयम्बतूर 641 037	024	180 से मी , बाहरी पॉजिटिव कैम (6कैम) , 6 एक्युमलेटर, 6 कलर प्रोग्रामर , इलेक्ट्रॉनिक वेफ्ट सिलेक्टर तथा मोटराइज्ड पीक फाऊंडर , एमपी एम 450	6,50,000/- उपसाधनों के बिना
डी	पर्न वाइंडिंग मशीन (स्वचालित)			
1	मेसर्स सुपर वैक इंजी, 47/डी उदय इंड इस्टेट, ओढव पोलिस स्टेशन के सामने, ओढव , अहमदाबाद-382 415	110	12 तकुओं की स्वचालित पर्न वाइंडिंग मशीन	6000/-
2	मेसर्स लक्ष्मी प्रेसिंग टूल लिमिटेड आरासूर 641 407 कोयम्बतूर तमीलनाडू	111	मॉडल एलएमस 12 स्पीडल, रोटरी मैकजिन	18,500/-
ई	डॉबी			

1	मेसर्स नरेन्द्र इंडस्ट्रीज, एलएमएस कंपाऊड , जीआयडीसी, फेज -1 वधावन सिटी सुरेन्द्र नगर 363 035 श्री नरेन्द्र शाह	112	25 शाफ्ट्स हाई स्पीड निगेटिव टाइप कैम डॉबी	38,000/-
---	--	-----	--	----------

टिप्पणी : इनवॉइस में मशीन की विस्तृत विशिष्टता का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । यदि मशीनों की आपूर्ति मानक उपसाधनों के साथ की गई हो तो इनवॉइस के साथ ऐसे उपसाधनों की विस्तृत सूची लगायी जाए । यदि मशीन की आपूर्ति विशिष्ट नियंत्रणों/यंत्रावली के साथ की गयी हो, तो इनवॉइस में उक्त का स्पष्ट उल्लेख हो ।

अनु. क्र.	विनिर्माता का नाम एवं पता	वस्त्र आयुक्त द्वारा आवंटित यूनिक मिल संख्या	विशिष्टता	बैचमार्क मूल्य बिना उपसाधनों के
1	2.	3.	4.	5.
एफ सेक्सनल वॉर्पिंग मशीन				
1	मेसर्स केशर कार्पो. प्लॉट नं. 431, पी सी अपना बाजार गैस गोडारुन के पास, ओढव , अहमदाबाद 382 415	113	हाईस्पीड सेक्सनल वॉर्पिंग मशीन फिक्स कोन, 2200 एमएम , बिम फ्लैज डाय 1000 एमएम उपकरण, 528 एण्ड कोन क्रिल एसी फ्रिक्वेन्सी कन्ट्रोल डिजिटल ड्राइव तथा हाइड्रोलिक डोनिंग डॉफिंग	1087000/-
2	मेसर्स साहस इंटरप्राइजस रोटरी ऑखों के अस्पताल के सामने , थाला सुतार चाल, चिखली , नवसारी	066	3000 एमएम , 480 एण्ड एच क्रिल, वेरियबल कोन	744800/-
3	मेसर्स प्रशांत गामा टेक्स प्रा. लि. 4/1 सी , जीआयडीसी इस्टेट, फेज - 1 , वाटवा , अहमदाबाद 382 445		मॉडल इएसपी - 508 , 2200 एमएम ,800 एमएम बिम फ्लैज डाय के लिए उपयुक्त ,480 एण्ड क्रिल क्षमता मॉडल इपी 508,2200 एमएम 800, एमएम बिम फ्लैज डाय के लिए उपयुक्त, 480 एण्ड क्रिल क्षमता	3500000/- 2328000/-
जी . साइजिंग मशीन				
1	मेसर्स अनुप इंडस्ट्रीज टेक्स. इंजी &मैन्यू. 23/130 नवरंग प्रोसेस के पास, खंजिरे इंडस्ट्रीयल इस्टेट, शहापुर इंचलकरजी 416 115 श्री संजय टी सुतार	114	20 बिम क्रिल, ऑटो बिम टेशन तथा ब्रेकिंग सिस्टम, पॉजिटिव फिड , 2 साइज बाक्सेस , ऑटो साइज लेवल कन्ट्रोल तथा तापमान कन्ट्रोल 12 ड्राइंग सिलेंडर , 1000एमएमए डाय वार्प बिम के लिए उपयुक्त 130" वर्किंग चोडाई हंड स्टॉक ऑटो टेन्शन कन्ट्रोल	2915000/-

टिप्पणी : इनवॉइस में मशीन की विस्तृत विशिष्टता का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । यदि मशीनों की आपूर्ति मानक उपसाधनों के साथ की गई हो तो इनवॉइस के साथ ऐसे उपसाधनों की विस्तृत सूची लगायी जाए । यदि मशीन की आपूर्ति विशिष्ट नियंत्रणों/यंत्रावली के साथ की गयी हो, तो इनवॉइस में उक्त का स्पष्ट उल्लेख हो ।

अनु. क्र.	विनिर्माता का नाम एवं पता	वस्त्र आयुक्त द्वारा आवंटित यूनिक मिल संख्या	विशिष्टता	बैचमार्क मूल्य बिना उपसाधनों के
1	2.	3.	4.	5.
एच	फिलामेंट यार्न के लिए टू फार वन ट्विस्टर			
1	मेसर्स विनायक मशीन 294/ बी जीआयडीसी पांडेशेरा , गाँव वाढोद , सूरत 394 221 श्री मनोज दवे	115	70 एमएम पॉट डाय रेग्यूलर मॉडेल 70 एमएम पॉट डाय इकॉनामी मॉडेल	1850/- 1150/-
2	मेसर्स आकाश टेक्स. इंजी प्लॉट नं. बी-27, रोड नं. 04 , हिन्दुस्तान फैशन के पास, उद्योग नगर , उधाना , सूरत 394210	073	60 एमएम पॉट डाय इकॉनामी मॉडेल	825/-
3	मेसर्स ब्लू स्काय इंजी कंपनी प्लॉट नं. बी-175 , स्पान के सामने रोड नं.6- जी , न्यू इंडस्ट्रीयल इस्टेट उधाना , सूरत 394 210	077	60 एमएम पॉट डाय	1000/-
4	मेसर्स. अरुण टेक्सटाइल इंजि. प्रा. लि., 45, जसुकाका वाडी, ए. के. रोड, सूरत : 395 008. फोन नं.8552222/8550061/8544368 फैक्स नं. 0261 इ 8551836 श्री हरेश मिस्त्री	031	60 एमएम पॉट डाय	1000/-
5	मेसर्स कन्हैया टेक्सटाइल इंजि.वर्क्स 938 ओल्ड जी.आय.डी. कातरगाँव , सूरत फोन इ480889/482074/7481941	058	60एमएम पोट डीआईए	900/-
6	मेसर्स सनस्टार इंडस्ट्रीज प्लॉट नं. 414 रोड नं.4, जी.आय.डी.सी. सचिन, सूरत	071	60एमएम पोट डीआईए	900/-
7	मेसर्स मिहिर मशीनरी मैनु. सर्वे नं. 277/1/5 दमानी रोड, गांव- दादरा , सिलवासा	057	60एमएम पोट डीआईए	900/-
8	मेसर्स प्रकाश इंजी. वर्क सरदार चौक, सनराईज चेबर्स के पास, बिसाईड पटेल समाज वादी, वराछा रोड, सूरत	116	48 स्पीडल मेकेनिकल ड्राइव	1,520/-

टिप्पणी : इनवॉइस में मशीन की विस्तृत विशिष्टता का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । यदि मशीनों की आपूर्ति मानक उपसाधनों के साथ की गई हो तो इनवॉइस के साथ ऐसे उपसाधनों की विस्तृत सूची लगायी जाए । यदि मशीन की आपूर्ति विशिष्ट नियंत्रणों/यंत्रावली के साथ की गयी हो, तो इनवॉइस में उक्त का स्पष्ट उल्लेख हो ।

अनु. क्र.	विनिर्माता का नाम एवं पता	वस्त्र आयुक्त द्वारा आवंटित यूनिट मिल संख्या	विशिष्टता	बैचमार्क मूल्य बिना उपसाधनों के
1	2.	3.	4.	5.
एल.	कोप वाइन्डर			
1	मेसर्स विनायक मशीन्स, 294/बी, जीआयडीसी पांडेसरा गांव वाडोड,सूरत 394221 श्री मनोज देव	115		1850/- 1150/-
2	मेसर्स आकाश टेक्सटाइल इंजि. रोड नं.4 हिन्दुस्तान फैशन के पास, उद्योग नगर, उधना, सूरत	073	60 स्पिंडल प्र.ति. मशीन मेक ड्राईव	1,750/-
3	मेसर्स परमेश्वर इंजि. 35/36 गोल्डन इंड इस्टेट , सोमनाथ रोड, दाबेल, श्री धर्मेश देसाई	032	64 स्पिंडल प्र.ति. मशीन सर्वो ड्राईव इकोनोमीक मॉडल	1,500/-
3				
4	मेसर्स ब्लू मून इंजि. एण्ड मैनु.कं. पी.बी. नं.1248,एम.जी. रोड, नं.12 , उधना, सूरत टेलि.0261-2278873/2279573 श्री शाबिर एम. कालावाड़वाला	078	80स्पिंडल नेकड्राइव इनटर्वर्ट के साथ	2,512/-
5	मेसर्स मिहिर मशीनरी मैनु. सर्वे नं. 277/1/5 दमानी रोड, गांव- दादरा , सिलवासा	057	48 स्पीडल मेकेनिकल ड्राइव के साथ	2,770/-
6	मेसर्स आशीर्वाद इंजि. 26-27,जशूकाका वाडी, लेपरोसी हॉस्पिटल के पास , ए.के.रोड सूरत	064	48 स्पीडल मेकेनिकल ड्राइव के साथ	6,900/-
7	मेसर्स प्रकाश इंजी. वर्क सरदार चौक, सनराईज चेबर्स के पास, बिसाईड पटेल समाज वादी, वराछा रोड, सूरत	116	48 स्पीडल मेकेनिकल ड्राईव	1,520/-
8	मेसर्स प्रगति इंडस्ट्रीज प्लॉट नं. 31, ग्राउड फ्लोअर लक्ष्मी टाइल्स कंपाऊड, जगदंबा मिल के पास, ए के रोड सूरत	080	48 स्पीडल मेकेनिकल ड्राइव के साथ	1,200/-
9	मेसर्स आर.वी. एण्ड सन्स 5/1345, कलजुग स्ट्रीट हरीऊरा, सूरत, 395003 मो. 9824146784 श्री राजेन्द्र एन. चोकावाला	089	48 स्पीडल मेकेनिकल ड्राइव के साथ	1,950/-

टिप्पणी : इनवॉइस में मशीन की विस्तृत विशिष्टता का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । यदि मशीनों की आपूर्ति मानक उपसाधनों के साथ की गई हो तो इनवॉइस के साथ ऐसे उपसाधनों की विस्तृत सूची लगायी जाए । यदि मशीन की आपूर्ति विशिष्ट नियंत्रणों/यंत्रावली के साथ की गयी हो, तो इनवॉइस में उक्त का स्पष्ट उल्लेख हो ।

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
(पावरलूम विकास प्रकोष्ठ)
पो.बै. सं. 11 500, मुंबई : 400 020.
न्यू सी.जी.ओ. भवन, 48, न्यू मरीन लाईन्स,
फैक्स सं.022-2004693, E-mail: texcomindia@txcindia.com
फोन नं.022-2001050-268/249.

सं. 2(65)/2004-पीडीसी/

दिनांक 29/03/2005

परिपत्र सं. 4
(पीडीसी 2004-2005 श्रृंखला)

विषय : - प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना

परिपत्र सं.7 दिनांक 23 जनवरी 2004 के क्रम में 20% की दर से क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी के क्रियान्वयन हेतु पत्र सं. 2(65)/2004/पीडीसी/163-189 दिनांक 16.03.2004 के अर्न्तगत जारी दिशा- निर्देशों के अनुसार वस्त्र आयुक्त द्वारा क्षेत्रीय आधार पर संयुक्त निरीक्षण दल गठित किया गया है । संयुक्त निरीक्षण दल जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है । बेंचमार्कड मशीनरी की कमीशानिंग को भी प्रमाणित कर रहा है । इन रिपोर्टों की जांच के बाद कुछ विसंगतियाँ उजागर हुई, जो कि निम्नानुसार है :-

- (1) दिशा-निर्देशों के अनुपालन में मशीन के निर्दिष्टिं काम्पोनेन्ट पर विशिष्ट कोड नम्बर, मशीनरी कोड नम्बर और मशीनरी क्रम संख्या उकीर्ण नहीं की गई है ।
- (!!) गलत कोड नम्बर उकीर्ण किए गए हैं
- (!!!) उकीर्ण किए गए कोड नम्बर स्पष्ट नहीं है ।
- (!v) इकाइयों/मशीनरी विनिर्माताओं द्वारा भ्रामक सूचना प्रस्तुत की गई है उदाहरणार्थ (1) विभिन्न पृथक इकाइयों की एक ही क्रम संख्या दी गई है और इसे मशीनरी पर उकीर्ण किया गया है । (2) संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा पाया गया कि मेकेनिकल ड्राइव के साथ वाइंडर सप्लाई किए गए परन्तु प्रोफार्मा बीजक में दर्शाया गया है कि मशीन के साथ मेकेनिकल इन्वर्टर ड्राइव आदि सप्लाई की गई है ।
- (v) संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा पाया गया कि मशीनरी आंशिक रूप से संस्थापित की गई है अथवा बीजक के अनुसार या मशीनरी विनिर्माता के दावे के अनुसार सप्लाई नहीं की गई है ।
- (vi) कोड नम्बर उकीर्ण किए नहीं गए हैं ।

(vii) मशीनरी विनिर्माता द्वारा सप्लाई किए गए कॉंपवाइंडर के विनिर्देश, बेंचमार्कड विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है ।

इस मामले पर विस्तार से विचार किया गया है । अतः 20% क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी को उचित तरीके से लागू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निदेश दिए गए हैं कि योजना के अर्न्तगत बेंचमार्क की गई मशीनरी के विनिर्माता इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करें और इनके अनुपालन में ढीलाई न बरती जाए ।

निम्नलिखित सूचना सभी बेंचमार्क की गई मशीनरी के विनिर्माताओं को ध्यान में लाई जाती हैं :-

(क) एक से अधिक मशीन पर समान कोड नम्बर का प्रयोग नहीं किया जाएगा । मशीन विनिर्माता को क्रम संख्या की सतत श्रृंखला रखनी होगी । अगर किसी मशीन पर उकीर्ण की गई संख्या अन्य किसी मामले में भी वही पाई गई तो इसे प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अर्न्तगत सब्सिडी के लिए मान्य नहीं माना जाएगा ।

(ख) अगर मशीन विनिर्माताओं ने मशीनरी के सभी काम्पानेन्ट पर मशीन की रनिंग क्रम संख्या आदि उकेरी न तो इसे संयुक्त निरीक्षण दल के निरीक्षण के दौरान मशीन पर उकेरा जा सकता है । मशीन के विनिर्माता निरीक्षण के दौरान उत्कीर्णन मशीन साथ ले जा सकते हैं ।

(ग) संयुक्त निरीक्षण दल विनिर्माताओं द्वारा मशीनो पर कोड नम्बर न डालने की रिपोर्ट/ निष्कर्ष प्रस्तुत करने के उपरांत और वस्त्र आयुक्त कार्यालय, मुम्बई के परामर्श पर विनिर्माता मशीनों पर नम्बर उकेरगा एवं इन इकाइयों के पुनः निरीक्षण का अनुरोध करेगा । विनिर्माता को प्रदान की जाने वाली सब्सिडी से इस राशि की कटौती की जाएगी ।

(घ) विनिर्माता स्पिंडल की कांप वाइंडर मशीन सप्लाई करेंगे जिसके लिए उन्हें बेंचमार्कड किया गया है । अगर बेंचमार्कड स्पिंडल के स्थान पर कर स्पिंडल वाले कांप वाइंडर की सप्लाई की गई हो तो बेंचमार्कड कांप वाइंडर के प्रति स्पिंडल का मूल्य सब्सिडी की राशि प्रदान करने के लिए मान्य होगा । उदाहरणार्थ : अगर 64 स्पिंडल युक्त कांपवाइंडर मशीन को बेंचमार्कड किया गया हो और 60 स्पिंडल युक्त कांपवाइंडर इकाई को सप्लाई किया जाता है तो 64 स्पिंडल युक्त कांपवाइंडर के मूल्य पर विचार किया जाएगा । अगर सप्लाई

किए गए कांपवाइंडर बेंचमार्कड किए स्पिंडल से अधिक हो तो मामले को प्रौउनियो के अन्तर्गत पात्र नहीं माना जाएगा ।

(च) इकाइयों/विनिर्माताओं द्वारा भ्रामक सूचना दिए जाने पर मामले को रद्द कर दिया जाएगा एवं क्रेडि लिक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना से नाम रद्द कर दिया जाएगा ।

यह आदेश 1 अप्रैल, 2005 से लागू होंगे ।

(डॉ. हरशरण दास)
अतिरिक्त वस्त्र आयुक्त

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
पो.बै. सं. 11 500, मुंबई : 400 020.
फैक्स सं.022-2002495, E-mail: texcomindia@txcindia.com
Website : www.txcindia.com

सं. 28(19)/2005-एम.एस/

दिनांक : 21 अप्रैल, 2005

परिपत्र सं. 1
(2005-2006 श्रृंखला)

विषय : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौउनियो) विकेन्द्रिकृत विद्युत करघा क्षेत्र के लिये प्रौउनियो (20% की दर पर सीएलसीएस - प्रौउनियो) के अन्तर्गत ऋणयुक्त पूंजीगत सहायता

1. 20% सीएलसीएस - प्रौउनियो के अन्तर्गत अधिकतम 20% पूंजी सहायता के संदर्भ में स्पष्टीकरण :-

दिनांक 25 जनवरी, 2005 के परिपत्र सं.6 (2004-2005 श्रृंखला) के पैरा 1 (i) का संदर्भ ग्रहण करें, जहाँ यह उल्लेख है किया गया था कि विकेन्द्रिकृत विद्युत करघा क्षेत्र के लिए सी एल सी एस के अन्तर्गत प्रौ.उ.नि. योजना में 20% की दर से मशीनरी के लिए पूंजी संबंधी उच्चतम सीमा को रुपये 60 लाख से बढ़ाकर 1 (एक) करोड़ तक कर दिया गया है । इस संबंध में यह प्रश्न उठाया गया कि क्या पूंजीगत आर्थिक सहायता 12 लाख ही रखी गयी है या यह भी रु.20 लाख तक बढ़ाई गई है । इस संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि मशीनरी के लिये उच्चतम सीमा को रु.60 लाख से बढ़ाकर रु.1 करोड़ तक बढ़ाया गया है , दिनांक 13 जनवरी, 2005 से पूंजीगत आर्थिक सहायता की उच्चतम सीमा भी रु.12 लाख से रु.20 लाख तक बढ़ा दी गई है ।

2. विकेन्द्रिकृत विद्युत करघा क्षेत्र के लिए सी एल सी एस के अन्तर्गत प्रौ.उ.नि. योजना में 20% की दर पर पूंजीगत आर्थिक सहायता की रु.12 लाख से रु.20 लाख तक बढ़ी हुई उच्चतम सीमा की पात्रता के बारे में स्पष्टीकरण ।

20% (अर्थात रु.20 लाख) तक बढ़ी हुई पूंजीगत आर्थिक सहायता की पात्रता निश्चित करने के लिए मापदंड निम्नानुसार है :-

स्वदेशी करघे : करघों की खरीद की तिथि 13 जनवरी, 2005 या उसके बाद की होना आवश्यक है ।

आयातित करघे : प्रवेश का बिल 13 जनवरी, 2005 या उसके बाद का होना आवश्यक है ।

3. 20% कर दर पर सी एल सी एस के अन्तर्गत प्रौ.उ.नि. योजना के अन्तर्गत 10 वर्ष से 15 वर्ष की विन्टेज अवधि एवं 10 वर्ष की अवशिष्ट अवधि के सेकंड हैंड आयातित शटललेस करघों के बेंचमार्कड मूल्य का निर्धारण :-

दिनांक 26 फरवरी,2005 के परिपत्र सं.9 (2004-2005 श्रृंखला) के पैरा 1 (iii) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें उल्लेख किया गया है कि दिनांक 22 फरवरी,2005 से प्रौ.उ.नि. योजना के अन्तर्गत सेकंड हैंड आयातित प्रोजेक्टाइल, रैपियर, एअरजेट तथा वॉटरजेट शटललेस करघों की विन्टेज अवधि 10 वर्ष से 15 वर्ष तक बढ़ाई गई है, जिनकी अवशिष्ट अवधि 10 वर्ष होगा ।

10 वर्ष की अवशिष्ट अवधि वाली एवं 10 वर्ष से 15 वर्ष तक बढ़ाई गई विन्टेज अवधि के सेकंड हैंड शटललेस आयातित करघों के बेंचमार्कड मूल्य

अनु. क्र.	10 वर्ष की अवशिष्ट अवधि वाली एवं 10 वर्ष से 15 वर्ष तक बढ़ाई गई विन्टेज अवधि के सेकंड हैंड आयातित मशीनों का विवरण	विशेषताएं/मॉडेल	आर्थिक सहायता के उद्देश्यों के लिये बेंचमार्कड मूल्य पर अधिकतम सीमा (रु.लाख)
1.	टैपेट/कैम के साथ वाटर जेट करघे	चाहे गति/चौड़ाई कितनी भी हो ।	3.60
2.	डॉबी/जेक्वार्ड के साथ वाटर जेट करघे	चाहे गति/चौड़ाई कितनी भी हो ।	4.40
3.	टैपेट/कैम के साथ प्रोजेक्टाइल करघे	पी-7100, पी-7150, पी-7200, पी-7250	9.60
	डॉबी के साथ प्रोजेक्टाइल करघे	पी-7100, पी-7150, पी-7200, पी-7250	11.20
	टैपेट के साथ प्रोजेक्टाइल करघे	पी-लीन	8.00
4.	टैपेट/कैम के साथ एअरजेट करघे	चाहे गति/चौड़ाई कितनी भी हो ।	8.40
5.	डॉबी के साथ एअरजेट करघे	चाहे गति/चौड़ाई कितनी भी हो ।	9.80
6.	(बिना डॉबी के साथ) रैपिअर करघे	350-500 मीटर / मि. की इन्सर्शन दर	1.00
7.	(बिना डॉबी के साथ) रैपिअर करघे	501-750 मीटर / मि. की इन्सर्शन दर	3.60
8.	(बिना डॉबी के साथ) रैपिअर करघे	750 मीटर / मि. की इन्सर्शन दर	6.40
9.	डॉबी के साथ रैपिअर करघे	750 मीटर / मि. की इन्सर्शन दर	8.00

टिप्पणी :

उपरोक्त कीमतें सीआईएफ कीमतें हैं । वास्तविक सीआईएफ कीमत (उपरोक्त अधिकतम सीमा के अधीन) तथा वास्तविक सीमाशुल्क के जोड़ पर सबसिडी ग्राह्य होगी।

प्रौ.उ.नि. योजना से संबंधित उपरोक्त संशोधनों को सभी संबंधितों की जानकारी में लाया जाए ।

(श्रीमती शशी सिंह)
निदेशक

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
(पावरलूम विकास प्रकोष्ठ)
पो.बै. सं. 11 500, मुंबई : 400 020.
न्यू सी.जी.ओ. भवन, 48, न्यू मरीन लाईन्स,
फैक्स सं.022-2004693, E-mail: texcomindia@txcindia.com
फोन नं.022-2001050-268/249.

सं. 28(19)/2005-पीडीसी/

दिनांक : 29 अप्रैल, 2005

परिपत्र सं. 2
(2005-2006 श्रृंखला)

विषय:- प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत प्रोसेसिंग मशीनरी के लिए 10% कैपिटल सब्सिडी के रूप में अतिरिक्त प्रोत्साहन के क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शी-सिद्धांत ।

1. भारत सरकार ने विनिर्दिष्ट टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मशीनरी के लिए प्रौ उ नि यो के अंतर्गत 5% ब्याज सब्सिडी के अलावा 10% कैपिटल सब्सिडी का अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने का निर्णय लिया है।
2. 20 अप्रैल 2005 से 19 अप्रैल 2006 की एक वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट प्रोसेसिंग मशीनरी में निवेश की गई राशि पर 10% अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी स्वीकार्य होगी ।
3. कट ऑफ तारीख प्रदण के संवितरण की तारीख होगी । कर्जदाता अभिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मशीनरी पर 20 अप्रैल,2005 के अलावा इसके उपरांत संवितरण की गई राशि 10% कैपिटल सब्सिडी के लिए पात्र होगी ।
4. योजना की अवधि के अखिरी तारीख तक यानि 19/04/2006 नोडल एजेंसी सहयोजित पी एल आई द्वारा पात्र मशीनरी के लिए स्वीकृत ऋण कैपिटल सब्सिडी के लिए पात्र होगा।

पात्रता

5. कैपिटल सब्सिडी कम्पोजिट यूनिट एवं स्टेण्ड अलोन प्रोसेसिंग यूनिटों को उपलब्ध करवाया जाएगा ।
6. प्रोसेसिंग परियोजना पर समन्वित यत्न से 10% कैपिटल सब्सिडी उपलब्ध नहीं होगी । अपितु केवल विनिर्दिष्ट प्रोसेसिंग मशीनरी के लिए ही उपलब्ध करवाई जाएगी। पात्र मशीनरी की सूची संलग्नक 3 पर प्रस्तुत की गई है। टफ्स के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मशीनरी के अतिरिक्त 5% ब्याज प्रोत्साहन के लिए (संगत निवेश) समन्वित प्रोसेसिंग परियोजना में मान्य रहेगा।
7. 10% पूंजी सहायता केवल उन्हीं परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होगी, जहां आवधिक ऋण नोडल अभिकरण अथवा सहयोजित प्रा ऋ सस्थानों द्वारा मंजूर किया गया है।

सहायता की मात्रा

8. 10% पूंजी सहायता विनिर्दिष्ट मशीनरी के बीजक मूल्य के आधार पर निकाली जाएगी। बीजक मूल्य देशी मशीनरी के संदर्भ में मूल

कीमत+उत्पाद शुल्क+बिक्री कर है तथा आयातित मशीनरी के संदर्भ में सीआइएफ मूल्य + वास्तविक सीमाशुल्क ।

पूंजी सहायता प्रदान करना :

9. ऋणद अभिकरणों द्वारा पूंजी सहायता विनिर्दिष्ट मशीनरी के लिए आवधिक ऋण के वितरण के समय प्रदान की जाएगी।
10. पूंजी सहायता समर्थकों के अंशदान के समक्ष भी समायोजित की जा सकती है।

पूंजी सहायता प्रदान करने के लिए निधि :

11. नियत तिथियों पर पूंजी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से नोडल अभिकरणों द्वारा निधि अग्रिम पैसों के रूप में प्रा. ऋ. संस्थानों में रखा जाएगा। ऐसे अग्रिम पैसों की मात्रा, प्रा ऋ संस्थानों द्वारा त्रैमासिक आधार पर पर आइडीबीआई /सिडबी को 10% पूंजी सहायता के लिए पात्र मशीनरी के लिए ऋण की मंजूरी के आधार पर जमा किये गए सहायता अनुमान पर आधारित होगी। पहली रिलीज के बाद, प्राऋ संस्थानों को उसके बाद रिलीज, पूर्व में दी गई निधियों के उपयोग पर निर्भर होंगे।

कृपया प्रौउनियो के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रोसेसिंग मशीनरी के लिए 10% पूंजी सहायता संबंधी मार्गदर्शक तत्व सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

इस अनुरोध के साथ कि प्रौउनियो में उपरोक्त संशोधनों/सुधारों सहित इसे समाचार पत्रों/पाक्षिकों/पत्रिकाओं इत्यादि में प्रकाशित करे सभी संबंधितों के ध्यान में लाए ।

(श्रीमती शशी सिंह)
निदेशक

परिशिष्ट-1

प्रोडनि योजना के अंतर्गत 10% पूँजी सहायता के लिए पात्र प्रोसेसिंग मशीनरी की सूची

क्र.सं.	मशीन का नाम एवं अन्य विवरण
नित प्रोसेस हाऊस के लिए	
1.	तापमान तथा फ्लेम कन्ट्रोल के लिए अनुकूल अनुपात में हवा तथा इंधन का स्वतः मिश्रण वाला सिंजिंग मशीन ।
2.	संपूर्ण प्रोसेस केन्द्र के लिये प्रोसेस तथा डाय किचन प्रबंधन व्यवस्था ।
3.	लैब डिस्पोजिग तथा स्टॉक सॉल्यूशन मेकिंग सिस्टम के साथ कम्प्यूटर कलर मैचिंग ।
4.	त्रुटि दर्शक तथा रिपोर्ट जनरेटर के साथ संगणक नियंत्रित कपड़ा निरीक्षण मशीन ।
5.	स्वचालित रोल फोल्डिंग एन्ड पैकिंग मशीन
6.	कन्टीन्यूअस रिलेक्स ड्रायर/टम्बल ड्रायर
7.	स्यूडिंग/पिच फिनिशिंग/रेजिंग/पाइल कटिंग मशीन
8.	कॉम्पैक्टिंग मशीन
9.	नित ट्युब्युलर मर्सराइजिंग/ब्लीचिंग सह-मर्सराइजिंग मशीन
10.	ऊर्जा नियंत्रण तथा पानी संबंधी देखरेख पर आधारित माइक्रो प्रोसेसर के साथ बुना हुआ कपड़ा निरंतर बिरजन करने वाला संयंत्र
11.	निपा प्रेशर तथा वॉशिंग रेंज में एकरूपता के लिये व्यवस्था के साथ ओपन विड्थ पेंड बैंच डाइंग
12.	चुंबकीय/एअर फ्लो स्क्रीज सिस्टम, ऑन लाइन वॉशिंग अरेंजमेंट, तुरंत परिवर्तन की सुविधा, ऑटोमैटिक डिजाइन सेटिंग के साथ रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन के साथ ।
13.	इंक जेट प्रिंटिंग मशीन
14.	मल्टी फंक्शनल लूप एजर (थर्मोसोलिंग, सुपर हीटेड स्टीमिंग, पोलिमराइजेशन, न्यूट्रल स्टीमिंग के साथ) फ्लेश एजर के साथ/के बिना ।
15.	कपड़े पर अत्यधिक दबाव से पानी डालने तथा अथवा अक्युमलेटर्स/वैक्यूम सेपरेटर्स द्वारा पृष्ठीय तथा गहरी धुलाई के साथ ऊर्जा नियंत्रण और पानी संबंधी देखरेख पर आधारित माइक्रो प्रोसेसर के साथ निरंतर वॉशिंग रेंज
16.	तेल/गैस गरम करने की व्यवस्था के साथ तथा नित फैडीक प्रोसेसिंग उपकरण के साथ मल्टी चेंबी स्टेन्टर
17.	कोटिंग/लैमिनेटिंग/एम्बॉसिंग/पिचिंग मशीन ।

क्र.सं.	मशीन का नाम एवं अन्य विवरण
वोवेन प्रोसेस हाऊस के लिए	
1.	माइक्रो प्रोसेसर आधारित डामेन्शनल एवं काउन्टिक कंसन्ट्रेशन कन्ट्रोल, मरसाजर सहित एवं काउस्टिक रिकवरी इकाई (बिन काउस्टिक रिकवरी के इकाई यदि वह पहले से इकाई के पास हो)
2.	ओपन डिड्थ लगातार ब्लीचिंग अथवा स्काउरिंग उवं ब्लीचिंग रेंज माइक्रो प्रोसेसर्स आधारित एनर्जी कन्ट्रोल एवं वाटर मानिटरिंग
3.	ओपन विड्थ पैड ड्राइ एवं अथवा पैड सिस्टम कान्टिन्यूअस डाइंग रेंज माइक्रो प्रोसेसर्स आधारित एनर्जी कन्ट्रोल एवं वाटर मानिटरिंग सहित/बिन थर्मोशाल के ।
4.	ओपन विड्थ पैड बैंच डाइंग रेंज जिसमें एक समान निप दबाव की व्यवस्था हो और उसमें रंग एवं रसायन के स्वचालित डोजिंग की व्यवस्था हो ।
5.	इंडिगो डाइंग रेंज
6.	रोटरी प्रिंटिंग मशीन मैग्नेटिक/एयर फ्लो स्क्वीज सिस्टम सहित, आन लाइन धुलाई की व्यवस्था, तीव्र बदलने की व्यवस्था सहित, स्वचालित डिजाइन सेटिंग
7.	कई कार्य करने वाला लूप ऐजर (थर्मोशोलिंग की व्यवस्था सहित, सुपर हीटेड स्टीमिंग, पॉलिमराइजेशन, न्यूट्रल स्टीमिंग) फ्लेश ऐजर सहित/बिना उसके ।
8.	डिजिटल/लेजर/लेन इंग्रेविंग सिस्टम, रोटरी स्क्रीन के लिए ।
9.	लगातार वाशिंग रेंज, माइक्रो प्रोसेसर आधारित एनर्जी कन्ट्रोल एवं वाटर मानिटरिंग जिसमें सतह की पेनीट्रेटीव धुलाई कपड़े के माध्यम से पानी को धकेलकर एवं/अथवा एक्यूमूलेटरर्स/वैक्यूम से परेटर्स के माध्यम से करने की व्यवस्था हो ।
10.	लगातार वजन कम करने की मशीन, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर द्वारा नियंत्रित काउस्टिक कंसन्ट्रेशन एवं वजन कम करने की व्यवस्था हों ।
11.	जेट प्रिंटिंग मशीन ।
12.	मल्टी चेम्बर स्टेन्टर (पाँच चेम्बर्स से कम नहीं) तेल/गैस से गरम करने की व्यवस्था सहित ।
13.	लगातार रिलेक्स/टम्बल ड्रामर ।
14.	कॉम्बी शाफ्ट मशीन साफ्ट करने एवं स्टोन वॉश जैसा प्रभाव देने के लिए
15.	काम्प्रेसीव स्प्रिंकिंग रेंज (जीरो-जीरो टाइप)
16.	सूडाइंग/पीच फीनिशिंग/रेजिंग /डीकैटाइजिंग/शीयरिंग/ पाइल कटिंग मशीन
17.	कोटिंग/लैमिनेटिंग/इम्बोसिंग/पीचिंग मशीन सम्पूर्ण प्रोसेस हाऊस के लिए
18.	प्रोसेस एवं डाइ किचन मैनेजमेंट सिस्टम
19.	कम्प्यूटर द्वारा कलर मैचिंग जिसमें लैब डिस्पेसिंग एवं स्टाक सलूशन मेकिंग सिस्टम ।
20.	कम्प्यूटर आधारित कपड़े का निरीक्षण करने वाली मशीन जिसमें गड़बड़ी का पता लगाने एवं उसका रिपोर्ट बनाने की व्यवस्था हो ।
21.	स्वचालित रोल फोल्डींग एवं पैकिंग मशीन ।
22.	सिन्जींग मशीन जिसमें हवा एवं तेल का स्वचालितौर पर पर्याप्त अनुपात में मिश्रण हो जिसमें तापमान एवं फ्लेम नियंत्रण किया जा सके ।
23.	माइक्रो प्रोसेस नियंत्रित जिगर टेम्पेचर, स्पीड एवं टेंशन नियंत्रण सहित ।

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
पो.बै. सं. 11 500, मुंबई : 400 020.
फैक्स सं.022-2002495, E-mail: texcomindia@txcindia.com
Website : www.txcindia.com

सं. 28(19)/2005-एम.एस/

दिनांक : 8 जुलाई,2005

परिपत्र सं. 3
(2005-2006 श्रृंखला)

विषय : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौउनियो)

तकनीकी सलाहकार मॉनिटरिंग समिति (टीएमसी) की दिनांक 1 जुलाई,2005 को मुंबई में संपन्न 26 वीं बैठक में लिए गए निर्णय :

- (i) **टेप्स के लिए कॉम्पैक्ट निरंतर डाइंग तथा फिनिशिंग मशीन का समावेश**
जैसे वूवन के लिए निरंतर डाइंग तथा फिनिशिंग मशीन का समावेश प्रौउनियो पर जी.आर. कि परिशिष्ट एफ 1 (बी) 1 (29) में निम्नानुसार किया गया है ।
परिशिष्ट - एफ 1 (बी) 1(29) : टेप्स/नैरोवूवन फैब्रिक के लिए कॉम्पैक्ट निरंतर डाइंग तथा फिनिशिंग मशीन
- (ii) **लेज़र एनग्रेविंग मशीन का समावेश :**
प्रौउनियो पर जी.आर. के परिशिष्ट ई (ए) (15) के अंतर्गत लेज़र एनग्रेविंग मशीन का समावेश किया गया है तथा तदनुसार विद्यमान प्रविष्टि को निम्नानुसार सुधारा गया :
परिशिष्ट : ई (ए) (15) : विद्युत चालित कपड़ा काटने की मशीन/लेज़र फैब्रिक या लेबल काटने की मशीन/लेज़र एनग्रेविंग मशीन
- (iii) **वार्प नॉटिंग पद्धति द्वारा मछली पकड़ने की जाली बनाने वाली मशीन का समावेश**
प्रौउनियो के परिशिष्ट डी 1 (सी) (9) के अन्तर्गत जाली बनाने की मशीन का निम्नानुसार समावेश किया गया है ।
परिशिष्ट डी 1 (सी) (9) : वार्प नॉटिंग पद्धति द्वारा जाली बनाने वाली मशीन
- (iv) **ऑटो रीलिंग स्टीच मशीन का समावेश**
ऑटो रीलिंग स्टीच मशीन का समावेश प्रौउनियो पर जी आर के परिशिष्ट डी 1 (ए) (20) तथा परिशिष्ट ई 72 के अंतर्गत किया गया है ।
परिशिष्ट डी 1 (ए) (20) : ऑटो रीलिंग स्टीच मशीन
परिशिष्ट ई (72) : ऑटो रीलिंग स्टीच मशीन
- (V) **वस्त्र प्रोसेसिंग इकाइयों में निस्सारण संसाधन अभिक्रिया के लिये बहु प्रभाव वाष्पक का समावेश :**

वस्त्र प्रोसेसिंग इकाइयों में निस्सारण संसाधन अभिक्रिया के लिये बहुविध प्रभाव वाष्पक का समावेश प्रौदनियो पर जीआर के परिशिष्ट-एफ 1 (बी) (iv)14/परिशिष्ट-एफ 2 (बी) (iv) 9/परिशिष्ट एफ 3 (बी) (iv) 5/परिशिष्ट-एफ 4 (बी) (iii) 5 में निम्नानुसार किया गया है :-

परिशिष्ट-एफ 1 (बी) (iv)14 : बहुविध वाष्पक
परिशिष्ट-एफ 2 (बी) (iv) 9 : बहुविध वाष्पक
परिशिष्ट एफ 3 (बी) (iv) 5 : बहुविध वाष्पक
परिशिष्ट-एफ 4 (बी) (iv) 5 : बहुविध वाष्पक

प्रौडनि योजना में उपरोक्त संशोधनों को सभी संबंधितों की जानकारी में लाया जाए ।

(श्रीमती शशी सिंह)
निदेशक

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
पो.बै. सं. 11 500, मुंबई : 400 020.
फैक्स सं.022-2002495, E-mail: dirss@texcindia.com.
Website : www.txcindia.com

सं. 28(19)/2005-एम.एस.

दिनांक :

परिपत्र सं. 4
(2005-2006 श्रृंखला)

विषय : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौउनियो)

I प्रौउनियो के अंतर्गत अतिरिक्त 12 नोडल बैंक

अंतर मंत्रालयीन विषय संचालन समिति (अंमंसंस) ने दिनांक 25 जुलाई,2005 को नई दिल्ली में संपन्न अपनी 19 वीं बैठक में उनके द्वारा वित्त सहायता दिये जाने वाले मामलों के लिये प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अतिरिक्त 12 नोडल बैंकों को सहयोजित करने का निर्णय लिया है । विनिर्दिष्ट 12 बैंकों ने प्रौउनियो के अंतर्गत नोडल बैंक बनने के लिये अपनी सहमति दर्शाई है :-

1. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	2. बैंक ऑफ इंडिया
3. एक्जिम बैंक	4. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
5. पंजाब नेशनल बैंक	6. आन्ध्र बैंक
7. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	8. इंडियन ओवरसीज बैंक
9. बैंक ऑफ बड़ौदा	10. आईसीआईसीआई बैंक
11. कैनरा बैंक	12. नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनसीडीसी)

- (i) नोडल बैंक पात्रता तय करेंगे तथा प्रौउनियो के अंतर्गत उनके द्वारा दी जाने वाली वित्त सहायता दिये जाने वाले सभी मामलों से संबंधित प्रौउनियो के लाभ वितरित करेंगी, जिसमें गैर लघु उद्योग क्षेत्र तथा लघु उद्योग क्षेत्र के भी 15% सीलसीएस टीयूएफएस के अंतर्गत आने वाले मामले एवं विनिर्दिष्ट प्रोसेसिंग मशीनों के लिये 10% पूँजी सहायता शामिल है । स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी इसके 7 सह-बैंकों के लिये नोडल बैंक के रूप में कार्य करेगा ।
- (ii) अतिरिक्त नोडल बैंकों की विभेदक तिथि 1 अक्टूबर,2005 है । नोडल बैंक प्रौउनियो के अंतर्गत वर्तमान में चालू मामलों में जुलाई-सितंबर 2005 तिमाही की अवधि के लिए (1 अक्टूबर,2005 से देय) ब्याज की प्रतिपूर्ति व्यवस्था

करेगा । नये मामलों तथा पुराने मामलों के संबंध में (जिनके लिये आईडीबीआईएल/सिडबी से कुछ कारणवश पूर्ण रूप से अथवा कुछ अवधि के लिए ब्याज की प्रतिपूर्ति नहीं की गई है), नोडल बैंकों द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर,2005 से ब्याज प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी, चाहे वे दावे जुलाई-सितंबर,2005 तिमाही से पूर्व की अवधि से संबंधित हों ।

- (iii) कोई परियोजना प्रौदनियो के अंतर्गत ब्याज वापसी के लाभ के लिये पात्र होने से पहले, नोडल बैंक मामले की पात्रता का निर्धारण प्रौदनियो दृष्टिकोण से करेगी ।
- (iv) किसी संघ द्वारा वित्त सहायता प्रदान करने के मामले में, संघ प्रमुख प्रौदनियो के अंतर्गत परियोजना की पात्रता स्वयं के लिये एवं संघ के अन्य सदस्यों के लिये निर्धारित करेगा, बशर्ते कि संघ प्रमुख नोडल बैंक हो । संघ नोडल बैंक नहीं हैं ऐसी स्थिति में बैंक, नोडल बैंक नही, आवधिक ऋण के मुख्य हिस्से वाली जिस नोडल बैंक (का आवधिक ऋण में अधिकतम हिस्सा होगा, वह) परियोजना की पात्रता निर्धारित करेगा ।
- (v) बहुविध बैंकों द्वारा वित्त सहायता प्रदान करने के मामले में जिस बैंक का आवधिक ऋण में अधिकतम हिस्सा होगा वह बैंक स्वयं के लिये तथा अन्य बैंकों के लिए भी प्रौदनियो के अंतर्गत परियोजना की पात्रता निर्धारित करेगी, बशर्ते उक्त बैंक नोडल बैंक हो । जिस बैंक का आवधिक ऋण में अधिकतम हिस्सा हो वह बैंक यदि नोडल बैंक न हो, तो जिस नोडल बैंक आवधिक ऋण में अधिकतम हिस्सा होगा, वह नोडल बैंक परियोजना की पात्रता निर्धारित करेगी ।
- (vi) किसी संकाय को वित्त सहायता बहुविध बैंको द्वारा वित्त सहायता के मामले में प्रत्येक बैंक, उनके द्वारा सहायता दी गई इकाइयों को ब्याज वापसी हो रही है या नहीं, इस पर ध्यान रखेगा, बशर्ते कि बैंक्स नोडल बैंक्स हों । तथापि आईडीबीआईएल/सिडबी उन बैंकों की संकाय/बहुविध बैंकिंग व्यवस्था की ब्याज वापसी पर ध्यान रखेगी, जो नोडल बैंक नहीं हैं । इस उद्देश्य के लिये ऐसे बैंकों को नोडल बैंक द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि आईडीबीआईएल/सिडबी को पृष्ठांकित/अग्रेषित की जाएगी ।
- (vii) नोडल बैंक्स दिनांक 1 अक्टूबर,2005 से नये मामलों की पात्रता की जाँच करेगी उसी तरह पुराने मामलों (अर्थात आईडीबीआई/सिडबी द्वारा जाँच की गई) की कार्य में बदलाव (पंक्तियों पर, यदि नया मामला है), भुगतान सारणी में

बदलाव/ब्याज का निर्धारण/ऋण का अधिग्रहण रूपयों में आवधिक ऋण को विदेशी मुद्रा ऋण में तथा विलोमत परिवर्तित करना आदि की भी जांच करेगी ।

- (viii) 30 सितंबर,2005 तक प्राप्त सभी मामलों की जांच आईडीबीआईएल/सिडबी करेगा । आईडीबीआईएल/सिडबी द्वारा जिन संदर्भ/प्रस्तावों का निपटान अतिरिक्त जानकारी के अभाव में न हुआ हो, नई नोडल बैंकों द्वारा आईडीबीआईएल/सिडबी द्वारा उठाये गसे प्रश्नों को मद्देनजर रखते हुए उनका निपटान किया जाएगा ।
- (ix) नोडल बैंकों ने आईडीबीआईएल/सिडबी द्वारा जांच किए गये वर्तमान मामलों का पत्राचार अपनी फाइलों में रखा होगा । अतः आईडीबीआईएल/सिडबी वर्तमान मामलों की फाइलों को कुछ समय तक रखेगी । यथासमय फाइलें संबंधित नोडल बैंकों को अंतरित की जाएंगी ।
- (x) नोडल बैंक आवश्यक निधि का वार्षिक अनुमान बजट के 6 माह पूर्व वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को आवश्यक निधि के प्रावधान हेतु प्रस्तुत करेगी, जिसके बाद तिमाही ब्याज वापसी दावों को वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को नियत तिथि (अर्थात् 1 जुलाई/1अक्टूबर/1 अप्रैल) से एक माह से डेढ़ माह पहले, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उनके द्वारा सहायता किये गये मामलों के संदर्भ, में मुख्य बकाया राशि पर आधारित वास्तविक निधि के भुगतान के लिये प्रस्तुत करेगा ।
- (xi) नोडल बैंक विहित प्रपत्र में त्रैमासिक दावा प्रस्तुत करने से पहले वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को विहित प्रपत्र में उपयोग प्रमाणपत्र जमा करेगा ।
- (xii) वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नोडल बैंकों में निधि की व्यवस्था हो जाने पर, वे इसे रखने के लिये डेडिकेटेड अकाउन्ट खोलेंगी । डेडिकेटेड अकाउन्ट में जमा राशि पर प्रोद्भूत ब्याज को अगले त्रैमासिक दावे में समायोजित किया जाएगा ।
- (xiii) नोडल बैंकों को वस्त्र आयुक्त कार्यालय, मुंबई/वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की जानकारी हेतु तथा संसदीय प्रश्नों आदि हेतु कंपनी/परियोजना-वार-
संस्थापित पात्रता/प्रौउनियो पात्रता के लिए विलंबित मामलों/लागू ब्याज-वापसी आदि मामलों संबंधी विवरण रखना होगा ।
- (xiv) प्रौउनियो मामलों के शीघ्र निपटान हेतु एवं प्रौउनियो के अतंगत लाभार्थियों को शीघ्र सहायता मिलने हेतु नोडल बैंक 'ऑन लाइन पद्धति' कार्यान्वित की है,

यदि आवश्यकता हो, नोडल बैंकें इस संबंध में सहायता हेतु सिडबी से संपर्क कर सकती हैं ।

- (xv) आईडीबीआईएल/सिडबी निर्माण काल के दौरान नोडल बैंकों को सलाहकार सेवाएँ प्रदान करेगी एवं नोडल बैंकों के हित के लिये उनके अनुरोध पर कार्यशालाएँ आयोजित करेगी ।
- (xvi) किसी मामले की पात्रता के संदर्भ में किसी संदेह के बारे में या किसी अन्य संबंधित मामले के बारे में नोडल बैंक मार्गदर्शन/सहायता हेतु आईडीबीआईएल/सिडबी अथवा वस्त्र आयुक्त कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं ।
- (xvii) नोडल बैंक मामले की प्रौउनियो पात्रता ऋण की मंजूरी के 4-6 सप्ताह के भीतर निश्चित करेगी, बशर्ते कि प्रौउनियो लाभार्थि के ब्याज वापसी ब्याज के भुगतान के बाद एक/दो दिनों में दे दी जाए ।

II नोडल अभिकरणों द्वारा अतिरिक्त बैंकों का सहयोजन :

- (i) इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (आईडीबीआईएल), वस्त्र उद्योग के गैर लघु उद्योग क्षेत्र के लिये नोडल अभिकरण ने, युनादटेड बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता, प्राइम को-ऑपरेटिव बैंक लि, सूरत, द महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि, मुंबई तथा सर्वोदय सहकारी बैंक लि, सूरत को सहयोजित किया है ।
- (ii) स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी), वस्त्र उद्योग के लघु उद्योग क्षेत्र के लिये नोडल अभिकरण ने श्री पार्श्वनाथ को-ऑपरेटिव बैंक लि, सांगली तथा कल्याण जनता सहकारी बैंक लि., कल्याण को सहयोजित किया है ।

प्रौउनि योजना में उपरोक्त संशोधनों को सभी संबंधितों की जानकारी में लाया जाए ।

(श्रीमती शशी सिंह)
संयुक्त वस्त्र आयुक्त

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
पो.बै. सं. 11 500, मुंबई : 400 020.
फैक्स सं.022-2002495, E-mail: texcomindia@txcindia.com
Website : www.txcindia.com

सं. 28(19)/2005-एम.एस/

दिनांक : 8 सितम्बर,2005

**परिपत्र सं. 5
(2005-2006 श्रृंखला)**

विषय : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौउनियो)

विद्युत करघा क्षेत्र के लिये प्रौउनियो के अन्तर्गत 20% की दर से क्रेडिट लिंकड कैपिटल सबसिडी (सीएलसीएस @ 20%-टीयूएफएसी)

सरकार ने दि. 1 सितम्बर,2005 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अन्तर्गत 20% की दर से क्रेडिट लिंकड कैपिटल सबसिडी (सीएलसीएस @ 20%-टीयूएफएएस) में निम्नलिखित आशोधनों को मंजूरी प्रदान की है ।

योजना के अन्तर्गत मूल्य की बेंचमार्किंग

1. प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अन्तर्गत 20% की दर से सीएलसीएस में पात्र देशी मशीनों के मूल्य बेंचमार्किंग को खत्म कर दिया गया है । यद्यपि आयातित पुराने उपयोग किये हुए करघों के मूल्य का बेंचमार्किंग जारी रहेगी । आयातित पुराने करघों के बेंचमार्क मूल्य दिनांक 11 फरवरी,2004 के परिपत्र सं.1 (पीडीसी 2003-2004 श्रृंखला) तथा दिनांक 21 अप्रैल,2005 का परिपत्र सं.1 (2005-2006 श्रृंखला) में दिये गये हैं ।
2. देशी मशीनों के मूल्य बेंचमार्किंग करने के स्थान पर मशीन उत्पादकों की बेंचमार्किंग किया जाएगा । मशीन उत्पादकों को बेंचमार्किंग करने संबंधी मापदण्डों का निर्धारण वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा वस्त्र मशीनरी उत्पादकों के संघों (टीएमएमए) से विचार-विमर्श के बाद किया जाएगा ।
3. उन देशी मशीन उत्पादकों को इस योजना के अन्तर्गत बेंचमार्कड उत्पादक माना जायेगा जिनकी मशीनरी को सीएलसीएस @ 20 प्रतिशत - टफ के अन्तर्गत अभी तक बेंचमार्कड किया गया है । बशर्ते उस बेंचमार्कड उत्पादक ने 31 दिसम्बर,2005 तक आईएसओ-9001 प्राप्त कर लिया हो और इसके अलावा उपरोक्त पैरा दो में प्रस्तुत बेंचमार्कड उत्पादक के बेंचमार्कड के लिए निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हों । जो मौजूदा बेंचमार्कड मशीन उत्पादक

31 दिसम्बर,2005 तक आईएसओ-9001 नहीं प्राप्त कर पाते हैं वे इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं रह जायेंगे । (इस यांजना के अन्तर्गत अभी तक पात्र मशीन उत्पादकों की सूची वस्त्र आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट अर्थात www.txcindia.com पर उपलब्ध है ।)

4. सीएलसीएस @ 20% - टफ के अन्तर्गत पात्र मशीनों की सूची अनुलग्नक - एक में प्रस्तुत की गई है ।

सीएलसीएस @ 20% - टफ के अन्तर्गत उपलब्ध अतिरिक्त विकल्प

5. सरकार ने विद्युत करघा इकाइयों को विकल्प दिया है कि वे "फ्रन्ट एन्डेड" आधार पर 20 प्रतिशत पूंजीगत सहायता, बैंक की वित्तीय सहायता के साथ प्राप्त कर सकते हैं । 20 प्रतिशत पूंजीगत सहायता देने के लिए प्रचालन संबंधी दिशा-निर्देश निम्नवत् है :-

- i) विद्युत करघा इकाई उनके परियोजना प्रस्तावों सहित ऋणदाता संस्थानों से आवधिक ऋण एवं 20 प्रतिशत की आर्थिक सहायता के रूप में अल्पावधि व्याजमुक्त ऋण के लिए सम्पर्क करेंगे । ऋण की मंजूरी होने के उपरान्त ऋणदाता संस्थान वस्त्र आयुक्त कार्यालय को विहित प्रपत्र में ऋण की मंजूरी के संबंध में सलाह देगा । {अनुलग्नक-दो परिपत्र सं.7(2003-2004 श्रृंखला) दिनांक 23 जनवरी,2004}
- ii) इस योजना में भी आवधिक ऋण के लिए परिबंधन अवधि सीएलसीएस @ 15 प्रतिशत-टफ के अनुसार ही कम से कम 3 वर्ष होगी ।
- iii) विद्युत करघा उद्यमी अपने प्रारम्भिक अंशदान का न्यूनतम 15 प्रतिशत सीधे ही मशीन के निर्माताओं को देंगे ।
- iv) ऋणदाता संस्थान, आवधिक ऋण साथ ही साथ अल्पावधि ब्याजमुक्त धनराशि मशीन के निर्माताओं को उस समय प्रदान कर सकेंगे जब मशीन भेजे जाने के लिए तैयार हो ।
- v) जैसा कि चालू योजना में है समय-समय पर संशोधित परिपत्र सं.7 (2003-2004 श्रृंखला) दिनांक 23 जनवरी,2004 के अनुसार मशीन के निर्माता नों अंको के पहचान कोड की प्रत्येक मशीन में ढलाई/उकेरना चालू रखेंगे ।
- vi) मशीनों के निर्माता/विद्युत करघा उद्यमी, मशीनों को संस्थापित करने एवं प्रवर्तन के बाद ऋणदाता संस्थान को मशीन संस्थापन/प्रवर्तन की सूचना देंगे ।

- vii) ऋणदाता संस्थायें, इकाई का दौरा ऋण की अदायगी के पहले या बाद में करेंगे । इस दौरे के दौरान मौजूदा दिशा-निर्देशों कि परिपत्र सं.7 (2003-2004 श्रृंखला) दिनांक 23 जनवरी,2004 में विस्तार से उल्लेखित है और इसमें समय-समय पर किए गए परिवर्तनों के अनुरूप संशोधित मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार ऋण दाता संस्थान देशी मशीनों पर नौ अंकों के पहचान चिन्ह की ढलाई/उकेरा जाना सुनिश्चित करेंगे ।
- viii) उक्त दौरे के बाद ऋणदाता संस्थान वस्त्र आयुक्त कार्यालय को सूचित करेंगे कि पार्टी ने मशीनें संस्थापित कर ली हैं और उन्होंने विहित प्रपत्र (अनुलग्नक-दो) के अनुरूप 20 प्रतिशत पूंजीगत सहायता के रूप में अल्पावधि ब्याजमुक्त ऋण की अदायगी कर दी है । ऋणदाता संस्थान इस घोषणा पत्र के साथ बीजक (इन्वाइस) की प्रति जिसमें स्पष्टतौर पर मशीनरी के सभी विनिर्देश तथा मशीनरी पर उकेरी गई नौ अंकों के पहचान कोड का ब्यौरा हो, उसे वस्त्र आयुक्त कार्यालय को भेजेंगे ।
- ix) वस्त्र आयुक्त कार्यालय, ऋणदाता संस्थानों से उक्त प्राप्त कागजातों के आधार पर **ऋणदाता संस्थानों को पूंजीगत सहायता जारी कर सकेगा ।**
- x) देशी मशीनरी के 20 प्रतिशत पूंजीगत सहायता का आकलन बीजक (इन्वाइस) मूल्य के आधार पर किया जायेगा जिसमें उत्पाद शुल्क एवं बिक्रीकर/मूल्य आधारित टैक्स (वैट) सम्मिलित होगा । ऋणदाता संस्थान पात्र निवेश की 20 प्रतिशत राशि अल्पावधि के ब्याजमुक्त धन के रूप में उपलब्ध करवायेंगे ।
- xi) बिल्कुल नयी आयातित मशीनों के संबंध में 20 प्रतिशत पूंजीगत सहायता की आकलन सीआईएफ में अदा की गई वास्तविक सीमा शुल्क की राशि के आधार पर किया जाएगा । जबकि पुरानी आयातित मशीनों के संबंध में 20 प्रतिशत पूंजीगत सहायता का आकलन वस्त्र आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित बेंचमार्कड मूल्य या सी आई एफ मूल्य जमा इसमें से जो भी कम हो इसमें वास्तव में अदा की गई सीमा शुल्क राशि के आधार पर किया जाएगा ।
- xii) यदि ऋणदाता संस्थानों द्वारा 20 प्रतिशत पूंजीगत सहायता की पात्रता सीमा से अधिक अल्पावधि ब्याजमुक्त ऋण प्रदान किया गया तो उक्त अधिक राशि विद्युत करघा बुनकर से वसूल की जायेगी अथवा इसे ऋण

दाता संस्थान द्वारा सामान्य आवधिक ऋण के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है ।

xiii) वस्त्र आयुक्त महोदय मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम गठित करेंगे जो संस्थापित (बैठाई/लगाई गई) मशीनों का अनियत आधार पर आवधिक निरीक्षण करेंगे ।

प्रौउनि योजना में उपरोक्त संशोधनों को सभी संबंधितों की जानकारी में लाया जाए ।

(श्रीमती शशी सिंह)
संयुक्त वस्त्र आयुक्त

प्रौदनियो के 20% की दर पर सीएलसीएस के अन्तर्गत पात्र मशीनों की सूची

अनु.क्र.	मशीनों की सूची
1.	अर्ध-स्वचालित करघे
2.	स्वचालित शटल स्टॉप चेंज करघा
3.	पर्न चेंजिंग स्वचालित करघा
4.	बिना शटल का रैपियर करघा
5.	डॉबी
6.	जेक्वार्ड
7.	पर्न वाइडिंग
8.	सेक्शनल वार्षिंग मशीन
9.	वार्षिंग मशीन
10.	साइजिंग मशीन
11.	टू फॉर वन टिस्टर (दिनांक 26 दिसंबर, 2004 के परिपत्र सं.2 (पीडीसी 2004-2005 श्रंखला) के अनुसार 1 अप्रैल, 2005 से क्रेडल, ड्रॉप वायर सिस्टम तथा ओवरफीड सिस्टम सहित
12.	प्रिवाइंडर/रिवाइंडर

प्रौउनियो के 20% की दर पर सीएलसीएस के अन्तर्गत पात्र उपकरणों की सूची

अर्ध-स्वचालित करघा तथा स्वचालित शटल स्टॉप चेंज करघा	<ul style="list-style-type: none">● हेल्ड फ्रेम (शाफ्ट) 6 नम्बर● हैल्ड वायर्स (6000 नम्बर)● वीवर्स बीम (1 नग)● ड्रॉप पिन (ड्रॉप वायर्स/ड्रापर्स) (6000 नम्बर)● टेम्पल सेट● आप्टिकल वेफ्ट फीलर एवं इलेक्ट्रीकल वार्प स्टॉप मोशन● मोटर (1)
स्वचालित पर्न बदलने वाला करघा	<ul style="list-style-type: none">● वार्प बीम (1)● क्लॉथ रोलर (1)● मोटर (1)● हेल्ड फ्रेम (6 नम्बर)● हैल्ड वायर्स (6000)● ड्रॉप पिन्स (6000)● शटल (1)
शटल लेस करघा	<ul style="list-style-type: none">● वार्प बीम (1)● क्लॉथ रोलर (1)● हेल्ड फ्रेम (6 नम्बर)● हैल्ड वायर्स (6000)● ड्रॉप पिन्स (6000)

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
पो.बै. सं. 11 500, मुंबई : 400 020.
फ़ैक्स सं.022-2002495, E-mail: dirss@texcindia.com.
Website : www.txcindia.com

सं. 28(19)/2005-एम.एस.

दिनांक :

**परिपत्र सं. 6
(2005-2006 श्रृंखला)**

विषय : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौउनियो)

01 अप्रैल, 2002 से मासिक आधार पर ब्याज लिया जाने संबंधी रिजर्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचना के परिणाम स्वरूप टफ योजना के अन्तर्गत ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए मासिक आधार पर दावे की प्रस्तुति ।

तकनीकी सलाहकार सह-देखरेख समिति (टी ए एम सी)द्वारा इसकी दिनांक 01 अगस्त,2002 को मुंबई में आयोजित 16 वीं बैठक में स्पष्ट किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर यदि सहयोजित पी एल आई द्वारा नए मामलों में मासिक आधार पर ब्याज लिया जाता है तो नोडल एजेन्सी मासिक आधार पर ब्याज की प्रतिपूर्ति कर सकती हैं । यद्यपि ऐसे मामले जहाँ ब्याज तिमाही आधार पर लिया जाता है वहाँ तिमाही आधार पर पूँजीगत सहायता जारी की जाती रहेगी । टी ए एम सी का यह निर्णय नोडल एजेन्सियों को सूचित किया जा चुका है । पी एल आई द्वारा इस संबंध में की गई पूछताछ के संबंध में स्पष्टीकरण दिया जा रहा है । यद्यपि यह परिपत्र टफ योजना के सभी संबंधितों के लाभार्थ जारी किया गया है ।

नोडल एजेन्सियों एवं सहयोजित पी एल आईज से अनुरोध है कि वे तदनुसार कार्रवाई करें ।

**(श्रीमती शशी सिंह)
संयुक्त वस्त्र आयुक्त**

फार्मेट

अनुलग्नक - दो

ऋणदाता संस्थानों द्वारा वस्त्र आयुक्त कार्यालय से पूँजीगत सहायता
का दावा प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

दिनांक :

ऋणदाता संस्थान का नाम एवं पता :

1.	ऋण प्राप्तकर्ता का नाम एवं पता				
2.	क्या लघु औद्योगिक इकाई है, अथवा नहीं				
3.	प्रस्तावक (कों) के नाम				
4.	फर्म का प्रकार (मालिकाना/भागीदारी/लिमिटेड/कोआपरेटिव/अन्य)				
5.	परियोजना का लागत (रूपये)				
(क)	प्रस्तावकों का अंशदान (यह कम से कम 15 प्रतिशत होनी चाहिए)				
(ख)	आवधिक ऋण का संवितरण (आयातित मशीनरी के मामले में एल.सी. संख्या)				
(ग)	सेतुक वित्त का संवितरण				
6.	20 प्रतिशत की दर पर सी एल सी एस - प्रौउनियो में आने वाली मशीनों का विवरण				
(क)	देशी मशीनरी				
क्र.सं.	मशीनरी का विवरण	मशीनरी के निर्माता का नाम एवं पता तथा कोड संख्या	मशीनरी की संख्या	नौ अंको की कोड संख्या(यें)	बीजक मूल्य (रूपये)

(ख)	आयातित मशीनरी						
क्र.सं.	मशीनरी का विवरण	मशीनों की संख्या	नई या पुरानी	मशीन(नों) की क्रम संख्या	आगम बिल की तारीख	बीजक मूल्य (रूपये)	सी आइ एफ मूल्य (रूपये के संबंध में) अथवा पुराने आयातित करघों के संबंध में चिन्हित मूल्य इसमें से जो भी कम हो तथा आगम बिल के अनुसार वास्तविक रूप में अदा किया गया सीमा शुल्क ।

--	--	--	--	--	--	--	--

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :-

क्र.सं.	दस्तावेजों का विवरण	यदि संलग्न किया हो तो टिक करें तथा लागू न हो तो लागू नहीं लिखें ।
1.	लघु औद्योगिक इकाई प्रमाण पत्र अथवा अन्य कोई दस्तावेज (अर्थात् सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र, बैंक का प्रमाण पत्र) यह प्रमाणित करने के लिए कि इकाई लघु औद्योगिक इकाई है ।	
2.	यदि एक ही स्थान में हों तो अलग इलेक्ट्रीसिटी बिल की प्रति संलग्न करें ।	
3.	बीजक (इन्वायस) उपकरणों के सम्पूर्ण विवरणों सहित तथा नौ अंको के कोड नं. सहित बनायें ।	
4.	आयातित मशीनरी के मामलों में आगम बिल	
5.	अधिकृत (चार्टर्ड) इंजीनियर का प्रमाण पत्र जिसमें करघे की पहले उपयोग की जा चुकी तथा शेष अवधि का उल्लेख हो (दिनांक 22.2.2005 तक के दिशा निर्देशों के अनुसार करघे की विटेंज अवधि 10 वर्ष तथा बाकी बची विटेंज अवधि 10 वर्ष है और दिनांक 22.2.2005 के बाद पुराने करघे की विटेंज अवधि 15 वर्ष तथा बाकी बची अवधि 10 वर्ष होगी)	
6.	आयातित मशीनरी के संबंध में साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट) की प्रति दें ।	
7.	ऋण प्राप्तकर्ता का इस बाबत घोषणा पत्र कि उसने योजना के प्रारम्भ से रु.20 लाख की निर्धारित आर्थिक सहायता से अधिक ऋण नहीं लिया	

यह प्रमाणित किया जाता है कि इकाई द्वारा मशीनरी स्थापित कर ली गई है और इसके लिए वस्त्र आयुक्त कार्यालय के परिपत्र सं.7 (2003-2004 श्रृंखला) दिनांक 23/1/2004 के दिशा निर्देश तथा समय-समय पर इसमें सरकार द्वारा किये गए परिवर्तन के अनुसार में आर्थिक सहायता के रूप में 20 प्रतिशत अल्पावधि के ब्याज रहित राशि सहित भुगतान किया जा चुका है और साथ ही इस बात की घोषणा भी कि इकाई ने 5 प्रतिशत ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता/प्रौउनि योजना के अन्तर्गत 15 प्रतिशत सीएलसीएस नहीं प्राप्त किया है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

स्थान
दिनांक

नाम
पदनाम
सील